राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] दसवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र का तेइसवां दिवस [संख्या : 14

गुरुवार,
17 मार्च, 1994

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन।)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की जल प्रदाय योजनाएं

378. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडा-भीम) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी जल प्रदाय योजनाएं हैं तथा वे कब स्वीकृत की गयीं ? उनमें कुल कितना धन लगा, उक्त योजनाओं में से कितनी पूर्ण हो गयीं व कितनी अधूरी एवं कितनी कार्य-रत हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री जसवन्त सिंह विश्नोई) : उल्लेखित विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत कुल 137 पेय-जल योजनाओं का वांछित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। इन योजनाओं पर कुल 411 लाख रुपये की राशि व्यय हुई है। इन योजनाओं में से 127 योजनाएं पूर्ण की जाकर संधारण में हैं, तथा 11 योजनाओं का क्रियान्वयन प्रगति में है जिनमें से ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत कुल 4 योजनाएं हैं और चारों योजनाओं का क्रियान्वयन भी प्रगति में है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें।)

अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि जो पहले उत्तर दिया था उसमें 10 थीं, वे अब करेक्शन करके 11 की गयी हैं और जो क्षेत्रीय योजनाएं डी.आर.डी.ए. की 3 थीं वे 4 की गयी हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पहले तो आपने 10 बतायी थीं, अब आपको सद्-बुद्धि आ गयी, 11 बता दीं। 11 योजनाओं में कितना पैसा खर्च हुआ ? उनको चालू करने में क्या परेशानी है ? अब तक चालू नहीं करने के क्या कारण हैं ? क्या आप इन योजनाओं को इसलिए चालू नहीं कर रहे हैं कि ये योजनाएं ग्रामों की योजनाएं हैं और वे एस.टी. के क्षेत्र की हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय अध्यक्ष

(श्री भंवरलाल शर्मा)

महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो योजनाएं थीं आपकी, 1982 में स्वीकृत हुई थीं। फण्ड्स की उपलब्धता के बिना ही ये स्वीकृत कर दी गयीं और जैसे-जैसे धन उपलब्ध होता गया तब तब इन पर काम चालू किया गया। आपको जो सूची मैंने दी है, उसमें यदि आप देखेंगे तो शहरी योजना टोडाभीम, यह 1972 में स्वीकृत की गयी थी। घाटरा बरेडी वर्ष 1989 में, जलयोजना पाटोली आंतरहेडा वर्ष 1982 में, और इसी प्रकार आपकी यह योजना। यह 1982 में स्वीकृत जरूर हुई लेकिन 1982 में जब सैंक्शन हुई तो उसके बाद तकनीकी स्वीकृति पैसा मिलने के बाद मिली और इसलिए ये योजनायें डिले हुईं। कुछ योजनाएं इसलिए नहीं चल रही हैं कि उनमें बिजली कनेक्शन नहीं मिले। कनेक्शन इसलिए नहीं मिलते हैं कि वहां बिजली विभाग काम नहीं करता, वहां आपकी एक ग्रामीण विद्युत प्रदाय समिति बनी हुई है उसके अण्डर में यह कार्यक्रम चलता है। बिजली का कनेक्शन देने में वे हमको डिले करते हैं इसलिए डिले होती है। अब मुडिया जो आपका है इसके पैसे 1992 दिसम्बर में जमा करा दिये गये लेकिन कनेक्शन नहीं मिला। नाराणदा माण्डल है 4.9.92 को पैसा जमा करा दिया, कनेक्शन नहीं मिला। गोपालपुरा में भी 4.9.93 को जमा कराया, कनेक्शन नहीं मिला।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मुडिया और उसके कब कराये ?

श्री अध्यक्ष : 4.9.93 को।

श्री भंवरलाल शर्मा : दिसम्बर, 1992 में। मुडिया में 12 दिसम्बर, 1992 में करवाये और नाराणदा माण्डल है इसमें 4.9.93 को करवाये। गोपालपुरा में 4.9.93 को करवाये जिनके लिए हमने एप्लाई किया। निसूरा में 9/93, सितरिया में 9/93, मातासूला में 9/93, सोढा में 9/93, बभेड़ा में 9/93, बनकपुरा में 9/93, खोरा 9/93, तिमावा 2/94, ठहरिया 2/94, जीतपुर 2/94 और चिरावाड़ा 12/93, ये हमने पैसे जमा करा दिये और इसमें एप्लाई कर दिया। डिमाण्ड नोटिस मिलेगा उसके पैसे भी जमा करा देंगे। सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह आर.एस.ई.बी. के कण्ट्रोल में नहीं है। वहां एक सेलर समिति बनी हुई है वह पैसे जमा कराने के बाद भी हमको देने के बजाय दूसरों को कनेक्शन देती रहती है और इसलिए यह समस्या खड़ी है।

और कुछ काम ऐसे हैं, कुछ योजनाएं ऐसी हैं, जैसे, जिनमें हमने कुआं खोदा वह असफल हो गया। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि दूसरी जगह खुदे इसलिए इन योजनाओं में देरी हो रही है। साथ ही मैं इस बात को भी मानता हूं कि कुछ विलम्ब जो नहीं होना चाहिये था वह भी हुआ है। अब मैं आपसे इतना ही निवेदन कर सकता हूं, अभी मेरे अधिकारी आये हुए हैं, इसमें जितने काम बाकी हैं हमारे डिपार्टमेण्ट के आधार पर, वे निश्चित रूप से अतिशीघ्र गर्मी आने के पहले-पहले पूरे कर दिये जाएं। यह मैं निर्देश दे रहा हूं। मेरा यह भी निवेदन है कि विधान सभा सत्र जैसे ही पूरा होता है मैं स्वयं भी एक बार आपके साथ चलकर इसमें क्या कमी है, क्यों नहीं पूरा हो रहा है, प्रत्यक्ष में देखना चाहूंगा। आने वाली गर्मी के पहले समस्या का समा-

(श्री भंवरलाल शर्मा)

धान हो जाय यह मेरी भी इच्छा है और आपकी भी यही इच्छा है। आप और हम मिलकर इनको जल्दी ठीक करें। अगर बिजली की कमी है तो वह भी पूरी करें और भी कोई कमी है उसको भी पूरा करें। यही मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : आप इनके यहां ही जाएंगे या और जगह भी जाएंगे। हमारे यहां भी आइये।

श्री भंवरलाल शर्मा : वहां भी जाऊंगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन है मेरा। मेरे क्षेत्र की पहले की जो योजनाएं हैं जिनकी टंकियां बनी हुई हैं, माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वे टंकियां कब से बनी हुई है? उन टंकियों में पानी डाला भी जा रहा है या नहीं? और पानी नहीं डाला जा रहा है तो क्यों नहीं डाला जा रहा है? अब डाला जाएगा तो कब डाला जाएगा?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, आपको मैंने निवेदन कर दिया कि कुछ कारण तो बिजली के हैं, कुछ कुएं असफल हो गये और कुछ मैंने कहा डिले हुई है। मैं यही निवेदन करूंगा कि समस्या का समाधान चाहिये अपने को, उस समाधान के लिए मैं निश्चित रूप से मेरे अधिकारियों को आज ये निर्देश दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बाकी सदस्य तो आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं कि आपके साथ ही जा रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : जाने का कार्यक्रम कब बनेगा? विधान सभा के बाद ही बना लो आप तो।

श्री अध्यक्ष : हां, वही कह रहे हैं, आप सुनते नहीं हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं खुद भी कह रहा हूं आपसे कि विधान सभा के समाप्त होते ही पहला कार्यक्रम आपके यहां बनवाऊंगा। चलेंगे आपके साथ।

श्री रामस्वरूप मीणा : सारी योजनाएं चालू करवा दो, बस यही निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बुलवा रहा हूं, एक एक बोल रहे हैं।

श्री कालूलाल गुजर (माण्डल) : मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जब ये स्वीकृत हुई हैं उनके नार्म्स क्या हैं? कितने दिन में योजना कम्प्लीट हो जानी चाहिये? कुआं कितने दिन में खुदना चाहिये? टंकी कब तक चालू होनी चाहिये? मेरे विधान सभा क्षेत्र में 1988 की योजना है जिसमें अब तक कुआं नहीं खुदा और अब उसकी वैल्यू बढ़ गयी। तो क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि इनके नार्म्स क्या हैं? अधिकारी समय पर काम नहीं कराते हैं उससे योजना की कास्ट बढ़ जाती है, डेढ़ी, दुगनी हो जाती है। तो क्या ये ऐसे नार्म्स बनाएंगे? बनाएंगे तो कब तक?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो उस काम के आकार पर निर्भर करता है, जितनी बड़ी स्कीम होती है उतना ही समय लगेगा। एक हैण्डपम्प खोदना है तो एक दिन का काम

(५)

(श्री भंवरलाल शर्मा)

है, बड़ी लम्बी योजना बनायी है तो समय ज्यादा लग सकता है।

श्री कालूलाल गुजर : कुआं कितने दिन में खुद जाना चाहिये, यह तो बताएंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप कुएं क्यों खोद रहे हो ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाह रहा हूं। मंत्रीजी, नवीं विधान सभा में भी यह मंत्रालय आपके पास था और आज भी यह मंत्रालय आपके पास है, उस समय भी यहां हाऊस में डिस्ट्रिक्टवाइज एम.एल.एज. को बुलाकर उनके दुःख, तकलीफें, अभाव-अभियोग के सम्बन्ध में आपने जानकारी ली और लिखित में भी हमसे लिया और इस बार भी अधिकारियों को आपने बुलाकर हमारे सामने ये सब समस्याएं डिस्कस की, लेकिन नतीजा दोनों बार सिफर निकला। या तो आपके अधिकारी आपका कहा नहीं मानते या आपका मन नहीं है काम करने का। अब हम कैसे उम्मीद करें कि आप वहां जाकर भी हमको कोई निहाल करेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : उसके अलावा बचेता क्या है ? उम्मीद ही करनी पड़ेगी और क्या करेंगे, लेकिन आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है।

श्री अध्यक्ष : अब बैठिये आप, जवाब सुन लीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। जब हम पिछली बार मिले थे तब पाइप्स खरीदने के टेण्डर्स सैंक्शन नहीं हुए थे, पाइप खरीदे नहीं गये थे इसलिए डिले हुई। यह तो आपकी जानकारी में है कि हमारी सरकार काफी विलम्ब से इस बार आई है। जो समय थोड़ा सा मिला है उसमें हमारे सामने यह मामला पैंडिंग था कि टैंडर्स करके, स्वीकृत करके और पाइप खरीदे जाएं। उसमें डिले हुई।

श्री रामस्वरूप मीणा : क्या मेरे क्षेत्र के लिये विलम्ब हुआ है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, नहीं आपकी नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों ? डिमाण्ड नोटिस चले गये, सब काम हो गया और आज भी देर लग रही है। 5-5 साल हो गए, 1982 की योजना चल रही है। टोडाभीम के साथ ऐसा क्यों हुआ, माननीय मंत्री महोदय ?

श्री भंवरलाल शर्मा : एक सैकण्ड। जिस समय 1982 में सैंक्शन हुई थी उस समय अगर इसके अर्थ की व्यवस्था कर दी जाती तो मैं समझता हूं कि आज यह संकट हमारे सामने खड़ा नहीं होता। सैंक्शन तो कर दी लेकिन फण्ड्स थे नहीं। धीरे-धीरे फण्ड्स आये हैं तो यह शुरू हुई। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं तो, मंत्रीजी, उन योजनाओं की बात कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : हरिसिंहजी, आप बहस मत करिए, वे बोल रहे हैं। लगभग 15 लोगों ने इस पर प्रश्न पूछने के लिय मुझे कहा है, 15 लोगों ने, इसलिये आप

(श्री अध्यक्ष)

बैठिये। श्री राजेन्द्र जी पूछ रहे हैं.... (व्यवधान)....सबका फिर एक साथ हो जाएगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, मैं डाइ–रेक्ट इन्वाल्वड हूं इन स्कीम्स से।

श्री अध्यक्ष : हां, हो तो आप बाद में कर लेना, पहले सबका नम्बर आ जाए। हां, तो आप बोलिए, श्री राजेन्द्रजी।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर में सैन्ट्रल वाटर बोर्ड की ओर से कई जगह ट्यूब वैल्स खोदे गये हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन सैन्ट्रल वाटर बोर्ड द्वारा खोदे गए ट्यूबवैल्स को अपनी योजनाओं में सम्मिलित करेंगे ?

दूसरा, मैंने समय समय पर माननीय मंत्री जी को लिखित में भी जानकारी इस विषय में दी है कि सीकर की पेयजल योजनाएं हैं उनमें बहुत जगह ऐसी हैं, जैसे जहां पेयजल पाइप है वह गन्दी नालियों में से गुजर रहा है उसकी वजह से पिछली बार एक हादसा भी हो गया था जिसमें 10 आदमियों की मृत्यु हो गयी थी। इसकी जानकारी मंत्री महोदय को इससे पूर्व भी दी थी। तो क्या मंत्रीजी ऐसा विचार रखते हैं कि ऐसी पाइप का सर्वे करवा कर उनको गन्दी नालियों से बाहर निकलवा कर रि-आर्गेनाइजेशन स्कीम में नई पाइप डालने की व्यवस्था करें ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहती हूं पिछली बार मीटिंग में भी आपको बताया था और आपने कहा था कि हम हैण्डपम्प रिपेयर करवा रहे हैं, इस महीने में काम पूरा हो जाएगा। इसके बावजूद आज भी 40 हैण्डपम्प ऐसे पड़े हैं। जहां एक एक हैण्डपम्प हैं वह भी रिपेयर नहीं किये गये हैं। जब उनके बारे में जान–कारी की जाती है तो कहते हैं कि इनमें पाइप लगाये जाएंगे और पाइप हमारे पास नहीं हैं इसलिये हम नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहां 9 टंकियां पानी की बनी हुई पड़ी हैं जिनको आज इतनी गम्भीर समस्या हो गई है तब भी पाइप से जोड़ा नहीं गया है। पाइप लगे हुए पड़े हैं इनको टंकियों से नहीं जोड़ा गया है।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं सरकार की तरफ से कोई नोट करे, somebody must note it।

श्री भंवरलाल शर्मा : हो रहा है। I am noting.

श्री अध्यक्ष : ठीक है। पूछिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : पानी की इतनी गम्भीर समस्या है, गर्मी आ रही है उसके लिये आप अभी क्या कर रहे हैं ? हमारे सांगानेर क्षेत्र में जब मैंने मालूम किया कि हमारे यहां हैण्ड पम्प लगाये जायं तो बताया गया कि पूरे सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में केवल 3 हैंण्डपम्प मंजूर किये गये हैं। अब आप बताइए कि 268 गांव,

(6)

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

665 हमारे यहां ढाणियां और उनमें 3 हैण्डपम्प। मैं कहां कहां लगवाऊं और किन किन को पानी की सुविधा दूं ?

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र गोयल। मैं सबको बुलवाउंगा, इसलिये आप थोड़ा जल्दी-जल्दी बोलिए, अपनी-अपनी समस्याएं रख दीजिए।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1990 से सेवरिया, कूकड़, दयालपुरा, आसनलाई...

श्री अध्यक्ष : देखिये, मैं यह प्रश्न इसलिये पुछवा रहा हूं कि सरकार के ध्यान में आ जाए कि पानी के मद में पैसा और बढ़ाया जाना चाहिये। यह केवल इसलिए है और जरूरी है।

श्री सुरेन्द्र गोयल : 5-6 कुएं अधूरे पड़े हुए हैं ठेकेदारों की लापरवाही से। उनको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है पर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। पिछले 4 साल से उन गांवों में 3-3, 4-4 महीनों तक कोई पानी नहीं पहुंचता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि निम्बोड़, फालका, बैर आदि गांवों के ट्यूबवैल्स में पानी बहुत नीचे चला गया है, वे सूख गये हैं। मैंने कम्प्रैशर के लिए चीफ इंजीनियर को निवेदन किया, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया पर अभी तक वह कम्प्रैशर मशीन नहीं पहुंची है। और जैतारण कस्बा है, नगरपालिका है वहां पानी 8-8, 10-10 दिन से नहीं मिलता है, बड़ी त्राहि-त्राहि मची हुई है। नीमाज जहां की 14 हजार की आबादी है वहां पानी पास से कुंआ खरीद कर सप्लाई कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से कहता हूं कि 14 हजार की पापुलेशन में जहां पर कुंआ खरीद कर पिछले 6 वर्षों से पानी सप्लाई करते आ रहे हैं, वहां कोई स्थाई योजना बनाने का विचार है या नहीं है। इसी प्रकार से फालना जहां कि 15 हजार की आबादी है....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आप पूछिए। भाटीजी के आगे जो बैठे हैं उन्हें कह रहा हूं, आप पूछिए।

श्री सुरेन्द्र गोयल : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बम्बोरिया स्कीम है उसमें सुधार करके पानी मुहैया करवाएं।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या बाड़मेर जिले में जहां जहां पानी की टंकियां बन चुकी हैं और पाइप लाइन से नहीं जुड़ी हैं, उनको आप जोड़ेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद क्यों दे रहा हूं ? वह इसलिए दे रहा हूं कि हमारे गंगापुर विधान सभा क्षेत्र में कई टंकियों का निर्माण करवाया, टंकियां बनीं। टंकियां बन चुकी हैं, बिजली का कनेक्शन हो गया है लेकिन दुःख सिर्फ एक बात का है। मैं गम्भीरता से निवेदन कर रहा हूं कि आपकी योजनाएं बन चुकी हैं, टंकियों का निर्माण हो चुका है, विद्युत

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

कनेक्शन हो चुका है लेकिन कर्मचारी नहीं हैं। आप डेली वेजेज पर रख नहीं सकते हैं, वर्कचार्ज प्रथा आपने समाप्त कर दी है। अब कर्मचारी नहीं होने की वजह से सोकी छानकी, टोपसी की, छवनिया की, नया गांव की जो आपने टंकियों का निर्माण करवाया, कनेक्शन करवाया वे योजनाएं ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। नलकूपों के अन्दर पानी है लेकिन मजबूरी यह है कि विभाग के पास आदमी नहीं होने के कारण से पानी की सप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिये मेहरबानी करके व्यवस्था करें ताकि पानी का वितरण हो सके।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिए। आप पूछिए। मैं सबको बुलवा लूंगा, टर्न बाई टर्न सबको बुलवा लूंगा।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : एक दिन की चर्चा करवा लीजिये।

श्री अध्यक्ष : वह तो पानी की मांग पर होगी।

श्री किशन मोटवानी : नहीं, मांगों वाला हिसाब तो बन्द हो गया, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं इसलिये चर्चा कल करवा लीजिए।

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, आज जो आपने अकाल पर चर्चा रखी है उसमें पेयजल की भी रख दीजिए तो समस्या का उसमें मुद्दा आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। आपके सुझावों के प्रति स्थिति समझ में आ गयी। नैक्स्ट। श्री हरजीराम बुरड़क। .... (व्यवधान) .... जब इस पर अलग से बात करेंगे, अलग से पूरा ही करेंगे। श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरिसिंह (महुआ) : कल पूरे दिन होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : टाइम तय कर लेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, समस्या तो कहने दीजिए। कल की बात हम भी जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। कल की बात क्या जानते हैं, कल हाउस होगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक क्वेश्चन पूछ लेता है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं चिन्ता मत करिए। चलेगा। माननीय मंत्रीजी।

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत मुकद्मों हेतु विशेष न्यायालय

379. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में जिला स्तर पर अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत चलने वाले मुकदमों की सुनवाई के लिये विशेष न्यायालय खोल रखे हैं ? यदि हां, तो कहां कहां पर एवं कब से ?

(2) क्या यह सही है कि इन विशेष न्यायालयों का कार्यक्षेत्र पूरा जिला होने के कारण इनसे समय पर न्याय नहीं मिल पाता है ?

(3) क्या यह सही है कि इन विशेष

(8)

(श्री हरजीराम बुरड़क)

न्यायालयों में गवाह आदि लाने ले जाने में अधिक खर्च करना पड़ता है ? यदि हां, तो इसके निराकरण के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

(4) क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करने का विचार रखती है कि प्रत्येक मुन्सिफ न्यायालय में इस प्रकार के मामलों की सुनवाई एवं निपटारे के लिये अलग से दिन निश्चित कर दिये जाएं ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

राज्य मंत्री, विधि (श्रीमती शशी दत्ता) : (1) जी हां। ये निम्न स्थानों पर उसके सामने लिखी तारीखों को खोले गए हैं :

नाम जिला	तिथि
1. जोधपुर, जयपुर उदयपुर, अजमेर, कोटा एवं बीकानेर	30-1-1990
2. पाली, अलवर, मेड़ता व प्रतापगढ़	23-7-1992
3. दौसा, झालावाड़, सवाई-माधोपुर, बारां एवं टौंक	14-2-1994

(2) जी नहीं। इन न्यायालयों में केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के वादों की सुनवाई के कारण ये वाद त्वरित गति से निर्णीत होते हैं।

(3) गवाह लाने ले जाने के लिए उस पर किये गये व्यय का भुगतान नियमानुसार कर दिया जाता है।

(4) इस प्रकार के निर्देश पहले से ही दिये हुए हैं कि न्यायालयों में 'अनुसूचित जाति/जनजाति पर अत्याचार सम्बन्धी वाद प्रति सप्ताह में एक दिन सुनवाई हेतु रखे जाएं।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, खण्ड एक में न्यायालय खोलने का जो विवरण दिया है इसमें यह जानना चाहता हूं कि फर्स्ट आपने 30-1-1990 को यह जिला न्यायालय खोला है और आखिर 14-2-1994 को कुछ जिलों में खोला है, इस पीरियड में आपने क्या इस बात का कोई सर्वे करवाया है कि इन न्यायालयों से अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को कोई फायदा हुआ है ? मेरे सवाल करने का मतलब यह था कि पूरे जिले का कार्यक्षेत्र होने के कारण....

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपका सवाल ठीक है, मतलब है वह मंत्रीजी बताएंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : पूछ रहा हूं। पूरे जिले का कार्य क्षेत्र होने के कारण उन लोगों को इनसे कोई राहत नहीं मिली है। दूसरा, खण्ड दो में आपने कहा है कि "जी नहीं, न्यायालय में केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले ही सुने जाते हैं।" यह तो लिख दिया कि सुने जाते हैं लेकिन मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इन लोगों को इनसे कोई राहत नहीं मिल रही है। खण्ड तीन में आपने कहा है कि "गवाह लाने ले जाने के लिये उस पर किये गये व्यय का भुगतान नियमानुसार कर दिया जाता है।" यह नियम ही है, आपने यह जांच नहीं की है, कि अब तक कितना भुगतान कर दिया गया है और कितना बाकी पड़ा है। न तो किसी को भुगतान हुआ। 100-200 किलोमीटर चलकर लोग जाएं, गवाह ले जायं और वहां पर कभी तो जज

(श्री हरजीराम बुरड़क)

छुट्टी पर होता है, कभी और कोई काम से उनकी पेशी आगे पड़ जाए, तो कई कई बार इन गवाहों को ले जाना पड़ता हैं, इन लोगों के साथ यह अन्याय हो रहा है। चौथे में आपने कहा कि "मुंसिफ न्यायालय को ऐसे निर्देश दिये हुए हैं कि एस.सी., एस.टी. पर अत्याचार सम्बन्धी वाद के लिए प्रत्येक सप्ताह में एक दिन सुनवाई हेतु रखा जाए।" इस बात की क्या आपने जांच करवाई है ? क्या इससे कोई राहत मिली है ? मेरा तो यह सुझाव था कि विशेष न्यायालय की बजाय क्षेत्र के ही मुंसिफ मजिस्ट्रेट को अधिकार दें। ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाए कि जितने केस पेंडिंग हैं उस हिसाब से दिन निश्चित कर लिया जाय। इस बारे में आपको क्या कहना है ?

श्रीमती शशी दत्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, मैंने उसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है....

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, इन्होंने जो सवाल पूछा है, केवल यही है कि जो व्यवस्था आपने की है, इसके बारे में जानकारी की है कि नहीं की है कि वह कामयाब हो रही है कि नहीं हो रही है। उसकी कोई जानकारी की है क्या आपने ?

श्रीमती शशी दत्ता : हां, मैं बिल्कुल उसी का उत्तर देने जा रही हूं। बिल्कुल जानकारी की है और इसीलिए पहले जो इनका सवाल है, मैं उसी का रिप्लाई देना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : कुछ फिगर्स हैं क्या आपके पास ?

श्रीमती शशी दत्ता : नहीं फिगर्स तो It is very difficult to collect all the figures.

श्री अध्यक्ष : नहीं, हैं नहीं फिगर्स।

श्रीमती शशी दत्ता : I think, it is not necessary. And this was not the question also.

क्योंकि प्रश्न में उन्होंने मुझसे फिगर्स नहीं चाही थीं। सिर्फ यह पूछना चाहते थे कि न्यायालय कितने हैं, कहां-कहां खोले हैं। मैं उस का जवाब इनको दे चुकी हूं। फिर भी मैं यह स्पष्ट कर दूंगी कि एस.सी., एस.टी. के लोगों को यह सहायता उपलब्ध करवाने के लिये ही राज्य सरकार ने ये न्यायालय खोले हैं। मुझे याद है, माननीय मुख्य मंत्री ने अभी पिछले माह में मेरे मंत्री बनने के बाद भी 6 कोर्ट्स और खोले हैं। और इन कोर्ट्स में हमने सिर्फ एक ही बात; आपकी बात को भी उसमें ले लूंगी आप यह चाहते हैं कि एस.सी., एस.टी. के न्यायालय में सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के केसेज की ही सुनवाई हो, उसी बात को मद्दे नजर रखते हुए ये न्यायालय खोले हैं।

दूसरा आपने पूछा है, क्या इनको भुगतान कर दिया जाता है। इनको भुगतान उसी समय पर कर दिया जाता है जब ये जाते हैं और इसी बात को ध्यान में रखकर इन लोगों को उन कोर्ट्स में ले जाने और लाने का खर्चा हम देते हैं। बस का किराया देते हैं। उसके मैंने फिगर्स मंगाये हैं, मैं आपको बाकायदा फिगर्स दूंगी कि हमने कितना भुगतान किया है। क्योंकि समयाभाव के कारण, इतना लम्बा-चौड़ा

(श्रीमती शशी दत्ता)

राजस्थान है, एग्जेक्ट फिगर्स आपको नहीं दे पाऊंगी। जितनी त्वरित गति से इसमें निर्णय हो रहे हैं शायद ही किसी न्यायालय में हों। आपने कहा है, मुंसिफ कोर्ट में काम अधिक होता है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि मुंसिफ कोर्ट में हर तरह के केसेज होते हैं और इसलिये अनुसूचित जाति-जनजाति वाले जो केस हैं इनको अधिक समय नहीं दिया जा सका। इसमें मैंने मेरे मंत्री बनने के बाद में यह प्रावधान रखा है कि सिर्फ एक दिन सप्ताह में यह मुंसिफ मजिस्ट्रेट निश्चित करेंगे कि किस दिन वे अनुसूचित जाति/जनजाति के मुकदमे ही सुनेंगे और उस दिन अन्य केसेज की सुनवाई नहीं होगी।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का उत्तर बिल्कुल ही नहीं आया है। आपने खण्ड (4) में यह कहा है कि मुंसिफ न्यायालयों को यह आदेश दिये हैं कि सप्ताह में एक दिन अनुसूचित जाति और जनजाति के मामले सुनें। यह बिल्कुल गलत है क्योंकि उनके वहां ये मामले जाते ही नहीं हैं। आपने विशेष न्यायालय मुंसिफ स्तर का हर जिले में खोल रखा है और उनके सारे चालान वहां होते हैं और आप कह रही हैं कि सप्ताह में एक दिन सुनवाई करने के आदेश दे रखे हैं। यह बिल्कुल असत्य है। जब केसेज वहां नहीं जाते हैं तो क्या सुनवाई करेंगे? उनके सारे चालान जिला लेवल के मुंसिफ मजिस्ट्रेट अलग से नियुक्त कर रखा है वहां होते हैं। मेरा सवाल पूछने का मतलब यह था कि छोटे-छोटे मामलों के लिए इनको जिला स्तर पर जाना पड़ता है और इनको यह तकलीफ हो रही है। आप तो इनको राहत दे रही हैं और हो रही है उनको तकलीफ। आपने इस बात की जांच किस स्तर पर की, कहां की, यह बताइये आप।

श्रीमती शशी दत्ता : माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है मैं उसी का जवाब आपको दे चुकी हूं। मुंसिफ न्यायालय में इसीलिए तारीखें निश्चित की गई हैं, क्योंकि वहां प्रकरण पहले से लम्बित हैं, उस समय से जब एस.सी., एस.टी. कोर्ट चालू नहीं हुए थे।

श्री हरजीराम बुरड़क : वहां है ही नहीं, एस.सी. एस.टी. के लिए कोर्ट अलग से खोले गये हैं। साधारण मुकदमे जो मुंसिफ स्तर के हैं उनके भी वहां चालान नहीं होते हैं, उनके लिये भी जिलों में अलग से न्यायालय खोल रख हैं।

श्री अध्यक्ष : लम्बित जो पहले से हैं उनके लिये कह रहे हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : है नहीं, एक भी नहीं है। यह बिल्कुल असत्य उत्तर है।

श्रीमती शशी दत्ता : मैं आपको बता रही हूं। आपने जो कहा है, मैं उसी का जवाब दे रही हूं। मैं यह तो नहीं कहूंगी कि आपकी जानकारी गलत है। मैं और जांच कर लूंगी और अगर आपको कोई इसमें शिकायत है मुझसे तो....

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, मेरा सवाल पूछने का मतलब यह था कि मुंसिफ कोर्ट में दिन निश्चित कर दें तो उनको ज्यादा राहत मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री हरजीराम बुरड़क : आपने इस सवाल के जवाब में तो यह कह दिया लेकिन मौजूदा वहां केस हैं ही नहीं क्योंकि चालान ही हुए नहीं हैं और पहले से थे वे ट्रांसफर हो गये।

श्री अध्यक्ष : यह आप देख लीजिये। आपने जो आदेश दिये हैं मुंसिफ कोर्ट को, उसके साथ में आप यह कर सकती हैं कि मुंसिफ कोर्ट के ज्यूडिशियल के केसेज हैं वे बजाय उन न्यायालयों के मुंसिफ कोर्ट में पेश हो जाएं और एक दिन के लिये वे केवल उन्हीं की सुनवाई करें। ठीक है, आप इसको एग्जामिन करवा लें। अब जवाब की जरूरत नहीं है।

श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल पूछना है....(व्यवधान)

श्रीमती शशी दत्ता : माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहती हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री भीखा भाई बोल रहे हैं। आप थोड़ा बैठिये, सुनिये।

श्री भीखा भाई : क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति और जनजाति पर अत्याचार होते हैं? सन् 1989 में कानून बना है उसके अन्तर्गत सुनवाई करने का अधिकार विशेष कोर्ट को है या जिला सत्र न्यायालय को है? तो क्या यह सूचना जो दी है वह सही है या मैं जो कह रहा हूं वह सही है?

श्री अध्यक्ष : कुछ पता है कानून का।

श्रीमती शशी दत्ता : माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है मैं उसी का आपको पहले भी जवाब दे चुकी हूं और फिर यह कह रही हूं कि विशेष न्यायालय जो खोले हैं वे विशेष सुविधाएं देने के लिए ही खोले हैं। जहां विशेष न्यायालय का गठन नहीं हुआ है वहां पर मुंसिफ न्यायालय इस काम को देखता है।

श्री भीखा भाई : मुंसिफ न्यायालय नहीं देख सकते, उसके लिये जिला सत्र अधिकारियों को अधिकार है।

श्रीमती शशी दत्ता : क्या कह रहे हैं, जिला....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री ओम प्रकाश शर्मा।

बूंदी के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि विषय

380. **श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बूंदी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिला कृषि की दृष्टि से राजस्थान का अति महत्वपूर्ण जिला है?

(2) क्या सरकार जिला बूंदी के हायर सैकण्डरी स्कूलों में कृषि विषय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन–कौन से स्कूलों में?

शिक्षा मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : (1) जी हां।

(2) बूंदी जिले के हायर सैकण्डरी स्कूलों में विषय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर क्षेत्रीय आवश्यकता एवं छात्र संख्या के आधार पर सरकार अपनी वित्तीय

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सीमाओं में गुणावगुण के आधार पर कृषि विषय खोलने पर विचार करेगी।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, जब सरकार स्वयं यह स्वीकार करती है कि बूंदी जिला कृषि प्रधान है तो अब तक विभाग ने बूंदी जिले में केवल 4 स्कूलों में ही विषय खोला है, अन्य स्कूलों में क्यों नहीं जबकि विद्यार्थी कृषि विषय लेना चाहते हैं ? नम्बर दो, क्या अभी तक आपके विभाग द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ ? मेरी जानकारी में बूंदी, तालेड़ा, नमाना, कापरेन, नैनवां, हिण्डौली के प्रस्ताव आपके पास भेजे गये हैं ? नम्बर तीन, क्या यह सही है कि स्कूल के पास कृषि विषय लायक भूमि होने पर कृषि विषय खोलने का सरकार वायदा करती है ? क्या यह सही है कि जहां आवश्यकता नहीं, वहां भी पूर्व सरकारों ने राजनैतिक आधार पर विद्यालय खोल दिये हैं। मैं तो केवल विद्यार्थियों के अध्ययन और कृषि प्रधान जिला होने के कारण कृषि विषय मांग रहा हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, बूंदी जिला कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यह तो मैंने अपने प्रश्न के जवाब में ही स्वीकार किया है। इसमें दस जमा दो के 4 स्कूलों में पहले से ही कृषि विषय है–बूंदी, इन्द्रगढ़, केशवरायपाटन और देई। केवल एक विद्यालय और बचा है जिसके पास कृषि भूमि है लेकिन उसमें यह विद्यालय नहीं खोला गया, वह है नमाना। यह इसलिये नहीं खोला गया कि यह वर्ष 93–94 में ही क्रमोन्नत हुआ है। अभी वहां 11वीं कक्षा चल रही है, 12वीं कक्षा चलेगी, अभी वहां केवल विज्ञान विषय चल रहा है। अगर छात्रों की संख्या वहां होगी और क्षेत्र की मांग को देखते हुए इस पर बाद में विचार कर सकते हैं। इस समय और जो 14 स्कूल इस जिले में हैं उनके किसी के पास कृषि भूमि उपलब्ध नहीं है, जो मेरी जानकारी अभी है उसके हिसाब से।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा है कि "क्या यह सही है कि स्कूल के पास कृषि विषय के लायक भूमि होने पर कृषि विषय खोलने का सरकार वायदा करती है ?"

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, कृषि भूमि ही केवल मात्र आधार नहीं बनाया जा सकता, लेकिन फिर भी सरकार इस बारे में जरूर प्रयत्न कर रही है जहां इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हों, इस क्षेत्र की मांग हो और सरकार के पास धन की उपलब्धता भी हो।

श्री अध्यक्ष : जिनके पास कृषि भूमि है उन पर प्रायोरिटी से विचार होगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उनकी प्रायोरिटी के लिए मैं स्वयं भी कह रहा हूं पर हमारे पास धन की उपलब्धता भी देखनी पड़ेगी। जितनी है उसी हिसाब से सारे प्रदेश में खोल सकेंगे। केवल बूंदी ही नहीं, संपूर्ण राजस्थान की मांग को देखते हुए हमारे पास जो उपलब्ध साधन हैं उनको ध्यान में रखते हुए अगर उनके विद्यालय में इस प्रकार की सुविधा है और मांग है तो हम उसकी पूर्ति करने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा-हालांकि यह सवाल बूंदी जिले से संबंधित है पर चूंकि यह नीतिगत प्रश्न है, कि क्या यह नीति दूसरे विद्यालयों के लिये लागू होगी जो बूंदी के बारे में आपने फरमाया है? जोधपुर जिले के अंदर रिया जो माध्यमिक विद्यालय है उसके बारे में पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका सवाल। श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार अन्य जिलों में भी जहां कृषि भूमि है, ऐसे विद्यालय खोलने की योजना रखती है? इसी संदर्भ में सीकर के कोलिड़ा गांव में कृषि विज्ञान केन्द्र भी खुला हुआ था जो किन्हीं कारणों से बंद कर दिया गया। क्या माननीय मंत्री जी कोलिड़ा गांव में दुबारा कृषि विद्यालय खोलने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री शांति धारीवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, चम्बल बेसिन की करीब-करीब 5 लाख एकड़ जमीन चंबल की नहरों से सिंचित है और बूंदी जिले की दो तहसीलें भी उससे सिंचित हैं। बूंदी जिले में आपने 4 स्कूल बताये हैं जहां पर कृषि विषय खोला गया है। तालेड़ा, कापरेन, ठीकरदा ये तीनों स्थान ऐसे हैं और इनमें माध्यमिक विद्यालय इस प्रकार के हैं कि जिनके पास भूमि भी उपलब्ध है और भूमि के साथ-साथ विषय खोलने के लिये जो निश्चित संख्या आप चाहते हैं और दूसरी जो सुविधायें आप चाहते हैं वे सब भी मौजूद हैं। तो क्या कारण है कि सरकार ने इनके यहां आज तक कृषि विषय खोलने का निर्णय नहीं किया?

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने भूमि का मामला बताया है, समीदी स्कूल है उसके पास जिले में सबसे ज्यादा भूमि उपलब्ध है। आप उसको देखिएगा। दूसरा, बूंदी जिला कृषि प्रधान जिला है। नैनवां सब डिवीजन हैडक्वार्टर है जहां आप कॉलेज नहीं खोल रहे हैं। क्या उस आधार पर पिछड़े हुए इलाके में और सिंचित क्षेत्र के पास होने से नैनवां उपखण्ड के एक मात्र विद्यालय में आप कृषि विषय खोलने की बात करते हैं? वहां भूमि भी उपलब्ध है और आप चाहें तो अलाट हो सकती है काफी जमीन।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी। एक और पूछ लें। एक मिनट, मंत्रीजी, एक सवाल और है। अपने क्षेत्र का नाम बता दीजिए कि वहां खोलेंगे कि नहीं।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : मेरे पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के इटावा सीनियर विद्यालय में 5-6 वर्षों से कृषि संकाय चल रहा है लेकिन आज तक वहां पर कृषि के लिये कोई भूमि आवंटित नहीं करायी गयी। जो गवर्नमेंट की सिवाय चक भूमि थी, रेवेन्यू की जो जमीन थी वह आम आदमियों के नाम अलाट कर दी गयी, लेकिन विद्यालय के नाम जहां कृषि संकाय था वहां कोई भूमि आवंटित नहीं की गयी।

(श्री रामगोपाल बैरवा)

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उस विद्यालय के लिए जिसमें कृषि संकाय है भूमि आवंटित कराने का विचार रखती है ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, कृषि विषय के बारे में संपूर्ण राजस्थान में सभी जिलों से मांग बार–बार आती हैं, प्रस्ताव भी आते हैं लेकिन मैंने जैसा कहा, उनकी मांग और हमारे यहां धन की उपलब्धता, दोनों का कोई हिसाब जरूर बिठाना पड़ेगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान की मांग को जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो सकेगा प्रायोरिटी देते हुए पूरा करने का प्रयास करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री हीरालाल विश्नोई ।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : जो मैंने पूछा है उसकी अनुमति कब देंगे ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उसके लिए तो मैं जवाब नहीं दे सकता क्योंकि उनके यहां कृषि विषय कब खोल दिया गया और कितनी जमीन है या नहीं हैं....

श्री शान्तिलाल धारीवाल : कृषि भूमि तो उपलब्ध हो जाए, सक्षम अधिकारी....

श्री अध्यक्ष : देखिए मंत्रीजी, बिना मुझे पूछें आप खड़े होंगे तो यह होगा। Don't invite trouble; जब मैंने नैक्स्ट प्रश्न पूछ लिया तो जवाब देना ही नहीं है। नैक्स्ट। श्री हीरालाल विश्नोई। प्रश्न संख्या 198.

स्थगित प्रश्न

(दिनांक; 24 फरवरी, 1994)

कृषि उपज मण्डी भवन सांचोर के निर्माण पर व्यय

4. **श्री हीरालाल विश्नोई** (सांचोर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कृषि विपणन बोर्ड ने वर्ष 1988–89 में सांचोर शहर में कृषि उपज मण्डी के भवन का निर्माण कराया था, उस पर कितना खर्च हुआ और उस भवन का उद्घाटन किस अतिथि के द्वारा कब कराया गया ?

(2) क्या यह सही है कि गत 7–8 वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद भी अधिकारियों की लापरवाही के कारण कृषि उपज मण्डी समिति का भवन खाली पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) लाखों रुपये की लागत से इस भवन को बनाने के पीछे सरकार का क्या औचित्य रहा है और अब कब तक मुख्य मण्डी को नये भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा ?

राज्य मंत्री, कृषि (श्री ज्ञान सिंह चौधरी) : (1) जी हां। इस भवन के निर्माण पर 30.14 लाख रुपये व्यय हुआ था। इस भवन का उद्घाटन तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री शिवचरण माथुर के द्वारा किया गया था।

(2) जी नहीं।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति, सांचोर के नये मंडी प्रांगण के निर्माण का औचित्य

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

यह है कि किसानों को उपज की पूर्ण कीमत मिले तथा कृषकों व व्यापारियों को सुविधाएं उपलब्ध हों। नये प्रांगण में वर्तमान में आंशिक व्यापार स्थानान्तरित हो चुका है व कुछ दुकानें चालू हैं। सम्पूर्ण व्यापार स्थानान्तरित करने हेतु पुन: ठोस प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री हीरालाल विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1987-88 में कृषि मण्डी चालू हुई थी उसके बाद में 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कृषि मण्डी को वहां बन्द कर दिया गया और व्यापारी वापस अपने प्रांगण में चले गये। आज दिन तक व्यापारी वहां नहीं आये। क्या यह भी सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति, सांचौर में सचिव, कृषि उपज मण्डी का पद भी रिक्त पड़ा है? अगर हां, तो क्यों? इसको भरने की सरकार की क्या मंशा है? क्या यह भी सही है कि कृषि उपज मण्डी के व्यापारी शिफ्ट हो गये थे लेकिन व्यापारियों ने पुन: 1990 में बी.जे.पी. की सरकार आते ही अधिकारियों से सांठ-गांठ की और पुन: पुराने स्थान पर चले गये? 1992-93 में मण्डी की आय का ब्यौरा सदन की मेज पर प्रस्तुत करें। क्या पिछले चार वर्षों में मण्डी समिति ने कर्मचारियों के वेतन कम किये? अन्य कारणों का ब्यौरा भी सदन के पटल पर रखें। क्या यह भी सही है कि गुजरात की ऊंझा मण्डी जो सांचौर से नजदीक लगती हुई मण्डी है वहां मण्डी का टैक्स सिर्फ 40 पैसे प्रति 100 रुपये लगता है और राजस्थान सरकार की उपज मण्डी का 1.50 रुपया लगता है? बजट भाषण में भी मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि किसानों को टैक्स में बहुत राहत दी गयी है, तो क्या मण्डी टैक्स कम करने के लिये सरकार सोच रही है?

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय ने दो-तीन बातें अपने पूर्व भाषण के द्वारा उठायी हैं, एक तो मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि 1989-90 में यह मण्डी निश्चित रूप से कुछ समय के लिए वहां से शिफ्ट हुई थी, लेकिन उस मण्डी के वापस परिवर्तन होने का सरकार बदलने से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री हीरालाल विश्नोई : ऐसा सरकार बदलने से ही हुआ है, व्यापारियों की सांठ-गांठ से ही हुआ है। नहीं तो नहीं होता।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : मैंने इसकी जांच भी करवायी है और मैंने इसकी जानकारी भी की है। मण्डी कुछ समय के लिए वहां परिवर्तित हुई, उसके 4-5 कारण मेरी समझ में आये। एक तो यह था कि वहां जो रिटेल का धंधा करते थे वे व्यापारी दुकानों की कमी की वजह से वहां शिफ्ट नहीं हो पाये, इसलिये विरोधाभास के कारण जो मण्डी में शिफ्ट हुए थे वे भी धीरे-धीरे अपनी पुरानी जगह वापस चले गये। नम्बर दो, शुरू में मण्डी बनी तो वहां चारदीवारी भी टूट गयी, उन दुकानों की स्थिति भी अच्छी नहीं रही, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हुई, पोस्ट आफिस व बैंक की व्यवस्था नहीं हुई तो जो आधारभूत सुविधायें काश्तकारों व व्यापारियों को मिलनी चाहिए थीं वे सुविधाएं नहीं होने की वजह से प्रशासन जो उनको स्थानान्तरित करना चाहता था वह स्थानान्तरित

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

नहीं कर पाया। वैसे तो खुद एम.एल.ए. साहब परसों वहां मण्डी में जाकर आये हैं लेकिन आज भी मैं मानता हूं कि वहां सिर्फ 5–7 दुकानें नाम की चल रही हैं।

श्री हीरालाल विश्नोई : एक ही दुकान चल रही है। वह भी काश्तकार की दुकान है महाजनों की, जैनों की एक भी दुकान चालू नहीं है।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : वास्तव में व्यापार नहीं हो रहा है, इस बात से मैं भी सहमत हूं। लेकिन वहां व्यापारी शिफ्ट हों, वहां सुविधाएं सब मिलें इसके लिए हमारा प्रशासन पूरी तरह से प्रयास में है। जो चारदीवारी टूट गयी उसके लिये मैंने एक लाख बाइस हजार रुपये की स्वीकृति दी है, दुकानों की मरम्मत की सुविधा दी है और जो एक कुआं व्यापारी बनाना चाहते थे और जो कृषि उपज मंत्री के विचाराधीन था मैंने उस कुएं की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है जिससे कि उनको पूरा पानी मिल सके। पोस्ट आफिस, बैंक की सुविधा हो इसके लिये भी हमने पत्राचार किया है। मैं सदस्य महोदय को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये सब सुविधाएं चाहे चार–दीवारी की हैं, मरम्मत की हैं, पीने के पानी की हैं, पोस्ट आफिस की हैं, बैंक की हैं अगले तीन महीनों में वहां निश्चित रूप से सारी सुविधाएं दे दी जाएंगी। रिटेल व्यापारी जिनकी वजह से व्यापारी वापस शिफ्ट हुए थे, रिटेल व्यापारियों को भी वहां जो पास में जगह पड़ी है, अपनी कच्ची दुकान या जैसे भी टैंट वगैरह लगाकर व्यापार करने की सुविधा दी जाए, ऐसी भी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगले तीन महीनों में वहां मण्डी निश्चित रूप से शिफ्ट होगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी और आवश्यकता पड़ी तो वहां दुकानों के निर्माण का काम भी शुरू किया जाएगा। अब तक यह व्यवस्था थी कि कृषि उपज मंडी खुद दुकानें बना कर देती थी लेकिन अब यह भी निर्णय करने जा रहे हैं कि वहां दुकानें लीज पर या नीलामी पर देकर व्यापारी खुद दुकान बनाएं और आवश्यकता पड़े तो पचास प्रतिशत हम मार्केटिंग बोर्ड से उनको ऋण देंगे। वहां दुकानें बनें, दुकानों की कमी की वजह से वहां से शिफ्ट नहीं हों, इस काम को हम निश्चित रूप से अगले तीन महीने में पूरा करना चाहते हैं।

श्री हीरालाल विश्नोई : मण्डी टैक्स के बारे में मंत्री महोदय ? जो गुजरात का मण्डी टैक्स है। हमारे जालौर जिले के अन्दर पूरी ही कार्मशियल क्राप होती है, मण्डी टैक्स के लिये पूछा है मैंने, मण्डी टैक्स यहां एक रुपये पचास पैसे लगता है और....

श्री अध्यक्ष : अब बैठिये आप। नैक्स्ट, श्री हीरालाल। यह भी कृषि उपज मण्डी का है, यह भी वही है।

श्री हीरालाल विश्नोई : मण्डी टैक्स के बारे में जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : एक ही सवाल है। आप बाद में इसमें सप्लीमेंट्री कर लेना, वही सवाल है। माननीय मंत्रीजी, आपका दूसरा सवाल है, उसका जवाब दीजिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढा) : अध्यक्षजी, इसी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : यही है, कृषि उपज मण्डी का है। आप जनरल पूछेंगे, यह भी कृषि उपज मण्डी का ही है।

श्री शिवनाथ सिंह : उसका सब्जैक्ट मैटर दूसरा है, इसका दूसरा है।

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष जी, हमारा मण्डी टैक्स का मसला था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिये, संबंधित सदस्यों के अलावा जो पूछेंगे वे अपनी बात पूछेंगे। तो इसमें पूछ लेना आप। हां, आप जवाब दीजिये।

श्री हीरालाल विश्नोई : सांचौर में तो आठ साल से ...

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, जहां भवन बने हुए हैं....

श्री अध्यक्ष : आप पूछ लेना इसमें। (व्यवधान)... इसमें पूछ लेना। मंत्रीजी वही हैं, वही विषय है। आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूं, सप्लीमेंट्री में एक क्वेश्चन और आ रहा है, इसी में पूछ लीजिये। सारे सप्लीमेंट्रीज मैं पुछवा दूंगा आपको।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : वह मण्डी निर्माण का था और यह सड़क निर्माण है, इसमें फर्क है।

श्री अध्यक्ष : आप भी इसी में पूछ लेना। मंत्रीजी वही हैं, देंगे जवाब।

कृषि उपज मण्डी समिति, सवाई माधोपुर व गंगापुर के माध्यम से सड़क निर्माण

381. **श्री हीरालाल** (बामनवास) ; क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बामनवास विधान सभा क्षेत्र में कृषि मंडी सवाईमाधोपुर एवं कृषि मंडी गंगापुर के माध्यम से 1991 से 1994 तक कितनी सड़कों का डामरीकरण किया गया और कौन-सी सड़कों की स्वीकृति जारी की गयी थी ?

(2) क्या सरकार कृषि मण्डी सवाई-माधोपुर व गंगापुर के माध्यम से सड़कें बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कौन-कौन-सी सड़कें ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि (श्री ज्ञानसिंह चौधरी) : (1) बामनवास विधान सभा क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी समिति, सवाईमाधोपुर एवं गंगापुर सिटी के माध्यम से इस अवधि में किसी सड़क का डामरीकरण नहीं किया गया, न ही किसी सड़क की स्वीकृति जारी की गयी।

(2) जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति, सवाई माधोपुर व गंगापुर सिटी मण्डी क्षेत्र में बनवायी जाने वाली विचाराधीन सड़कों की सूची परिशिष्ट 'अ' संलग्न में कर सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें।)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वही पूछ रहे हैं अभी।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : हमारे तीनों का क्षेत्र पड़ता है।

श्री हीरालाल : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस कृषि मण्डी के बाबत किन–किन विषयों में कितना-कितना पैसा खर्च करने का प्रावधान है, विशेषकर सड़कों का ? मैं दूसरा यह पूछना चाहता हूं कि आपने ये जो विचाराधीन रोड्स बतायी हैं इनको स्वीकृति कब जारी होगी और कब काम शुरू किया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। उनका जवाब तो देने दीजिये। अभी तो मेन क्वेश्चन पूछा है, उनका जवाब तो आ जाए। दो सवाल पूछ सकते हैं वे।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, गंगापुर सिटी मण्डी में जो आपके निर्वाचन क्षेत्र बामनवास में पड़ती है, तीन सड़कें हमने स्वीकृत की हैं, जिनकी हमने प्रशास–निक स्वीकृति जारी कर दी है। वित्तीय स्वीकृति भी हम 31 मार्च से पहले उसकी जारी कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हो गया आपका ? (व्यवधान) आप उन्हें तो दूसरा सप्लीमेंट्री पूछने दीजिये।

श्री हीरालाल : अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर कृषि मण्डी में बौंली तहसील की कितनी सड़कें ली हैं....

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : नहीं, नहीं।

श्री हीरालाल : यह है न, विचारा–धीन है। विचाराधीन बतायी है न आपने। एक तो बौंली से खिरनी, एक बौंली से लाखनपुर....

श्री रामस्वरूप मीणा : विचाराधीन का क्या हुआ, यह बताओ।

श्री हीरालाल : आप यह तो जवाब दो न स्पष्ट कि कब होगी इनकी ? विचारा-धीन चलती ही आएंगी क्या ?

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : जो तीन सड़कें विचाराधीन हैं वे हैं–लालसोट मोरा सागर रोड से भांवरा, खेडली बिछोच से बैराड़ा और गंगापुर भाड़ोती रोड से बेरखंडी।

श्री हीरालाल : बौंली-लाखनपुर भी है 4 किलोमीटर।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : हां, इनकी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं।

श्री हीरालाल : बौंली से खिरनी ?

श्री अध्यक्ष : अब मैं एक–एक को बुलाता हूं। आप बैठिये, मैं एक–एक को बुला रहा हूं। श्री मोदीजी। मुझे सब पता है, जो पहले वाले हैं उनको भी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, अभी कृषि उपज मण्डी के के बारे में बात हुई, आपने फरमाया कि एक ही मंत्री हैं, जवाब देंगे। मैं निवेदन यह करना चाह रहा हूं कि आप जब ये कृषि उपज मण्डियां बनाते हैं उस वक्त आप पूरी दुकानों का एस्टिमेट क्यों बनाते हैं, वहां पूरी दुकानें क्यों नहीं बन पाती हैं ? जब पूरी दुकानें नहीं बन पाती हैं तो वहां मण्डी शिफ्ट नहीं होती हैं, आधे लोग इधर

(श्री मोहनलाल मोदी)

रहते हैं, आधे उधर रहते हैं। यही नीमकाथाना की स्थिति है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से आप यह सुविधा दें, कोई लोन दे या ऐसी स्थिति बनाए कि वे स्वयं दुकानें बना लें। उसके किराये में आप वह पैसा एडजस्ट कर दें ताकि वे मण्डियां शिफ्ट होकर चलें। ऐसी परिस्थिति नहीं आये कि आधे लोग उधर और आधे इधर काम करें ? यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने मुझे जवाब दिया है कि 11 सड़कों का प्रस्ताव विचारधीन है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले चारसाल से मुझे यही जवाब मिलता आया है कि प्रस्ताव विचाराधीन है परन्तु अभी तक एक भी सड़क की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गयी है। मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जो समोखी से मोराही, सण्डावरी की प्याऊ से सांगासार ....।

श्री अध्यक्ष : आप लोग प्रश्न नहीं, सजेशन देंगे।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : कृषि उपज मण्डी का मामला है ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल : और अमरपुर, यह करीब पांच किलोमीटर है और तीन पंचायत हैड्क्वार्टर जुड़ते हैं। जैसे सण्डावरी की प्याऊ से सांगावास दो किलोमीटर है और समोखी से मोराही ढाई-तीन किलोमीटर और अमरपुरा....

श्री अध्यक्ष : आप नोट करते जाएं। बैठिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल : ये तीन प्रपोजल पिछले चार साल से विचाराधीन हैं, तो क्या मंत्री महोदय आज बताएंगे कि वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह। (व्यवधान) अब मैं एक-एक का नाम बोल रहा हूं। कोई तो टर्न लेना पड़ेगा मुझे। मैं सब तरफ देख रहा हूं। इधर भी देख रहा हूं, उधर भी देख रहा हूं, सामने भी देख रहा हूं और आप देख रहे हैं कि टर्न से लोग खड़े हो रहे हैं, फिर भी आपको विश्वास नहीं। इधर भी देख रहा हूं।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : यह गंगापुर का प्रश्न है।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह गंगापुर का प्रश्न है।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो मण्डी टैक्स वसूल किया जाता है वह क्या प्रशासनिक कार्यों पर ही खर्च करेंगे आप और उस मण्डी क्षेत्र में विकास कार्यों पर नहीं करना चाहेंगे? मैं आपसे जानकारी करना चाहूंगा कि क्या इसका कोई प्रतिशत आप तय कर रहे हैं कि जो मण्डी टैक्स वसूल होता है उसका कोई निश्चित प्रतिशत सड़क आदि विकास के दूसरे कामों में खर्च करना चाहते हैं ? ऐसी कोई योजना हैं ? दो क्वेश्चन हैं मेरे। दूसरा, आपने एक मण्डी के लिये यह कह दिया कि तीन महीने

(श्री शिवनाथ सिंह)

के अन्दर मंडी वहां शिफ्ट हो जाऐगी। अध्यक्षजी, हमारे जिले में भी झुन्झुनू हैड क्वार्टर मंण्डी है और पिछले डेढ़-दो साल में उसके दसों ऑर्डर हो गये शिफ्ट करने के और दसों ही वापस कैन्सिल हो गये। मैं आपकी सरकार को नहीं कहता हूं, राष्ट्रपति शासन में भी ऐसा ही हुआ है। इसलिये क्या आप इस प्रकार की समुचित व्यवस्था करेंगे कि जहां दुकाने बन चुकी हैं और मंडी दो जगह चल रही है, वह मंडी एक जगह हो जाए। ऐसा ही हाल नवलगढ़ का है। इन मंडियों में जो बन चुकी हैं उनमें आप समुचित व्यवस्था करके मंडी एक जगह शिफ्ट हो जाए, तथा ऐसी व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री पल्लीवालजी।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रश्न है। 401 नम्बर है, इससे ही सम्बन्धित है। मैं तो मंत्री महोदय से इतना ही जानना चाहूंगा कि आपने 3.11 93 को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की तीन सड़कों को बनाने के लिये, क्या उन सड़कों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जो प्रस्ताव आपने विचाराधीन मानते हुए रखे हैं सदन में, उन प्रस्तावों पर कब तक विचार हो जाऐगा ?

श्री अध्यक्ष : अब आप भाषण मत दीजिये। सभी लोग पूछने वाले हैं।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेरा जो 401 है वह वह भी इसमें कवर हो जाऐगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, श्री भीमसेन जी, अब हो गया। अब आप भाषण दे रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और। आप प्रश्न नहीं समझ रहे हैं, अध्यक्ष महोदय। इस तरह के प्रस्ताव सन् 1985 से आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप इस सवाल को डाइल्यूट करना चाहते हैं तो भाषण दीजिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : सन् 1985 से इस तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : देखिये, यह चौथा सवाल हैं और इसी पर समाप्त करना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मेरा 401 भी इससे ही कवर हो जाऐगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप भाषण मत दीजिये, सवाल हो गया आपका, अब बैठिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मेरा तो निवेदन सिर्फ इतना है कि ये प्रस्ताव, प्रस्ताव ही रहेंगे या इनकी वित्तीय स्वीकृति जारी करके कार्य प्रारम्भ करवा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : या तो निवेदन करिये या सवाल पूछिये। दोनों बातें मत कीजिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर में मंडी की योजना बनी हुई है लेकिन वहां पर समस्या पैदा यह हो गयी कि दुकानदार बाहर के लोग हैं, उन्होंने वहां प्लाट ले लिये। वे यह रुचि नहीं रखते हैं कि वहां दुकान बनायी

(श्री भीमसेन चौधरी)

जाए और इससे किसानों को वहां परेशानी हो रही है। इसलिये मेरा सुझाव है कि लूणकरणसर मंडी में फेंसिंग का काम करा दें तो किसानों की जो फसल आती है कम से कम उसकी नीलामी का काम वहां हो जाता है तो वह सुविधा हो जाती किसानों को।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीश चन्द दरक।

श्री जगदीश चन्द दरक (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी ने काफी सड़कों की योजनाऐं बनाकर मंत्री महोदय को भेज रखी हैं, वे कब तक स्वीकृत करके आप भिजवा देंगे, इसका कृपया उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : श्री टीकम चन्द कांत।

श्री टीकम चन्द कांत (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, जिन कृषि मंडियों के निर्माण के लिये अभी तक रेवेन्यू विभाग ने जमीन नहीं दी है और आपने यह तय कर लिया है कि कृषि मंडी हमको बनानी है, क्या आप उस विभाग से अब त्वरित कार्यवाही कराके जमीन देंगे या ऐसा कुछ करेंगे जैसा कि सिवाना में है, नम्बर-एक ? नम्बर दो, सभी सड़कों की मांग कर रहे हैं, तो सिवाना क्षेत्र की भी 13 सड़कें आपको दी हुई हैं, क्या वे सिवाना क्षेत्र को देंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री अरुण सिंह।

श्री अरुण सिंह (डीग): अध्यक्ष महोदय मैं कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, भरतपुर में डीग कृषि मंडी है, वह आज अधूरी है और कर्ज में है। क्या ऐसा आपके विभाग में कोई प्रावधान है कि कर्ज में जो मण्डी है, उसको कुछ लोन दिया जा सकता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री भाटी।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, सांचोर में तो 8 साल से कृषि मंडी का भवन बना हुआ है और खाली पड़ा है, लेकिन हमारे यहां पाली में 14 साल से कृषि उपज मण्डी का भवन पड़ा है और दुकानें खाली पड़ी हैं। उसका हल निकाल दें। वे कृषि उपज मंडी में शिफ्ट हो सकते हैं। एक तो आपके विभाग ने गोदामों के आवंटन पर रोक लगा रखी है। व्यापारी हमेशा यह कहते हैं कि हमारे को गोदाम अवेलेबल नहीं हैं। तो क्या आप इन गोदामों के आवंटन पर जो रोक लगी हुई है, उसको हटवाने की व्यवस्था कराऐंगे ? दूसरा कृषि जिन्स का मामला है, कृषि जिन्सों में राजस्थान सरकार ने गुड़ और शक्कर को भी ले रखा है, जबकि हकीकत यह है कि गुड़ और खांड राजस्थान का कृषि उत्पादन ही नहीं है। अगर उस गुड़ और खांड को कृषि जिन्स से हटा दिया जाए तो यह मामला हल हो सकता है। सरकार गोदामों के आवंटन पर रोक हटाने के बारे में क्या सोचती है और गुड़ और खांड को कृषि जिन्सों में से निकालने के बारे में क्या कार्यवाही करने की सोचती है ?

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक।

आप कभी तो हमारा क्षेत्र और कभी सदन की सम्पत्ति, किसको मानूं मैं ?

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है। गंगापुर मण्डी एक करोड़ की मण्डी है, एक करोड़ की आय होती है।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : एक करोड़ की मण्डी है।

श्री अध्यक्ष : मतलब आप बाकी लोगों को सवाल पूछने देना नहीं चाहते ?

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : एक करोड़ की मण्डी है पर किसानों को किसी भी तरह से फायदा नहीं पहुंचता है। सन् 1982 के बाद में सड़कें नहीं बनी हैं, आज तक सड़कें नहीं बनी हैं। जो सड़कें 1977 और 1982 में बनी थीं उन सड़कों की आज तक मरम्मत नहीं हुई है। मूल प्रश्न हमारा यह था....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, राजेन्द्र पारीक। श्री राजेन्द्र पारीक का नोट करें। बिना कहे जो बोलते हैं, उनको नोट नहीं करें, मत करें। जो नाम मैं बोलता हूं, उसी का नोट करिये, बाकी लोगों को तो बोलने दीजिये नोट मत करिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : ×××

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि उपज मण्डी सड़कों का निर्माण करती है पर निर्माण करने के बाद उन सड़कों के रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं करती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सड़कों का निर्माण करने के बाद उनके रख-रखाव की क्या व्यवस्था है ? क्या इन निर्मित मण्डी सड़कों को सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग को सम्भला करके इनके रख-रखाव की व्यवस्था सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाना चाहती है या स्वयं निर्माण की एवं रख-रखाव की व्यवस्था करना चाहती है ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, जब मण्डियों का निर्माण होता है तो वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर के मण्डियों का निर्माण होता है और मण्डियों में दुकान और गोदाम आवंटन करने में कई वर्ष लग जाते हैं। आज भी ऐसी कई मण्डियां हैं जिनमें 10–10 साल से आवंटन नहीं हुआ और ऋण की किस्त चुकायी जा रही है। वह इनकम नहीं होकर के कृषि उपज मण्डी की दूसरी आय हो रही है, जिससे सड़कें बननी चाहिए, वह रकम उस ऋण में जा रही है। इसलिये मैं चाहूंगा मंत्री महोदय, यह सुनिश्चित करलें कि मण्डी निर्माण होने के बाद कितने दिन में आप दुकान और गोदाम अलाट कर देंगे, एक बात। दूसरी बात, पहले वाले सवाल में आपने कहा था कि मण्डी जालौर में स्थानान्तरित हुई थी और वापस चली गयी। क्या कानून में ऐसी व्यवस्था है कि एक बार मण्डी जब स्थानान्तरित कर दी, उसी जगह पर वापस अपने आप वह चली जा सकती है ? सरकार इसमें कोई कानूनी कार्यवाही कर सकती है, या नहीं कर सकती यह आप बता दें।

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल मीणा।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : मैं मंत्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहूंगा कि अकाल राहत के तहत जितने भी कार्य चल रहे हैं या पूर्व में चले थे, हर विधान सभा क्षेत्र में करीब 50–50 सड़कें ऐसी हैं, जिनको कृषि उपज मण्डी के तहत नहीं लिया जाता है जबकि कृषि उपज मण्डी में वहां पर डब्ल्यू.बी.एम. का काम हो रहा है। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि क्या ऐसी सड़कों को जिन पर पहले से डब्ल्यू.वी.एम. या ग्रेवल का काम हो रहा है, प्रायोरिटी के आधार पर स्वीकृत किया जाए। वहां पर चार सड़कें बन सकती हैं इसलिये निवेदन है कि उन सड़कों को अकाल राहत के तहत काम में लिया जाए, और पुरानी सड़कें जो 15 साल पहले बनी थीं....

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका, बैठिए आप। श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कृषि उपज मण्डी द्वारा सड़कें बनायी गयी हैं और अधूरी पड़ी हुई हैं उनके लिये राशि की स्वीकृति की और आवश्यकता है, परन्तु आर्थिक स्थिति कृषि उपज मण्डियों की खराब है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप चाहते ही नहीं, मैं क्या करूं। I am helpless.

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र की जो सड़कें पड़ी हुई हैं वहीं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप जो चाहते हैं वहीं कर रहा हूं मैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रीजी का ध्यान मेरे क्षेत्र में अधूरी पड़ी कृषि उपज मण्डी द्वारा बनायी गयी सड़कों की ओर खींचते हुए चाहूंगा कि कृषि उपज मण्डियों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनको राज्य सरकार और वित्तीय सहायता दे और जो अधूरी सड़कें पड़ी हुई हैं उनको पूरा कराया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मीना अग्रवाल।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी को बताना चाहूंगी कि अलवर में कृषि मण्डी बनी हुई है उसमें काफी दुकानें खाली हैं। वहां पर दाल मिल है, सरसों की तेल मिल है, उनको वहां दुकानें दिलाई जाएं क्योंकि बीच में दलाल लोग जैसे पैसा लेते हैं उससे मेटीरियल महंगा हो जाता है, तेल भी काफी मंहगा हो जाता है। इस तरह से जो तेल मिल है, दाल मिल है, उनको कृषि मण्डी के अन्दर दुकानें दिलाई जाएं जिससे माल सस्ता बने। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि कृषि मंडी के अन्दर गायें बहुत घुसती हैं, क्योंकि उसकी बाऊण्ड्री टूटी हुई है....

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका, गायों को रोक देंगे।

श्रीमती मीना अग्रवाल : छोटी–छोटी सड़कें, कहीं पर अधूरी हैं, कहीं पर पूरी हैं....

श्री अध्यक्ष : हो गया। आप पूछिए। इस सवाल में आप लोगों ने 15 मिनट लगाये हैं, तो उसका फायदा यह है कि मंत्रीजी को यह मालूम हो जाए कि

(श्री अध्यक्ष)

राजस्थान में इस मंत्रालय में कितना काम करना है। आप बोलिये।

श्री हरिनारायण : अध्यक्ष महोदय, कृषि उपज मण्डी सवाई माधोपुर में कुछ समय पहले जो सड़कें भगवतगढ़ से लेकर चौथ का बरवाड़ा तक और छान से बाड़पुरा और बेमना होती हुई बरावण्डा और सिवाड़ में कृषि उपज मण्डियों ने बनायी थीं वे अधूरी पड़ी हुई हैं, उनको कब तक पूरा कराने की आशा है ?

श्री अध्यक्ष : श्री रिछपालसिंह।

श्री रिछपालसिंह (डेगाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डेगाना की मण्डी करीब 40 लाख रुपये के कर्ज में डूबी हुई है। उसके प्रस्ताव आने का तो प्रश्न ही नहीं क्योंकि मण्डी के पास पैसा नहीं है, तो प्रस्ताव किस लिये भेजेंगे ? क्या विभाग में ऐसा कोई प्रावधान है कि उस मण्डी को वित्तीय सहायता देकर के मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कें बनवायी जा सकें ?

श्री अध्यक्ष : श्री उगमराज मेहता। अंतिम सवाल है यह। बारह बज गये हैं।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : मेरे क्षेत्र की कृषि उपज मण्डी 'ए' श्रेणी में है, उसके पास पैसे भी हैं व्यय करने के लिए और प्रस्ताव भी भेजे हुए हैं कम से कम 15 सड़कों के तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सड़कें स्वीकृत करें, प्रशासनिक आदेश दें ताकि वहां सड़कों का काम हो सके।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय नोट कर लें यह सब। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगर परिषद् भीलवाड़ा द्वारा भूमि आवंटन

509. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा नगर में बाहेतियों की बगीची के पास स्थित स्ट्रीप ऑफ लैण्ड पर नगर परिषद् द्वारा भूमि विक्रय कर निर्माण की स्वीकृति दी गई है ? यदि हां, तो यह भूमि किस नियम एवं कार्यवाही से कितनी राशि में स्वीकृत की गई है ? इसके निर्माण की स्वीकृति किन शर्तों पर दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्ट्रीप ऑफ लैण्ड पर दुकानों का निर्माण किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो बाहेतियों की बगीची के पास स्थित सार्वजनिक उपयोग तथा रोडवेज एवं विभिन्न बस्तियों पर जाने वाले मार्ग पर चौड़ा करने के बजाय भूमि विक्रय अथवा अतिक्रमण से निर्माण कार्य हुआ जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इस बाबत पार्षदों एवं जनता ने एतराज कर इसे रोकने की मांग की है ? यदि हां, तो एतराज ज्ञापन पर क्या कार्यवाही कब की गई ? विवरण ज्ञापन एवं एतराज की प्रतियों सहित सदन की मेज पर रखें।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

(4) क्या यह भूमि नगर पार्षदों की बैठक में सहमति से विक्रय की गई ? यदि नहीं, तो क्या कालोनी एवं आसपास के लोगों की जानकारी एवं असहमति के बिना भूमि विक्रय की गई ? यदि नहीं, तो नगर परिषद ने जनता के एवं पार्षदों के एतराजों पर क्या कार्यवाही की ? क्या इस भूमि को विक्रय करने के लिए नगर नियोजन उदयपुर/जयपुर से सहमति, स्वीकृति एवं परामर्श लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या बरसाती नाले की दुकानों के लिये शर्त के साथ देकर पानी की कदीम–सदीम के निकास में अवरोध पैदा किया गया ? यदि हां, तो ये सारी कार्यवाही अनियमितता तथा गलत लाभ पहुंचाने के लिए जनता तथा पार्षदों के एतराज के बाद क्यों की गई ? क्या इससे जनता के स्वास्थ्य तथा सुविधा को नजर अन्दाज किया गया ?

(6) क्या जनहित में स्ट्रीफ ऑफ लैण्ड के नाम पर अवैधानिकता तथा जन विरोधी भूमि विक्रय कार्यवाही निरस्त कर पूर्ववत यथा स्थिति कायम रखी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो सरकार क्या–क्या जानकारी रखते हुए कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि भीलवाड़ा नगर में बाहेतियों की बगीची के पास स्ट्रीक ऑफ लैण्ड मानते हुए बेची गई है। बल्कि उक्त भूमि को बापी पट्टे के आधार पर जरिये रजिस्ट्री दिनांक 22.4.68 को 3774.40 रुपये में परिषद द्वारा विक्रय की गई थी। भूमि बगैर किसी शर्त के विक्रय की गई थी। इसके निर्माण की स्वीकृति का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। यह भूमि स्ट्रीफ ऑफ लैण्ड के रूप में विक्रय नहीं की गयी थी। बाहेतियों की बगीची के पास कोई अतिक्रमण से निर्माण कार्य नहीं हुआ है। यहां बस स्टैण्ड को जाने वाले रास्ते की सड़क काफी चौड़ाई में है इसकी अधिक चौड़ाई में बनाने की कोई योजना अथवा सम्भावना नहीं है।

(3) जी हां। एतराज ज्ञापन पर दिनांक 30.1.94 को आयुक्त नगर परिषद द्वारा स्थगन आदेश जारी किये गये हैं तथा जिला कलक्टर ने भी नियमानुसार स्थगन आदेश जारी किये हैं। अभी निर्माण कार्य बन्द है अन्य जनता का कोई लिखित में एतराज प्राप्त नहीं हुआ है। एतराज ज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं। भूमि लगभग 26 वर्ष पूर्व तत्कालीन प्रशासक द्वारा बापी पट्टे के आधार पर विक्रय की गई थी। इसलिए नगर पार्षदों की सहमति का प्रश्न ही नहीं है। न ही विक्रय के समय का कोई एतराज रेकार्ड के आधार पर था। भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में नगर नियोजक की स्वीकृति सम्बन्धी आलेख भी रेकार्ड में नहीं है।

(5) जी नहीं। बरसाती नाले पर दुकानों के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई। निर्माण में शर्त अवश्य थी कि इसे ऊंचा उठाकर स्वयं के खर्चे पर पक्का स्लेब डलवा कर अधिक सौन्दर्य हेतु निर्माण

(स्वायत्त शासन मंत्री)

कराना होगा। न ही इससे नाले को बन्द या अवरुद्ध किया गया है। इसलिए जनता के स्वास्थ्य या सुविधा को नजर अन्दाज किये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

(6) प्रश्न के उत्तर भाग एक से पांच के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। वैसे यह मामला अब न्यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन है।

(विवरण एवं प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

अम्बाबाड़ी से न्यू विद्याधर नगर जाने वाली सड़क पर प्रकाश व्यवस्था

510. **श्री रामेश्वर भारद्वाज** (किशनपोल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अम्बाबाड़ी से न्यू विद्याधर नगर जाने वाले मार्ग पर प्वाइंट्स लगे होने के बावजूद भी प्रकाश की व्यवस्था हेतु सोडियम लाइटें नहीं लगाई गयी है? यदि हां, तो इस मार्ग पर कब तक प्रकाश की व्यवस्था कर दी जावेगी?

(2) क्या यह भी सही है कि न्यू विद्याधर नगर सैक्टर नम्बर तीन में प्रकाश की व्यवस्था हेतु लाइट के खम्भे नहीं लगाये गये हैं? यदि हां, तो सैक्टर नम्बर तीन में प्रकाश की कब तक व्यवस्था कर दी जावेगी?

(3) क्या यह सही है कि न्यू विद्याधर नगर के सैक्टर नम्बर तीन एवं चार एवं सात के मध्य स्थित मार्ग पर घोर अंधेरा रहने के बावजूद भी प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं की गई है? यदि हां, तो इस मार्ग पर लगे प्रकाश प्वाइंटों पर कब तक सोडियम की लाईटें लगादी जायेंगी?

उत्तर

(1) जी नहीं, अम्बाबाड़ी से न्यू विद्याधर नगर जाने वाले मार्ग पर बिजली के खम्भे लगाये गये हैं एवं उनमें से प्रत्येक 6 से 8 पोल छोड़ने के बाद लाइट लगाई गई थी, ताकि सड़क पर प्रकाश रहे। अब विद्याधर नगर में ज्यों–ज्यों मकान बनते जा रहे हैं और यातायात बढ़ता जा रहा है उसके अनुरूप लगे हुये खम्भों पर लाइटें लगाई जा रही हैं।

(2) जी हां, न्यू विद्याधर नगर सैक्टर तीन में जो भूमि निर्विवाद थी एवं जिसमें पूर्व में सड़क बनाई जा चुकी थी उन पर बिजली के खम्भे लगवाकर आवश्यकतानुसार लाइट लगवाई जा चुकी है। अब ज्यों–ज्यों सैक्टर तीन में मकान बनते जावेंगे एवं यातायात बढ़ेगा लाइटें लगा दी जावेगी।

(3) पूर्व में सैक्टर तीन, चार एवं सात के मध्य स्थित मार्ग पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं की गई थी क्योंकि इस मार्ग के दोनों ओर मकान नहीं थे। अब बनने आरम्भ हुये हैं अतः शीघ्र ही बिजली के खम्भे लगाकर प्रकाश की व्यवस्था कर दी जावेगी।

नगर परिषद् बीकानेर द्वारा पानी कनेक्शन हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र

511. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नगर परिषद् बीकानेर ने 'प्रशासन शहरों की ओर" के कैम्पों में पानी के कनेक्शन्स हेतु कितने अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किये तथा उक्त प्रमाण-पत्रों पर कितनी शुल्क राशि जमा की गई ?

(2) क्या यह सही है कि नगर परिषद् द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्रों पर जलदाय विभाग को पानी का कनेक्शन न दिये जाने हेतु लिखा गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रशासन शहरों की ओर अभियान में नगर परिषद बीकानेर द्वारा पानी के कनेक्शन हेतु 1440 अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये थे। इन प्रमाण पत्रों पर शुल्क राशि के रूप में 33,552/– रुपये जमा किये गये।

(2) जी हां। जब तक स्वामित्व सम्बन्धी जांच न हो तब तक ऐसे अनापत्ति प्रमाण पत्रों के आधार पर कनेक्शन दिया जाना उचित नहीं होने के कारण ऐसा लिखा गया था।

नगरपालिका लालसोट में छोटी उम्र के बच्चों के लिए चलाये जा रहे केन्द्र

512. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या नगरपालिका लालसोट द्वारा लालसोट में शहरी आधार पर मूलभूत सेवाओं के अन्तर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए केन्द्र चलाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कुल कितने केन्द्र कहां–कहां चलाये जा रहे हैं।

(2) उक्त केन्द्रों को संचालित करने के लिए कितने अनुदेशक एवं अनुदेशिकाएं कार्यरत हैं। सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त केन्द्रों से कितने बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। लाभान्वित बच्चों की सूची सदन को मेज पर रखें।

(4) उक्त केन्द्र किस-किस स्थान पर संचालित किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। कुल 18 केन्द्र चलाये जा रहे हैं। सूची संलग्न है।

(2) कुल 18 अनुदेशिकायें कार्यरत हैं। सूची संलग्न है।

(3) कुल 460 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। सूची संलग्न है।

(4) सूची संलग्न है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

नगर परिषद् उदयपुर द्वारा अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण

513. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् उदयपुर द्वारा अनुज्ञा पत्रों का नवीनीकरण हर वर्ष की तरह वर्ष 1992 के अन्त में चालू नहीं किया गया ? यदि हां, तो नवीनीकरण किस तारीख को प्रारम्भ किया गया है ? यदि विलम्ब से शुरू हुआ तो परिषद् द्वारा नवीनीकरण में विलम्ब शुल्क लेने के क्या आधार रहे ?

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर परिषद स्वयं ने अपने नोटिस बोर्ड पर अंकित किया कि नवीनीकरण प्रक्रिया बाद में चालू होगी और विलम्ब शुल्क नहीं लिया जाये ? यदि हां, तो अनुज्ञा पत्रों के बिना नवीनीकरण कराये व्यापारियों द्वारा पांच माह तक व्यापार करना पड़ा, उसकी जिम्मेदारी किसकी है ?

(3) नगर परिषद, उदयपुर द्वारा अनुज्ञा पत्रों के नवीनीकरण प्रक्रिया वर्ष 1992 के अन्त में किस अधिकारी के आदेश से व किस नियम के तहत रोकी गई ?

उत्तर

(1) जी हां। नवीनीकरण दिनांक 1.6.93 से प्रारम्भ किया गया। निर्धारित समय में नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर विलम्ब शुल्क नहीं लिया गया था परन्तु जिन अनुज्ञा पत्र धारियों ने निर्धारित समय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये उन्हें यह लाभ नहीं दिया जा सका।

(2) जी नहीं। यह निर्णय जिला कलक्टर द्वारा जनहित में लिया गया था; एवं किसी का उत्तरदायित्व निर्धारित करने का कोई औचित्य नहीं है।

(3) जिलाधीश के यहां बैठक दिनांक 8.1.93 को निर्णय लिया गया कि नवीनीकरण उस समय तक नहीं किया जावे जब तक होटलों व अन्य व्यवसायियों द्वारा व्यवसायिक शुल्क जमा नहीं कराया जाता है। दिनांक 25.5.93 को प्रशासक ने नवीनीकरण का आदेश दिया उसके अनुसार नवीनीकरण कार्य 1.6.93 से प्रारम्भ किया गया।

इन्दिरा बाजार जयपुर में व्यापारियों की समस्यायें

514. **श्री शम्भूदयाल बडगूजर** (केकड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह भी सही है कि नगर निगम, जयपुर द्वारा इन्दिरा बाजार के व्यापारियों को बाजार में जन सुविधायें उपलब्ध कराने तथा अन्य समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो उन्हें अब तक क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करायी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि इन्दिरा बाजार में रोड लाइट्स की वायरिंग काफी जर्जर हो चुकी है और अधिकतर पोल भी क्षतिग्रस्त हो गये हैं ?

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

(3) क्या यह सही है कि नगर निगम द्वारा इसका सर्वे कराया गया था तथा इनकी खस्ता हालत को देखते हुए इनको बदलवाने हेतु टेण्डर भी आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो कब ? टेण्डर की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या नगर निगम अब उक्त वायरिंग को बदलने तथा नये खम्भे लगवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगर निगम द्वारा ऐसा कोई आश्वासन दिया गया हो, पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है लेकिन उक्त बाजार के व्यापारियों को जनसुविधाएं देने हेतु 5 शौचालयों की मरम्मत एवं सुधार का कार्य करवा दिया गया है । इनमें पानी के कनेक्शन की कार्यवाही की जा रही है । सिंहद्वार के समीप पार्क में स्थायी मंच का निर्माण, जयन्ती बाजार के तिराहे पर खुले नाले को पाटने तथा पुरुषार्थी पार्क में पानी का बोरिंग लगाने हेतु निविदायें आमंत्रित की जा रही हैं ।

(2) इन्दिरा बाजार में कुछेक जगह पर रोड लाइट एवं पोल खराब होने से बदला जाना प्रस्तावित है ।

(3) जी हां । दिनांक 18.6.93 एवं 18.7.93 को निविदाएँ आमंत्रित की गई थी । परन्तु निविदादाताओं द्वारा भाग न लेने के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी । निविदाओं की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) जी हां । बजट उपलब्ध होने पर कार्यवाही की जा सकेगी ।

(निविदाओं की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

इन्दिरा बाजार, जयपुर में दो मंजिली दुकानें

515. **श्री दयाराम परमार** (खेरवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के बापू बाजार, नेहरू बाजार, किशनपोल बाजार, जयन्ती बाजार, रायसर प्लाजा सभी बाजारों में दो मंजिली दुकानें बनी हुई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन्दिरा बाजार जहां कि दूसरे बाजार की अपेक्षा दुकानें छोटी हैं ? क्या दूसरी मंजिल बनाने की मांग यहां के व्यापारियों द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो क्या नगर निगम उक्त स्वीकृति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ऐसे निर्माण सभी जगह नहीं हुए हैं । जिन्होंने दूसरी मंजिल बनाई है वे अवैध हैं ।

(2) अन्य बाजारों की अपेक्षा इन्दिरा बाजार की दुकानें छोटी हैं । इस बाजार में अभी तक दूसरी मंजिल बनाने का कोई ज्ञापन नगर निगम को निर्धारित प्रक्रिया में

(30)

(स्वायत्त शासन मंत्री)

प्राप्त नहीं हुआ है। इन दुकानों पर दूसरी मंजिल के निर्माण की स्वीकृति बाबत विचार किया जाएगा।

नगर निगम, परिषद, नगर पालिकाओं को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु वित्त आयोग का गठन

516. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाड़–पुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार नगर निगम, परिषद् तथा नगर पालिकाओं को वित्तीय संसाधन दिलाने हेतु राज्य स्तर पर वित्त आयोग बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक वित्त आयोग बना दिया जावेगा?

उत्तर

जी हां, 74 वें संविधान के अनुरूप पंचायत राज संशोधन विधेयक के साथ वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है।

मानसिंह अस्पताल के निकट सुलभ शौचालय की सुविधा

517. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सवाई मानसिंह अस्पताल के पास सुलभ शौचालय की सुविधा उप–लब्ध है।

(2) यदि नहीं, तो क्या इससे अस्पताल की चारदीवारी के दोनों तरफ प्रदूषण व गन्दगी नहीं फैलती है?

(3) क्या यह सही है कि निगम ने वहां सुलभ काम्पलेक्स बनाने की घोषणा की थी? यदि हां, तो अब कब तक सरकार वहां सुलभ शौचालय का निर्माण कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। अस्पताल की चार–दीवारी के बाहर की सफाई प्रति दिन नगर निगम द्वारा कराई जाती है।

(3) जी हां। शीघ्र ही।

राज्य की नगर पालिकाओं/नगर परिषदों के चुनाव

518. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य की कुछ नगर पालि–काओं/नगर परिषदों के चुनाव नहीं हुए थे जिनके लिए राजस्थान उच्च न्यायालय ने चुनाव कराने के निर्देश दिये थे? यदि हां, तो कौन–कौनसी नगर पालिकाओं/नगर परिषदों के लिए क्या–क्या निर्देश दिये थे? दिये गये निर्देशों की अनुपालना में क्या–क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

(2) क्या उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना हुई है? यदि नहीं, तो क्यों? अब उक्त चुनाव कब तक कराये जाने का सरकार विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। मा. उच्च न्यायालय

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

द्वारा निम्न नगर पालिकाओं में चुनाव कराने के निर्देश दिये गये थे राज. उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा कोटा, टोंक,अलवर, भरतपुर, छबड़ा, चाकसू।

राज.उच्च न्यायालय जोधपुर :– द्वारा निम्बाहेडा, शिवगंज, सूरतगढ़, मकराना, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, भीनमाल, डीडवाना, फलौदी, हनुमानगढ़, पिण्डवाड़ा, उदयपुर, राजगढ़ (चुरू) सुमेरपुर, बीकानेर, बाडमेर, देवगढ़, बांसवाड़ा, जालौर के चुनाव कराने के निर्देश दिये गये थे। मा. उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्डपीठ द्वारा श्री ब्रम्ह सिंह व मोहब्बत अली की याचिकाओं में राज–स्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की धारा 5 के अन्तर्गत नगर निगम/परिषद/पालिकाओं का गठन एस. सी. एस. टी. एवं महिलाओं का नियमानुसार आरक्षण एवं वार्डों का परिशीमन व सीमांकन प्रक्रिया निश्चित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये थे जिनकी पालना में जयपुर, जोधपुर, कोटा में नगर पालिकाओं का गठन परिषद/पालिकाओं का नियमानुसार वर्गीकरण किया जा चुका हैं। इसके अति–रिक्त अन्य निर्देशों की पालना में चुनाव विभाग द्वारा चुनाव आदेश में वांछित संशो-धन निर्णयानुसार किया जा चुका है तथा दिनांक 31.10.93 को चुनाव कराने हेतु चुनाव प्रक्रिया भी चालू कर दी गई थी। जिसमें अग्रिम कार्यवाही वार्डो का गठन सीमांकन तथा उन पर आपत्ति प्राप्ति की प्रक्रिया चालू कर दी गई थी। लेकिन निम्न कारणों से उसे स्थगित करना पड़ा तथा सविधान के 74 वे संशोधन के अनुरूप राज्य विधान सभा में संशोधन बिल प्रस्तुत किया जा चुका है। महिलाओं का आरक्षण बढ़ा कर 30 से 33 प्रतिशत कर दिया गया। पिछड़ी जातियों का आरक्षण की भी व्यव–स्था रखी गई, अध्यक्ष पद का भी आरक्षण एस. सी. एस. टी. महिलाओं व पिछड़ी जाति का किया गया। वार्ड कमेटियों का गठन एम. पी., एम. एल. ए. का मण्डल में सदस्यता नगर पालिका प्रशासन से अनुभवी व्यक्तियों का नामांकन चुनाव आयोग व वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई तथा जून 1994 के पश्चात कोई भी नगर पालिका इन प्रवधानों के विपरीत नहीं रह सकती थी। अत: इन प्रावधानों का लाभ प्रदान करने हेतु व अन्य प्रशासनिक कारणों से चुनाव नहीं कराये जा सके तथा दिनांक 31.10.94 तक राज्य सरकार चुनाव कराने की मन्शा रखती है। उच्च न्यायालय द्वारा कतिपय केसों में दिनांक 8.4.94 तक का समय दिया था। व शेष में दिनांक 31.10.93 तक का समय अधिसूचना जारी करने का था। जिसकी पालना की गई थी व उपरोक्त कारणों से चुनाव नहीं हो सका अब सभी पालिकाओं में चुनाव कराने समय अवधि बढ़ाने हेतु मा. उच्च नययालय में कार्यवाही की जा रही है।

(2) प्रश्न के भाग एक में इसका उत्तर दिया जा चुका हैं।

इन्दिरा बाजार जयपुर में कराये जाने वाले विकास कार्य

519 **श्री दयाराम परमार**(खैरवाड़ा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा बाजार, कल्याण जी का रास्ता जयन्ती

(श्री दयाराम परमार)

बाजार (विस्तार) तिराहे जयपुर पर नाला खुला हुआ है, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है ? यदि हां, तो इसे पाटने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि कुछ समय पूर्व सिंह द्वार के समीप स्थित पार्क में एक स्थायी मंच का निर्माण प्रारम्भ किया गया था ? यदि हां, तो उसका कार्य क्यों रोक दिया गया ? अब इसे पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि विभिन्न संगठनों द्वारा इन्दिरा बाजार में पुरुषार्थी पार्क में दो प्याऊ बनवाये जाने की मांग काफी लम्बे समय से की जाती रही है ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ? नहीं तो, क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि इन्दिरा बाजार में स्थित निर्धारित पार्किंग स्थलों पर टेलिफोन विभाग का कब्जा होने से आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है ? यदि हां, तो उक्त पार्किंग स्थलों को खाली कराये जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । किन्तु नाले की दीवार सड़क से ऊंची है जिससे दुर्घटना होने की संभावना कम है । तथा नाले के इस भाग को पाटने की कार्यवाही चल रही है ।

(2) स्थाई मंच का कार्य उक्त स्थान पर बन्द नहीं कराया गया बल्कि कार्य प्रगति पर है । कुछ ही दिनों में पूर्ण हो जावेगा ।

(3) पुरूषार्थी पार्क में वहां के निवासियों द्वारा एक प्याऊ का निर्माण कराया जा रहा है । इस स्थाई प्याऊ के बाद दूसरी प्याऊ की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

(4) जी हां । इस सम्बन्ध में टेलीफोन विभाग का नगर निगम द्वारा नोटिस दिया गया था जिस पर टेलीफोन विभाग ने कुछ केबिल बन्डल तो हटा दिये हैं तथा शेष को हटाया जा रहा है । केबिल डालने का कार्य पूर्ण होते ही समस्त बण्डल हट जावेंगे ।

नगरपालिका क्षेत्र पुष्कर में अतिक्रमण

520 **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नगर पालिका क्षेत्र पुष्कर में अतिक्रमण के कितने मामले वर्तमान में चल रहे हैं तथा ये मामले कब से नगरपालिका के समक्ष विचाराधीन हैं ?

(2) क्या इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए गत वर्षों में सरकार द्वारा कोई अभियान चलाये गये थे ? यदि हां, तो ऐसे अतिक्रमणों को हटाने में किस सीमा तक सफलता मिली तथा ये अतिक्रमण कब तक हटा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) नगर पालिका पुष्कर क्षेत्र में अतिक्रमण के कुल 110 मामले वर्ष 1985 से विचाराधीन हैं ।

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

(2) अधिकांश प्रकरण 1981 के सर्वे की चिन्हित कच्ची बस्तियों से सम्बन्धित हैं। जिनमें नियमन का फार्म नहीं भरने एवं राशि जमा नहीं कराने के कारण नियमन नहीं हो सका। उक्त कार्यवाही कराने के बाद ही नियमन नियमानुसार किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त 26 अतिक्रमणों को 1992 में हटाया गया है।

नगर निगम, जयपुर के फायर स्टेशन

521. **श्री चुन्नीलाल गरासिया** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नगर निगम, जयपुर में कितने फायर स्टेशन कार्यरत हैं तथा इनमें किन–किन अग्नि शमन अधिकारी व सहायक अग्नि शमन अधिकारी को नियुक्त किया गया है ? पद व नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदों पर पदोन्नति/नियुक्ति का आधार क्या है ? क्या अग्नि शमन अधिकारी तथा सहायक अग्नि शमन अधि–कारी के पद हेतु नेशनल फायर सर्विस कालेज, नागपुर से ट्रेनिंग शुदा होना आव-श्यक है ? यदि हां, तो क्या सभी अग्नि शमन अधिकारियों ने यह ट्रेनिंग की हुई है ? यदि हां तो सर्टिफिकेट की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सभी अग्नि शमन अधि–कारियों को आपातकाल सेवा हेतु आने-जाने के लिए जीप गाड़ी तथा निवास स्थान पर टेलिफोन की सुविधा दी जा रही है ? यदि हां, तो किन–किन अधिकारियों को क्या 2 सुविधाएं उपलब्ध हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर निगम में फायर स्टेशनों की संख्या तथा उनमें पदस्थापित अग्निशमन अधिकारियों/सहायक अग्निशमन अधिकारियों के नाम एवं पद की सूची संलग्न कर दी गई है।

(2) मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं अग्निशमन अधिकारी के पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से तथा सहायक अग्निशमन अधि-कारी के पद 50 प्रतिशत सीधी भर्ती व 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर ही पदोन्नति हेतु निर्धारित योग्यता संलग्न है। सहायक अग्निशमन अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती हेतु मैट्रिक या समकक्ष योग्यता बम्बई, दिल्ली, इलाहाबाद या नागपुर या कोई सिविल डिफेन्स कोर्स उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तथा इस पद पर पदोन्नति हेतु टिण्डल/लीडिंग फायरमैन जिसे 5वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। ट्रेनिंग शुदा अग्निशमन अधिकारियों के उपलब्ध प्रमाण पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) आपात काल सेवा हेतु अग्निशमन अधिकारियों को आने जाने के लिये जीप तथा निवास पर दूरभाष की सुविधा संबंधी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

(३५)

विभागीय भ्रष्टाचार/शिकायतों की जांच

522. **श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभाग को वर्ष 1992–93 व 1993–94 में भ्रष्टाचार के कितने मामलों की शिकायतें प्राप्त हुई ? कितने मामलों की जांच करवाई ? शेष मामलों की जांच करवाना आवश्यक क्यों नहीं समझा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जांच में कितने मामलों में दोष निर्धारित हुआ तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) स्वायत्त शासन विभाग में वर्ष 1992–93 व 1993–94 में भ्रष्टाचार के जो मामले आये उन सबकी जांच कार्यवाही करवाई गई उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। प्राप्त सूचनानुसार ऐसा कोई प्रकरण शेष नहीं है, जिनकी जांच नहीं कराई गई।

(2) जांच के आधार पर जिन मामलों में दोष पाया गया एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण भी प्रश्न के भाग एक के उत्तर के साथ प्रस्तुत विवरण में अंकित कर दिया गया है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

नगर पालिका बगरू में अवैध दुकानों का निर्माण

523. **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) एवं

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका मन्डल बगरू में सांवा की बगीची, हनुमानजी के मन्दिर के सामने नौ दुकानें श्री छोटू सामोता द्वारा बनायी गई हैं ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में नगरपालिका द्वारा निर्माण सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा साइट प्लान की स्वीकृति ली गई थी ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नगर–पालिका द्वारा यदि कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है तो उसमें गणपूर्ति के अभाव में प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता ? यदि हां, तो क्या श्री सामोता को अनापत्ति प्रमाण-पत्र गणपूर्ति के अभाव में दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार नियम विरुद्ध कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त दुकानों का निर्माण अनधिकृत किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनधिकृत निर्माण हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त अनधिकृत नौ दुकानों को श्री सामोता द्वारा बेचान कर दिया गया है ? यदि हां, तो

(श्री हीरालाल इन्दोरा)

किस-किस को तथा क्या इस सम्बन्ध में नगरपालिका को सूचित किया है ?

(5) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में जे.डी.ए. तथा उच्चाधिकारियों को शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो किसके द्वारा तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, निर्माण आज्ञा पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि गणपूर्ति के अभाव में नगरपालिका द्वारा कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है तथा ना ही श्री सामोता को निर्माण स्वीकृति गणपूर्ति के अभाव में जारी की गई। इस पालिका में भवन निर्माण संबंधी उपनियम नहीं बने हुए हैं। निर्माण स्वीकृतियां समस्त औपचारिकता पूर्ण करके जारी की जाती हैं। इसी के अनुरूप श्री सामोता को भी निर्माण स्वीकृति जारी की गई थी।

(3) जी नहीं।

(4) दुकानों के विक्रय की सूचना पालिका को नहीं हैं तथा न ही सूचना दी गई है।

(5) श्री रामधन सोनवाल द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को शिकायत की गई थी, जो नगरपालिका को प्राप्त होने पर कार्यवाही की जा रही है।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें।)

अजमेर जिले में पेयजल समस्या

524. श्री जगदीश धनखड़ (किशनगढ़) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में पेयजल की भयंकर समस्या है ? यदि हां, तो उक्त समस्या के समाधान के लिये सरकार के समक्ष कौन-सी योजनाएं विचाराधीन हैं ? और उन्हें कब तक क्रियान्वित करने का विचार है ?

(2) क्या यह सही है कि किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों में जल स्तर नीचे चले जाने के कारण हैण्डपम्प बेकार हो गये हैं ? यदि हां, तो बेकार हुए हैण्ड पम्पों का विवरण ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इनको गहरा करके पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां पीने के पानी की टंकियों के निर्माण की योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सिनोदिया, जालियों की ढाणी विदरपुरा व मोतीपुरा में जहां खारा पानी है, मीठा पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में कोई योजना वर्ष 1987-88 में स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो उसकी क्या स्थिति है ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में केवल 4 ग्रामों के अतिरिक्त जिले के अन्य सभी ग्रामों एवं शहरी क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार की पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका है।

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु बीसलपुर परियोजना का कार्य प्रगति पर है।

(2) सन्दर्भित विधान सभा क्षेत्र में स्थापित एक हजार से अधिक हैण्डपम्पों में से केवल 44 हैण्डपम्प अभी सूख गये हैं जिनका वांछित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(3) वर्तमान में तकनीकी कारणों एवं आर्थिक दृष्टि से इस प्रकार के प्रस्ताव नहीं हैं।

(4) सन्दर्भित विधान सभा क्षेत्र के भदूप, बड़ला की ढाणी, तिख्यारी, रारी एवं बीखी ग्रामों हेतु भूतल जलाशय स्वीकृत हैं।

(5) जी हां। ग्राम सिनोदिया, जालियों की ढाणी एवं बाकरवाली हेतु स्त्रोत निर्माण की योजना मार्च, 1991 में स्वीकृत की जाकर सफल स्त्रोत का निर्माण किया जा चुका है एवं अब अन्य कार्यों की स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जा रही है। ग्राम मोतीपुरा, विदरपुरा को वर्ष 1991-92 में स्वीकृत योजना द्वारा लाभांवित किया जा चुका है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें।)

ग्राम अमरपुरा (उदयपुर) की पेयजल योजना

525. श्री गुलाब सिंह शक्तावत (बल्लभनगर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार ग्राम अमरपुरा, तहसील बल्लभनगर, जिला उदयपुर की पेयजल समस्या को ध्यान में रखते हुये वहां कोई पेयजल योजना प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

उल्लेखित ग्राम अमरपुरा में 11 हैण्डपम्प स्थापित हैं जिनमें से 7 अभी कार्यरत है। ग्राम हेतु स्वीकृत पनघट योजना का कार्य प्रगति में है, व वांछित गहराई के सफल स्त्रोत का निर्माण अभी सम्भव नहीं हो सका है।

जोधपुर के पेयजल स्रोत

526. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर में अपेक्षित पेयजल आपूर्ति प्रति व्यक्ति औसतन क्या है तथा कितना जल अभी वितरित किया जा रहा है। कम दबाव से किन-किन वार्डों में जल वितरण किया जा रहा है। मांगानुसार आपूर्ति एवं अच्छे दबाव से जल वितरण के लिये विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

(2) जोधपुर के पेयजल के मुख्य स्रोत गुलाब सागर, फतेहसागर व कायलाना झील तथा जवाई बांध की नहरों की सफाई गत दो वर्षों में कब-कब कराई गई तथा इस पर कितना-कितना व्यय कब-कब किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जोधपुर पेयजल वितरण के लिये कुल कितने फिल्टर प्लान्ट वर्तमान में कार्यरत हैं और कितने फिल्टर प्लान्ट बनाने के

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

प्रस्ताव और हैं तथा यह फिल्टर प्लान्ट कब तक बन जायेंगे।

(4) क्या यह सही है कि इन तालाबों की नहरों के पास आई हुई बस्तियों के निवासियों ने सीवरेज लाइन के अभाव में अपने–अपने घरों की सीवर लाइन्स इन नहरों के अन्दर डाल दी है जिससे महा–मंदिर, रेल्वे स्टेशन के आस–पास के इलाके में नागरिकों का रहना मुश्किल हो गया है तथा भयंकर महामारी फैलने का अंदेशा है ?

(5) यदि हां, तो किस–किस बस्ती के लोगों ने इस नहर में सीवर लाइन्स छोड़ दी है ? क्या सरकार उक्त बस्ती के निवा–सियों के लिये अलग सीवर लाइन डालने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जोधपुर शहर के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल मांग 40 गैलन है जिसके विरूद्ध अप्रेल, 1993 से अब तक की अवधि में औसतन लगभग 25 गैलन प्रति व्यक्ति प्रति-दिन की मात्रा में वितरण किया गया। कम दबाव वाले लगभग 35 वार्डों की वांछित सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। दीर्घ–कालीन समाधान की दृष्टि से जोधपुर लिफ्ट कैनाल परियोजना को पूर्ण किया जाकर अतिरिक्त व अपेक्षित मात्रा में पानी प्राप्त किये जाने के प्रयास जारी हैं। साथ ही शहर की वितरण प्रणाली में सुधार की दृष्टि से एक अन्य 28.02 करोड़ रुपये की परियोजना भी स्वीकृत की गई है, जिसे धन उपलब्धतानुसार, क्रियान्वित किया जा रहा है।

(2) गत दो वर्षों में कायलाना झील व जंवाई बांध की पेयजल हेतु नहर की सफाई का वांछित विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है। गुलाब सागर एवं फतेहसागर को पेयजल हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता है एवं इनकी सफाई का कार्य नगरपरिषद द्वारा किया जाता है। इनकी सफाई इत्यादि पर किये गये व्यय का विवरण भी परिशिष्ट 'ख' में उपलब्ध है।

(3) जोधपुर शहर में पेयजल वितरण हेतु तीन फिल्टर प्लान्ट कार्यरत हैं। वर्तमान में एक फिल्टर प्लान्ट निर्माणाधीन है, तथा उपरोक्त (1) पर वर्णित वितरण प्रणाली के सुधार हेतु स्वीकृत योजना में तीन और फिल्टर प्लान्ट बनाये जाने के प्रावधान सम्मिलित हैं। निर्माणाधीन फिल्टर प्लान्ट अप्रैल, 1994 तक पूर्ण होना लक्षित है। अन्य स्वीकृत फिल्टर प्लान्ट धन उपलब्धता के अनुसार पूर्ण किये जाने प्रस्तावित है।

(4) जी हां, गुलाब सागर व फतेह–सागर के निकटस्थ क्षेत्रों में बस्तियों के कुछ नागरिकों ने अपने घरों का निस्सारित जल इनमें छोड़ा हुआ है। महामन्दिर, रेल्वे स्टेशन के निकट भयंकर महामारी अंदेशा सम्बन्धी सूचना नहीं है।

(5) जोधपुर नगर निगम द्वारा उप–लब्ध कराई गई सूचना अनुसार गुलाब सागर व फतेहसागर नहर के निकट स्थित जनता कालोनी, मूंडा कालोनी, भील कालोनी, किलारोड, बेलदार बस्ती, विजय चौक किसान छात्रावास के पीछे, सिंधियों

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

का बास, तेलियों का ढेर, इत्यादि के नागरिकों ने सीवर लाइनें नहर में जोड़ रखी है। उक्त बस्तियों हेतु सीवरेज व्यवस्था निर्माण धन उपलब्धतानुसार की जानी सम्भव हो सकेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें।)

ग्राम रुण्डेडा (जि. उदयपुर) में स्वीकृत पेयजल योजना

527. **श्री गुलाबसिंह शक्तावत** (वल्लभनगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि ग्राम रुन्डेडा तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर में पेयजल स्वीकृत पेयजल योजना से उपलब्ध करवाया जा रहा है? क्या यह सही है कि जब कहीं खारा व कहीं मीठा है? यदि हां, तो क्या सरकार रूण्डेडा ग्रामवासियों को पीने हेतु मीठा जल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। 16 हैण्डपम्पों एवं पाइप्ड पेयजल योजना से लाभांवित इस ग्राम में स्थित 3 कुंओं में से एक कुएं का पानी खारा है। समस्या के निदान हेतु प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं जिन्हें धन उपलब्धतानुसार स्वीकृत एवं क्रियान्वित किया जा सकेगा।

तहसील जायल (जिला नागौर) के ग्रामों की पेयजल समस्या

528. **श्री मोहनलाल बारूपाल** (जायल) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील जायल, जिला नागौर के कतिपय ग्रामों कांगसिया, टालनियाऊ, आकोड़ा, निम्बोड़ा, मांजरा, मेहरवास, रोटू, दगीली, बटवाड़ी, डारों की ढाणी आदि में गत चार-पांच वर्षों में पानी की सप्लाई 6-6 माह तक भी नहीं होती है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम वासियों द्वारा कई बार विभाग को पानी नहीं मिलने की शिकायतें की मगर आज तक भी पानी नहीं पहुंच रहा है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्रामों में पानी जायल स्थित सहायक अभियन्ता की हठधर्मिता के कारण नहीं दिया जा रहा है तथा उक्त सहायक अभियन्ता की शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त भी हुई थी? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों।

(4) उक्त ग्रामों में क्या विभाग महीने में 15 दिन भी पानी देने की मंशा रखता है? यदि हां, तो कब? नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि उक्त तहसील के ग्राम रोटू में रामदेवरा स्थान पर बने जी.एल.आर. को दो वर्ष हो गये हैं मगर अभी तक इसमें पानी की सप्लाई नहीं की गई है? उक्त जी.एल.आर. में पानी कब तक दे दिया जायेगा? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उल्लेखित तहसील के ग्राम रोटू, मेहरवास, टालनियाऊ एवं दगौली में प्रति-दिन पेयजल आपूर्ति की जा रही है। ग्राम मीठा मांजरा, कांगसिया, आकोड़ा एवं निम्बोड़ा को भीनियमित रूप से परन्तु निर्धारित मापदण्डों से कम मात्रा में आपूर्ति की जा रही है बटवाडी की ढाणी एव डारों की ढाणी में अभी विभागीय पेयजल योजनाएं उपलब्ध नहीं है।

(2) उक्त पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, जिन पर तत्परता के साथ जांच कर समस्या का निवारण किया जाता है व पेयजल उप-लब्धता की स्थिति उपरोक्तानुसार है।

(3) पेयजल आपूर्ति अपर्याप्त होने का मुख्य कारण विद्युत की अनियमित आपूर्ति है। सहायक अभियन्ता के विरुद्ध भी प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही की गई है एवं कार्य उन्हें रुचि लेने हेतु सतर्क किया गया है।

(4) उक्त ग्रामों में जल वितरण की स्थिति उपरोक्त उत्तर संख्या 1 के अनुसार है। जायल से खियाला तक 11 के.वी. की सीधी विद्युत लाइन डालने का कार्य प्रगति में है, जिसके पूर्ण होने पर जल वितरण सामान्य होने की सम्भावना है।

(5) उल्लेखित भूतल जलाशय का निर्माण फरवरी, 1993 में पूर्ण हुआ था व उसे चालू किया जा चुका है।

जयपुर की आवासीय कालोनीज में सीवर लाइन

529. **श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही हैं कि अजमेर रोड, जयपुर स्थित सिविल लाइन्स एवं अन्य आवासीय कालोनीज में सीवर लाइन नहीं है ? यदि हां, तो अब कब तक इन कालो-नीज में सीवर लाइन डाल दी जावेगी ?

(2) क्या यह सही है कि अजमेर रोड एवं सिविल लाइन के मुख्य मार्गों तक ही सीवर लाइन डाली गई हैं ? यदि हां, तो अन्य स्थानों को सीवर लाइन से नहीं जोड़े जाने के क्या कारण हैं।

(3) क्या यह सही है कि सीवर लाइन एवं नालियों के अभाव में उक्त कालोनीज में मकानों के आगे पानी भरा रहता है एवं बीमारी के फैलने का डर बना हुआ है ?

(4) क्या सरकार जनहित को दृष्टि में रखते हुए हरिमार्ग, रूपनगर, तारानगर में नालियां बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधि-करण अपने वित्तीय साधनों की उपलब्धता के आधार पर ही सीवर लाइन डालने के कार्य करता है। वित्तीय साधनों की उप-लब्धता के अनुसार ही यह कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। वित्तीय साधनों के अभाव के कारण कालोनीज के भीतर सीवर लाइन का कार्य अभी हाथ में नहीं लिया गया है।

(2) जी हां। वित्तीय साधनों के अभाव के कारण सीवर लाइन का कार्य नहीं किया जा रहा है।

(५०)

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) भवन निर्माताओं द्वारा पानी के विकास की समुचित व्यवस्था न करने एवं प्राधिकरण में विकास शुल्क की राशि जमा न कराने के कारण नालियों के निर्माण के अभाव में पानी भरा रहता है।

(4) नागरिकों द्वारा निर्धारित विकास शुल्क की राशि जमा कराने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा नालियों का निर्माण करना सम्भव हो सकेगा।

पंचायत समिति सलूम्बर व गिर्वा में पेयजल संकट

530. **श्री फूलचन्द** (सलूम्बर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति सलूम्बर व गिर्वा में पेयजल का गम्भीर संकट है ? यदि हां, तो इसके निवारण हेतु आपातकालीन एवं भावी योजना क्या है ?

(2) जिन–जिन स्थानों पर पेयजल की योजना है वहां पानी का स्रोत क्या–क्या है ? किन-किन गांवों में पेयजल योजना प्रस्तावित है और कब तक सरकार द्वारा इसकी मंजूरी दिये जाने का विचार है ?

उत्तर

(1) उल्लेखित क्षेत्र के सभी 309 ग्राम विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित है। आगामी ग्रीष्म ऋतु हेतु वर्तमान में अभियान चलाकर खराब हैण्ड पम्पों को ठीक किया जा रहा है।

(2) हैण्ड पम्पों से लाभान्वित ग्रामों के अतिरिक्त अन्य पेयजल योजनाओं के स्त्रोतों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक 100 की जन संख्या पर एक हैण्ड पम्प लगाने के संशोधित माप-दण्ड के अनुसार अतिरिक्त हैण्ड पम्प वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार लगाये जाने प्रस्तावित हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में पानी की टंकी से अकाल मृत्यु

531. **श्री फूलचन्द** (सलूम्बर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में भोईयों की पंचोली में पानी की टंकी टूट जाने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन–कौन दोषी है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा उस परिवार को विभाग द्वारा कोई राहत दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

इस सन्दर्भ में विभाग द्वारा किसी टंकी का निर्माण कार्य हाथ में नहीं लिया गया है। निजी स्तर पर हुई दुर्घटनाओं में विभाग द्वारा कार्यवाही करने तथा राहत उपलब्ध कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

बीसलपुर परियोजना की सीमेन्ट का लेखा–जोखा

532. **श्री किशन मोटवानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री किशन मोटवानी)

(1) बीसलपुर परियोजना हेतु कार्यरत तीनों खण्डों में परियोजना के शुरू से लेकर आज तक कितनी सीमेंट प्राप्त हुई।

(2) उक्त सीमेंट में से कितनी-कितनी सीमेंट किस कार्य पर इश्यू की गई एवं कितनी सीमेंट प्रत्येक कार्य पर खर्च हुई ?

(3) क्या उक्त सीमेंट के लिए स्टाफ अकाउन्ट एवं सीमेंट कन्जम्पशन रजिस्टर रखे गये थे ? यदि सीमेन्ट रजिस्टर रखे गये तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीसलपुर परियोजना हेतु कार्यरत तीनों खण्डों में आज तक कुल 59,612 सीमेन्ट के थैले प्राप्त हुए हैं।

(2) प्राप्त सीमेन्ट का विभिन्न कार्यों हेतु निर्गम तथा उपयोग संबंधित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) उपरोक्त सीमेन्ट हेतु संबंधित खण्डों में रखे गये स्टॉक अकाउण्टों की उपलब्ध प्रतिलिपियां परिशिष्ट "ख" पर पृष्ठ संख्या (1 से 43 तक) संलग्न है। सीमेन्ट के उपयोग के रजिस्टर संधारित नहीं किये जाते बल्कि प्रचलित प्रक्रियानुसार प्रत्येक कार्य के बिल के साथ, उपयोग का विवरण प्राप्त कर उन्हें जांचने के उपरांत भुगतान किया जाता है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

कामां क्षेत्र में आपातकालीन पेयजल योजनाएं

533. **श्री तैयब हुसैन (कामां) :** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

भरतपुर जिले के कामां क्षेत्र में कितनी आपातकालीन पेयजल योजनायें प्रस्तावित हैं। कितनी योजनाओं को इस सत्र में क्रियान्वित किये जाने की योजना है तथा कहां-कहां और कब तक ?

उत्तर

उल्लेखित क्षेत्र में कन्टीजेंसी योजना के अन्तर्गत वर्तमान में स्वीकृत योजनाओं का वांछित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं। इन कार्यों को मार्च, 1994 के अन्त तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।
(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

जलदाय विभाग में जूनियर इंजीनियर्स की भर्ती

534. **श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जलदाय विभाग में पिछले कई सालों से जूनियर इन्जीनियर्स की भर्ती नहीं की गई है तथा अनेक पद रिक्त पड़े हैं ?

(2) अन्तिम नियुक्तियां कब की गई थीं और अब कितने पद रिक्त पड़े हैं ?

(3) रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार कब तक नियुक्तियां करने का विचार रखती हैं और किस पद्धति से ?

उत्तर

(1) जी नहीं। कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियुक्ति गत दिनांक 22/3/93 को जारी आदेश द्वारा की गई थी। वर्तमान में इनके सात पद रिक्त हैं।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) रिक्त पदों को आवश्यकतानुसार (राजस्थान अधिनस्थ सेवा नियम, 1967) जन स्वा. अभि. विभाग में उल्लेखित पद्धति से भरा जा सकेगा।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा डलवाई गई सिवरेज लाइनें

535. **श्री रामकिशन वर्मा** (रामगंज मण्डी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा झोटवाडा रोड पर सिवरेज लाइन डलवाई गयी हैं ? यदि हां, तो उस पर कुल कितना व्यय किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि सिवरेज लाइन में इसकी क्षमता के अनुरूप पानी नहीं आता हैं एवं यह खाली पड़ी रहती हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जे.डी.ए. द्वारा नेहरू नगर, जयपुर में सिवरेज लाइन नहीं डाली गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार नेहरू नगर में छोटी छोटी लाइनें डालकर झोटवाड़ा रोड की बड़ी लाइन से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इस कार्य पर अब तक 32.14 लाख रुपया व्यय किया गया है।

(2) जी हां। आसपास की कालोनियों में आंतरिक सीवर लाइन अभी नहीं डाली जा सकने के कारण मेन सीवर लाइन में अभी क्षमता से कम निस्सारित पानी आ रहा है।

(3) जी हां। जयपुर शहर के लिए एक विस्तृत योजना बनायी गई है जिसकी प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति अभी होनी बाकी है। इस योजना की स्वीकृति एवं धन उपलब्धतानुसार ही कार्य सम्पादन सम्भव हो सकेगा।

(4) उपरोक्तानुसार।

जमुना नगर सोडाला में सड़कों की मरम्मत

536. **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जमुनानगर सोडाला में विगत कई वर्षों से सड़कों की मरम्मत नहीं करायी गयी है ? यदि हां, तो सरकार उक्त सड़कों को कब तक ठीक कराने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार पानी के निकास हेतु जमुना नगर में नालियों के निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त कालोनी में

(श्री रामनारायण चौधरी)

रोड लाइटें लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि जमुनानगर सोडाला सहकारी समिति की योजना में विगत कई वर्षों से सड़कों की मरम्मत नहीं करवाई गई हैं क्योंकि सहकारी समिति की इस योजना के भूखण्ड धारियों द्वारा सम्पूर्ण विकास शुल्क एवं परिधि शुल्क की राशि जमा नहीं करवाई गई है। अतः सम्पूर्ण विकास शुल्क एवं परिधि शुल्क की राशि जमा होने के उपरान्त उक्त सड़कों को ठीक कराना संभव होगा।

(2) जमुनानगर में पानी के निकासी की व्यवस्था हेतु नालियों का निर्माण इस योजना के भूखण्ड धारियों के द्वारा सम्पूर्ण विकास शुल्क एवं परिधि शुल्क जमा कराने पर ही संभव होगा।

(3) जमुनानगर कालोनी में रोड लाइट लगाने का कार्य भूखण्ड धारियों द्वारा विकास शुल्क एवं परिधि शुल्क की सम्पूर्ण राशि जमा करवाये जाने के बाद ही रोड लाइट लगाना संभव होगा।

राजस्थान आवासन मण्डल' द्वारा जारी पंजीकरण वरीयता सूची

537. **श्री रामनारायण** (नैनवां) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 1 नवम्बर, 1991 से 31 दिसम्बर, 1991 की अवधि में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जयपुर नगर में पंजीकरण की वरीयता सूची के अनुसार मकान आरक्षण करने की सूचना देते हुए पूर्णग्रहण राशि जमा कराने हेतु आवेदकों को पत्र लिखे गये थे ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त वर्णित आवेदकों में से कितनों के द्वारा पूर्ण ग्रहण राशि की किश्तों की पूरी राशि जमा करवाई जा चुकी हैं ? आवेदकों के नाम वर्ग व मकान श्रेणी का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आवेदकों में से कितनों को मकान आवंटित किये जा चुके हैं तथा कितनों को आवंटन किया जाना शेष हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) बाकी रहे आवेदकों को मकान कब तक आवंटित कर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां, 1 नवम्बर, 1991 से 31 दिसम्बर, 91 तक की अवधि में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जयपुर नगर में पंजीकरण की वरीयता सूची के अनुसार 40 आवेदकों को पूर्णग्रहण राशि जमा कराने हेतु आरक्षण पत्र जारी किये गये थे। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त आवेदकों में से 27 आवेदकों ने पूर्णग्रहण राशि जमा करा दी थी। जिनके नाम व वर्गवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) उक्त आवेदकों में से 27 आवेदकों को आवास आवंटित किये जा चुके है तथा 13 आवेदकों को आवास आवंटित किया

(नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री)

जाना शेष है। शेष आवेदकों का विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(4) शेष रहे आवेदकों के द्वारा पूर्ण-ग्रहण राशि जमा कराने पर ही आवास आवंटन किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें।)

राजस्थान आवासन मण्डल का प्रशासनिक व्यय

538. श्री इन्द्रसिंह पूनियां (सादुलपुर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1970 में राजस्थान आवासन मण्डल की स्थापना के समय जो प्रशासनिक खर्चा निर्धारित किया गया था उसी के अनुरूप खर्चा किया जाता है ? इसमें कमी बेसी होने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आऊट राइट पर सरकारी कर्मचारियों को जो मकान दिये गये हैं उनकी सारी रकम सरकार द्वारा आवासन मण्डल को दिये जाने के बावजूद भी उन मकानों की रजिस्ट्रियां या नो-ड्यूज नहीं दिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ? मकानों के पट्टे सम्बन्धी कार्यवाही बोर्ड द्वारा न करने के क्या कारण रहे हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकारी कर्मचारियों के ब्याज की वसूली सम्बन्धी नीति भी अभी तक बोर्ड द्वारा तय नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि बोर्ड के कर्मचारियों और सरकार के कर्मचारियों में भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई जाती हैं ?

(4) क्या बोर्ड के कर्मचारियों को कम कीमत, कम लागत और अच्छी सामग्री व मनचाहे मकान आवंटित किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या बोर्ड के कर्मचारियों से ली जाने वाली ब्याज की राशि के अनुरूप अन्य कर्मचारियों से ब्याज की राशि लिये जाने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1970 में राजस्थान आवासन मण्डल की स्थापना के समय प्रशासनिक व्यय भवन निर्माण लागत का 5% निर्धारित किया गया तत्पश्चात् इसे बढ़ाकर 6% वर्ष 81-82 में 7.5% वर्ष 92-93 में 10% निर्धारित किया गया। निर्धारित प्रशासनिक व्यय की तुलना में वास्तविक व्यय अधिकांश वर्षों से अधिक ही रहा।

वास्तविक प्रशासनिक व्यय अधिक होने के कारण मुख्य रूप से निम्न प्रकार रहे :- जैसे प्रतिवर्ष कर्मचारियों/अधिकारियों को देय वेतन भत्तों में निरन्तर वृद्धि, समय 2 पर की गई नवीन भर्ती के कारण वित्तीय भार में बढ़ोतरी, राज्य सरकार के अनुरूप हो समय समय पर किये गये संशोधित वेतन मानों को दिये जाने से वृद्धि इत्यादि। किन्हीं वर्षों में भूमि की अनुपलब्धता एवं धन की कमी के कारण निर्माण व्यय कम होने से प्रशासनिक व्यय ज्यादा रहा। राज्य के अन्य मण्डलों में भी प्रशासनिक व्यय आवासन मण्डल की वर्तमान दर के अनुरूप ही है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री)

(2) मकान के विरुद्ध पूरी रकम मिलते ही अदेय प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं। एवं आवंटी द्वारा आवेदन करने के उपरान्त मकान की रजिस्ट्री की वांछित कार्यवाही भी कर दी जाती है।

(3) सरकारी कर्मचारी संबंधी ब्याज वसूली की नीति तय है तथा कोई भेदभाव पूर्ण नीति नहीं अपनाई गई है।

(4) अन्य आवंटियों के भांति ही आवास की लागत वसूल कर लाटरी द्वारा आवास मंडल कर्मचारियों को आवंटित किये जाते हैं। आवासन मंडल कर्मचारियों को मकान की लागत में प्रशासनिक व्यय में हीं निम्न प्रकार से छूट दी जाती हैं :–

कमजोर आय वर्ग अल्प आय वर्ग	7%
मध्यम आयवर्ग "अ" "ब"	5%
उच्च आय वर्ग	3%

(5) ब्याज की दर मंडल कर्मचारियों एवं अन्य कर्मचारियों से समान रूप से ही ली जा रही है।

किग्स रोड व पदमावती कालोनी में रोड लाइटें

539. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर रोड स्थित किग्स रोड, जो अजमेर रोड को मानसरोवर से जोड़ती है, पर मानसरोवर निर्माण नगर व पदमावती कालोनी आदि क्षेत्र के निवासियों व भारी वाहनों के आवागमन के कारण काफी यातायात रहता है यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त मार्ग पर रोड लाइटों की व्यवस्था की हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब सरकार उक्त किंग्स रोड़ पर कब तक लाइट लगवाने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि किंग्स रोड़ पर स्थित खुदाबादी सोनार हाऊसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी से पदमावती नगर 'बी" कालोनी में भी रोड़ लाइट्स नहीं है जिससे उक्त क्षेत्र के निवासियों को चोरी चकारी होने का भय बना रहता है ?

(3) यदि हां तो क्या सरकार उक्त कालोनी में भी रोड़ लाइटस लगवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि अजमेर रोड़ से गोपालपुरा बाईपास को जोड़ने वाली एक सड़क निर्माण नगर पदमावती कालोनी आदि सहकारी समितियों की योजनाओं से होकर गुजरती है। उक्त सड़क का नाम वहां के निवासियों द्वारा किंग्स रोड़ रखा हुआ है। उक्त सड़क का उपयोग निर्माण नगर, पदमावती नगर आदि सहकारी समितियों के निवासियों एवं मानसरोवर को जाने वाले निवासियों एवं वाहनों के द्वारा किया जा रहा है। निर्माण नगर, पदमावती कालोनी आदि सहकारी समितियों के भूखण्ड धारियों द्वारा विकास शुल्क एवं परिधि शुल्क की सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करायी गयी है। सहकारी समितियों की योजनाओं में 25/– रू. प्रति वर्ग

(नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री)

गज विकास शुल्क में केवल मात्र सड़क, नालियां, वृक्षारोपण व उद्यान का निर्माण करने का ही प्रावधान है । बिजली एवं पानी की व्यवस्था सम्बन्धित विभागों द्वारा ही की जानी है ।

बिजली के खम्भों को लगवाने हेतु भूखण्ड धारियों द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में राशि जमा कराये जाने पर ही राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा लगाये जाते हैं । उक्त सड़क की लम्बाई लगभग 2 किलोमीटर है एवं बिजली के खम्भे केवल आधा किलोमीटर में ही लगे हुए हैं । इन खम्भों में भी स्ट्रीट लाइट फेज वायर नहीं हैं । शेष डेढ किलो मीटर सड़क पर बिजली के खम्भे ही नहीं लगे हुए हैं । अत: उक्त सड़क पर बिजली के खम्भे लगाने एवं फेज वायर का कार्य राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा करने पर तथा भूखण्ड धारियों द्वारा सम्पूर्ण विकास शुल्क एवं परिधि शुल्क जमा कराने पर स्ट्रीट लाइट लगायी जा सकेगी ।

(2) यह सही है कि किंग्स रोड़ पर स्थित खुदाबादी सोनार सोसायटी से पदमावती नगर "बी" कालोनी में भी रोड़ लाइट्स नहीं है । रोड़ लाइटस बिजली के खम्भे एवं फेज वायर राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा लगाये जाने पर तथा खुदाबादी सोनार सोसायटी एवं पदमावती नगर "बी" कालोनी के भूखण्ड धारियों द्वारा सम्पूर्ण विकास शुल्क एवं परिधि शुल्क जमा कराये जाने पर रोड़ लाइट लगवाई जा सकेगी ।

(3) उक्त कालोनी के भूखण्ड धारियों द्वारा सम्पूर्ण विकास शुल्क एवं परिधि शुल्क जमा करवाने तथा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा बिजली के खम्भे लगाने एवं उन पर फेज वायर लगाने पर राज्य सरकार द्वारा उक्त कालोनीयों में रोड लाइट लगवाने पर विचार किया जायेगा ।

जे. डी. ए. /नगर निगम, जयपुर द्वारा किये जा रहे तोड़ फोड़ के कार्यों पर पाबन्दी

540. **श्री अजय** (नोहर) : क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा उनके क्षेत्रों में कृषकों को उनकी (खातेदारी की) कृषि भूमि के 1/50 भाग पर भवन/पशुधन इत्यादि की अनुमति देने के पश्चात भी जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम, जयपुर के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा ऐसे मामलों में तोड़ फोड़ की जाती है ? यदि हाँ, तो किन नियमों के तहत ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी/जिला कलेक्टरों द्वारा कृषकों को अनुमति देने के पश्चात जे.डी.ए./नगर निगम, जयपुर द्वारा उनके निर्माण में हस्तक्षेप नहीं किया जाय, इस हेतु संबंधित विभागों को निर्देश देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । ऐसे मामलों में कोई तोड़फोड़ नहीं की जाती है ।

(नगरीय विकास मन्त्री)

(2) वर्तमान नियमों में प्रावधान है। अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

राजस्थान आवासन मण्डल के मकानों का किराया क्रय पद्धति द्वारा आवंटन

541. **श्री विश्वेन्द्र सिंह** (नदबई) एवं **श्री बाबूलाल** (दूदू) : क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही कि राजस्थान आवासन मण्डल ने किराया क्रय पद्धति पर आवास उपलब्ध कराने के लिये आवेदन पत्र मांग कर जनता से राशि एकत्र की थी ? यदि हां, तो किस-किस वर्ष में व किस-किस शहर के लिये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में किराया क्रय पद्धति पर विकल्प देने वाले व्यक्तियों को भी एक मुश्त भुगतान पद्धति के आधार पर मकान क्रय करने के लिये आर-क्षण-पत्र जारी किये हैं ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ?

(3) क्या यह भी सही हैं कि आवासन मण्डल का उक्त निर्णय एकतरफा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस व्यवस्था की पूर्वा-नुसार करने का विचार रखती है जिससे मकान क्रय करने वालों को राहत मिल सके ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान आवासन मंडल ने किराया क्रय पद्धति/नकद भुगतान पद्धति के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न शहरों में विभिन्न वर्षों में पंजी-करण योजनाऐं प्रारम्भ की थी (विवरण संलग्न सूची "अ" में उपलब्ध है)

(2) मंडल के नियमों में 45 प्रतिशत आवास नकद भुगतान पद्धति पर एवं 55 प्रतिशत आवास किराया क्रय पद्धति पर आवंटित करने का प्रावधान है। मंडल की 137वीं बैठक दिनांक 5 एवं 9.12.87 के निर्णय बिन्दु संख्या 137.24 के अन्तर्गत नकद भुगतान पद्धति के कोटे को अग्रनयन (केरी फरवर्ड) किये जाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन उस समय आवास क्रय करने हेतु व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध करवाने वाली संस्थाओं के अभाव के कारण मंडल द्वारा इन नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया तथा नकद भुगतान पद्धति के कोटे के शेष रहे आवासों का आवंटन किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदकों को किया जाता रहा। इस प्रकार वर्ष 1992 तक यह अनुपात क्रमशः 10:90 पहुंच गया। वर्ष 1992 में राष्ट्रीय विकास नीति की घोषणा से अनेक वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवास क्रय करने हेतु व्यक्तिगत ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाने को माध्य नजर रखते हुये मंडल ने अपनी 137वीं बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में नकद भुगतान पद्धति के वैकलांग को पूरा करने हेतु किराया क्रय पद्धति का विकल्प देने वाले पंजीकृत आवेदकों को भी नकद भुगतान पद्धति पर आवास आवंटन हेतु यह सूचित करते हुये आरक्षण पत्र जारी किये कि उन्हें आवास की सम्पूर्ण लागत मंडल को स्वयं के स्त्रोतों से अथवा वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर एक मुश्त चुकानी होगी।

(४८)

(नगरीय विकास मंत्री)

(3) जी नहीं। इस संबन्ध में माननीय विधायकों की एक कमेटी गठित की गई है उनकी रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जावेगी

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–10 देखें।)

जयपुर शहर में वाहनों की पार्किंग व्यवस्था

542. श्री राम स्वरूप (टोडाभीम) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में विशेषत: परकोटे पर तथा अजमेरी गेट/न्यू गेट/सांगानेरी गेट की पार्किंग की माकूल व्यवस्था नहीं होने के कारण यातायात के सुचारू आवागमन में असुविधा बनी रहती हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त स्थानों के टैक्सी/कार/जीप/मिनी बसों के पार्किंग स्थलों को शहर के मुख्य मार्गों से अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) जयपुर शहर के यातायात को नियंत्रित करने के बारे में सरकार की क्या ठोस योजना है एवं उसकी क्रियान्विति कब एवं किस प्रकार कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) विशेष अवसरों पर ऐसी असुविधा हो जाती है।

(2) टैक्सी/कार/जीप/मिनी बसों के पार्किंग स्थलों को जयपुर शहर के बाहर स्थानान्तरित करने एवं शहर के व्यस्त सड़कों पर यातायात के भारी दबाव को कम करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने अजमेर गेट पर पैदल चलने वालों के लिए एक भूमिगत मार्ग तैयार करवाया गया है। नगर निगम जयपुर द्वारा राज. हैण्डलूम एम्पोरियम के पीछे सब्जी मण्डी की दुकानों को पार्किंग स्थल की जगह निश्चित की गई है जिस पर योजना बनाई जा रही है। इसी प्रकार जौहरी बाजार में सांगानेरी गेट के पास स्थित रुई मण्डी में जौहरी बाजार क्षेत्र के लिए पार्किंग स्थल की योजना पर कार्य चालू है। इसके अतिरिक्त 15 अन्य स्थलों पर भी पार्किंग की व्यवस्था कराई जा रही है। उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप यह कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करवाई जायेगी।

(3) जयपुर शहर में बढ़ते हुए यातायात की समस्या को ध्यान में रखते हुए "नेटपेक" नामक संस्थान से अध्ययन करवाकर योजना बनवाई जा चुकी है। उक्त संस्था द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार सड़कों को चौड़ा करने मध्य विभाजिका बनाकर उस पर सोडियम लाइट लगाकर यातायात को व्यवस्थित करने, मुख्य मुख्य सड़कों के किनारे उपयुक्त स्थानों पर वाहन पार्किंग स्थल विकसित करने, रोड जंक्शन सुधार, रोड सिग्नल लाइट लगाने एवं एक भूमिगत पद यात्री मार्ग का निर्माण करवाये जा चुके हैं। इस संस्था द्वारा दिये सुझावों के अनुसार नये ट्रक स्टेण्ड, आटोमोबाइल नगर, फल सब्जी मण्डियां, बहु-मंजिलें पार्किंग स्थल, रेल्वे ओवरब्रिजेज आदि की क्रियान्विति के लिए भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है। भूमि अवाप्ति होने के

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

पश्चात एवं आर्थिक साधनों के अनुरुप सुविधाएँ उपलब्ध करवा दी जायेगी।

सुशीलपुरा कालोनी जयपुर को सीवर लाइन से जोड़ना

543. **श्री कालीचरण सराफ** (जोहरी बाजार) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अजमेर रोड पर डाली जा रही सीवर लाइन से सुशीलपुरा कॉलोनी को जोड़े जाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(2) इस रोड़ पर आने वाली अन्य कौन–कौनसी कालोनियों को सीवर लाइन से जोड़े जाने का प्रस्ताव जयपुर विकास प्राधिकरण के विचाराधीन है तथा इस पर कितनी राशि व्यय होना प्रस्तावित हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं, सुशीलपुरा कालोनी, अजमेर रोड़ की सतह से लगभग 3 मीटर नीचे है जिसके कारण सीवर लाइन से मिलाना सम्भव नहीं है।

(2) वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण में अजमेर रोड़ की किसी भी कालोनी को सीवर लाइन से जोड़ने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कुशलगढ़ क्षेत्र के सिंचाई तालाब

544. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कुशलगढ़ क्षेत्र में ऐसे कितने सिंचाई के तालाब हैं जिनसे सिंचाई की जा रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बियापाड़ा; गोयका प्रसाद, नागदा के पुराने तालाब हैं व उन तालाबों की नहर जीर्ण क्षीण हो चुकी है ?

(3) क्या यह भी सही है कि नहरों की खराबी से किसानों को पूरा पानी नहीं मिलता जिससे खेती को नुकसान होता है ?

(4) क्या सरकार पुरानी नहरों की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र में 28 तालाबों से सिंचाई हो रही हैं। सूची परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) नहरों की मरम्मत वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर की जायेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें।)

माण्डलगढ़ क्षेत्र के बांधों की भराव क्षमता

545. **श्री बद्री प्रसाद गुरुजी** (माण्डलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार के

(श्री बद्री प्रसाद गुरुजी)

पास मांडलगढ़ क्षेत्र के बांधों की भराव क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

(2) क्या मण्डोल पचानपुरा बांध की भराव क्षमता बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है, यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब तक जारी हो जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

भीम गोगेलाव तालाब, बराखन (ब्यावर) का जीर्णोद्धार

546. **श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :** क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है भीम गोगेलाव तालाब बराखन में जगह-जगह बरसात के कारण गड्ढे पड़ जाने से पानी ठहर नहीं पाता है ? यदि हां, तो विभाग ने इसकी मरम्मत जीर्णोद्धार के लिए क्या योजना तैयार की है ?

उत्तर

जी नहीं। वर्षा के कारण तालाब में गड्ढे नहीं पड़े हैं। तालाब में पानी ठहरता है और सिचाई हेतु उपयोग में लिया जाता है।

माही परियोजना (बांसवाड़ा) की कच्ची नहरों को पक्की बनाना

547. **श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) :** क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे;-

माही परियोजना जिला बांसवाड़ा में दाईं मुख्य नहर में कितने किलोमीटर माइनर कच्ची है तथा सरकार इनको कब तक पक्की बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

माही परियोजना, जिला बांसवाड़ा में दाईं मुख्य नहर प्रणाली में 176.50 किलोमीटर नहरें कच्ची हैं। तकनीकी आवश्यकता एवं बजट की उपलब्धता के अनुसार नहरें पक्की की जा रही हैं।

जैतारण में तालाबों का अधूरा निर्माण कार्य

548. **श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) :** क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि निर्वाचन क्षेत्र जैतारण ज़िला पाली में तालाबों का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो कौन-कौन से तालाबों का कब-कब से ?

(2) इन तालाबों के निर्माण की स्वीकृति कब-कब जारी हुई तथा लागत क्या क्या रही ? आदेश की प्रति मय अधूरे रहने के कारण सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन अधूरे तालाबों का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(सिचाई मंत्री)

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

छबड़ा व छीपाबड़ौद क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई योजना

549. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बारां जिले के छबड़ा छीपाबड़ौद क्षेत्र में कौन-कौनसी लिफ्ट सिंचाई योजना कब-कब से स्वीकृत है ?

(2) क्या स्वीकृत सभी लिफ्ट सिचाई योजनाओं का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि, नहीं तो क्यों ? अब कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) बारां जिले के छबड़ा क्षेत्र में 30 जिला 30 काम योजना के अन्तर्गत माह अक्टूबर, 91 से निम्न दो लिफ्ट योजनाएं स्वीकृत हैं:-

1.	खेंजाई गुगोर	3.00 लाख
2.	तीतर खेड़ी	5 00 लाख

छीपाबड़ौद क्षेत्र की टावा प्रथम एवं टावा द्वितीय स्वीकृत हुई थी, किन्तु तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त न होने के कारण निरस्त कर दी गई हैं।

(2) जी हां। खेजई–गुगोर लिफ्ट सिंचाई योजना का कार्य पूरा हो चुका है किन्तु विद्युत कनेक्शन नहीं होने से अभी तक सिचाई प्रारम्भ नहीं हुई है। तीतर खेडी लिफ्ट सिंचाई योजना का कार्य अभी अधूरा है व धनराशि उपलब्ध होने पर यह कार्य पूर्ण कराया जा सकेगा।

अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के लिए व्यापक शिक्षा प्रसार

550. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान की आबादी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की आबादी कितने प्रतिशत है ?

(2) उक्त आबादी का कितना प्रतिशत शिक्षित है ?

(3) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति में शिक्षित लोगों की संख्या बहुत कम है ? यदि हां, तो इस समुदाय में शिक्षा का व्यापक प्रसार करने के लिए सरकार की क्या योजना हैं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी में अनुसूचित जाति की आबादी 17.29 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी 12.44 प्रतिशत है।

(2) 1991 की जनगणना के आधार पर साक्षरता प्रतिशत निम्न है–

जाति	पुरुष	महिला
अनुसूचित जाति	42.38	8.31
अनु. जनजाति	33.29	4.42

(3) जी हां। अनुसूचित जाति एवं

(शिक्षा मन्त्री)

जनजाति में शिक्षा का व्यापक प्रसार करने के लिए एवं उनका शैक्षणिक स्तर ऊंचा करने के लिए निम्न लिखित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है-छात्र गृह योजना, फीस पुर्नभरण योजना, बुक बैंक योजना, प्रतिभाशाली छात्र वृति योजना, मुफ्त पोशाक एवं स्टेशनरी वितरण, आश्रम छात्रावासों का संचालन, समाज कल्याण छात्रावासों का संचालन, प्रतिभाशाली आश्रम छात्रावासों का संचालन, उपचारात्मक शिक्षण, प्रतिभाशाली छात्रावासों में प्रवेश शिविर, नवोदय विद्यालय प्रवेश शिविर, शैक्षिक भ्रमण, भारत स्काउट एवं गाइड योजना, महिला शिक्षा प्रोत्साहन, प्री-कोचिंग, खेलकूद प्रतियोगिताएं आदि। साथ ही अनुसूचित जाति-जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में विद्यालय खोलने एवं क्रमोन्नत करने को प्राथमिकता दी जाती है।

बीकानेर जिले में विद्यालयों का क्रमोन्नयन

551. **श्री नन्दलाल व्यास** (बीकानेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में कार्यरत विद्यालय अपर्याप्त है ? यदि हां, तो सरकार आगामी सत्र में कितनी शालाएं यथा स्तरवार क्रमोन्नत/खोलने का विचार रखती है ?

(2) क्या प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर में विधिवत स्थापना पूर्व में हो चुकी है ? यदि हां, तो अब तक अधिकारियों/कर्मचारियों का पदस्थापन नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) राज्य के अन्य जिलों की तुलना में बीकानेर जिले में विद्यालयों की संख्या पर्याप्त है।

(2) प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर का भवन निर्माणाधीन है। प्राथमिक निदेशालय के सम्बन्ध में कार्यवाही विचाराधीन है।

बीकानेर व पाली के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

552. **श्री सुखलाल सेणचा** (रायपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर व पाली जिले की प्राथमिक, उच्च प्राथमिक माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के अनेक पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है:-

जिला	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
1-अजमेर	20	27	58
2-पाली	47	20	27

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। प्रथम श्रेणी में व्याख्याताओं के पद राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर भरे जा सकेंगे। द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के पद आगामी सत्र से पूर्व भरे जा सकेंगे।

विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के वाहन चालकों के पद

553. **श्री रामनारायण** (नंनवा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) शिक्षा विभाग में वाहन चालकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों में से कितनों पर नियुक्तियां दी हुई हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वाहन चालक के पदों पर अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति कार्यरत है? यदि हां, तो कुल पदों में उनका प्रतिशत क्या है?

(3) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी, छात्र संस्थायें, बून्दी के कार्यालय आदेश दिनांक 6-2-1992 द्वारा अनुसूचित जन जाति के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को वाहन चालक के पद पर पदोन्नति दी गई थी? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश को निरस्त करके किसी अन्य को वाहन चालक के पद पर पदोन्नति दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग में वाहन चालक के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:—

स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
115	100	15

(2) जी हां। अनुसूचित जाति 3.5% तथा अनुसूचित जनजाति का 4.3% वाहन चालक कार्यरत हैं।

(3) जी हां। जी हां। पदोन्नति में आदेश निरस्त किये गये। परन्तु किसी अन्य को पदोन्नति नहीं दी गई।

संस्कृत शिक्षा के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र

554. **श्री लक्ष्मणसिंह** (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) संस्कृत शिक्षा विभाग में कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को 1990-91 के बाद आरोप पत्र दिये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) आरोप पत्रों का जवाब किन-किन के द्वारा समय पर नहीं दिए गए है?

(3) क्या सरकार आरोप पत्रों का जवाब नहीं देने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध निलम्बित करने की कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि ऐसे कर्मचारी हैं जिनको गबन/वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित आरोप पत्र जारी किए गए हैं उनको निलम्बित नहीं किया गया है?

(54)

उत्तर

(1) संस्कृत शिक्षा विभाग में वर्ष 1990-91 के बाद 20 अधिकारी/कर्मचारियों को आरोप-पत्र दिये गये हैं। (सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।)

(2) दो-अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा आरोप पत्रों का जवाब समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। (सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।)

(3) आरोप पत्रों का जवाब नहीं देने वाले कर्मचारियों को परिशिष्ट-2 के अनुसार निलम्बित किया हुआ है।

(4) ऐसा एक कर्मचारी का प्रकरण है उसके द्वारा आरोप पत्र के दिये गये जवाब की संवीक्षा के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। फिलहाल उसका कार्य-स्थान बदल दिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-12 देखें।)

कामां क्षेत्र के विद्यालयों में तृतीय भाषा में उर्दू विषय

555. **श्री तय्यब हुसैन** (कामां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कामां क्षेत्र में तृतीय भाषा के रूप में उर्दू अध्ययन करने वालों के लिए प्रधानाध्यापकों द्वारा उर्दू अध्यापन में असमर्थतता प्रकट कर दी जाती है? यदि हां, तो क्या ये नियमों की कमी है या पदों का अभाव है?

(2) पदों का अभाव है, तो क्या सरकार ऐसे पद सृजित करेगी?

उत्तर

(1) कामां क्षेत्र में वर्तमान में किसी भी विद्यालय में उर्दू विषय नहीं चल रहा है।

कामां क्षेत्र के किसी प्रधानाध्यापक द्वारा उर्दू विषय हेतु उर्दू अध्यापक की मांग नहीं की गई है।

प्रधानाध्यापक द्वारा असमर्थता व्यक्त किये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) उर्दू विषय खोले जाने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

बून्दी जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालय

556. **श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बून्दी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बून्दी जिले के सभी हायर सैकण्डरी स्कूलों (लड़कियों एवं लड़कों) में सभी विषय हैं? यदि नहीं, तो कौन-कौन से हायर सैकण्डरी स्कूल में कौन-कौन से विषय नहीं है? बून्दी, तालेड़ा, सुवासा, बकधरा एवं नमाना के विद्यालयों में कौन-कौन से विषय इस वर्ष खोलने की योजना है?

(2) क्या यह सही है कि बून्दी जिले की हायर सैकण्डरी स्कूलों में कमरों का अभाव है? यदि हां, तो कौन-कौन से स्कूल में विद्यार्थी कमरों के बाहर खुले में जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं?

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

(3) क्या यह सही है कि स्कूलों (हायर सैकण्डरी) के कमरों में पुराना फर्नीचर एवं खराब सामान पड़ा है ? यदि हां, तो कौन-कौन से स्कूल में कितने कितने कमरों में ?

उत्तर

(1) जी नहीं। निम्न हायर सैकण्डरी विद्यालयों में उनके सामने अंकित संकाय नहीं है-

क्र.सं.	नाम विद्यालय	संकाय जो नहीं है
1.	सुवासा	वाणिज्य, विज्ञान
2.	नेनवा	वाणिज्य
3.	बांसी	वाणिज्य, विज्ञान
4.	तालेड़ा	विज्ञान
5.	हिण्डोली	विज्ञान
6.	आलोद	विज्ञान
7.	बरून्धन	वाणिज्य
8.	नमाना	कला और वाणिज्य
9.	बूंदी (छात्रा)	वाणिज्य
10.	लाखेरी (छात्रा)	वाणिज्य, विज्ञान
11.	के.पाटन (छात्रा)	वाणिज्य, विज्ञान

अतिरिक्त विषय का संकाय खोलने के लिए विद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट प्रावधान को ध्यान में रखते हुए एवं निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा। बूंदी, तालेड़ा, सुवासा बरून्धन एवं नमाना के विद्यालयों में इस वर्ष कोई भी अतिरिक्त विषय/संकाय खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। निम्न विद्यालयों के भवनों में कमरों का अभाव होने के कारण छात्र/छात्राएं कमरों से बाहर बैठक अध्ययन करते हैं-

1. रासीमावि. नमाना
2. ,, तालेड़ा
3. ,, बांसी
4. ,, देई
5. रा.बा.सी.मा.वि. बूंदी

(3) जी नहीं। केवल स्टोर हेतु आवंटित एक कमरे में ही इस तरह का सामान रखा जाता है।

विधान सभा क्षेत्र बेगूं के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

557. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

बेगूं विधान सभा क्षेत्र में किन-किन प्राथमिक विद्यालयों उच्च प्रा. विद्यालयों को प्राथमिकता से क्रमोन्नत करने का सरकार विचार रखती है ? पंचायत समिति बार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नति के प्रस्ताव वर्ष 94-95 के लिए आमंत्रित किये गये हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर सरकार, वित्तीय सीमा में गुणावगुणों के आधार पर क्रमोन्नत करने पर विचार कर सकेगी।

जिला झुंझुनूं के विद्यालयों में गणित तथा जीव विज्ञान विषयों के अध्यापक

558. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या झुंझुनूं जिले की माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्कूलों में गणित तथा जीव विज्ञान विषय में वरिष्ठ अध्यापकों की संख्या आवश्यकता से अधिक हैं और कुछ विद्यालयों में इन विषयों के अध्यापक नहीं हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(2) जिन विद्यालयों में गणित तथा जीव विज्ञान की आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं तथा जहां रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध होने के कारण इस असमानता का निवारण नहीं हो सका है।

आगामी सत्र तक व्यवस्थीकरण हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-13 देखें।)

तहसील दांतारामगढ़ के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

559. **श्री नारायण सिंह** (दांतारामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील दांतारामगढ़ में उच्च प्राथमिक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शालाओं में अध्यापकों के कब-कब से कितने पद कब से रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन शालाओं में अलग-अलग वर्ग के रिक्त पद होने से पढ़ाई में बाधा नहीं आ रही है ? यदि हां, तो इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा।

(3) क्या यह सही है कि मंदा मडनी उच्च माध्यमिक शाला में तीन वर्ष से प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। रिक्त विषय के कालांशों का अध्यापन विद्यालय के अन्य अध्यापकों से करवाया जाकर पूर्ति की जाती है। रिक्त पदों में उप-प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं व्याख्याताओं के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित प्रत्याशी उपलब्ध करवाये जाने पर भरा जा सकेगा। तथा शेष पदों को आगामी सत्र के प्रारम्भ से पूर्व भरा जा सकेगा।

(3) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर रिक्त पद की पूर्ति की जा सकेगी।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-14 देखें।)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की पूंगल व दंगेर शाखाओं की भूमि

560. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की पूंगल व दंगेर शाखाओं की कृषि भूमि आम तौर पर रेतीली है तथा अब जो बारानी या अनकमांड भूमि जो अभी तक आवंटित नहीं की जा सकी है वह आम तौर पर ऊंचे–ऊंचे धोरों की है तथा ऐसी भूमि के आवंटन से नहरों, वाटर कोर्सेज में मिट्टी भरने एवं अन्य काश्त काबिल भूमि पर विपरीत असर पड़ेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी बाकी बची भूमि का आवंटन रद्द या स्थगित रखने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां। यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की पूंगल और दंतोर शाखाओं की कृषि भूमि आम तौर पर रेतीली है। बारानी तथा अन–कमाण्ड भूमि जो अभी तक आवंटित नहीं की गई है वह अधिकतर ऊंचे–ऊंचे धोरों की है और भूमि रेतीली जरूर है पर इसका नहरों पर प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि नहरों के किनारे–किनारे दोनों ओर अनिवार्य सीमा पट्टी पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया जाता है जो रेत के कटाव को रोकने का काफी हद तक अच्छा साधन है। नहरों की अनिवार्य सीमा पट्टी से दूर की बारानी भूमि को भूमिहीन व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु आवंटन किया जाना प्रदेश की जनता के हित में है।

हाडौती क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग प्रोग्राम

561. **श्री भरतसिंह** (खानपुर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि हाडौती क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग प्रोग्राम को प्रोत्साहित करने के लिये किन–किन क्षेत्रों में क्या–क्या प्रयोग किये गये हैं व किन फूड प्रोसेसिंग प्रोग्राम को प्रिजर्व करने की योजना बनाई गई है, जिससे कृषकों को अधिक लाभ मिल सकें ?

(2) क्या यह सही है कि भवानी मण्डी के सन्तरा उत्पादकों व लाडपुरा तहसील के सब्जी उत्पादकों को उनकी उपज को अधिक लाभकारी बनाने के लिये कार्यवाही की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। हाडौती क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के तहत उद्यान विभाग द्वारा फ्रूट प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करने के लिये कोई प्रयोग नहीं किये गये हैं और न ही फ्रूट को प्रिजर्व करने की योजना बनाई गई है।

(2) जी हां, झालावाड फल उत्पादक क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0, भवानी मंडी द्वारा संतरा उत्पादकों को समिति के मार्फत विपणन की सुविधा उपलब्ध है। लाडपुरा तहसील के सब्जी उत्पादकों को उनकी उपज को अधिक लाभकारी बनाने के लिये क्रय विक्रय सहकारी समिति के गठन के प्रयास जिये जा रहे हैं।

जिला राजसमन्द में भूमि सुधार एवं जलग्रहण हेतु कार्यों पर व्यय

562. श्री शान्ति लाल खोईवाल (राजसमंद) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भू-संरक्षण विभाग द्वारा राजसमन्द जिले में 1-4-1991 से 3 -1-1994 तक किन-किन स्थानों पर भूमि सुधार एवं जलग्रहण हेतु क्या-क्या कार्य कराये गये ? कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रत्येक कार्य पर कितना-कितना धन स्वीकृत हुआ तथा अब तक किन-किन कार्यों पर कितना-कितना धन व्यय हो चुका है ?

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले में 1-4-91 से 31-1-94 तक किये गये कार्यों की सूचना परिशिष्ठ-1 पर संलग्न है।

(2) इन कार्यों पर स्वीकृत राशि एवं व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें।)

जिला डूंगरपुर की सामुहिक ट्यूबवैल योजना

563. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले में कृषि कार्य हेतु सामुहिक ट्यूबवैल योजना चलाई जा रही है ? यदि हां तो किन-किन गांवों के कितने-कितने परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं तथा कितनी हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं, वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक सामुदायिक ट्यूबवैल योजना राज्य के सभी ग्रे एवं व्याहट जोन में चलाई गई थी कृषकों का झुकाव इस योजना की तरफ कम होने के कारण इस योजना को वर्ष 1992-93 के बाद बन्द कर दिया गया था। डूंगरपुर जिले में वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक 11 सामुदायिक ट्यूबवैल के लिए 3.30 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था जिसमें से मात्र 2 सामुदायिक ट्यूबवैल स्थापित करने की प्रगति हुई थी तथा 0.63 लाख रुपये का खर्चा हुआ था। 10 कृषकों को इस योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जाकर लगभग 15 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।

अनूपगढ़ कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य

564. श्री अमरचन्द मिड्ढा (सूरतगढ़) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अनूपगढ़ कृषि उपज मण्डी समिति की वर्ष 1992-93 की आय कितनी थी ?

(2) वर्ष 1993-94 के निर्माण कार्यों हेतु मण्डी समिति द्वारा कितने प्रस्ताव सरकार को भेजे गये ? प्रस्तावों की सूची व निर्माण पर होने वाले व्यय के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1993-94 में निर्माण करवाये जाने हेतु भेजे गये कितने प्रस्ताव सर-

(श्री अमरचन्द मिड्ढा)

कार द्वारा मंजूर किये गये ? तथा इन निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अनूपगढ़ कृषि उपज मण्डी समिति की वर्ष 1992–93 की आय 87.89 लाख रुपये थी।

(2) वर्ष 1993–94 में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा 3 प्रस्ताव निदेशालय को भेजे गये हैं। प्रस्तावों की सूची व निर्माण पर होने वाले व्यय का अनुमानित विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर है। जो सदन को मेज पर रख दिया गया है।

(3) विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है जो सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-16 देखें।)

हाड़ी का बास–चावला (जमवा–रामगढ़) में सड़क निर्माण

565. श्री अजय (नोहर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम हाड़ी का बास (ग्राम पंचायत, नटाटा) तहसील जमवारामगढ़, जयपुर से सान पहाड़ होकर ग्राम चावला (तहसील जमवारामगढ़) तक कृषि उपज मण्डी समिति के तहत सड़क निर्माण कराने के कई प्रार्थना–पत्र सरकार को प्राप्त हुए हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम चावला की शत-प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की है ? यदि हां, तो उक्त 2 किलोमीटर सड़क बनाकर ग्राम चावला को कब तक सड़क से जोड़ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्री टीकम चन्द कान्त, सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति एवं सदस्य राजस्थान विधान सभा के पत्र के माध्यम से ग्राम हाड़ी का बास से सान पहाड़ होकर ग्राम चावला (जमवारामगढ़) तक सड़क निर्माण का केवल एक प्रार्थना पत्र विपणन बोर्ड को प्राप्त हुआ था।

(2) जी नहीं। ग्राम चावला (चावला की नांगल) ग्राम पंचायत इन्द्रगढ़ को शत–प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की नहीं है। ग्राम चावला की नांगल तक सम्पर्क सड़क बनाये जाने का प्रस्ताव कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज] जयपुर के यहां विचाराधीन है।

ग्राम ठिकरिया (खण्डेला) में प्रस्तावित एनीकट

566. श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : क्या कृषि (सिंचित क्षेत्र विकास) राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के ग्राम ठिकरिया (चला) में एनीकट बनाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त एनीकट निर्माण हेतु लगभग 10 वर्ष पूर्व भी सर्वे किया गया था ? यदि हां, तो आज तक यह

(श्री महादेव सिंह)

एनीकट क्यों नहीं बनाया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। इस प्रकार के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। विभाग द्वारा एनीकट हेतु कोई सर्वे नहीं किया गया।

राज्य के कृषि फार्म

567. **श्री मदन मोहन** (खैरथल) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राजस्थान में सरकारी कृषि फार्म कितने हैं और उनका प्रबन्ध कार्य एवं खाद्य व बीज कहां से तथा किस–किस किस्म के तैयार होते हैं व उनकी कितनी जातियां है?

उत्तर

वर्तमान में राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लि. के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरित 15 बीज गुणन फार्म हैं, जिनका प्रबन्ध निगम द्वारा किया जाता है। उक्त फार्मस् पर प्रयोग में लाई जाने वाली खाद का क्रय सहकारी समिति के माध्यम से किया जाता है, जो बीज काम में लिया जाता है उसका प्राप्ति स्त्रोत विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय/कृषि अनुसंधान केन्द्र है। उक्त फार्मों पर विभिन्न फसलों जैसे अनाज, दलहन, तिलहन आदि की बीजों की अधिसूचित किस्मों का उत्पादन कृषि विभाग की मांगानुसार किया जाता है। जातियों की सूचना परिशिष्ठ "अ" पर संलग्न है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट-17 देखें।)

जिला जालोर में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा सड़क निर्माण

568. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालोर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कृषि-उपज मण्डी समितियों द्वारा जालोर जिले में विगत पांच वर्षों में कुल कितनी सड़कों का निर्माण कराया गया है ? विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में वित्तीय वर्ष में जिले में कौन–कौन सी सड़कों का निर्माण कार्य विचाराधीन है ?

(3) सड़क निर्माण हेतु उक्त समितियों द्वारा जालोर जिले में प्रतिवर्ष कितनी धन–राशि व्यय करने का प्रावधान है ? इस वर्ष इस मद में कितनी राशि व्यय हो चुकी है तथा कितनी और व्यय की जाने की योजना है ?

उत्तर

(1) जालोर जिले में विगत पांच वर्षों में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा किसी भी सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है।

(2) जालोर जिले की कृषि उपज मण्डी समिति, जालोर एवं सांचोर में कोई सड़क निर्माण कार्य विचाराधीन नहीं है। मण्डी समिति, भीनमाल के अन्तर्गत निम्न दो

(कृषि राज्य मंत्री)

सड़कों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है :–

क्र सं.	सड़क का नाम	लम्बाई
1.	भीनमाल बागोड़ा रोड़ से जेरण तक	2 कि.मी.
2.	सायला बागोड़ा रोड़ से चेनपुरा तक	3 कि.मी.

(3) जालोर जिले की मण्डी समितियों के गत पांच वर्षों में सड़क निर्माण हेतु कोई धनराशि का प्रावधान नहीं रखा गया। अतः इस मद में राशि व्यय होने का प्रश्न नहीं उठता है। भविष्य की योजना विचाराधीन है।

कृषि उपज मण्डी समिति कर्मियों हेतु पेंशन योजना

569. **श्री अरूण सिंह** (डीग) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार कृषि उपज मण्डी समिति कर्मचारियों के लिए पेंशन लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब से व कब तक प्रारम्भ कर दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को मण्डी समिति द्वारा 10% बोर्ड अंशदान भेजा जाता है तथा रा.रा.कृ.वि. बोर्ड के कर्मचारियों को एक्स ग्रेसिया दिया जाता है जबकि मण्डी समिति कर्मचारियों को नहीं दिया जाता है? यदि हां, तो सरकार द्वारा मण्डी समिति कर्मचारियों के साथ भिन्न मानदण्ड अपनाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) यह सही है कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को मण्डी समिति की आय का 10 प्रतिशत अंशदान भेजा जाता है। तथा बोर्ड के कर्मचारियों को एक्स–ग्रेसिया दिया जाता है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की भांति कृषि विपणन निदेशालय के अधीन कृषि उपज मण्डी समिति के कर्मचारियों को एक्सग्रेसिया का भुगतान नहीं किया जाता है चूंकि मण्डी समिति के कर्मचारियों का वेतनमान राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान है, अतः उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति बोनस ही दिया जाता है।

कृषि विपणन बोर्डों के चुनाव

570. **श्री खेत सिंह** (शेरगढ़) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार कृषि विपणन बोर्ड के चुनाव करवाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक और किस प्रणाली से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव नहीं होने के कारण कृषि विपणन बोर्ड के चुनाव करवाया जाना सम्भव नहीं है।

(62)

अनिर्वाचन क्षेत्र जैतारण में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सड़क निर्माण

571. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले के जैतारण क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा कितनी-कितनी सड़कों का निर्माण करवाया जा चुका है तथा कितने कार्य चालू हैं।

(2) अगले वित्तीय वर्ष के लिए क्या-क्या कार्य प्रस्तावित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, जैतारण द्वारा निम्न सड़कों का निर्माण कराया गया है:-

क्र. सं.	सम्पर्क सड़क का नाम	लम्बाई	निर्माण वर्ष
1.	सम्पर्क सड़क जोधपुर जैतारण रोड से देवरिया	1 कि.मी.	1982
2.	सम्पर्क सड़क आंग से रेलड़ा	3 कि.मी.	1991
3.	सम्पर्क सड़क निमाज से खोरा	3 कि.मी.	1991

वर्तमान में कोई निर्माण कार्य चालू नहीं है।

(2) अगले वित्तीय वर्ष के लिये प्रस्तावित कार्यों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-18 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़क

572. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्ष 1977 से अब तक कृषि विपणन (कृषि उपज मण्डी) बोर्ड द्वारा किस-किस सड़क का कार्य करवाया था ? प्रत्येक की लम्बाई खर्च राशि सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़कों में से अपूर्ण रही सड़कों को कब तक पूर्ण करवाने का विभाग विचार रखता है ?

(3) वर्तमान में कौन-कौनसी सम्पर्क सड़कों हेतु मण्डी समिति द्वारा स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजे हैं ? पूर्ण विवरण मय गांव सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) पूर्व में कृषि उपज मण्डी द्वारा निर्मित बांसखों से भदेरी, कल्याणगंज-बस्सी से सांभरिया तक, बैनाडा से नायला रोड तक व बस्सी तूंगा रोड से रामपुरा तक नेशनल हाईवे से दूधली तक सड़क पूर्ण रूप से क्षत-विक्षत है, यदि हां, तो क्या सरकार इस वर्ष इन सड़कों के डामरीकरण का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में 1977 से अब तक बनाई गई सड़कों का विवरण परिशिष्ठ "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) अपूर्ण रही सड़कों को पूर्ण करवाने का प्रकरण मण्डी समिति (अनाज) जयपुर के विचाराधीन है।

(3) अभी तक मण्डी समिति (अनाज) जयपुर द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

(4) जी हां। बांसखो से भटेरी, बस्सी से सांभरिया, बैनाड़ा से नायला रोड, बस्सी–तूंगा रोड से रामपुरा तक की सड़कों को विशेष मरम्मत की आवश्यकता है। पेच रिपेयर का कार्य मार्च, 1994 तक कराने की सम्भावना है। नेशनल हाईवे से दूंधली सुजानपुरा सड़क को कुछ जगह पर पेच मरम्मत कार्य वर्ष 1994-95 में कराना सम्भव होगा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के बकाया भुगतान का प्रकरण

573. **श्री शिव किशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सितम्बर, 85 में प्रो. [डा.] सुधीर कुमार ने मणिपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर जाने के लिए राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय से त्याग पत्र दे दिया था और उस समय पी. एफ. ग्रेच्युटी आदि डा. सुधीर कुमार को दी जानी बकाया थी ? यदि हां, तो इसकी अलग-अलग राशि कितनी थी ?

(2) क्या डा. सुधीर कुमार की पी. एफ. और ग्रेच्युटी की राशि उनकी विभागीय जांच के फलस्वरूप रोकी गयी थी ? यदि हां, तो इस विभागीय जांच के परिणामस्वरूप अब इस राशि को चुकाये जाने से विश्वविद्यालय को क्या कोई कठिनाई है ?

(3) क्या पी.एफ. एवं ग्रेच्युटी की राशि डा. सुधीर कुमार को नहीं देने के फलस्वरूप सन् 1985 से आज तक जो आर्थिक हानि हो रही है और मानसिक वेदना हो रही है उसकी पूर्ति राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय किस तरह करेगा और यह भुगतान मय मूल राशि के विश्वविद्यालय कब तक चुका देगा और इस विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है ? उसके लिए क्या कार्यवाही विचाराधीन है।

उत्तर

(1) जी हां। उनकी ग्रेच्युटी एवं पी. एफ. राशि क्रमशः रुपये 13,300/- तथा रुपये 1,08,597.70 बकाया थी।

(2) जी हां। विभागीय जांच के फलस्वरूप डा. सुधीर कुमार की सहमति से राशि भविष्य निधि की रकम में से 18,406.62 रुपये रोक रखे हैं। डा. सुधीर कुमार को ग्रेच्युटी का पूर्ण भुगतान 28.2.94 को कर दिया गया है। विभागीय जांच के परिणाम स्वरूप श्री सुधीर कुमार द्वारा विश्वविद्यालय में जमा कराई जाने वाली राशि अभी तक जमा नहीं कराने के कारण उक्त राशि उनकी सहमति से रोकी गई है।

(कृषि राज्य मन्त्री)

(3) डा. सुधीर कुमार के विरूद्ध एक विभागीभ जांच उनके द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के फलस्वरूप लम्बित थी। जांच पूरी होने पर डा. सुधीर कुमार को उनकी भविष्य निधी में से राशि 18,406.62 उनको सहमति से रोकी हुई है। इस प्रकार डा. सुधीर कुमार को कोई आर्थिक हानि नहीं हुई है। चूंकि डा. सुधीर कुमार ने विश्व विद्यालय में जमा करवाई जाने वाली राशि अभी तक जमा नहीं कराई है। अत: विलम्ब के लिये डा. सुधीर कुमार ही जिम्मेदार है। इसके लिये ही डा. सुधीर कुमार को भविष्य निधि की राशि उनको सहमति से विश्वविद्यालय ने रोकी है।

निर्वाचन क्षेत्र बस्सी में ग्राम महुआ में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना

574 **श्री कन्हैयालाल मीणा [बस्सी] :** क्या विधी राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बस्सी निर्वाचन क्षेत्र के गांव महुआ में मुंसिफ कोर्ट के कार्यालय भवन एवं आवास निर्माण हेतु सरकार द्वारा स्वीकृतियां प्रदान की गयी हैं ? यदि हां, तो कब व कितनी राशि की ? स्वीकृति-पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मुंसिफ कोर्ट कार्यालय हेतु जिला प्रशासन दौसा द्वारा भूमि अवाप्त कर ली गयी है ? यदि हां, तो साइट प्लान एवं इन्डेक्स प्लान सहित लिये गये प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। बस्सी निर्वाचन क्षेत्र दौसा में नहीं आता है जबकि ग्राम महुवा जिला दौसा में आता है। राज्य सरकार द्वारा महुवा स्थित मुंसिफ न्यायालय के भवन निर्माण हेतु स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

(2) जी नहीं। मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट कार्यालय महुवा हेतु, जिला प्रशासन दौसा द्वारा भूमि अवाप्ति की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

निगम के कर्मचारियों के गबन/भ्रष्टाचार प्रकरण

575 **श्री महादेव सिंह (खण्डेला) :** क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम पिछले चार वर्षों से कितने कर्मचारियों एवं अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए ट्रेप किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पिछले चार वर्षों में निगम द्वारा संचालित बीयर बार आदि में चोरी अथवा गबन के कितने मामले सामने आये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ट्रेप किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या-क्या विभागीय कार्यवाही की गई ? विवरण मय पद नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) पिछले चार वर्षों में निगम द्वारा

(श्री महादेव सिंह)

कितने कर्मचारियों/अधिकारियों को बिना सूचना दिये अनुपस्थित रहने अथवा त्याग पत्र देने के बावजूद पुन: नियमित सेवा में लिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) निगम में कार्यरत किन–किन अधिकारियों के विरुद्ध कब–कब क्या–क्या शिकायतें प्राप्त हुई और विभाग ने क्या कार्यवाही की ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम में पिछले चार वर्षों में ट्रेप किये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची संलग्न है।
परिशिष्ट "अ"

(2) विवरण की सूची संलग्न है।
परिशिष्ट "ब"

(3) न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये जाने से विभागीय कार्यवाही नहीं की गई।

(4) ऐसा कोई मामला निगम के समक्ष नहीं आया।

(5) सूची संलग्न है। परिशिष्ट "स"
(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-20 देखें।)

पंचायतों द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत निर्मित सड़कें

576. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

चालू सत्र 1993–94 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पंचायतों में कितनी किलोमीटर सड़कें स्वीकृत की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

चालू सत्र 1993–94 में विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पंचायतों में 4801.52 किलो मीटर रोड स्वीकृत की गई।

जोधपुर जिले में विभिन्न योजनान्तर्गत कार्य

577. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विभाग द्वारा राज्य में कौन–कौन सी योजनाओं के माध्यम से कौन–कौन से कार्य कराये जा रहे हैं ?

(2) जोधपुर जिले में वर्तमान में कौन-कौन से कार्य चल रहे हैं ? पंचायत समिति-वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभाग द्वारा एनीकट एवं बाढ़ बचाव कार्य भी कराये जा रहे हैं ? यदि हां, तो जोधपुर जिले में कहां–कहां के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं एवं सरकार द्वारा उन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या जोधपुर जिले से अधूरे निर्माण कार्यों के अन्तर्गत आने वाले एनीकट एवं बाढ़ बचाव कार्यों के प्रस्ताव भी प्राप्त हुये है, यदि हां, तो कौन-कौन से ? सरकार इन कार्यों को कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों ?

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

(5) क्या जोधपुर में बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में रिया जसपाली में एनीकट निर्माण के अन्तर्गत कार्य (डी. डी. पी.) हुआ है ? यदि हां, तो आगे के निर्माण (अधूरे) की स्वीकृति कब तक जारी होगी ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा क्रियान्वित जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना जीवन धारा, इन्दिरा आवास, मरू विकास एवं सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, तीस जिले तीस काम, अपना गांव अपना काम, निर्बन्ध राशि योजना व सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं के माध्यम से भूमि विकास एवं आद्रता संरक्षण, जल संसाधन विकास, वनारोपण एवं चारागाह विकास पशु पेय–जल, फलोद्यान, मत्स्य पालन, शाला भवनों का निर्माण, आवास निर्माण पंचायत भवनों व उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण, सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण, सामाजिक वानिकी कार्य, ग्रेवल सड़कों का निर्माण, सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं के सृजन आदि कार्य कराये जा रहे हैं।

(2) जोधपुर जिले में वर्तमान में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत चल रहे कार्यों का पंचायत समितिवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 1 पर हैं।

(3) अभिकरण द्वारा एनीकट एवं बाढ़ बचाव कार्य वर्तमान में नहीं करवाया जा रहा है, किन्तु सिंचाई विभाग द्वारा 9 कार्य सुनिश्चित रोजगार योजना में करवाये जाने हेतु प्रस्तावित हैं। जो जिलास्तर पर विचाराधीन हैं। इन 9 कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

कार्य	पंचायत समिति
1. रतकूड़िया एनीकट	भोपालगढ
2, देवातडा एनीकट	,, ,,
3. जसवन्त सागर बांध [अपूर्ण कार्य]	बिलाड़ा
4. बोरून्दी नहर [अपूर्ण कार्य]	,, ,,
5. बेलवा एनीकट [अपूर्ण कार्य]	शेरगढ़
6. सुरपुरा फीडर	मण्डोर
7. धान्धरिया एनीकट	,, ,,
8. खाबड़ा खुर्द एनीकट	ओसियां.
9. गूजरों की ढाणी ,,	भोपालगढ

विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

(4) जोधपुर जिले में अधूरे निर्माण कार्यों के अन्तर्गत आने वाले एनीकट एवं बाढ़ बचाव के सिंचाई विभाग से 9 कार्यों के प्रस्ताव सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत करवाये जाने हेतु प्राप्त हुए है, जिनकी सूची मद संख्या 3 में प्रस्तुत है। अनेक प्रस्ताव जिला स्तर पर विचाराधीन है।

(5) हां। जोधपुर जिले के बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के रिया जसपाली एनीकट का कार्य वर्ष 1986–87 में अकाल राहत योजनान्तर्गत प्रारम्भ कराया गया था। आगे के निर्माण कार्य हेतु सिंचाई विभाग ने वर्ष 1990–91 में 33.00 लाख लागत आंकी थी, परन्तु यह कार्य लागत लाभ अनुपात की दृष्टि से निर्धारित नार्मस के

(विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री)

अनुसार नहीं है। इसके अतिरिक्त इस स्थान पर पानी रुकने से इसके नीचे बने हुए स्लिपर बीसलपुर बांध पर पानी की आवक पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है, क्योंकि सिलपुर बांध इसी नदी पर बना हुआ है, इसलिये इसको पूर्ण करवाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

ग्राम पंचायत तलवाड़ा (गंगापुर सिटी) के विकास कार्य

578. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत तलवाड़ा, तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1980 से दिसम्बर, 1993 तक विभिन्न विकास कार्य करवाये गये ? यदि हां, तो ग्राम पचायत में किस–किस विभाग द्वारा कौन-कौन से विकास कार्य कितनी–कितनी राशि से कब–कब करवाये गये ? वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विकास कार्य सरकारी एजेन्सियों द्वारा सम्पन्न करवाये गये ? यदि हां तो किस–किस एजेन्सी/व्यक्ति/जनप्रतिनिधि द्वारा तथा किस-किस को कितनी राशि दी गई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त निर्माण कार्यों का जायजा लेकर ही राशि का भुगतान किया गया है ? यदि हां तो मौके पर कार्य का जायजा किस–किस अधिकारी द्वारा कब–कब लिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम पंचायत तलावड़ा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1980 से दिसम्बर, 1993 तक वर्षवार विभिन्न विभागों द्वारा कराये गये विकास कार्यों का वर्षवार ब्यौरा संलग्न परिशिष्ट–1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां, विकास कार्य सरकारी एजेन्सियों/पंचायतों द्वारा सम्पन्न कराये गये। कार्य कराने वाली एजेन्सियों/व्यक्तियों/जनप्रतिनिधियों को कार्यवार दी गयी राशि का वर्षवार विवरण संलग्न परिशिष्ट–1 के कॉलम संख्या 6,7,8 में दर्शाया गया है।

(3) जी हां, निर्माण कार्यों का जायजा लेकर ही भुगतान किया गया है। मौके पर जायजा लेने वाले अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किए गये निरीक्षण का विवरण परिशिष्ट–1 के कॉलम संख्या 10,11 में दर्शाया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

उदयपुर जिले के छात्रावासों की व्यवस्था

579. **श्री रघुवीर सिंह** (सराड़ा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) उदयपुर जिले में कितने राजकीय छात्रावास कहां–कहां, कब–कब से संचालित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त छात्रावासों में विभाग द्वारा पर्याप्त पलंग, बिस्तर व अन्य सामान

(68)

(श्री रघुवीर सिंह)

दिये हुये हैं ? यदि हां, तो प्रति छात्र कितने-कितने ? सूची सदन की मेज रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में 46 राजकीय छात्रावास संचालित है। संचालित छात्रावासों की सूची मय उनके खोलने का वर्ष परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) छात्रावास संचालन नियम, 1982 के अनुसार राजकीय छात्रावास में रहने वाले छात्र/छात्राओं को नियमानुसार सामान दिया जाता है:-

(1) दरी (2) दो कम्बल (3) एक तकिया मय दो गिलाफ (4) दो चादरे (5) एक गद्दा (6) एक थाली (7) एक प्लास्टिक मग बड़ा (8) दो कटोरी (9) चारपाई या तख्ता (10) आलमारी या लोहे का बक्सा।

जिन छात्रावासों को खोले हुए काफी समय हो गया है और पूर्व में उपलब्ध कराया गया सामान खराब हो चुका है उनमें वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार नये सामान क्रय किये जाने की कार्यवाही की जाती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें।)

विकलांग कर्मचारियों को वाहन भत्ता

580. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के विकलांग कर्मचारियों को उनके वेतन के साथ वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है ? यदि हां, तो कब से व किस दर से ?

(2) क्या सरकार बढ़ी हुई मंहगाई तथा पैट्रोल व रेल व बस किराये की कई बार हुई बढ़ोत्तरी को देखते हुये विकलांग कर्मचारियों को मिलने वाले वाहन भत्ते में बढ़ोत्तरी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व किस दर से ?

उत्तर

(1) जी, हां। विकलांग कर्मचारियों को वाहन भत्ता दिनांक 4.11.1978 से स्वीकृत किया गया है। वाहन भत्ते की दर वेतन का 10 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 50/- रुपये प्रति माह की, जो समय-समय पर संशोधित की गई जिसकी वर्तमान में दर 18-8-1989 से वेतन का 5 प्रतिशत एवं अधिकतम 100/- रुपये प्रति माह है।

(2) जी नहीं। विकलांग कर्मचारियों के वाहन भत्ते की दर वर्तमान में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय वाहन भत्ते की दर के अनुरूप है। वर्तमान में राज्य सरकार के पास इस भत्ते के संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जयपुर जिले के छात्रावास

581. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि छात्रावासों में छात्रों को दिए जाने वाला भोजन आदि काफी निम्न स्तर का होता है ? यदि हां, तो विभाग इसके लिए क्या कार्यवाही का विचार रखता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा समय-समय पर जयपुर जिले के छात्रावासों का निरीक्षण सन् 1993-94 में किया गया था ? यदि हां, तो किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपीराम जाट)

(3) इन निरीक्षण रिपोर्ट्स पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। छात्रावास में उत्तम भोजन सामग्री छात्रावास की मेस कमेटी द्वारा क्रय की जाती हैं।

(2) जी हां। निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियां संलग्न हैं।

(3) निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रति सीधे ही सम्बधित जिला अधिकारी एवं सहायक छात्रावास अधीक्षक को भिजवा दी जाती है जो अपने स्तर से निरीक्षण प्रतिवेदनों में अंकित कमियों पर निदानात्मक कार्यवाही करते है। गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव विभाग को भिजवाये जाते हैं जिनमें दोषी कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है फिर भी विभाग द्वारा सम्बन्धित संयुक्त निदेशक एवं सहायक निदेशक को निर्देशित किया जा चुका हैं कि अंकित कमियों पर एक माह में कार्यवाही करें। तथा गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरणों में अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित करे। वर्तमान में अनुदानित छात्रावास शाहपुरा के निरीक्षण के दौरान पायी गयी भवन की जीर्णशीर्ण अवस्था के आधार पर छात्रावास बन्द कर दिया गया है तथा छात्रों को राजकीय छात्रावास शाहपुरा में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं। दूदू के राजकीय छात्रावास के सहायक छात्रावास अधीक्षक को निरीक्षण के दौरान पायी गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के कारण निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में दाखिल करा दी गयी है। दो और छात्रावास अधीक्षकों को निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं के कारण आरोप पत्र दिये जा चुके हैं।

(प्रतिवेदन विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

महिला सदन, जयपुर की आवासनियों के विवाह प्रकरण

582. **श्री बाबूलाल (दूदू)** : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या महिला सदन जयपुर में निवास कर रही आवासनियों से शादी हेतु विवाह प्रस्ताव लिये जाते हैं ? वर्ष 1986 से अब तक प्राप्त विवाह प्रस्तावों की सूची निम्न तालिका में सदन की मेज पर रखें:–
क्र.सं., नाम आवेदक, गांव का नाम, आवेदन-पत्र प्राप्ति दिनांक निर्णय।

(2) श्री धर्मराज शर्मा निवासी दौसा का विवाह प्रस्ताव कब से विभाग के पास विचाराधीन है ? उक्त आवेदन–पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि श्री भगवान सहाय निवासी दौसा का विवाह पूर्व में सदन की आवासनी जो कि गूंगी थी के साथ हुआ था, जो सपरिवार खुश है ?

(4) क्या यह भी सही है कि श्री धर्मराज व श्री भगवान सहाय दोनों सगे भाई हैं फिर भी विभाग द्वारा श्री धर्मराज के विवाह प्रस्ताव को पिछले 11 वर्ष से टालता चला आ रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री बाबूलाल)

(5) क्या विभाग अब इस पर शीघ्र ही कार्यवाही करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। शादी हेतु विवाह प्रस्ताव की वर्ष 1986 से अब तक की सूची निर्धारित तालिका में संलग्न है।

(2) श्री धर्मराज शर्मा, निवासी दौसा का विवाह फार्म विभाग के पास दिनांक 25.3.87 से विचाराधीन है। दिनांक 25.3.87 को दर्शाए गये तथ्यों की जांच हेतु सहायक निदेशक, स.क.वि. को भेजा जो दिनांक 30.4.90 को निरीक्षण मय रिपोर्ट सहित प्राप्त हुआ लेकिन कमजोर आर्थिक स्थिति सम्बन्धी रिपोर्ट होने की वजह से दिनांक 15.7.92 को हुई शादियों में कोई भी आवासनी विवाह हेतु तैयार नहीं हुई। उसके बाद अभी तक विवाह सम्बन्धी कार्यवाही नहीं हुई है। जब भी विवाह कार्यवाही होगी। इस पर पुन: विचार जायेगा।

(3) श्री धर्मराज शर्मा की दिनांक 30.4.90 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार श्री भगवान सहाय निवासी दौसा के एक बच्ची है, वे खुश रहते हैं।

(4) जी हां। सगे भाई है, विभाग को श्री धर्मराज का विवाह फार्म 1987 में प्राप्त हुआ है जिसको करीब 7 वर्ष हुए हैं। बिन्दु संख्या 2 की वजह से ही अब तक विलम्ब हुआ है।

(5) विवाह सम्बन्धी कार्यवाही जारी है। इस फार्म पर भी कार्यवाही करने का विचार किया जा सकता है। इसी वर्ष में।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:–

(2) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगर पालिका नैनवां में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों को नियमित वेतन शृंखला नहीं दिये जाने से उनमें व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

(2) श्री किशन मोटवानी, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर शहर में मिट्टी के तेल का कृत्रिम अभाव पैदा कर कालाबाजारी को बढ़ावा देने से उपभोक्ताओं में व्याप्त भयंकर असंतोष के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले की नैनवां तहसील में भूमिगत जल के स्तर में निरन्तर गिरावट होने तथा सरकारी कुओं के सूखने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कंवर सैन लिफ्ट नहर की आर.डी. 110 (एल) से निकलने वाले खाले का विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में ।

(3) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर स्थित मानसरोवर कालोनी में अस्पताल स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में ।

(4) श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले की लाडपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति द्वारा प्रदाय दुग्ध का भुगतान करवाये जाने के सम्बन्ध में ।

(5) श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले की तहसील लाडनूं में ए.सी.एम. कोर्ट खुलवाने के सम्बन्ध में ।

(6) श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन में अधिकारियों द्वारा की जा रही कथित मनमानी से पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में ।

(7) श्री रघुवीर सिंह मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के काश्तकारों की भूमि को अमीनों द्वारा सिवाय चक घोषित करने के सम्बन्ध में ।

(8) श्री भीखा भाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सागवाड़ा में महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में ।

(9) श्री फूलचन्द मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर स्थित अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत खण्ड मुख्यालय को सलूम्बर में स्थापित करने के सम्बन्ध में ।

(10) श्री रामचन्द्र रावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र की कतिपय लाइम स्टोन खानों में अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(11) श्री उदयलाल आंजना, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा और छोटी सादड़ी को नान डार्क जोन घोषित करने के सम्बन्ध में ।

(12) श्री मोहनलाल बारूपाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र जायल के ग्राम गोठ मांगलोद से रोल तक की ग्रेवल रोड का डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में ।

(13) श्री बाबू लाल बछेर, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र दूदू के किसानों की सिंचाई समस्या के सम्बन्ध में ।

(14) श्री हरिसिंह कुम्हेर, सदस्य, विधान सभा की ओर से शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षण ग्रेड-II के आरक्षित पदों पर नियुक्ति नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(15) श्री हीरालाल इन्दौरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से केसरीसिंहपुर मण्डी को उप तहसील का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में ।

(16) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर की

(श्री अध्यक्ष)

मसूरियां पहाड़ी पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा लगवाये जाने के सम्बन्ध में।

(17) श्री जितेन्द्र नितामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील घाटोल में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन रोड पाडला से गाज में विभागीय ओवरसियर लगाये जाने के सम्बन्ध में।

(18) श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र फागी के कतिपय गांवों को विद्युतीकृत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(19) श्री कन्हैयालाल पाटीदार, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के पेयजल समस्या से ग्रस्त गांवों को शीघ्र पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(20) श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगापुर सिटी में दिन प्रतिदिन बढ़ते अतिक्रमणों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(21) श्री राजेन्द्र गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर शहर में पुलिस की कथित अराजकता एवं बढ़ती चोरियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

मेरे पास 'दस–ग्यारह' माननीय सदस्यों के शून्यकाल में बोलने के लिए आये हुये हैं लिखित में। मैं चाहता हूं कि आप दो–दो मिनट में अपनी बात कह दें ताकि सबको बोलने का मौका मिल जाए। तो आप एक साथ खड़े न हों। मैं नाम बोलता जाऊंगा उस हिसाब से बोलते जाइये।

श्री चुन्नीलाल गरासिया।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जनजाति क्षेत्र के डिप्लोमा प्राप्त आदिवासी युवक लगभग 15 दिन से अपनी मांगों के लिये अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने अपना ज्ञापन भी सरकार को दिया है। एक युवक जो अनशन पर बैठा है उसकी हालत नाजुक है। लगभग 8–10 साल से ये बेरोजगार युवक अपनी नौकरी के लिये व्यक्तिश: सम्पर्क करते रहे। अन्त में निराश होकर विधान सभा के सामने धरना लगाकर बैठे हैं। पूर्व की सरकारों ने भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया।

मेरा आग्रह है सरकार से कि हम इनको निश्चित टाइम-बाउण्ड प्रोग्राम दें। हमारे सिंचाई मंत्री, सार्वजनिक मंत्री एवं पेयजल मंत्री, ये तीनों ऐसे वरिष्ठ मंत्री हैं जिनके विभाग में पद खाली हैं।

श्री अध्यक्ष : सार्वजनिक मंत्री कौन हैं ?

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी, सार्वजनिक निर्माण मंत्री। माननीय मंत्री जी समझ गये थे कि मेरे बारे में ही सम्बोधन है। तो मैं कहना चाहूंगा कि वे अपने विभाग में जो खाली पद हैं उनका अविलम्ब विज्ञापन निकलवाएं। ये आशार्थी अपने जीवन में लम्बा संघर्ष कर रहे हैं, माता–पिताओं के

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

जेवर गिरवी रखकर पढ़े है, अपनी जमीन गिरवी रखकर पढ़े हैं। वास्तव में आज अगर उनकी हालत देखें तो मैं समझता हूं अपनें सबके मन में एक भावना पैदा होगी कि ये किस तरह से अध्ययन करके यहां पहुंचे हैं। अपनी सबकी सहानुभूति उनके साथ जोड़कर के सरकार एक निश्चित प्रोग्राम में इनको रोजगार दे, यह निवेदन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर भगोरा।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 162 डिप्लोमा होल्डर अनुसूचित जनजाति के इन्जीनियर हैं और पिछले दस-बारह वर्षों से बेरोजगार घूम रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया एक विभाग का मैं उदाहरण देना चाहता हूं, सिंचाई विभाग जिसमें 3500 कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद स्वीकृत हैं पर जनजाति के मात्र तीस अभियन्ता ही नियुक्त किये गये हैं। एक तरफ तो सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को नियुक्ति देने के के लिये आरक्षण की बात करती है और दूसरी तरफ हमारे यहां बेरोजगार इन्जीनियर 25 तारीख से बाहर धरने पर बैठे हुए हैं उनकी बात को ध्यान से सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने निरन्तर सदन का और प्रशासनिक अधिकारियों और मन्त्रियों का ध्यान आकर्षित किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि विशेष भर्तियां करके उन्हें सेवा में लिया जाए। जब तक खाना पूर्ति जो करनी है, नहीं हो जाती तब तब अकाल के काम जो अभी चल रहे हैं उन्हें टेम्परेरी बेसिस पर उनमें लगाया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री रमा कान्त जी।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, शिवा हाऊसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी के इन्जीनियर्स कालोनी के करीब 250 सदस्य बाहर बैठे हैं धरने पर। बारह वर्ष पहले इनको पट्टे दिये गये थे इस सोसाइटी के द्वारा परन्तु आज तक इनको जो जमीन है उसका कब्जा नहीं दिया गया है। ये करीब-करीब सारे जितने भी अधिकारी हो सकते हैं या जितनी भी दीवारें हो सकती हैं उनसे सिर टकरा चुके हैं।

पिछली बार राजस्थान सरकार ने एक शिविर लगवाया था और उस शिविर में इस प्रकार की समस्याओं के समाधान की बात कही थी। वह शिविर 18.5.90 को लगा था। उस शिविर के अन्दर वादा किया गया था कि 5.6.90 को इनको कब्जा दे दिया जाएगा परन्तु अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है। इन्होंने कृषि रूपान्तरण शुल्क भी जमा करवा दिया है परन्तु इस समिति के जो अध्यक्ष और मन्त्री हैं उनके मन में बहुत ज्यादा पाप है, घोटाला करना चाहते हैं वे उस जमीन का। जमीन को 700-800 रुपये के अन्दर दूसरों को बेचना चाहते हैं, पहले से जिनको पट्टे दिये हैं उनको देना नहीं चाहते। इस बारे में मैं आपके माध्यम से सहकारिता मन्त्री से कहूंगा कि वे अवश्य बाहर जाकर के तत्काल उनकी समस्या को सुनें और समस्या का समाधान कराएं, + + + नहीं बैठे रहें।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(७४)

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरसिंह चौधरी।

श्री भंवरसिंह चौधरी (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, समय आपने दो मिनट का दिया। मैं माफी चाहता हूं, बजट भाषण पर बोलना चाह रहा था, प्रकाण्ड वक्ता मेरे पक्ष के, हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। कोशिश करूंगा मैं समय में बोलूं।

नागौर जिला वीर अमरसिंह, वीर तेजा व कई धरती के लालों की जमीन है। इस जिले में कई वर्षों से कांग्रेस का साया रहा यहां के नेता जिले के नेता न होकर राष्ट्र व देश के नेता बने और....

राजस्थान सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ा। जो नेता सक्रिय रहे, जो अपने चुनाव क्षेत्र के प्रति वफादार रहे, वे ही प्रगति करते रहे। उदाहरण के लिये उदयपुर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, इत्यादि। नागौर जिले में न तो पानी पीने को है, न सड़कें है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य की सेवाएं पर्याप्त हैं। मेड़ता विधान सभा क्षेत्र का हाल तो पूरे जिले में खराब है। सड़कें अपर्याप्त हैं और जो हैं भी वे सारी सिंगल हैं और जीर्णशीर्ण अवस्था में है। उनके दोनों ओर 2-2, 3-3 फीट के खड्डे पड़े हैं।

निवेदन है कि इस क्षेत्र के लिये व परबतसर क्षेत्र के लिये एक खण्ड का निर्माण कराया जाए। कोई भी आबादी चाहे शहर हो या गांव की उसके लिये पर्याप्त पेयजल नहीं है। यहां तक कि मेड़ता में तो फ्लोराइड युक्त पानी दिया जा रहा है जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। बीमारियां ऐसी उत्पन्न होती है जिसका कोई इलाज नहीं हैं। यद्यपि जन स्वास्थ्य मंत्री महोदय कोशिश कर रहे हैं लेकिन धन के अभाव के कारण वे शीघ्र नहीं कर पा रहे हैं। इसे शीघ्र कराने की कृपा कराएं।

शिक्षा के सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं प्राथमिक विद्यालयों को खोलने का प्रावधान जो बजट में रखा है, शिक्षा मन्त्री जी को मैं बधाई देता हूं, मैं उनका आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष : आपके यहां स्कूल खुलें तब आभारी होना।

श्री भंवरसिंह चौधरी : नहीं, मैं तो इसको मानता हूं कि खुलेंगे। यह कांग्रेस का राज नहीं है, यह बी.जे.पी का राज है। इसमें बाकायदा नियमन किया गया है कि ढाई सौ की आबादी होगी, डेढ़ सौ की आबादी होगी, स्कूलें खुलेंगी, चाहे जिसका क्षेत्र हो। परन्तु सिर्फ 90 स्कूलों को मिडिल स्कूलों में क्रमोन्नत करने का प्रावधान रखा है वह बहुत कम है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। मेड़ता का दुर्भाग्य बता दूं, मेड़ता खास में हायर सैकेण्डरी स्कूल में ए से जे तक सैक्शन हैं और उनमें 70–70, 80–80 छात्र हैं। अगर एक विषय का होमवर्क दे तो अध्यापक तीन दिन तक नहीं जांच सकता। इसलिये उसके पड़ौस में डांगावास में हायर सैकण्डरी स्कूल की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त दुर्भाग्य रहा कि हमारे मेड़ता से चारों दिशाओं में 80–82; 110–160 कि. मी. पर महाविद्यालय हैं। मेड़ता में एक महाविद्यालय होना बहुत आवश्यक है। मैं महाविद्यालय की मांग करता हूं। इसी बजट में मेड़ता के लिये महाविद्यालय का प्रावधान रखा जाना आवश्यक है।... (व्यवधान) मैं और निवेदन कर दूं। नागौर जिला इतना बड़ा है, 1952 से लेकर आज तक आबादी ढाई गुना हो

(श्री भंवरसिंह चौधरी)

गई है फिर भी,एक ही जिला बना रखा है। सन् 1949 में मेड़ता को जिला बनाने के स्तर से बाड़मेर, पाली और मेड़ता में एक से भवन निर्माण हुए, जिला कलक्ट्री के लिये हुए। वह भवन आज भी मौजूद है, पर मेड़ता जिला नहीं बनाया गया राजनैतिक कारणों के कारण।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री भंवरसिंह चौधरी : दो मिनट बोलूंगा। पहली दफा मौका मिला है बोलने का।

मेरा आग्रह है कि मेड़ता को जिला बनाया जाए और नागौर जिले को व्यवस्थित बनाने के लिये दो जिलों में विभाजित किया जाए। अन्त में आपने कहावत सुनी होगी। दोहा है :

उनाले खाटू भली, सियाले अजमेर।
नागानो नितरो भलो, सावरण बीकानेर।

वह "नितरो भलो" नागानो खोटो हो गयो। यह तो प्रार्थना है कि नागौर को नितरा भला बना कर दें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री किशन मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अजमेर में इस समय ऐतिहासिक घटना क्रम चल रहा है उसकी ओर आकर्षिक करता हूं और इसका विशेष उल्लेख कर रहा हूं। अजमेर में आजादी से पूर्व ऐसे घटनाक्रम हुए थे, संघर्ष हुए थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में राजस्थान को लीड किया था और उसके बाद एक शून्य की स्थिति आ गयी थी। आज पुन: वह स्थिति विद्यमान हो रही है। लगता है कि अजमेर पूरे राजस्थान को लीड करेगा और जो त्रुटिपूर्ण राज्य चल रहा है उसको बदलने में वह अग्रणी कदम उठाएंगा। हर रोज अजमेर में धरने हो रहे हैं, मटके फूट रहे हैं, नगर परिषद के खिलाफ मुजाहिरे हो रहे हैं। यह इस बात का द्योतक है कि वहां पर अब रिएक्शन शुरू है। पूर्व में रिएक्शन की परिस्थितियां शून्य थीं, अब रिएक्शन हो रहा है।

मैं आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से, मेरे मित्र जो सत्ता में बैठे हैं कि उनको, कि ऐसी कष्टदायक चीज आप उत्पन्न न करें। अजमेर में आपकी नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा है; कचरे का ढेर है। पानी के सम्बन्ध में, आप, भंवरलालजी स्वयं जानते हैं कि 5-5 दिन में आप पानी दिला रहे हैं। किन्तु मैं बधाई देना देना चाहता हूं अजमेर की जनता को कि वह आज जागृत हुई है। उस जागृति का फल उसको मिलेगा।

आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं। आपकी आज्ञा से मैंने आज स्थगन प्रस्ताव दिया है। 10 लीटर घासलेट मिल रहा था उसको 5 लीटर कर दिया। कृत्रिम अभाव पैदा कर दिया; कालाबाजारी वहां शुरू हो गयी। अजमेर के लोगों को लेना तो है, अब आएंगा कहां से ? कालाबाजारी का बढ़ावा हो रहा है। शिक्षा विभाग में, आज हमारे यहां आर्य समाज सबसे उत्तम संस्था है जो शिक्षण संस्थाएं चल रही है। आने वाले जून में, उन्होंने नोटिस दे दिया है कि पांच शिक्षण संस्थाएं बन्द करने जा रहे हैं और शिक्षकों को उन्होंने नोटिस दे दिया है कि जून में

(श्री किशन मोटवानी)

आपकी सेवाएं समाप्त हैं। कारण राज्य सरकार की ओर से उनकी ओर ध्यान नहीं देने का ही है कि राज्य सरकार उनको कोई पर्याप्त....(व्यवधान) आप कुछ बोलना चाहते हैं इस सन्दर्भ में ? Do you want to support me ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपके आने के बाद यह सारा घटनाक्रम क्यों हो रहा है ? मटके फूट रहे हैं, आपके आने के बाद स्कूल बन्द हो रहे हैं, क्या चक्कर है ?

श्री किशन मोटवानी : मेरे आने के बाद आपको पता है, यह बीसलपुर की परियोजना है। मैं इसका श्रेय पूरा नहीं लेना चाहता किन्तु है मेरे कारण और जुलाई में भी अगर सम्पन्न होगी तो मेरे कारण। मैंने आपको चेताया है। भंवरलालजी को पता है कि मैं ही उनको ले गया बीसलपुर में। वहां चले। किस तरह मैंने एक–एक आइटमवाइज उनसे टाइमबद्ध प्रोग्राम वहां तय कराया। इसलिये आप मेरे को यह उलाहना न दें कि मेरे कारण। अब आप अपने कारण समाप्त करें। मेरा आपसे यही कहना है कि नगरपरिषद की व्यवस्था को ठीक करें। पेयजल की समस्या का समाधान तुरन्त करें और यह जो घासलेट की बात मैंने कही है इसको तुरन्त 10 लीटर वापस कराएं ताकि कालाबाजारी बन्द हो और शिक्षण संस्थाएं जो बन्द होने जा रही हैं, मंत्री महोदय, आप उसकी ओर ध्यान दें।

रसद मंत्री जी से कह चुका हूं, वे तो सुन कर भी कान में तेल डाले हुए हैं। घासलेट का तेल मत डाल लेना कान में। रसद मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। माननीय डाक्टर साहिब, मैंने कल भी आपसे जिक्र किया, पुनः इस प्रांगण में निवेदन कर रहा हूं कि 5 लीटर की बजाय 10 लीटर पुनः घासलेट अजमेर की जनता को दिलवाएं। ऐसी घोषणा कीजिये।

शिक्षा मंत्रीजी, ये जो शिक्षण संस्थान बन्द होने जा रही हैं उनको बन्द होने से रोकिये, व्यवस्था कीजिये। माननीय भंवरलालजी, अजमेर की नगर परिषद को सुधारिये, पार्षदों में आचरण पैदा कीजिये। यह आपको पता है कि किस तरह करप्शन के चार्जेज में आपका वाइस चेयरमैन वहां से हटा है अविश्वास के माध्यम से। इस तरह की परिस्थितियां अभी भी हैं, इसलिये आप कृपापूर्वक चेतें और कार्यवाही करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री टीकमचन्द कान्त।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, दूरदर्शन के लिये एक धारावाहिक बन रहा है "अकबर दी ग्रेट" जिसका फिल्मांकन जयगढ़ के किले के अन्दर हो रहा है। जयगढ़ का किला सुरक्षित किला है। अध्यक्ष महोदय, अब लोग उसके लिये धरने पर इसलिये बैठ रहे हैं कि इतिहास को विकृत किया जा रहा है, कुछ ऐतिहासिक धरोहरों को खण्डित किया जा रहा है, किस प्रकार से महाराणा प्रताप जो इस देश के और इस प्रदेश के महान सपूत हैं, उनका कद इस धारावाहिक के अन्दर अकबर का कद बढ़ाने के लिये छोटा किया जा रहा है। इस बात का आक्रोश जनता में भी है और इस महानगर के कार्यकर्ता के आज इस मामले में धरने पर भी बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, सिटी पैलेस जयपुर के म्यूजियम के जो निर्देशक हैं, इजेन्द्र सहाय,

(श्री टीकमचन्द कान्त)

वे उसके अन्दर साथ दे रहे हैं। अकबर खान जो कि इसके निर्देशक हैं, उन्होंने एक पत्र के सम्पादक को महाराणा प्रताप के विषय में यह कहा है, उनकी तुलना निकृष्ट पशु से की है। अध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार के सहायक उसके अन्दर हैं और महाराणा प्रताप की अकबर के साथ जैसी तुलना की जा रही है, और निकृष्ट पशु उनको कहा जा रहा है, वह धारावाहिक कैसा बनेगा ? हमारी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में, हमारे आदर्श के रूप में जो महाराणा प्रताप हैं वह अगर इससे विकृत होता है तो यह राजस्थान के लिये ही नहीं बल्कि देश के लिये भी बड़े शर्म की बात है। मुझे यह जरूर कहा जा रहा है कि यह निर्णय केन्द्र सरकार का है, राजस्थान की सरकार इसके अन्दर क्या करे। लेकिन राजस्थान की भूमि पर बनाया जा रहा है यह धारावाहिक, राजस्थान को भी यह पूछना चाहिए कि किस–किस प्रकार की घटनाओं का इसके अन्दर फिल्मांकन हो रहा है। यह कृपया देखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जयगढ़ के किले के अन्दर चार सौ-पांच सौ लोगों की भीड़ को हम पुरातत्व की घटना में दिखाना चाहेंगे तो उसमें भी सैट्स वगैरह के माध्यम से कुछ किया जा रहा होगा। क्या मतलब ? यह विभाग भी उनको देख रहा है कि ठीक हालत में हैं कि नहीं हैं। जहां तक ज्ञात हुआ है, महाराणा प्रताप के उस स्वतंत्रता संग्राम को इस धारावाहिक के अन्दर क्षेत्रीय राजनीति के रूप में दर्शाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसका विरोध है। उन मानवीय मूल्यों को जो महाराणा प्रताप की वीरता के थे और उन घटनाओं को भी नहीं बताया जा रहा है। 1508 के अन्दर अजमेर के सूबेदार अबुर्रहीम की जो बंदी बेगमों को महाराणा प्रताप ने छुड़वाया था या छोड़ा था, ससम्मान छोड़ा था, वह भी इसके अन्दर फिल्माया नहीं जाएगा। अध्यक्ष महोदय, महाराणा प्रताप का घोड़ा "चेतक" मानसिंह के हाथी पर चढ़ गया था और मानसिंह को दया कर के महाराणा प्रताप ने छोड़ा था, शायद वह दृश्य भी इसके अन्दर फिल्माया नहीं जाएगा। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संस्कृति के आधारभूत मंत्र "वसुधैव कुटुम्बकम्" में इसके बारे में अकबर खान की....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : किस के हाथी पर घोड़ा चढ़ गया था ?

श्री टीकमचन्द कान्त : हाथी पर कहा था, मानसिंहजी के हाथी पर जो अकबर के सेनापति थे, श्रीमान।

श्री अध्यक्ष : आप बोल रहे हैं, इतिहास बिना पढ़े ही बोल रहे हैं। मानसिंह का हाथी नहीं था। ... (व्यवधान)....

श्री टीकमचन्द कान्त : हल्दी घाटी के युद्ध में। आप मुझे युद्ध का पूछ रहे हैं ? मुझे ध्यान नहीं क्या कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपने जो कहा है मानसिंह के हाथी पर महाराणा प्रताप का घोड़ा चढ़ गया, यह गलत है। यह सही नहीं है इतिहास में। ....(व्यवधान)....

श्री टीकमचन्द कान्त : जो मांगें उठी हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, बस।

श्री अध्यक्ष : हो गया बस आपका, हो गया।

(78)

श्री टीकमचन्द कान्त : शहजादा सलीम की बात....

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बहुत महत्व–पूर्ण मामला है, मैं बोलना चाहूंगा एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, माननीय टीकम चन्दजी कान्त ने जो मामला उठाया है वह राजस्थान में समाचार पत्रों में लगातार छप रहा है। यह एक प्रकार का न तो साम्प्रदायिक मामला है लेकिन राजस्थान की धरती पर कोई इस बात से मना नहीं कर सकता कि महाराणा प्रताप हमारे राष्ट्रीय हीरो थे और वे स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे। सारा सदन इस बात से सहमत है। अकबर की अपनी विशेषताएं थीं, उन विशेषताओं को हम मानते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन जिस प्रकार का यह धारावाहिक बन रहा है इस धारावाहिक से राजस्थान का ही नहीं सारे देश का साम्प्रदायिक सामंजस्य बिगड़ जाएगा। इसमें महाराणा प्रताप को ट्रेटर कहा गया है, अकबर को ग्रेट मान कर महाराणा प्रताप को ट्रेटर के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। आज अगर महाराष्ट्र में इस प्रकार कोई शिवाजी को ट्रेटर कहता तो सारे महाराष्ट्र में आग लग जाती। इस बात से कोई मना नहीं कर सकता कि महाराणा प्रताप और शिवाजी, गुरू गोविन्द सिंह, ये सब हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन से जुड़े हुए लोग थे। राजस्थान की धरती पर महाराणा प्रताप को ग्रेट नहीं कह कर ट्रेटर कहना और अकबर को ग्रेट कहना, इन दो महापुरुषों की तुलना में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि Maharana Pratap was great, great and the great, इसको कोई नहीं रोक सकता। महाराणा प्रताप आज भी हमारे लिये ग्रेट हैं। इस प्रकार जो यह धारावाहिक चल रहा है राजस्थान की धरती पर, राजस्थान सरकार को चाहिये कि इसका नोट ले, इसकी तारीख को देखें और राजस्थान में इस....

श्री विष्णु मोदी : आपकी सरकार ने ही जयगढ़ में मंजूरी दी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं। राजस्थान सर–कार को चाहिये कि जयगढ़ में दी गयी मंजूरी और राजस्थान में इस प्रकार की दी गयी मंजूरी को तुरन्त रद्द करे। (व्यवधान) इस प्रकार का जो अब तक फिल्मांकन हुआ है उस फिल्मांकन को देखा जाए, उसको जब्त किया जाए और राजस्थान सरकार इस पर कार्यवाही करे।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं दूसरी बात और निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान की पाठ्य पुस्तकों में जिस प्रकार से महाराणा प्रताप महान का चैप्टर रहा है चैप्टर वापस पुनःस्थापित किया जाए। जो लोग यह तुलना कर रहे हैं, मैं अकबर की और महाराणा प्रताप की तुलना नहीं कर रहा हूं, आज का परिप्रेक्ष्य और उस समय का परिप्रेक्ष्य अलग था। जिस परिप्रेक्ष्य में महाराणा प्रताप लड़े थे वह स्वाधीनता की लड़ाई थी और आज का परिप्रेक्ष्य हम देखते हैं तो अकबर की उदारता एक अलग अपना सब्जेक्ट रखती है लेकिन मैं चाहता हूं कि राजस्थान में इस प्रकार का सब्जेक्ट नहीं बने। इसलिये इस प्रकार की जो कार्यवाही

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हो रही है उस पर प्रतिबन्ध निश्चित रूप से लगाया जाना चाहिए, यह मेरी मांग है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। (व्यवधान)

श्री खेतसिह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल सही है कि महाराणा प्रताप एक महान नेता थे और महान राष्ट्रीय नेता....(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : नेता मत बोलो।

श्री अध्यक्ष : आज की भाषा बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नेता तो थे ही। (व्यवधान)

श्री खेतसिह राठौड़ : और क्या तो देवता थे ? (व्यवधान) क्या कहूं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आप विराजिये। अब आप क्यों चर्चा कर रहे हैं ? हां, खेतसिहजी, बोलिये आप।

श्री खेतसिह राठौड़ : महाराणा प्रताप को मैंने नेता कहा, वे देवता नहीं थे। रामदेवजी तो देवता थे, बापूजी को भी देवता मानते हैं लेकिन महाराणा प्रताप को देवता का रूप नहीं दिया है वे एक राष्ट्रीय महान नेता थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री खेतसिह राठौड़ : उनके बारे में अगर यहां कोई फिल्म बन रही है, मुझे तो यह मालूम नहीं है क्योंकि मैं तो 70 से ऊपर की उम्र का हूं और मैंने 30 साल से फिल्म देखी नहीं है। मुझे मालूम नहीं है कि कौन एक्टर हैं, कौन एक्ट्रेस हैं और कैसी फिल्म है लेकिन अगर उसको फिल्माया जा रहा है और वह भी जयपुर में फिल्माया जा रहा है तो यह भी बहुत गड़बड़ है। क्योंकि महाराणा प्रताप और जयपुर वालों के तो कभी कोई ताल्लुक अच्छे रहे ही नहीं और फिर जयपुर में यह फिल्म फिल्माई जाए तो उनकी आत्मा को कितना दुःख होगा। इसलिये यह भी गलत है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि इस प्रकार की फिल्म जिसके अन्दर महाराणा को ट्रेटर बताया जाए और अकबर को महान बताया जाए, इससे भद्दी और बुरी बात कोई नहीं हो सकती।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सरकार क्या कहती है ? अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब चाहिए।

श्री खेतसिह राठौड़ : इसमें जिम्मेदारी है सरकार की। जो यह सरकार के माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं और उदयपुर से आये हुये शिक्षा मंत्रीजी हैं, आपका यह फर्ज और दायित्व है कि अगर ऐसी फिल्म वाकई बन रही है तो निश्चित तौर पर उसको जब्त किया जाए, तुरन्त कार्यवाही की जाए। वह फिल्म नहीं बननी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है। यह गलत है। इस पर सरकार का जवाब आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाब सिंहजी। आर्डर प्लीज।

(80)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा महाराणा प्रताप के बारे में अगर इस तरह की कोई फिल्म बनायी जा रही है तो मैं राजस्थान सरकार से अपील करूंगा कि उसको देखे और उसको तत्काल बंद करे। महाराणा प्रताप ने कोई लड़ाई अपने राज्य की सुरक्षा के लिये नहीं लड़ी बल्कि देश की आजादी के लिये वे लड़े। वे राष्ट्रभक्त थे और राष्ट्र की आजादी के लिये कभी उन्होंने किसी के सामने समर्पण नहीं किया था। ऐसे महान योद्धा के चरित्र का हनन करने का काम किसी फिल्म के जरिये किया जाता है तो मैं इसका घोर विरोध करता हूं और सरकार से अपेक्षा करता हूं कि इसको तत्काल बन्द करे, इसको जब्त करे और इस पर कार्यवाही करे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, सरकार क्या कह रही है ?

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये न तो।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। पहले बोल लिये अब हम भी बोल लें। ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, सदन की भावनाएं, मैं ट्रेजरी बैंच का सदस्य हमारे दूरदर्शन के मंत्री है; दिल्ली में विराजते हैं श्री के.पी. सिंह देव उन तक पहुंचाना चाहता हूं और यह भी कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि महाराणा प्रताप योद्धा थे। जैसी बात रखी गयी है इस सदन के अन्दर, शेक्सपीयर ने एक बात कही है :–

"Cowards die many times before their death, The valient never tastes of death but once,"

वैसा आदमी था। इसके लिये अगर ऐसा दूरदर्शन पर सीरियल बन रहा है तो इसको रोका जाए, सैंसर किया जाए। इस पर जवाब आना चाहिए, यही कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, बोल रहे हैं आप ?

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रसंग यहां पेश किया गया है और जिसमें महाराणा प्रताप को ट्रेटर या पशुतुल्य कहा गया है इसको किसी भी हालत में राजस्थान सरकार और राजस्थान की जनता बरदाश्त नहीं करेगी। जो नियमों के अन्तर्गत राजस्थान सरकार इसके खिलाफ एक्शन लेगी वह तो राजस्थान सरकार लेगी ही, यदि केन्द्र से बात करके भी कोई एक्शन लेना पड़ेगा तो इस प्रकार की हरकत को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे, यही कह सकता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पुरातत्व मंत्रीजी, कह रहे हैं आप ?

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : फिल्म को जब्त करिये और शूटिंग को रोकिये।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार): यहां पर आपकी नाक के नीचे जयगढ़ के किले में शूटिंग हो रही है।

श्री विष्णु मोदी : संरक्षित किला है जयगढ़।

श्री कालीचरण सराफ : इतिहास को तोड़ मरोड़कर पेश किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : सही घटना लिखें, कहां दिक्कत है। सही घटनायें हों।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : राजस्थान सरकार ने शूटिंग की जो परमीशन दी उनको निरस्त करने जा रही है या नहीं ? (व्यवधान) आपने दी है, आप जानकारी कर लीजिए। उसको निरस्त करने जा रहे हैं या नहीं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : देखिये, इसमें कोई विरोध नहीं है, पूरा हाउस एक है।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर (राज्य मंत्री, पर्यटन) : इसमें परमीशन गवर्नर रूल में मिली थी। आपने जो बोला है इस पर हम विचार करके इसको निरस्त कर देंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : विचार शब्द निकाल दीजिये, सदन में घोषणा कीजिये कि आज ही निरस्त हो जाएंगे। सदन में यह घोषणा कीजिये कि आज ही निरस्त हो जाएगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्यों कहते हो यह ? यह कहो कि बन्द करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, इसमें कोई विवाद नहीं है। जैसा मैंने निवेदन किया कि यह भावना जो यहां प्रकट की गयी है, मैं ही नहीं पूरे राजस्थान की जनता व इस देश की जनता यह स्वीकार करती है और यदि....(व्यवधान)....अब बात सुनिए, फिर बीच में बोल रहे हैं। Do you want action ?

श्री विष्णु मोदी : Yes.

श्री भंवरलाल शर्मा : तो एक्शन की बात कर रहा हूं। (व्यवधान) हां, इमीजिऐट एक्शन। (व्यवधान)....आप बोलने दीजिये। मैं खुद ही कह रहा हूं कि इस मामले में जो भी सरकार सख्त से सख्त कार्यवाही कर सकती है इसको रोकने के लिये उचित करेगी। (व्यवधान) हां, कर देंगे। क्या हो गया उसमें ? कर देंगे।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : वह फिल्म आज ही जब्त होनी चाहिये।

श्री कालीचरण सराफ : रुकेगी नहीं। उसकी जो कैसेट बनी है वह जब्त नहीं होगी तब तक इसका परपज हल नहीं होगा।

श्री हीरालाल इन्दौरा : आप फिल्म को जब्त करने की कार्यवाही कर रहे हैं कि नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं नहीं समझता, यह कोई विवाद का विषय है। सरकार इस बात को मानती है और जो नियमों में हम कर सकते हैं सख्त से सख्त कार्यवाही, वही कर देंगे। उसको रोक सकते हैं तो रोक देंगे। (व्यवधान) हां, तो कर देंगे। उसको अगर रोक सकते हैं तो रोक देंगे, खुद ही कह रहा हूं। जांच की जा सकती है, अगर उसको रोका जा सकता है तो रोक देंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मंत्रीजी, आप यह जानकारी कर लीजिये कि आपने इसको स्वीकृति दी या नहीं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, रोक देंगे। कह रहा हूं न आपको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सरकार उनको गिरफ्तार कर सकती है, अध्यक्ष महोदय।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अगर आपने उसकी स्वीकृति दी है तो निरस्त कर दीजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ब्रीच आफ पीस के अन्दर यह डाक्यूमेंट जब्त हो सकता है। एप्रिहेंशन आफ पीस में यह जब्त हो सकता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह अगर और मगर क्या है, बन्द करो।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मीना अग्रवाल, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं इसलिये बैठिये। सदन की भावना से सरकार परिचित हो गयी, सरकार ने यह आश्वास दे दिया, जितना सरकार के पास अधिकार है उसका प्रयोग करते हुए (व्यवधान)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सरकार के पास अधिकार हैं।

श्री अध्यक्ष : है तो उसका प्रयोग होगा, यह कह दिया। (व्यवधान) आप बैठिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आग लग जाती महाराष्ट्र में होता अगर, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप जोर से बोलकर उसको ज्यादा मजबूत बना रहे हैं ? बैठिये। मैंने कहा, बैठिये। प्लीज सिट डाउन। मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं और आप सब ही मर्यादा तोड़ रहे हैं, इतनी देर हो गयी। आपने अपनी बात कह दी और सरकार ने फर्म आश्वासन दे दिया। They will take action. अब एक्शन टेकन का मतलब यह थोड़ा ही है कि,...

श्री भंवरलाल शर्मा : I am trying today, एक्शन जो कर सकते हैं, आज ही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आज ही करेंगे What more you want ? श्रीमती सूर्यकान्ता।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जोधपुर शहर की पानी की समस्या के बारे में मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगी। जोधपुर शहर के अन्दर 4–4 दिन से पानी नहीं मिल रहा है। मेरी समझ में, अध्यक्ष महोदय, कोई भी ऐसी बात नहीं जिससे कि जोधपुर में इतना पानी का हल्ला मचा हुआ है। सिर्फ वितरण व्यवस्था अच्छी नहीं होने के कारण और अधिकारियों की लापरवाही के कारण जोधपुर शहर के अन्दर पानी की ऐसी अव्यवस्था है। अध्यक्ष महोदय, मेरे को कहते हुए रोना आ रहा है कि महिलाएं 5–5 फीट खड्डे खोद कर ऐसे नीचे झुक-झुक कर पानी भरती हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया शांत रहें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : यह छोटी समस्या नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहे। आप, देखिए शांत रहे वरना पानी ही बिखर जायेगा। आप रोऐंगी तो पानी बिखर जायेगा यहां।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर के अन्दर पानी के टैंक भी बने हुए हैं मगर अभी तक अधिकारियों ने उन टैंकों को भी चालू नहीं किया

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर के अन्दर पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से करने के लिए जब 20 तारीख को मुख्य मंत्रीजी जोधपुर में पधारे थे तो उन्होंने सौ हैण्डपम्पों की स्वीकृति दी थी। इसके लिये उनको मैं बहुत–बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूं। वह काम भी चल रहा है मगर कुछ धीमी गति से चल रहा है इसलिये मेरे को कहना पड़ रहा है कि अभी गर्मी नजदीक आने वाली है। मेरे शहर को शहर के अन्दर हैण्डपम्प देने को पूछा गया, मेरे शहर के अन्दर 15–20 हैण्डपम्प से ज्यादा की मेरे को आवश्यकता नहीं है। मगर मैं एक बात चाहूंगी कि शहर के अन्दर लाइनों को तुरन्त चेंज करवाया जाए और जहां बूस्टर लगवाने की व्यवस्था हो वहां बूस्टर लगा दिया जाय तो जोधपुर शहर के अन्दर कुछ पानी की सुविधा मिल सकती है। वह अभी तक कोई काम चालू नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि इसके बारे में थोड़ी जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दूसरा मेरा छोटा-सा निवेदन और है।

श्री अध्यक्ष : जल्दी खत्म करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : जोधपुर शहर की कह रही हूं।

श्री अध्यक्ष : शहर वालों को सबको बला देंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैं जोधपुर शहर की ही कह रही हूं।

श्री किशनाराम नाई (श्रीडूंगरगढ़) : इनका विचार पूरा होना चाहिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और बात है। जहां कुएं और बावड़ी है उनका पानी जलदाय विभाग काम लेता है, मगर उनकी मरम्मत कौन करता है यह कुछ समझ में नहीं आता है। जब मरम्मत करने का कार्य आता है तो नगर निगम के ऊपर छोड़ दिया जाता है जबकि नगर निगम के पास इतनी कोई धन राशि नहीं है कि वह इन कुएं–बावड़ियों को ठीक करवा सके। उनके पास तो सड़कें भी ठीक कराने के लिये पैसा समय पर उपलब्ध नहीं हो रहा है तो वे इन कुओं–बावड़ियों को कैसे ठीक करवाएंगे। जोधपुर शहर के कुएं–बावड़ियां इतनी हैं कि अगर सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था की जाए तो उससे भी जोधपुर शहर वालों को काफी कुछ राहत मिल सकती है।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहूंगी कि जोधपुर शहर के अन्दर नगर निगम की तरफ से कोई भी सफाई की व्यवस्था न होने से इधर तो पानी की समस्या इधर गटर बह रहे हैं। जोधपुर के अन्दर कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई बीमारी फैल जाए और जोधपुर की जनता को उससे हानि हो। आज जोधपुर शहर के अन्दर पुरानी पाइप लाइनें और गटर लाइनें साथ-साथ चलती हैं उसकी वजह से जोधपुर शहर के अन्दर इतना गन्दा पानी आ रहा है कि आप अगर चाहें तो मैं बोतलें भी यहां पर लाकर आपको बता सकती हूं।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जलदाय विभाग के पास एक ऐसा उपकरण है जिससे लीकेज जहां-जहां पानी का हो रहा है उसका पता लग सकता है। लाखों रुपये का वह उपकरण खरीदा हुआ है मगर आज तक उसका पता नहीं है। कितने ही ए.ई.एन को उसकी ट्रेनिंग लेने के लिये लाखों रुपये खर्च करके भेजा है मगर उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है और आज उसकी हानि जोधपुर शहर को भुगतनी पड़ रही है। मिसाल के तौर पर, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहूंगी मंत्रीजी को कि जोधपुर शहर के अन्दर एक गंगला तालाब है। वह लीकेज पाइप से पूरा भर गया। जब मैं मेरे शहर के अंदर राउण्ड लेने के लिए गयी तो मैं वहां चक्कर में पड़ गयी कि यह तालाब कैसे भर गया। कहीं बरसात भी नहीं हुई और यह क्या हो गया ? तो पता चला कि उसके नीचे 18 इंच की एक पाइप लाइन चल रही है, उस पाइप लाइन में लीकेज होने से वह तालाब भर गया। जोधपुर की जनता तो पानी के लिये तरस रही है और वह तालाब ऐसे ही भर गया तो मैंने जिला कलक्टर से बात की। जिला कलक्टर ने साइट इंस्पेक्शन किया, ए.सी. को बुलवाया मगर अभी तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। हालांकि जिला कलक्टर बहुत संजीदे और अच्छे हैं, वे हर वार्ड के अन्दर हर क्षेत्र में घर-घर जाकर पानी की रोकथाम देखने के लिये चलते हैं मगर समस्या का समाधान नहीं होता इसलिये जनता सन्तुष्ट नहीं होती।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं कभी-कभी बोलती हूं। मुझे दो बात तो आप कहने दो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मुख्य मंत्रीजी जोधपुर पधारे थे तो उन्होंने कहा था कि जन सहयोग से अगर कोई भी कार्य होगा तो सरकार भी उसको पूरा सहयोग देगी। मैं वह बात याद दिलाना चाहती हूं आपके माध्यम से, मुख्य मंत्रीजी होते तो उनको कहती। जब इस गंगला तालाब की सफाई करने के लिये जोधपुर की जनता अपना पूरा सहयोग दे रही है तो सरकार की तरफ से भी उनको पूरा सहयोग मिलना चाहिये। मगर जलदाय विभाग से अभी तक उनको पानी बाहर निकालने के लिये पम्प तक अवेलेबल नहीं करवाया गया है। इतनी तो कोई उनकी क्षमता नहीं है कि कार्यकर्ता अपने पैसों से पम्प खरीदकर लाएं और उसको करें। नगर निगम ने जरूर उनको कुछ सहूलियत दी हैं, मगर जलदाय विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने खुद साइट इंस्पेक्शन किया था फिर भी कह दिया कि हमारे पास पम्प नहीं है, हम पम्प नहीं देंगे। यह बात हमारे गले नहीं उतर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को, हाथ जोड़ कर कह रही हूं, दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : अब आपका हो गया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि जहां हैण्ड पम्प खोदे जा रहे हैं

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

कोई मंदिर हो या मस्जिद हो, कहीं पर हैण्डपम्प खोदने के लिए कोई भी आपत्ति पैदा नहीं की जाए, ऐसे भी अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं तो बहुत उचित रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक दो बात और कहना चाहूंगी और सिर्फ दो–दो मिनट से ज्यादा नहीं कहूंगी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। पहले बोलें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कृषि मंत्रीजी की कोई बात आगी थी। मुझे सुबह एक टेली–फोन आया। (व्यवधान).... बात तो सुनिये आप यह क्या बात हो गयी ? कोई बोल रहा है तो आप बात तो सुनिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सुबह वहां के कृषि मण्डी के अध्यक्ष पूनमचन्द जी मूंदड़ा, का फोन आया कि यूरिया खाद के जो कट्टे होते हैं, उनके अन्दर व्यापारी लोग धान, दाल वगैरह सब मिलाकर के उसमें भरकर सप्लाई कर रहे हैं। मैं माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूं आपके माध्यम से कि उसके ऊपर रोक लगायी जाए कि इन कट्टों के अन्दर धान वगैरह डालकर नहीं बेचें। क्योंकि इसके अंदर पोइजन होता है। अगर एक दाना भी उसके अंदर रह जाता है तो उसके अंदर बड़ी भारी घटना हो सकती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरी बात एक मिनट में और कहूंगी। जोधपुर शहर एक ऐसा शहर है जिसके अन्दर मकान से मकान जुड़े हैं और एक ही दीवार साथ होती है। वहां शहर के अंदर आज फैक्ट्रियां लगा दी गई हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि उसके ऊपर रोक लगायी जाए। अगर नगर निगम एन.ओ सी. देती है तो वह भी गलत है। उसके ऊपर रोक लगायी जाए और ऐसी फैक्ट्रियां जो लगी हैं उनको तुरन्त हटाने की व्यवस्था की जाए। आपने मुझे समय दिया जिसके लिये बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र गहलोत।

एक माननीय सदस्य : एक मिनट जवाब....

श्री अध्यक्ष : नहीं, पहले तीनों जोधपुर के बोलेंगे।

एक माननीय सदस्य : साहब, जवाब दे देना न।....

श्री अध्यक्ष : ये जोधपुर पर बोलने वाले हैं। दोनों जोधपुर पर बोलेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे जवाब देना ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : खेतसिंहजी और ये दोनों जोधपुर पर बोलेंगे। नहीं देना है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपको जवाब देना ही नहीं है और जोधपुर प्यासा मर रहा है। कमाल की बात है। आप जयपुर के सिवाय जोधपुर को कुछ गिनते ही नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : जवाब नहीं देना, मुझे तो काम करना है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : राजस्थान का दूसरे नम्बर का शहर है।

86

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे तो जवाब देना ही नहीं है, मुझे तो काम करना है। जवाब कहां देना है ?

श्री खेतसिंह राठोड़ : काम कराना ही नहीं है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे तो काम करना है।

श्री अध्यक्ष : हां, श्री राजेन्द्र गहलोत, आप बोलें।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, पिछले तीन-चार महीनों से जोधपुर में पेयजल का संकट है। जोधपुर की नियमित पानी की जो मांग है वह 400 लाख गैलन की है। अभी वर्तमान समय में 200 लाख गैलन पानी सप्लाई किया जा रहा है। हमारी हमेशा यह मांग रही है कि सरकार इसकी मात्रा बढ़ाए जिसके कारण जोधपुर शहर को पानी मिल सके। उसके लिये जोधपुर में झालामंड के अन्दर जो फिल्टर हाउस बन रहा है उसको अतिशीघ्र शुरू कराया जाए क्योंकि सरकार ने उसकी स्वीकृति 15 अप्रेल तक दी है। 15 अप्रेल तक यदि वह फिल्टर हाउस कायम हो जाता है तो 40 लाख गैलन का ज्यादा उत्पादन होने लग जाएगा। इससे जोधपुर की जनता को पानी मिल सकता है। उसके साथ एक और गम्भीर समस्या यह हो गयी है कि सीवरेज लाइन और पानी की लाइन साथ-साथ चल रही हैं। आज जोधपुर में नगर निगम की निष्क्रियता के कारण और अधिकारियों की लापरवाही के कारण सफाई व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है। दूसरा कारण यह है कि सीवरेज फार्म है उसमें भी जब पानी की आवश्यकता होती है तब तक पानी वे ले लेते हैं और जब आवश्यकता नहीं होती है तो पानी रोक देते हैं, जिसके कारण सारे शहर के अन्दर पानी फैल जाता है। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे यह निवेदन है कि जोधपुर की पानी की वितरण व्यवस्था सुधारने के लिये जोधपुर लिफ्ट कैनाल से जो 40 लाख गैलन पानी आ रहा है उसमें 40 लाख गैलन और बढ़ाने की सरकार के पास योजना विचाराधीन है। वह 80 लाख गैलन की योजना जो बनने वाली है वह यदि मंत्री महोदय अतिशीघ्र शुरू करा दें तो जोधपुर में गर्मियों में राहत मिल सकती है। उसके साथ-साथ जसवंतथड़ा का जो उच्च जलाशय है वह भी बनकर तैयार हो गया है, इससे पानी सप्लाई की व्यवस्था यदि करा दी जाती है तो भी जोधपुर के काफी क्षेत्र को पानी मिल सकता है। उसके अलावा फिल्टर हाऊस से लालसागर तक बड़ी बड़ी लाइन के मास्टर प्लान की जो योजना है यदि वह शुरू करा दी जाए तो जोधपुर के उच्च स्थानों पर, जो पहाड़ी एरिया है उस क्षेत्र में पानी मिल सकता है। एक लाइन फिल्टर हाऊस से रातानाड़ा तक आने वाली हैं, उसकी स्वीकृति मिल चुकी है। उसका कार्य अतिशीघ्र शुरू कर दें तो जोधपुर में पानी की समस्या इस गर्मी में हल होने की सम्भावना है। जोधपुर में वाटर सप्लाई का जो मास्टर प्लान बना है उस मास्टर प्लान के अन्दर 28 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं, इस वर्ष में भी उसमें राशि स्वीकृत होने वाली है। उसका कार्य अतिशीघ्र शुरू कर दिया जाए तो जोधपुर के पानी की समस्या हल हो सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्रीजी का सदैव प्रयास रहा है जोधपुर की पानी की समस्या का समाधान करने

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

का, उनसे यह निवेदन करूंगा कि सर्दियों में हमें पानी एक टाइम भी नसीब नहीं हुआ है।

(12.47)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

गर्मियों में आप यदि सतर्क रहे और आपने हमेशा की तरह ध्यान दिया तो जोधपुर की जनता को पानी मिल सकता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : सभापति महोदय, दो मिनट आपसे निवेदन करना चाहता हूं जोधपुर के बारे में। मैं वहां पर रहता हूं और मुझे खुद को बड़ी परेशानी है पानी की इसलिये मैं आपसे खास तौर से यह कह रहा हूं। माननीय सभापति जी, अभी पिछली 20 तारीख को मुख्य मंत्रीजी स्वयं वहां पधारे थे और उन्होंने कहा, मैं आपकी मीटिंग लेता हूं। उसमें आपके जलदाय विभाग के सैक्रेटरी मिस्टर पी.एन. भण्डारी भी मौजूद थे और आपके विभाग के सारे अधिकारी जो जोधपुर में लगे हुए हैं वे भी सब मौजूद थे। मगर आपकी वहां गैरहाजिरी थी। हम चाहते थे आप वहां होते तो और भी अच्छा होता। उन्होंने वहां पर कई घोषणायें कीं, हमारी सारी बातें सुनीं। सूर्यकांता जी बोलीं, राजेन्द्र जी बोले, मैं बोला हमारी बातें उन्होंने बहुत ध्यान से सुनीं। जसवंतसिंह जी भी वहां बैठे हुए थे और उन्होंने वहां कई कमिटमेण्ट किये हमसे। उन्होंने कहा कि एक तो आपके लिपट कैनाल है, उसकी सफाई मैं जल्दी से जल्दी करवा दूंगा ताकि इसका पानी आपके आने में जरा सहूलियत हो जाए। लोगों को मजदूरी मिल जाएगी और यह कैनाल हम साफ करवा देंगे। हमने कहा, बहुत अच्छा काम है। दूसरा, उन्होंने यह कहा कि जवाई कैनाल आपके यहां आ रही है वह कई जगह से टूट गयी है उसको हमने रिपेयर करने के फण्ड मंजूर कर दिये हैं और यह रिपेयर हो चुकी है। अब इसमें फुल कैपेसिटी से जितना पानी आता था वह बराबर आता रहेगा। तीसरी बात उन्होंने यह भी कही थी कि इसके अलावा जितने भी आपके यहां शहर में हैंडपम्प की जरूरत हों जहां कहीं भी उतने हैण्डपम्प मैं मंजूर करता हूं। मैंने कहा, मैं भी आपके पड़ौस में ही हूं शेरगढ़ में वहां पर भी इतनी ही दिक्कत है। उन्होंने कहा, 50 हैण्डपम्प आपके यहां भी मैं स्वीकृत करता हूं और...

श्री सभापति : आप कहिये उनको।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम बड़े खुश हुए। अधिकारियों से कहा भाई, यह क्या मामला है, कब शुरू हो जाएंगे ? उन्होंने कहा, साहब, सैंक्शन आयी नहीं कि शुरू हुए। तो, हमने कहा भाई, मुख्य मंत्रीजी का कहना फिर सैंक्शन क्या होती है। सबसे बड़ा आदमी और फाइनेन्स मिनिस्टर भी, इन्होंने जब दोनों बातें कह दीं....

श्री सभापति : पी. एच. ई. डी. उनके पास नहीं है न।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वित्त मंत्री।

श्री सभापति : पी. एच. ई. डी. नहीं है न।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पी. एच. ई. डी. क्या मायने रखती है वित्त मंत्री और चीफ

(८८)

(श्री खेतसिंह राठौड़)

मिनिस्टर होने के बाद । पी. एच. ई. डी. हमारे पास रही हुई है ।

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, इतना तो मालामाल कर दिया फिर क्या बाकी रह गया ?

श्री सभापति : तब तो आप पूर्णतया सन्तुष्ट हो गये, मैं समझता हूं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरे कहने का मतलब यह है कि ...

श्री सभापति : आप धन्यवाद दे रहे हैं सरकार को ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : धन्यवाद किस बात का ? बिल्कुल झांसा-पट्टी की है । काम एक धेले का किया नहीं । मुख्य मंत्रीजी की आदत पड़ गयी उनके पास बैठ-बैठकर ये भी ऐसे के ऐसे हो गये । कोई भी बात होती है, कि हां, जरूर हो जाएगा, मैं कल कर दूंगा । इन्होंने यहां मीटिंग बुलायी थी, तीन घण्टे तक हमको ऊपर चढ़ाया और उतारा और नतीजा कुछ भी नहीं । हमको कहा कि आप एप्लीकेशन लिख कर दे दो । हमने इनको एप्लीकेशन लिख कर दी परन्तु कुछ भी नहीं हुआ । इसलिये आप मेहरबानी करके इस पर कुछ करें ।

श्री सभापति : श्री शांतिलाल खोईवाल ।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, 1990–91–92 में पानी के लिये पाइपों का काम हुआ लेकिन राष्ट्रपति शासन के दौरान चाहे प्रशासनिक दृष्टि से अधिकारियों के तबादलों की वजह से जो अव्यवस्था हुई है उसको हमारे पी.एच.ई.डी. मंत्री बड़े बुद्धिजीवी हैं, सुधार कर रहे हैं । सुधार करने में टाइम तो लगेगा क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है ।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । आज मेरे विधान सभा क्षेत्र के रेलमगरा तहसील मुख्यालय के बारे में मुझे टेलीफोनिक मैसेज मिला है कि पिछले पांच दिनों से वहां के सारे पेयजल के स्रोत सूख जाने के कारण जनता को पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है । इस कारण वहां पर जबरदस्त दिक्कत हो गयी, बहुत परेशानी हो रही है । पहली बात तो मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां पर टैंकर से पानी उपलब्ध कराया जाए क्योंकि स्थाई तौर पर स्रोत सूख चुके हैं । हमने अधिकारियों को बहुत पहले ही आगाह किया था कि वहां का वाटर लेबल बहुत नीचे जा चुका है, ऐसी स्थिति में वहां पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाए तो ठीक रहेगा । एक जगह हमने सुझाव भी दिया था, मोरा गांव जो वहां से दो किलोमीटर दूर पड़ता है । वहां पर एक हैण्डपम्प में टैस्ट करने पर लगा कि वहां पर पर्याप्त जल है । इन्होंने लाइन बिछाने की बात की लेकिन उसको महीने भर हो गया आज दिन तक वह लाइन नहीं बिछा सके । एक दूसरी जगह जहां पानी की पोटेंशियलिटी है जीवाखेड़ा गांव, इस गांव के कुएं की यदि खुदाई की जाए तो पानी आ सकता है । इन दोनों ही स्रोतों पर थोड़ा पैसा खर्च कर दिया जाए, तत्काल कार्यवाही कर दी जाए तो रेल–

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

मगरा की जनता को पेयजल उपलब्ध हो सकता है। वहां पर कामकाज इसलिये नहीं हो पा रहा है, सभापति महोदय, कि वहां तीन स्तरीय अधिकारियों का एक चेनल है, एक्स.ईएन., ए.ईएन. और जे.ईएन.। रेलमगरा का जे.ई.एन. इन्टरेस्ट लेता नहीं, वह आम तौर पर अनुपस्थित रहता है। ए.ई.एन. एक पेरेलेटिक अटैक होने के कारण मूव नहीं कर पाता, गांव में देखभाल कर नहीं पाता कि कहां पानी की समस्या है और एक्स.ई.एन प्राय: उदयपुर रहता है, वह राजसमंद में रहना चाहता नहीं। तो कुछ अधिकारियों की शिथिलता के कारण भी यह अव्यवस्था है। वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में मैंने सजेस्ट किया था लेकिन उनकी शिथिलता के कारण वह भी हो नहीं पा रहा है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि इस बारे में तत्काल कार्यवाही करें और टैंकर से रेलमगरा की जनता को पेयजल उपलब्ध कराएं।

श्री सभापति : श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जलदाय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सन् 1985–86–87–88–89 तक जो स्कीम बनी थीं पेयजल विभाग की, ज्यादातर स्कीम पर पूरा पैसा खर्च हो गया पर पूरा पैसा खर्च होने के बावजूद भी गांव को पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं मिली। इस तरह 5-10 गांवों के उदाहरण के तौर मैं नाम भी बताना चाहूंगा। 4–5, आर.एम./24/एस.टी.पी.; यह स्कीम सन् 1988–89 के अन्दर बनी थी, इसके ऊपर 20 लाख रुपये सरकार ने खर्च किये। कागजों में इस स्कीम में गांव को पानी चालू होना दिखा रहा है परन्तु मौके पर यह हालत है कि 20 लाख रुपये खर्च होने के बावजूद भी वहां पर ग्रामवासियों को पानी नहीं मिल रहा है। उस स्कीम पर एक कर्मचारी नियुक्त कर रखा है, बिजली डिपार्टमेण्ट से कनेक्शन ले रखा है, ट्रान्सफार्मर रखा हुआ है, हर महीने बिल आ रहा है। इस संबंध में मैंने कई बार मुख्य अभियंता, एस.ई., एक्स.ईएन. वगैरह को लिखित में दिया है। उनका एक ही जवाब है कि इस स्कीम में जितना पैसा था वह सारा का सारा खर्च हो गया और अब नया कोई बजट आएगा तब देखेंगे। इसी तरह से 1–2 डब्ल्यू.एस.एम. है, इस स्कीम पर कम से कम 6–7 लाख रुपये खर्च हो गये। ये सारी स्कीम्स 1988-89 की हैं। पूरा का पूरा पैसा खर्च हो गया कागजों में दिखा रखा है परन्तु मौके पर पानी नहीं है। इसके अलावा इसी तरह से बड़ोपल गांव है जिसकी जनसंख्या 15 हजार के लगभग है, उस गांव को 18 एस.पी.डी. से जुड़ा हुआ दिखा रहा है। लाखों रुपये खर्च हो गये पर ग्रामवासियों को आज तक एक बूंद भी पानी नहीं मिला। हालत यह है कि 15 हजार की जनसंख्या वाले गांव को पीने के लिये पानी नहीं और 15–15 किलोमीटर तक कोई सुविधा नहीं है पीने के पानी के लिये। एक तरफ तो उस गांव के अन्दर सीपेज है, नीचे का पानी खारा है दूसरी तरफ उस गांव के अन्दर न कोई जोहड़ है न कोई डिग्गी है न कोई दूसरे पीने के पानी के स्रोत हैं। 15–15 किलो-

(श्री रामप्रताप कासनियां)

मीटर तक कोई सुविधा नहीं है। इसके अलावा एक झाखड़वाली गांव है, इस गांव में 1987-88 में स्कीम चालू की गई थी। एक स्कीम पर एक ही गांव होते हुए अलग-अलग चकों के नाम से कम से कम 30-32 लाख रुपये खर्च कर दिये और अभी तक वह स्कीम अधूरी पड़ी है। चैनल नहीं बनी हुई है। उस चैनल के लिये दो–तीन बार बजट खर्च कर दिया लेकिन चैनल अभी तक अधूरी पड़ी है। फिल्टर चालू नहीं है। मैं तो यह चार्ज लगाना चाहूंगा कि सन् 1989 से पहले जो भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्कीम्स बनी हैं वे सत्तर पर्सेण्ट अधूरी हैं। मंत्री महोदय चाहें तो जांच करवा लें और अगर यह बात गलत हो तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं।

श्री सभापति : नहीं, इतना बड़ा काम मत करिये, जांच करवा लेंगे।

श्री रामप्रताप कासनियां : सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदय, इधर भी तो ध्यान दें।

श्री सभापति : बिराजिये, ताम्बीजी। देखिये, जिन माननीय सदस्यों ने शून्यकाल में बोलने के लिये माननीय अध्यक्ष महोदय को स्लिप भेजी थी उनके नाम मैं पुकार रहा हूं जिन पर उन्होंने परमीशन दी है।

श्री रतनलाल ताम्बी : पर्ची भेजी है। मुझे भी थोड़ा मौका दीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय, आप आसन पर बिराजमान होते हैं तो मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है क्योंकि आप विद्वान हैं और कई बार आपको ऐसे फैसले लेते देखा गया।

श्री सभापति : जिससे आपको बहुत तकलीफ होती है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तकलीफ नहीं होती है; मुझे तो बहुत प्रसन्नता होती है। कृपया अध्यक्ष महोदय ने जो स्लिप आपको दी हैं आप उसी तक सीमित नहीं रहें, महत्व के विषय देखें और खुद फैसला लें।

श्री सभापति : आपकी राय पर ध्यान देंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : सभापति महोदय, मैं नागौर जिले की पानी की समस्या के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। नागौर जिले में अधिकतर गांवों में खारा पानी होने के कारण भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार ने 20 गांवों में जहां खारा पानी है उसको मीठा करने के लिये संयंत्र लगाये थे। आज तीन–चार साल हो गये उनको लगे हुए परन्तु वे सारे के सारे बन्द हैं। एक तरफ तो सरकार ने यह घोषणा कर दी कि हमने कई गांवों को लाभान्वित कर दिया और आज वहां पर न तो वे संयंत्र काम कर रहे हैं और न उन गांवों को दूसरी योजनाओं में ले रहे हैं। बताया यह जाता है कि संयंत्रों का काम ठेके पर दिया हुआ था और जिन ठेकेदार को कम्प्लीट करके सरकार को सम्भलाना था उनका पीरियड पूरा हो चुका है लेकिन सरकार ने न तो उन ठेकेदारों से कब्जा

(श्री हरजीराम बुरड़क)

लिया और न उन ठेकेदारों ने ठीक करके विभाग को सम्भलाया।

(13.00)

श्री सभापति : आप थोड़ा झुक कर बोलें।

श्री हरजीराम बुरड़क : झुक कर ही बोल रहा हूं। आज उन संयंत्रों को बन्द किये लम्बा समय हो चुका है लेकिन सरकार ने उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की। बताया यह गया है कि जिन ठेकेदारों को यह काम सौंपा था उनका दस पर्सेण्ट अमाउण्ट रोका था और शर्त यह थी कि वे तीन साल चलाकर चालू हालत में सरकार को संभलाएंगे तब उनका भुगतान करेंगे। लेकिन न तो उनको दस पर्सेण्ट जो भुगतान रोका है वह लेना है और न उनको वापस आना है। मैं राज्य सरकार से चाहूंगा कि वह उन संयंत्रों को अपने कब्जे में लेकर चालू करे। अगर वे नहीं चालू हों तो जिन खारे पानी के गांवों को मीठे संयंत्र से पानी पिलाना शुरू किया था और उनको लाभान्वित बताया था, उनको दूसरे सोर्स से पानी दें। मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में वे कोई व्यवस्था करें।

दूसरा यह था कि लाडनूं शहर की जो जलप्रदाय योजना है वह बहुत पुरानी योजना है और वहां पानी की क्वालिटी ऐसी है कि उसमें पत्थर टाइप पदार्थ पाइपों में जमा हो जाता है। इस बात की जानकारी राज्य सरकार को बराबर मिल रही है उसके बावजूद भी उसमें कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उन पाइपों का व्यास बिल्कुल छोटा हो गया, कई जगह पाइप बन्द तक हो गये इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी से चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में कोई कारगर कदम उठाएं और जिले में खारे पानी को मीठा करने के जो बीस संयंत्र हैं उनको भी आप चालू कराएं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण : दूसरा रामनारायण भी बैठा है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदय, मैंने मंत्री महोदय का ध्यान खींचा था कि मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में सौ गांव खारे पानी और नहीं पीने योग्य पानी के गांव हैं, जिनके लिये राज्य सरकार की तरफ से सात क्षेत्रीय जलदाय योजनाएं बनी हुई हैं। मैंने मंत्रीजी को बताया था, हमारी मीटिंग हुई थी उनके साथ। इसमें अधिकारी भी थे साथ। सबके सामने यह निर्णय हुआ था कि तत्परता से कार्यवाही की जाकर इन योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। जिला लेवल पर भी जो कलक्टर की अध्यक्षता में अभाव अभियोग समिति बनी है उसमें भी दो बार चर्चाएं हुई लेकिन काम आगे नहीं बढ़ रहा है। गर्मियों के दिन आ रहे हैं। खारा पानी है। फिल्टर प्लाण्ट भी लगे हुए थे वे सारे के सारे बेकार पड़े हैं, एक भी फिल्टर प्लाण्ट नहीं चल रहा है और जो योजनाएं मीठे पानी की, पीने योग्य पानी की सप्लाई के लिये इस क्षेत्र में बनी हुई हैं वे लोकल ही रह गयी हैं। जहां पर वे हैं उन गांवों के अलावा जो फीडिंग विलेजेज हैं उनको पानी नियमित तो क्या, महीने में एक आध बार और

(९२)

(श्री रामनारायण चौधरी)

वह भी चुल्लू चुल्लू पानी सप्लाई होता है। यह आज मैंने मंत्रीजी को सुबह बताया था....

श्री सभापति : चुल्लू चुल्लू जरा स्पष्ट कर दें मंत्रीजी को।

श्री रामनारायण चौधरी : एक चुल्लू पानी भरे, उतना पानी चुल्लू भर पानी। चुल्लू अपना शेखावाटी का शब्द है, एक एक चुल्लू पानी गांवों में पहुंच रहा है। मैं आपके द्वारा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि वे स्वयं मौका देखें, मौका देखकर निरीक्षण करें और यहां से तत्परता से मुख्य अभियन्ता और दूसरे जो सम्बन्धित अधिकारी हैं उनको आदेश दें ताकि गांव वालों की पीने के पानी की कठिनाई दूर हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामनारायण जी।

श्री रामनारायण (नैनवां) : सभापति महोदय, पिछले दिनों नैनवां क्षेत्र और राजस्थान के विभिन्न इलाकों में ओलावृष्टि हुई। किसानों को भारी नुकसान हुआ। ऐसे भी किसान हैं जिनके सौ प्रतिशत नुकसान या खराबा हुआ है। सभापति महोदय, राज्य सरकार ने कुछ राशि स्वीकृत की है लेकिन अभी तक राशि का वितरण नहीं किया गया है। राशि का वितरण नहीं करने का प्रमुख कारण है कि आपके कानूनगो, पटवारी पहले से उन काश्तकारों से कुछ निश्चित अमाउण्ट की बात करने लग गये। इसलिये कृपया बिना किसी देरी के इसे करें। सदन तो जा रहा है और आप निरंकुश हो जाओगे तब तक। वैसे तो आप बड़े अच्छे आदमी हैं, आप बिना किसी देरी के उस राशि के वितरण का इन्तजाम करवाएं। माननीय राजस्व मंत्रीजी, आप तो किसानों की हालत जानते हो। पांच सौ रुपये दोगे, सौ रुपये उनको खर्च करने पड़ें, ऐसा नहीं हो, इसकी व्यवस्था तत्काल की जाए। कम से कम नैनवां जैसे पिछड़े इलाके के लिये करें, राजस्थान के दूसरे इलाके हैं उनके लिये भी करें, मैं आपसे यह आशा करना चाहूंगा। इसी के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हीरालाल जी इन्दौरा।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : सभापति महोदय, पेयजल पर मांग होती तो उसमें मैं यह बात रखता।

दिक्कत क्या है कि वाटर वर्क्स बन चुके हैं और पानी की जरूरत है, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट और पी.एच.ई.डी. में कोई ऐसा तालमेल नहीं है कि उन बने हुए वाटर वर्क्स में पानी डाल दिया जाए। आज खास करके तीन-चार तहसीलें जो गंग कैनाल क्षेत्र में आती हैं– करणपुर, केसरीसिंहपुर, गंगानगर शहर और रायसिंहनगर इन इलाकों में जहां-जहां भी वाटर वर्क्स तैयार हो गये हैं वहां उनको इरिगेशन डिपार्टमेण्ट से पानी नहीं मिल रहा है। पिछले दिनों मंत्री महोदय ने एक मीटिंग बुलायी थी उस समय भी यह मामला उठाया गया था और इस मामले को सुलझाने की बात भी मंत्री महोदय ने कही थी लेकिन आज तक वह मामला सुलझा नहीं है। छह महीने से वाटर वर्क्स बनकर तैयार

(श्री हीरालाल इन्दोरा)

पड़े हैं, जनता पानी के लिए इन्तजार कर रही है, डिग्गियां टूट रही हैं, वाटर चैनल टूट रहे हैं लेकिन पी.एच.ई.डी. इरिगेशन विभाग से पानी लेने में असमर्थ है। उदाहरण के तौर पर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चार वाटर वर्क्स हैं- 16, 17 एच. ग्राम मोहल्ला, ग्राम दोबी और ग्राम मलखाना खुर्द, इनमें 35-35 लाख की लागत से बने हुए वाटर वर्क्स आज आठ महीने से तैयार पड़े हैं लेकिन विभाग इतना असक्रिय है, इतना सुस्त है कि वह इरिगेशन डिपार्टमैण्ट से जितना पानी उनको चाहिये वाटर वर्क्स के लिये, वह पानी नहीं ले पाया है। इसलिये मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप व्यवस्था कराएं, निगोसियेशन करें यहां इरिगेशन मंत्री से बैठकर। एक स्टैंडिग आर्डर होना चाहिये कि जहां वाटर वर्क्स बनकर तैयार हो गये हैं उनको तत्काल वाटर कोर्स इरिगेशन डिपार्टमैण्ट से मिले, यही मेरी आपसे अर्ज थी।

श्री सभापति : श्री आर.पी. शर्मा।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जलदाय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भरतपुर विधान सभा क्षेत्र में जिसमें भरतपुर शहर और पंचायत समिति सेवर आते हैं, पानी की बहुत कमी है, बहुत ही विकट समस्या बनी हुई है। भरतपुर शहर जिसकी आबादी एक लाख साठ हजार है, उसके लिये कम से कम पचास लाख गैलन पानी प्रतिदिन चाहिये लेकिन आज भरतपुर में सिर्फ 25 लाख गैलन पानी मिल रहा है। इसके लिये हमने प्रशासन से मिलकर एक कंटिजेन्ट प्लान बनवाया था, उसके तहत एक करोड़ बारह लाख रुपये की योजना बनी थी पर मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने मात्र एक ट्यूबवैल भरतपुर शहर के लिये सैंक्शन किया है। कोई हैण्डपम्प स्वीकृत नहीं किया है। इतने बड़े शहर में जहां एक लाख साठ हजार की आबादी रहती हो, एक ट्यूबवैल से क्या पार पड़ जाएगी ? और उस ट्यूबवैल की भी बड़ी विडम्बना है। जो ट्यूबवैल पहले नवम्बर में लग गया था उसकी स्वीकृति फरवरी में दिखाई गयी है। साथ ही साथ एक मंडोली योजना थी उस पर भी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। उसके लिये पाइप लाइन की कमी है। अगर मंत्री महोदय ने भरतपुर के पीने के पानी पर ध्यान नहीं दिया तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह बहुत बड़ी एक घटना होगी। सेवर में कम से कम दस ट्यूबवैल स्वीकृत होने चाहिये थे, मात्र दो ट्यूबवैल स्वीकृत किये हैं। अत: मैं माननीय मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि भरतपुर की इस पानी की समस्या को गम्भीरता से लें और कम से कम चार ट्यूबवैल और दस हैण्डपम्प शहर में और 10 हैण्डपम्प देहात में और दो ट्यूबवैल सेवर तहसील में स्वीकृत करने की कृपा करें।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री रामगोपाल बैरवा। माननीय सदस्य, आप संक्षेप में ही कहें। मैं अलाउ इसलिये कर रहा हूं कि मंत्री महोदय रूचि ले रहे हैं। पेयजल पर अभी बहस हुई नहीं है। इसलिये आप अपनी समस्या तक सीमित रहें ताकि दो-चार माननीय सदस्यों को और अनुमति दे सकूं।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से

(श्री रामगोपाल बैरवा)

माननीय मंत्रीजी का ध्यान मेरे पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं की तरफ दिलाना चाहता हूं। पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र, मंत्रीजी ने पिछले समय में यहां पर मीटिंग ली और उस मीटिंग में इस बात की घोषणा की कि अभियान चालू करके शीघ्र ही हैण्डपम्पों को ठीक करवा दिया जाएगा। एक महीना उसमें गुजर गया और कुछ गिने–चुने हैण्डपम्पों को ठीक करने के बाद सम्बन्धित डिपार्टमैण्ट ने यह कहकर कि हमारे पास बड़ी खराबी के सामान उपलब्ध नहीं हुए हैं। वे ठीक नहीं किये। जब दूसरी बार फिर बड़ी खराबी के हैण्डपम्पों को ठीक करने का मौका आया तब भी सम्ब–न्धित डिपार्टमैण्ट यह कहकर कि हमारे पास लाइन उपलब्ध नहीं है और कोई सामान उपलब्ध नहीं है, उनको ठीक करने में आज तक असमर्थ है। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सम्बन्धित डिपार्टमैण्ट को सामान उप–लब्ध करवाएं या उनके पास सामान उपलब्ध हो तो उनके साथ सख्ती से निपटें।

श्री सभापति : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री रामगोपाल बैरवा : इसी तरह से हमारे इटावा के अन्दर पेयजल की जो टंकी बनी हुई है....

श्री सभापति : श्री शैलेन्द्र जोशी। बिराजिये आप।

श्री रामगोपाल बैरवा : दो–तीन सम॰स्याएं और हैं, मान्यवर।

श्री सभापति : नहीं, इतना समय नहीं दूंगा।

श्री रामगोपाल बैरवा : जो इटावा में टंकी बनी हुई है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस समय ऐसा नहीं। (व्यवधान) नहीं, नहीं।

श्री रामगोपाल बैरवा : जो हमारी समस्याएं हैं उनको तो उठाएंगे, मान्यवर।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैंने आपको संक्षेप में...

श्री रामगोपाल बैरवा : हां, संक्षेप में बता रहे हैं।

श्री सभापति : पूरी समस्या नहीं आएगी इसमें।

श्री रामगोपाल बैरवा : मान्यवर, इटावा जो 15 हजार की आबादी वाला कस्बा है, वहां पर टंकी बनी हुई है। वह टंकी आज खराब है और उससे आसपास रहने वाले समस्त लोगों को परेशानी है। इसी तरह से जो जल योजनाएं पिछले काफी समय से प्रस्तावित हैं उनको लागू नहीं किया जा रहा है। जिन गांवों और ढाणियों में आधा किलोमीटर या एक किलोमीटर पर जाकर जो 15-20 मकान बसे हैं, जिसे उस गांव के मजरे के नाम से जाना जाता है या नई बस्ती के नाम से जाना जाता है वहां आज एक भी हैण्डपम्प नहीं लगा हुआ है। इसलिये मैं, मान्यवर, मंत्रीजी से विशेष निवेदन करता हूं...

श्री सभापति : श्री शैलेन्द्र जोशी। बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री रामगोपाल बैरवा : कि आने वाले इसमें जो उस गांव का मजरा है....

श्री सभापति : मैं अनुमति नहीं दे सकूंगा।

श्री रामगोपाल बैरवा : या नई बस्ती है उसमें विशेष तौर पर हैण्डपम्प लगाये जाएं।

श्री सभापति : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय सभापति महोदय, यह अत्यन्त दुःख के साथ मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र बांदीकुई में हिंगोटा और नंदेड़ा दो ऐसे गांव हैं जहां पर कि ट्यूबवैल खोदा जा चुका है और क्षमतापूर्ण पानी भी आ चुका है लेकिन बिजली का कनेक्शन छह महीने से विभाग नहीं ले पाया जिसके कारण पानी की सप्लाई जो कि जनता को मिल सकती है वह नहीं है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे दोनों जगह बिजली के कनेक्शन जल्दी लगवाने की व्यवस्था करें ताकि पानी की सप्लाई मिल सके। इसके साथ मेरा यह भी निवेदन है कि बसवा में, जिसमें कि यह कहा जाता है कि 18 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को पानी मिलता है, पानी की टंकी की बुर्ज टूट गयी है, दीवार ढह गयी है। एक्स.ईएन साहब और ए.ईएन. साहब भी अभी मौके पर गए थे पर वहां टंकी की दीवार को सुधरवाया नहीं जा सका है इसलिये उसको एक खतरा मानकर टंकी में पानी नहीं भरा जा सकता है।

श्री सभापति : श्री महावीर भगोरा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : जिसके कारण पानी की सप्लाई में दबाव कम होता है। इसी प्रकार बांदीकुई में जो पाइप लाइन है उसकी साइज कम हो गयी है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं फिर अनुमति किसी को नहीं दूंगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : केवल एक मिनट। इसी तरह से ग्राम भिवाई और गुलाना में बड़ियाला गुढाकटला, इसमें भी यही पोजीशन है। 18 लीटर प्रति दिन प्रति व्यक्ति की बात कही जाती है लेकिन पानी की सप्लाई कम है। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री महावीर भगोरा।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : सभापति महोदय, पिछले विधान सभा सत्र में माननीय मंत्री महोदय ने सभा कक्ष में एक बैठक ली थी। उस बैठक में यह निर्णय किया था कि जनजाति क्षेत्र में सौ की आबादी पर एक हैण्डपम्प और 15 सौ की आबादी पर पी.एण्ड.टी. योजना की स्वीकृति मैं जारी कर दूंगा परन्तु अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं। मैं यहां आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हजार की आबादी वाले इलाके में दो–तीन गांव हों तो उन गांवों को भी इस जलदाय योजना में जोड़ना चाहिये।

श्री सभापति : श्री हीरालाल जी विश्नोई।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, मैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका स्थगन है, अभी यह जलदाय विभाग का

(श्री सभापति)

मामला चल रहा है मैं आपको बुलाऊंगा यह खत्म होने के बाद। आप स्थगन प्रस्ताव पर बोलेंगे, मुझे पता है। आप बैठिये। माननीय अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में चर्चा की थी, मुझे ध्यान है। उसके सम्बन्ध में आपको बुलाऊंगा।

श्री हीरालाल विश्नोई : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान सांचौर तहसील की तरफ जो कि गुजरात बोर्डर पर है, दिलाना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी, हमारे वहां नेड इलाका है जो एकदम रन आफ कच्छ के साथ जुड़ा हुआ इलाका है। पिछले चार साल से बाढ़ के टाइम में जो जो लाइन टूटी थीं वे लाइन अभी तक नहीं लगायी गयी हैं। तीन साल से कई टंकियां जलदाय विभाग की बनी हुई हैं, टांकें भी बने हुए हैं पर उनमें भी अभी तक कोई पानी की लाइन नहीं लगी हैं। रन आफ कच्छ के नजदीक होने के कारण उस इलाके में 40-40 किलोमीटर तक कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। इसलिये भयंकर गर्मी का सीजन आने से पहले वहां पानी की समस्या के ऊपर ध्यान दें और पिछले तीन साल से बाढ़ से जो टूटी हुई लाइन थीं उनको जुड़वाकर जल्दी से जल्दी उसका समाधान निकालने की कोशिश करें। (धन्यवाद)

श्री सभापति : श्री महादेवसिंह।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : सभापति महोदय, पीने के पानी के मसले को लेकर पिछली 22 तारीख को जनस्वास्थ्य विभाग के सचिव महोदय ने जिला हैड-क्वार्टर पर एक मीटिंग बुलायी थी। उस मीटिंग के अन्दर हम लोगों को यह बताया गया था कि 27 जनवरी से 31 मार्च तक करीब-करीब सारे हैण्डपम्प ठीक करवा दिये जाएंगे लेकिन मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूं कि आज तक कोई भी हैण्डपम्प ठीक नहीं हुआ। उसका कारण कर्मचारियों या अधिकारियों की गलती नहीं है। गलती यह है कि पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। आज से वर्षों पहले जिस समय हैण्डपम्प लगाये गये थे उस समय....

श्री सभापति : संक्षेप में कहिये। पेयजल पर चर्चा नहीं हो रही है। शून्यकाल में आपको अवसर दिया है ताकि नोट कर लें मंत्रीजी और काम हो।

श्री महादेव सिंह : उन हैण्डपम्पों का, कैसे सुधार हो सकता है, इसके बारे में मंत्री महोदय अपने अधिकारियों से जानकारी करके सारे हैण्डपम्पों को ठीक करवाने की कृपा करें।

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री महादेव सिंह : सभापति महोदय, जितनी भी टी.एस.एस. हैं उनके कनेक्शन को लेकर के जब गांव की तरफ से एप्लाई किया जाता है तो उसका डिमाण्ड नोटिस ज्यादा से ज्यादा हजार, पन्द्रह सौ, दो हजार या पच्चीस सौ रुपये आता है लेकिन उसी कुएं की खातिर जब डिपार्टमैण्ट अपनी एप्लीकेशन देता है तो उसके 70 हजार, 80 हजार, 90 हजार का डिमाण्ड नोटिस आता है। इसलिये मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि मंत्री महोदय विजली विभाग के मंत्रीजी से विचार-विमर्श करके इस समस्या का समाधान करवाने की कृपा करें।

श्री सभापति : श्री गुलाबसिंह जी शक्तावत।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभ–नगर) : सभापति महोदय, समय दिया उसके लिये धन्यवाद। मैं मंत्री महोदय से दो तीन सवाल पूछूंगा।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, सवाल नहीं, आप तो कहिये अपनी बात।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : पिछले विधान सभा सत्र के दौरान....

श्री सभापति : सौभाग्य से इस सदन में माननीय मदेरणाजी, गुलाबसिंहजी, बनवारी लालजी, भंवरलालजी, बहुत पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर्स हैं इस समय। यह सदन का सौभाग्य है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : क्योंकि आप पूरा समय तो देंगे नहीं इसलिये उसके विस्तार में जाना नहीं चाहता। माननीय मंत्री महोदय, आपको स्मरण होगा, पिछले विधान सभा सत्र के दौरान आपने विधायकों की एक बैठक बुलायी थी और सभी विधायकों से उस क्षेत्र की समस्या की जानकारी आपने प्राप्त की थी। मैंने उस वक्त आपसे निवेदन किया था कि जो पम्प एण्ड टैंक स्कीम है, जिस पर आपने वर्कचार्ज लेबर बंद कर दिया, वे योजनाएं सात–आठ महीने से बंद पड़ी हैं। आपने उस वक्त यह आश्वासन दिया था कि इसका एक महीने में समाधान हो जाएगा। 3 महीने तो गुजर गये उसमें आपने क्या नीति अपनायी है? क्या ये योजनाएं आप पंचायतों को ट्रांसफर कर रहे हैं? किसको कर रहे हैं? कौन चलाएगा? क्या करेगा? गरमी का मौसम इतना भयंकर आ गया है और पानी का स्रोत वहां मौजूद है, टंकी वहां मौजूद है फिर भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। आपने हमसे हैण्डपम्पों की जानकारी मांगी थी। वल्लभनगर तहसील के 272 गांवों में आपने दो हैण्डपम्प रिप्लेसमेन्ट के लिये दिये हैं जबकि नाकारा किये गये हैण्डपम्पों की संख्या 54 है। नये तो नहीं दिये सो नहीं दिये लेकिन नाकारा हैण्डपम्प के बजाय भी दूसरे हैण्डपम्प लगाने के लिये केवल दो हैण्डपम्प दिये हैं। माननीय मंत्री महोदय, क्या आप उचित मानते हैं कि इन दो हैण्डपम्पों से 272 गांवों की समस्या का समाधान हो जाएगा? 54 जो नाकारा हैण्डपम्प हैं उनका सुधार हो जाएगा?

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भिंडर एक बहुत बड़ा टाउन है और यह 18 हजार की जनसंख्या वाला है। विभाग ने एक ट्यूबवैल खोदा था पर उस पर एक आदमी नाजायज कब्जा करके बैठा है और वह पानी नहीं लेने दे रहा है। जमीन सरकार की और वह ट्यूबवैल का पानी कृषि के काम में ला रहा है। आपके विभाग की लापरवाही से उस ट्यूबवैल का उपयोग विभाग नहीं कर रहा है और भिंडर में 3 दिन से या आल्टरनेटिव डे पर पानी मिल रहा है। अगर यह ट्यूबवैल चालू करा दिया जाये तो निश्चित रूप से पानी मिलेगा।

इसी तरह से भारत सरकार की योजना में जिसमें परीक्षणात्मक ट्यूबवैल खोदे जाते हैं, इस तहसील में 6 जगह ट्यूबवैल खुदे हुए पड़े हैं और 6 के 6 योजनाओं के काम आ सकते हैं–खेरूदा में आ सकता है, वल्लभनगर में आ सकता है, कानोडा में आ सकता है। वटोर में आ सकता है, वहां

(98)

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

सब जगह पानी की प्राब्लम है। इन हैण्ड–पम्पों को पी.एच.ई.डी. अपने पास लेकर और बिजली के कनेक्शन देकर लोगों को राहत पहुंचाने का काम करेगी या नहीं, यही जानकारी मैं चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री किशन मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : सभापति जी, मैं तो एक व्यवस्था आसन से चाहता हूं। मैंने इस माह की 7 तारीख को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, बड़ा महत्वपूर्ण था। उसमें मैंने यह ध्यान आकर्षण करना चाहा था सरकार का कि आज राजस्थान में 9 जिले ऐसे हैं कि जहां यू.आई.टी. कार्यरत है, इसमें हजारों कर्मचारी हैं जिनकी पेन्शन योजना का एक प्रोग्राम बना था, जिसके तहत एक आदेश भी हुआ था। और उस पर कार्यवाही भी हुई। उसमें अभी तक कोई निर्णय नहीं हो रहा है। मेरी चिन्ता यह है और जो हलचल चल रही है उसमें लगता है कि आज के बाद यह विधान सभा स्थगित हो जाएगी इसलिए मैं आपके माध्यम से व्यवस्था चाहता हूं कि मेरे स्थगन प्रस्ताव के सन्दर्भ में आपकी क्या व्यवस्था है ? उसके लिये सरकार आज कोई जवाब दे सकती है या नहीं दे सकती है, यह व्यवस्था चाहता हूं। हजारों कर्मचारी हैं।

श्री सभापति : माननीय मोटवानी साहब, आप अध्यक्ष के चैम्बर में इस सम्बन्ध में वार्ता करें।

श्री किशन मोटवानी : चैम्बर में मैंने कल बात की थी लेकिन मुझे आज लग रहा है....

श्री सभापति : आप पुनः माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में वार्ता करें। माननीय परसराम जी, आप क्या फरमा रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, जीरो आवर में पानी जैसी जो जीवन की मूलभूत समस्या है, उस पर विवाद चल रहा है। हवा के बाद में दूसरी आवश्यक चीज जीवन के लिये पेय–जल है और इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं लेकिन, माननीय पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर साहब, आपने जनवरी के फर्स्ट वीक में यानी 4 जनवरी को जोधपुर डिवीजन के कुछ जगह के लोगों को बुलाया था। मुझे भी आपने उस मीटिंग में उप–स्थित होने का निमंत्रण दिया, बहुत बड़ी मेहरबानी की मेरे ऊपर। उसके बाद में जैसा कि आपके पास बैठे हुए रेवेन्यू मिनि–स्टर साहब जानते हैं, मैं बाड़मेर में था एक–डेढ़ महीने तक। आने के बाद में आपने एक भी हैंडपम्प ठीक नहीं कराया। डेढ़–डेढ़ महीने तक आपकी चालू योजनाओं के अन्दर ट्यूबवैल बन्द पड़े थे। मैंने खुद ने चालू करवाये हैं लिखकर 1 महीने और 11 दिन के बाद में खत्रियों की बेरी वाला में। सभापति महोदय, राजस्थान के 22 हजार 700 और कुछ गावों में अकाल है। अकाल राहत पर आज चर्चा होने वाली है, पानी की भयंकर समस्या है और अगर आप लोग हमको कोई भुलावे में रखना चाहते हैं तो बात और है। पानी की समस्या और गम्भीर होगी। मेरा पहला प्रश्न, सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से यह है, आप यह बताएं कि इन पच्चीस जिलों से

(श्री परसराम मदेरणा)

कन्टिन्जेंसी प्लान आपके पास आये या नहीं ? इमीजिएट पानी की किल्लत खड़ी हो जाएगी उसको मीट आउट करने के लिए हरेक जिला कलक्टर को आपने आदेश दिये थे। उन्होंने पी.एच.ई.डी. के अधिकारियों के साथ कन्टिन्जेंसी प्लान बनाकर आपके सचिवालय के दफ्तर में भेज दिये हैं, आपने उस पर क्या एक्शन लिया है ? कोई निर्देश दिये हैं क्या ? कितनी धनराशि आप मार्जिन मनी में से खर्च करने जा रहे हैं ? कितनी प्लान में से खर्च करने जा रहे हैं ? कितनी मिनिमम नीड प्रोग्राम में से इस इमरजेन्सी को मीट आउट करने के लिए खर्च करने जा रहे हैं ? कितनी एक्सिलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के अन्दर खर्च करने जा रहे हैं ? कृपया इस सदन को कान्फीडेन्स में लें। अगर सदन को आप कान्फीडेन्स में नहीं लेते हैं तो हमारे सामने कोई विकल्प नहीं होगा और हमको एजीटेशनल रुख अख्तियार करना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा। वैसा धरना नहीं जैसे अभी जुगताराम वाले मामले में हुआ। एक पुलिस वाले ने रेप कर दिया, गृहमंत्री जी। याद रखना....

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : उनको पकड़ भी लिया है।

श्री परसराम मदेरणा : यह पुलिस विभाग में कैसे ग्रो हो रहे हैं ? आपका नियंत्रण क्यों नहीं है ?

श्री कैलाश मेघवाल : नियंत्रित किया जाएगा।

श्री परसराम मदेरणा : आप चोटी पकड़िये। आपसे चोटी अभी तक पकड़ी नहीं गयी है। माफ करना यों करने से कुछ नहीं होता है।

श्री सभापति : इशारेबाजी सदन में नहीं होगी।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है इस बात का, हिन्डोली से आने वाले माननीय सदस्य के पास में ज्यादा सूचना होगी कि फिर से वहां 10–12 कैसेज और हो गये हैं। यह भभक रहे हैं केरोसिन वाले....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : परसों 4 डैथ हुई है।

श्री परसराम मदेरणा : 4 डैथ हो गयी हैं और 12 केसेज में लोग झुलस गये हैं। आप कहते हैं कि हमने सब को सचेत कर दिया है, सावधान कर दिया है, ढिंढोरा पीट दिया है, सब जगह लोग ढोल बजाकर घूम रहे हैं। लोग तो मर रहे हैं, यह कैसी सजा है ? What for this government is ? इसके लिये जो भी जिम्मेदार हैं, जिसने भी उस क्षेत्र के अन्दर लोगों को सचेत नहीं किया है और अब इसके बाद में भी घटनायें हो रही हैं या मृत्यु हो रही है तो आपको एक्शन लेना चाहिये। It is not a natural death or unknown death but it is a murder amounting to culpable homicide under section 302. आपको एक्शन लेना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं विषयान्तर हो गया था, आपसे माफी चाहता हूं। आज समस्या पानी की है। बिन पानी सब सून। मैंने एक दफा कहा था, कहूं या नहीं कहूं,

(श्री परसराम मदेरणा)

मैंने कहा था कि आपका स्टोनी फेस है। इसमें न तो कोई जजबात आते हैं, न यह मालूम होता है कि प्रसन्न हैं या नाराज हैं। आप इसको स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं ? क्या करते हैं ?

श्री सभापति : दूसरे शब्दों में इसको स्थितप्रज्ञ भी कहा जा सकता है।

श्री परसराम मदेरणा : चतुर्वेदी जी के कुछ भी बात हो उनके चेहरे से मैं पता लगा लेता हूं I am also a psychiatrist. इस वक्त पानी की बहुत बड़ी समस्या है और आपका मेथड इस दुनियां को अननोन है। आप किस तरह से काम कर रहे हैं ? कैसे कर रहे हैं, क्या हुक्म दे रहे हैं ? बोलते आप जोर से नहीं हैं इसलिये कोई यह भी नहीं समझ पाता कि आप क्या कह रहे हैं। कण्टिन्जेंसी को मीटआउट करने के लिये आपके पास प्लान आ गये हैं और अगले 3 महीने यानी 90 दिन बहुत विषम रहेंगे, मंत्री महोदय। सभी जिलों के अन्दर जहां पानी की समस्या है वहां पानी की समस्या बहुत गम्भीर होने वाली है। जिस जगह आप आलरेडी पानी दे रहे हैं और ट्यूबवैल बिलकुल खराब हो गये हैं खराब इसलिये नहीं हुए हैं कि अण्डरग्राउण्ड वाटर नीचे चला गया है बल्कि मशीनें गिर गयीं, उस लेबल पर ट्यूबवैल खोदा जा सकता है, पाइप लाइन को आगमेन्ट किया जा सकता है, बूस्टर लगाये जा सकते हैं–जितनी भी आप पानी की व्यवस्था कर सकते हैं व्यवस्था करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी माननीय मदेरणा साहब ने बात कही है और आज सदन में प्राकृतिक आपदाओं से राहत पर चर्चा होगी उसमें मुख्य रूप से अकाल और पानी की समस्या आएगी। सभी माननीय सदस्य जिन्होंने हाथ उठाये हैं उनको मैं उस समय अवसर देने की स्थिति में होऊंगा। इस समय मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं क्षमा चाहता हूं। अब श्री विष्णु मोदी जी।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं नीमकाथाना की एक बात निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्रीमती कमला : अकाल की चर्चा में पानी की चर्चा भी शामिल कर दें तो दोनों मुद्दे शामिल हो जाएंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : मोदी जी, बिराजें।

श्री मोहनलाल मोदी : बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाह रहा हूं कि हैण्डपम्प ठीक कराने की बात कही थी, यह कहा था कि 31 मार्च तक सारे हैण्डपम्प ठीक हो जाएंगे। हैण्डपम्प ठीक होने का काम शुरू हुआ लेकिन एक भी हैण्डपम्प ठीक नहीं हो पाया। मेरे यहां 400 हैण्डपम्प खराब हैं। मंत्री महोदय, जहां 400 हैण्डपम्प खराब हों वहां आप क्या करना चाहेंगे ? गर्मी का मौसम आ रहा है और पानी की इतनी बड़ी दिक्कत है। टंकियों में पानी पहुंच नहीं रहा है, पाइप लाइन दे नहीं रहे हैं। हरिजनों और एस सी, एस. टी. के मोहल्ले बिना पानी के हैं, पाइप लाइन से से जुड़े हुए नहीं है। मैं आपसे निवेदन

(श्री मोहनलाल मोदी)

करना चाह रहा हूं कि जितने हैण्डपम्प खराब हैं उनकी जगह तो कम से कम आप नये हैण्डपम्प दें और पानी के लिये राहत दिलाएं। बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी समस्या है पानी की।

श्री सभापति : मैं सबको दूंगा, लेकिन आप बैठें।

श्री रतनलाल ताम्बी : आश्वासन दिया है आपने।

श्री सभापति : मैंने विष्णु जी मोदी को पुकारा है, श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, विजयनगर नगर पालिका के चेयरमैन को जो निलम्बित किया गया था, इसी सदन में उसके बारे में सरकार ने बयान देने की बात कही थी। आज तक बयान नहीं आया है। हम 15 आदमियों ने एडजार्नमैण्ट मोशन दिया है, उसके ऊपर कुछ हुआ नहीं है। विजयनगर नगर पालिका के चेयरमैन के निलम्बन के सम्बन्ध में क्या आप आज जवाब दे रहे हैं?

श्री सभापति : आपने रैफर कर दिया, माननीय सदस्य, आपका रेफरेंस आ गया।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : गवर्नमैण्ट का कमिटमैण्ट है कि हम जवाब देंगे।

श्री विष्णु मोदी : मैं यह पूछना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि क्या बयान आज वे दे रहे हैं?

श्री सभापति : आप अध्यक्ष महोदय से इस सम्बन्ध में चर्चा कर लें।

श्री विष्णु मोदी : मैं तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय से....

श्री सभापति : मैं आसन के माध्यम से ही आपको कह रहा हूं कि आप अध्यक्ष महोदय से चैम्बर में बात करें।

श्री विष्णु मोदी : बात सीधी सीधी साफ है कि इन्होंने ग्रोस डिस्क्रिमनेशन किया है।

श्री सभापति : मैं अनुमति नहीं दूंगा। अंकित नहीं हो।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री सभापति : मैंने कह दिया, अध्यक्ष महोदय से चैम्बर में बात करें आप। अभी जाएं, तय कर लें। सरकार का वक्तव्य दिला देंगे अध्यक्ष महोदय।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री सभापति : अध्यक्ष महोदय तय करेंगे तब मंत्री जी देंगे।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री कालूलाल गुर्जर : × × ×

श्री सभापति : विराजिये, माननीय सदस्य। विष्णु जी, बिराजें। देखिये, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि आज पानी के बारे में आप लोगों ने गम्भीर बात उठायी है, मैं सबको एक-एक मिनट बोलने की अनुमति दे रहा था। लेकिन मैं यह

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सभापति)

समझता हूं, जैसा माननीय कमला जी ने कहा कि आज अकाल का भी डिस्कशन होगा उसमें पानी का भी डिस्कशन होगा। माननीय मंत्री महोदय सबकी बात सुनेंगे। जो कठोर समस्या है पानी की उस पर अकाल के समय जो जवाब होगा, कोई बात कहना चाहें तो कहेंगे। अभी इसको मैं समाप्त करता हूं, 295 पर चर्चा शुरू होती है। श्री रामनारायण....(व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं आपको। अंकित नहीं हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : X X X

श्री विष्णु मोदी : X X X

श्री कालूलाल गुर्जर : X X X

श्री सभापति : श्री रामनारायण जी। 295 चालू हो गये हैं। ....(व्यवधान) आप बिराजें। रामनारायण जी बोल रहे हैं। 295 बोलें, उसी का अंकित होगा।

श्री विष्णु मोदी : X X X

श्री कालूलाल गुर्जर : X X X

श्री सभापति : विष्णु जी का अंकित नहीं होगा। 295 बोलें उसी का अंकित किया जाए।

श्री कालूलाल गुर्जर : X X X

श्री सभापति : मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं, माननीय सदस्य।

श्री विष्णु मोदी : X X X

श्री सभापति : माननीय सदस्य; आप बिराज जाएं। मैंने आपसे निवेदन किया था, सुबह माननीय अध्यक्ष महोदय को आपने जब निवेदन किया था तो उन्होंने कहा था कि आप अपने स्थगन प्रस्ताव का रेफरेंस दे दें। आपने रेफरेंस दे दिया, आप मंत्री महोदय से वक्तव्य चाहते हैं, मैं तो उनको वक्तव्य देने के लिये बाध्य नहीं कर सकता।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बाध्य नहीं, उनका खुद का कमिटमैण्ट है।

श्री सभापति : आप बिराजें, मेरी बात सुन लें।

अध्यक्ष महोदय यदि व्यवस्था करके आपके स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य दिलाते तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता। आप कृपया अध्यक्ष महोदय से वेश्म में बातचीत कर लें। माननीय मदेरणा साहब।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, उस दिन विजयनगर नगर पालिका के अध्यक्ष के निलम्बन के सम्बन्ध में जब चर्चा चली थी तो स्टेटमैण्ट की बात आयी थी। उसके बाद में यह उचित समझा क्योंकि हाउस में काफी गर्मा-गर्मी हो गयी थी, कि स्टेटमैण्ट इनको बाद में दे देना चाहिये। आज ऐसी आवश्यकता नहीं है आपने कहा कि स्टेटमैण्ट मैं अभी दे सकता हूं। अगर आप रेलेवेण्ट फाइल नहीं लाये हैं तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप डिपार्टमैण्ट से, सैक्रेटेरिएट से इमीजिएटली फाइल मंगवा लीजिये क्योंकि आपका स्टेटमैण्ट तो तैयार है। हो सकता है, आपके साथ आया हो। अगर नहीं मंगवाया है तो फाइल मंगवा लीजिये और स्टेटमैंट दे

X X X : अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किये गये।

(श्री परसराम मदेरणा)

दीजिये। वह फैक्चुअल पोजीशन है, उसमें कोई बात है नहीं वैसे।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, विधान सभा की जो कार्य सूची है उसके अनुसार चलना होता है। अगर माननीय अध्यक्ष इसमें आज मुझे आदेश देते तो मैं निश्चित रूप से इसका जवाब दे सकता था। अब विधान सभा की प्रक्रिया में आज तो यह एनलिस्ट है नहीं, फिर अध्यक्ष महोदय जैसा कहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप मुझे कहो और मैं स्टेटमैण्ट दे दूं। आखिर में विधान सभा के....(व्यवधान).... मैं उसमें आपत्ति नहीं कर रहा लेकिन कुछ प्रक्रियाएं हैं। अध्यक्ष महोदय हमको आदेश देते हैं, जैसे आज दो–तीन हमारे ध्यानाकर्षण लगे हुए हैं, जवाब देंगे उनका। जब इसमें एनलिस्ट होगा तो I will definitely reply to it. कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। व्यवस्था तो यही है उसकी। ऐसे तो कई सारे विषय होंगे, रोज उठेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, यह ऐसी बात नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसमें आ जाएगा तो दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : आप कौल एण्ड शकधर बन रहे हैं, रूल्स का इण्टर–प्रिटेशन लगा रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : कोई कौल एण्ड शकधर नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, आप मेरी बात सुनिये।

सभापति महोदय, एक दफा नहीं शायद एक दर्जन से ज्यादा मैंने स्टेटमैण्ट दिये होंगे, अध्यक्ष ने कभी मुझे उसमें दखल नहीं किया अगर गवर्नमैण्ट स्टेटमैण्ट देना चाहती हैं किसी भी मामले में जिसकी चर्चा पहले हो गयी है। ज्यों ही किसी मैम्बर ने उठाया, उस दिन मेरे पास फैक्ट्स नहीं थे तो फैक्ट्स मैं साथ लाता था कि मैं आज स्टेटमैण्ट दूंगा। अगर स्टेटमैण्ट देने की बात है और बिजनस में नहीं भी है और अगर गवर्नमैण्ट यह चाहती है, क्योंकि सत्र का आज आखरी दिन है, और स्टेटमैण्ट देने की बात आपने स्वयं यहां पर कही थी इस–लिये स्टेटमैण्ट देना आज आवश्यक है, नितान्त आवश्यक है। अगर आज की कार्य सूची में नहीं आया है तो भी किसी भी ऐसे मामले में जो लोगों से सम्बन्ध रखता है, किसी भी जनप्रतिनिधि के अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है, उसके सम्बन्ध में शंकाएं-प्रतिशंकाएं हैं तो गवर्नमैण्ट के स्टैण्ड की जानकारी करना हरेक माननीय सदस्य का राइट है। इसलिए हम यह क्लेम कर रहे हैं कि आप आज स्टेटमैण्ट दीजिये, आपको स्टेटमैण्ट देना पड़ेगा। आपको डैफर करना पड़ेगा अगर दूसरा बिजनस है तो। यह सदन सुप्रीम है। बी ए सी और कार्य संचा-लन के लिये आसन सुप्रीम है। लेकिन ऐसे मामलों में जहां आज आखरी दिन है, आपको भी देखना चाहिये। सभापति जी, आप इनको कह दीजिये कि हां, स्टेटमैण्ट दे सकते हैं। अध्यक्ष की अनुमति की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं तो यहां तक तैयार हूं, फाइल्स मंगा लें दो घण्टे-ढाई घण्टे के बाद मगा लें। जब फाइल्स इनके पास में हैं तो स्टेटमेंण्ट दे

(श्री परसराम मदेरणा)

देना आप आज ही, जो भी सुविधाजनक हो।

श्री सभापति : मंत्री महोदय अध्यक्ष महोदय से चैम्बर में बात कर लें, आप भी कर लें और इस पर तैयार हों तो उनसे बात कर लें। 295।

श्री विष्णु मोदी : मैं यह बात नहीं उठा रहा हूं। इसी सदन में जब चर्चा हुई थी नील गायों के सम्बन्ध में....(व्यवधान)

श्री सभापति : 295 के अलावा और कुछ अलाऊ नहीं करूंगा। नो–नो विष्णुजी, बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आसन की तरफ से यह रूलिंग है कि इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। मैंने उसके ऊपर नोटिस भी दिया और आज मुझे अभी 11 बजे बाद में यह मिला है कि उसको निरस्त कर दिया गया है।

श्री सभापति : सब प्रकार के नोटिस पर चर्चा नहीं होती सदन में। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : तो मेरा आपसे निवेदन है कि यह नील गाय की जो समस्या है वह एक भारी समस्या है....

श्री सभापति : आप बिराज जाएं। श्री रामनारायणजी। विष्णुजी का अंकित नहीं होगा।

श्री विष्णु मोदी : ×××

श्री सभापति : नहीं होगी, माननीय बिराज जाएं। माननीय श्री रामनारायणजी चालू रखेंगे। 295 के अलावा किसी माननीय सदस्य को अलाऊ नहीं करूंगा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

नैनवां जिला बूंदी में सरकारी कुओं की गहराई बढ़ाना

श्री रामनारायण (नैनवां) : बूंदी जिले की पेयजल समस्याग्रस्त तहसील नैनवां में मवेशियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्र के गांवों में स्थित सरकारी कुओं को गहरा करवाये जाने हेतु विभिन्न विभागों में तालमेल बिठाने हेतु प्रस्ताव सदन में पेश कर रहा हूं।

मान्यवर, बूंदी जिले की तहसील नैनवां में भूमिगत जल के स्तर में लगातार गिरावट होने से प्रत्येक गांव में पूर्व में बने हुए सरकारी कुएं सूख गये हैं या जल स्तर काफी कम हो गया है। पूर्व के हैण्डपम्पों की खुदाई कम गहराई तक करने से सैंकड़ों हैण्डपम्प नाकारा हो चुके हैं। अब गहराई अधिक करने की जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पास कोई योजना नहीं है। नये हैण्डपम्प स्थापित किये जाने में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा निर्धारित अव्यावहारिक मापदण्डों के कारण पेयजल समस्याग्रस्त गांवों, मजरों, ढाणियों एवं आदिवासी/हरिजन बस्ती के लिये नये हैण्डपम्प स्वीकृत किये जाने में दिक्कतें आती हैं। नैनवां क्षेत्र में नाकारा हैण्डपम्पों की जगह नये हैण्डपम्प पूरी मात्रा में नहीं खोदे जाने से भी पानी की समस्या बढ़ती जा

×××: अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रामनारायण)

रही है । जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बूंदी के पास निम्न स्थानों पर स्थित सरकारी कुओं को गहरे करवाने की कार्यवाही लम्बित है :-

(1) ग्रांम देलून्दा (ग्राम पंचायत पीपल्या)
(2) ग्राम गम्भीरी (ग्राम पंचायत रजलावता)
(3) इन्दिरा रेगरान कालोनी देई
(4) ग्राम देवपुरा (ग्राम पंचायत मोड़सा)
(5) ग्राम कालाभाल (ग्राम पंचायत गुढ सदावर्तिया)
(6) ग्राम छापरदा (ग्राम पंचायत रूपावदा)
(7) ग्राम रजलावता
(8) ग्राम देवरिया बड़वा की (ग्राम पंचायत खानपुरा)
(9) बैरवा मौहल्ला ग्राम सुरगली (ग्राम पंचायत बोछोला)
(10) बैरवा मौहल्ला ग्राम रालड़ी (ग्राम पंचायत रजलावता)
(11) ग्राम जरवाना (ग्राम पंचायत रायथल)
(12) कल्याणपुरा ग्राम रायथल
(13) बैरवा मौहल्ला ग्राम बाछोला
(14) ग्राम उगेत (ग्राम पंचायत बाछोला)
(15) ग्राम दियाली (ग्राम पंचायत खानपुरा)
(16) ग्राम महावीरपुरा (ग्राम पंचायत सोसोला)
(17) ग्राम बन्जारी बावड़ी (ग्राम पंचायत रजलावता)
(18) हरिजन के सामने का कुआ, ग्राम गम्भीरी
(19) रैगर मौहल्ला देई
(20) ग्राम मीणों की झौंपड़ियां (ग्राम पंचायत जैतपुर)
(21) ग्राम लुहारपुरा (ग्राम पंचायत पीपल्या)
(22) ग्राम बूदकरवर (ग्राम पंचायत माणी)
(23) बैरवाओं के झौंपड़े ग्राम अदियाली (ग्राम पंचायत करवर)

जिनकी गहराई बढ़ाये जाने पर पानी की समस्या का हल हो सकता है तथा मवेशियों के पीने के पानी की समस्या भी हल हो सकती है किंतु उपरोक्त वर्णित कुओं की मरम्मत एवं गहराई बढ़ाने का कार्य कोई विभाग करने को तैयार नहीं है । जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने इस कार्य को करने से मना कर दिया है तथा भू-जल विभाग द्वारा उपकरणों एवं स्टाफ की कमी बताकर कार्य नहीं किया जा रहा है । ग्राम महावीरपुरा (ग्राम पंचायत सोसोला) के कुएं को गहरा कराने के लिये रुपये 600.-00 जमा करवाये एक वर्ष से अधिक समय होने के उपरान्त भी कार्य नहीं करवाया गया है । उपरोक्त कुओं को गहरा कराने के लिये ग्रामीण निवेदन करते रहते हैं । जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भू-जल विभाग, पंचायत विभाग एवं बूंदी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में आपसी तालमेल के अभाव में कुओं की गहराई बढ़ाने सम्बन्धी कार्य नहीं होने से ग्राम जनता को परेशानी हो रही है ।

(श्री रामनारायण)

उपरोक्त वर्णित विभागों में आपसी तालमेल हेतु कमेटी बनाई जाकर कुएं गहरे करवाकर मवेशियों एवं मनुष्यों को पेयजल की समस्या से निजात दिलाने की कृपा करें।

श्री सभापति : श्री भीमसेन चौधरी।

कंवरसेन लिफ्ट नहर की आर.डी. 110 (एल) से निकलने वाले खाले का विस्तार

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से कंवरसेन लिफ्ट नहर की आर.डी. 110 (एल) से निकलने वाले खाले के विस्तार हेतु ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

कंवरसेन लिफ्ट नहर की आर.डी. 110 के बायें किनारे से एक पक्का खाला बना हुआ है जिससे केवल 8 मुरब्बा जमीन को ही सिंचाई सुविधा दे रखी है। परन्तु किसानों की मांग पर गत वर्ष श्रीमान् एस.ई. साहब कंवरसेन लिफ्ट नहर ने आदेश कर इस चक से समीपस्थ रकबे का सर्वे करवाया। इस सर्वे के अनुसार इस चक से समीपस्थ 32--33 मुरब्बा जमीन और सिंचित हो सकती है। इस वर्ष इस क्षेत्र में भयंकर अकाल है इसलिये ग्राम अरजनसर स्टेशन व ग्राम मिठड़िया में जो अकाल राहत राशि सरकार खर्च करेगी उस राशि से इस खाले को खुदवाकर सारे रकबे में 40–50 मुरब्बों में पानी पहुंचा दिया जाये तो यह अकाल के स्थायी समाधान में भगीरथ प्रयास सिद्ध होगा तथा इन दो गांवों के अकाल का स्थायी समाधान स्वतः ही हो जाएगा। इसके विस्तार से कमाण्ड भूमि की सर्वे शीट, चक प्लान आदि समस्त पत्रावली श्रीमान् एस.ई. साहब कंवरसेन लिफ्ट नहर, बीकानेर के कार्यालय में वास्ते मंजूरी पड़ी हुई है। इसकी स्वीकृति दिलवायी जाए।

श्री सभापति : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

मानसरोवर, जयपुर में अस्पताल की स्थापना

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : सभापति महोदय, सांगानेर निर्वाचन क्षेत्र की मानसरोवर कालोनी में कोई अस्पताल नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी कालोनी मानसरोवर जिसमें आम जनता के साथ विधायक एवं संसद सदस्यों के भी निवास स्थल हैं, यहां कोई अस्पताल न होने से गम्भीर से गम्भीर बीमार को जयपुर लाना पड़ता है जिससे कभी-कभी तो बीमार मरीज की मौत भी हो जाती है।

जयपुर शहर में जो अस्पताल हैं वे इतने बड़े जयपुर शहर की आबादी के इलाज के लिए कम हैं। इसलिये मानसरोवर की इतनी आबादी एवं महत्व को देखते हुए वहां तुरन्त कम से कम 150 बिस्तरों वाला एक अस्पताल खोला जाना चाहिये।

श्री सभापति : श्री रिछपाल सिंह।

नागौर जिले की लाडपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति द्वारा प्रदाय दुग्ध का भुगतान

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : सभापति महोदय, विधान सभा प्रक्रिया नियम

(श्री रिछपाल सिंह)

295 में विशेष उल्लेख के तहत लाडपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लाडपुरा (नागौर) के दुग्ध के भुगतान में हो रहे विलम्ब के क्रम में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम लाडपुरा पंचायत समिति रियांबड़ी जिला नागौर की दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के दुग्ध उत्पादकों द्वारा दुग्ध विलिंग सेण्टर, मेड़ता (नागौर) को सप्लाई किया जाता रहा है। इस वर्ष क्षेत्र के अधिकतर ग्रामों में भयंकर अकाल की स्थिति बनी हुई है तथा दुग्ध अवशीतन केन्द्र, मेड़ता द्वारा भुगतान के अभाव में पशुओं को आहार बन्द कर दिया गया है जिसकी वजह से पशु अकाल मौत के शिकार हो रहे हैं।

अत: आपके माध्यम से मैं माननीय डेयरी मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अकाल की इस भयावह स्थिति में दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, लाडपुरा (नागौर) तथा इसके अलावा मेड़ता दुग्ध अवशीतन केन्द्र के अन्तर्गत आने वाली अन्य दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के दुग्ध का भुगतान जो विगत 21 दिसम्बर, 1993 से बकाया है, उसका शीघ्र भुगतान किया जाए ताकि अकाल की इस भयंकर स्थिति में दुग्ध उत्पादकों को राहत मिल सके और पशुओं को अकाल मौत से बचाया जा सके।

श्री सभापति : श्री हरजीराम बुरडक।

लाडनूं तहसील में ए सी. एम. कोर्ट की स्थापना

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : सभापति महोदय, तहसील मुख्यालय लाडनूं में ए.सी.एम. कोर्ट बाबत नियम 295 के तहत विशेष विशेष उल्लेल है कि नागौर जिले में सभी तहसील मुख्यालयों ए.सी.एम. कोर्ट कार्यरत हैं एवं लाडनूं ही इससे वंचित है। इस सम्बन्ध में लोगों की मांग लम्बे समय से चली आ रही है और कार्यभार के अनुसार इसकी आवश्यकता भी है। इसी बात को ध्यान में रखकर जिला कलक्टर, नागौर ने सरकार से यहां पर कोर्ट खुलवाने की मांग कर रखी है तथा राजस्व मण्डल अजमेर ने भी लाडनूं में यह कोर्ट खोलने की सिफारिश राज्य सरकार से की है। परन्तु अभी तक यह कोर्ट नहीं खोला गया है।

इसी मांग को लेकर लाडनूं के सभी वकीलों ने काफी लम्बे समय तक हड़ताल भी की थी जिस पर आश्वासन मिला था तथा बाद में हड़ताल समाप्त की थी। राजस्व मामलों की अधिकता को देखते हुए तथा जनता को राहत देने के लिये भी लाडनूं में ए.सी.एम. कोर्ट होना अति आवश्यक है। अभी इस कार्य के लिये तहसील के सभी लोगों को डीडवाना एस.डी.एम. कोर्ट में जाना पड़ता है। एस.डी.एम. के पास अन्य कार्यभार अधिक होने के कारण राजस्व मामलों की सुनवाई नहीं हो रही है और मामले लम्बे समय तक लम्बित पड़े रहते हैं।

अत: मैं इस विशेष उल्लेख के जरिये राज्य सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि जिला कलक्टर, नागौर और राजस्व मण्डल अजमेर की सिफारिश के आधार पर लाडनूं में ए.सी.एम. कोर्ट खोलने की स्वीकृति प्रदान कराएं।

श्री सभापति : श्री मांगीलाल मेघवाल।

केशवरायपाटन में अधिकारियों की मनमानी से उत्पन्न पेयजल संकट

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन) : सम्माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन में भौगोलिक स्थिति के कारण अधिकांश गांवों में वर्षों से भारी पेयजल संकट बना हुआ है। कुछ क्षेत्र चम्बल सिंचित क्षेत्र के तहत आता है जहां जमीन में जल स्तर बहुत ही ऊपरी सतह पर होने से पुराने कुओं का पानी खराब हो गया है। बरसात में तो ऊपरी जल बहाव से कुएं डूब जाते हैं। पानी ऊपरी सतह पर ही होने से पीने योग्य नहीं है। इन क्षेत्रों में कुछ गांवों में हैण्डपम्पों से खारा पानी ही निकलता है। दूसरी ओर नदियों एवं खालों का क्षेत्र है जहां पीने का पानी 150 से 200 फीट गहरा है। वहां हैण्डपम्पों की खुदाई पर्याप्त नहीं होने से हर वर्ष पानी समाप्त हो जाने से पूर्व में खोदे गये हैण्डपम्प बेकार हो रहे हैं।

इसके समाधान हेतु गत कई वर्षों से मांग करते रहने पर योजनाएं बनायी जाती हैं पर वे उच्च स्तर से दोषपूर्ण बताकर लौटा दी जाती हैं। जिससे कई गांवों में वहां के निवासी 2 किलोमीटर दूरी तक भी पानी नहीं प्राप्त कर भारी संकट में हैं और इस मानवीय आवश्यकता की पूर्ति से वंचित किये जा रहे हैं।

(1) ग्राम रेवारपुरा पंचायत मुख्यालय है यहां की योजना गत पांच वर्षों से स्थानीय सहायक अभियन्ता, लाखेरी की मनमानी एवं बून्दी अधिशासी अभियन्ता की अकर्मण्यता से अधरझूल में है। हर वर्ष यहां नदी का पड़ा गन्दा पानी पीने से हैजा होता है। माननीय मंत्री महोदय ने वर्ष 1991 में टैंकर लगाये जाने के आदेश बून्दी में पधारे जब दिये थे। वह बहुत ही महंगा है, इसका समाधान अति आवश्यक है।

(2) ग्राम अनरेठा, पचविला, श्रीपुरा, रड़ी आदि की भी योजनाएं नहीं बनाये जाने से यहां भारी पेयजल संकट है। हर वर्ष भारी मुसीबत होकर गर्मियों में तो असहनीय हो जाती है। समाधान कराएं।

(3) कापरेन नगर की योजना हुडको को पेश होनी थी, वह भी हर बार टलने से समस्या यथावत है।

(4) लाखेरी, केशवरायपाटन, कापरेन आदि नगरों में जो राशि अनुसूचित जाति मोहल्लों के लिए एक वर्ष पूर्व मैंने सवाई–माधोपुर अधीक्षण अभियन्ता एवं कोटा के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता से मिल कर स्वीकृत करवायी थी उसकी भी कोई प्रगति जानबूझकर नहीं हो रही है।

(5) गांवों में हैण्डपम्प खोदने वाली मशीनें मात्र मार्च, अप्रेल, मई एवं जून में ही जा पाती हैं। अतः जो भी हैण्डपम्प स्वीकृत हैं इनको इन महीनों में नहीं लगाने से वर्ष भर समस्या बनी ही रहती है।

अतः मेरी मांग है, मैंने पूर्व में भी हर तीसरे–चौथे महीने इन समस्याओं के समाधान हेतु लिखा, सवाई माधोपुर, कोटा एवं जयपुर में भी मुख्य अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों से मिलकर समस्या के सम्बन्ध में जानकारी दी और कहा, कि इनका समाधान तुरन्त प्रभाव से करवाएं ताकि वर्षों

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

से हो रही पेयजल समस्या से राहत हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रघुवीरसिंह मीणा। (अनुपस्थित)। श्री भीखा भाई।

सागवाड़ा में महाविद्यालय की स्थापना

श्री भीखा भाई (सागवाडा) : सभापति महोदय, सागवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र का मुख्यालय सागवाड़ा कस्बा डूंगरपुर जिले का एक महत्वपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र है। यहां लगभग 80 वर्ष की पुरानी नगर पालिका है। वर्तमान उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, सिविल जज कोर्ट, लड़के एवं लड़कियों के सीनियर सैकण्डरी स्कूल, पृथक–पृथक दो विद्यालय एवं कतिपय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा–उदयपुर सड़कों से जुड़ा हुआ है। सागवाड़ा शहर डूंगरपुर जिले का प्रमुख व्यापारिक केन्द्र है। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के मध्य आवागमन साधनों के अतिरिक्त कई सार्वजनिक संस्थान विद्यमान हैं।

सागवाड़ा कस्बे के आसपास 10 मील की परिधि में कई माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। परन्तु कस्बे में उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिये महाविद्यालय का अभाव है जिससे यहां छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा के अध्ययन में असुविधा व परेशानी होती है। भूतपूर्व मुख्य मंत्री माननीय श्री हरिदेव जोशी एवं श्री शिवचरणजी माथुर ने भी आम जनता को सम्बोधित करते हुए आश्वासन दिया था, परन्तु उसका पालन वर्तमान सरकार ने नहीं किया। वर्तमान मुख्य मंत्री महोदय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने 1990 के चुनाव के दौरान में ऐसी ही अभिव्यक्ति की थी।

छोटे छोटे स्थानों, जैसे– कुशलगढ़, सलूम्बर, प्रतापगढ़ आदि में तो महाविद्यालय खोल दिये गये हैं जबकि सागवाड़ा के लोग 10 वर्षों से महाविद्यालय खोलने की मांग कर रहे हैं, परन्तु राजनीतिक कारणों से इस पर सरकार ने पुनर्विचार नहीं किया है।

अतः माननीय मुख्यमंत्रीजी एवं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि इस सत्र से महाविद्यालय खोलने की कृपा करें ताकि आदिवासी लोगों में शिक्षा का और अधिक प्रसार हो सके और वे अपने स्थान पर ही उच्च अध्ययन कर सकें। जयहिन्द।

(14.00)

श्री सभापति : श्री फूलचन्द मीणा।

उदयपुर के अधिशाषी अभियन्ता विद्युत खण्ड मुख्यालय की सलूम्बर में स्थापना

श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) : सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विद्युत खण्ड का मुख्यालय उदयपुर से सलूम्बर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

सलूम्बर उपखण्ड मुख्यालय आदिवासी बहुल केन्द्र है और आदिवासी व आदिवासी क्षेत्र के अन्य लोग गरीबी का जीवन जीते हैं। जीवन यापन की मूलभूत जरूरत में ऊर्जा का महत्व प्राथमिक है। पावर होने से उद्यमी उद्योग लगाने में साहस कर सकते हैं। उद्योगों के स्थापन पर गरीब एवं

(श्री फूलचन्द मीणा)

आदिवासी जनता को रोजगार मुहैया होने की पूरी-पूरी सम्भावना होती है। पानी की दृष्टि से जयसमन्द झील है और श्रमिक भी सरकार द्वारा नियत दैनिक वेतन दर पर बहुतायत में उपलब्ध होंगे। ऐसी सभी अनुकूल स्थितियों में पावर की प्रस्तावित योजना 132 के.वी. की विद्युत ग्रेड स्टेशन का कार्य कब तक प्रारम्भ किया जाएगा ? माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से जानकारी की गुजारिश के साथ शीघ्र योजना आरम्भ करने का अनुरोध है। आवश्यक जमीन प्रशासन ने उपलब्ध करा दी है। विगत दो वर्षों से योजना के आरम्भ होने की इन्तजारी सलूम्बर की जनता कर रही है उसे खत्म कर शीघ्र कार्य आरम्भ करेंगे, ऐसी मेरी आशा है।

विद्युत दैनिक जीवन व खेती, उद्योग के लिये नितान्त आवश्यक है। प्राथमिक आवश्यकता के महत्व को समझ कर मेरा निवेदन है कि इस आदिवासी ग्रामीण मुख्यालय केन्द्र में सराड़ा, खैरवाड़ा और धरियावद तहसीलें आती हैं जो कि जनजाति उप योजना क्षेत्र की हैं।

विद्युत मण्डल का सीधा-सीधा सम्बन्ध जनता, किसानों, व्यापारियों और उद्योग-पानी आदि से रहता है लेकिन संचालक मण्डल का अधिशासी अभियन्ता, रा.रा.वि.म., खण्ड उदयपुर मुख्यालय पर स्थित है जो कदाचित उचित एवं व्यावहारिक नहीं है। गरीब एवं आदिवासी ग्रामीण जनता का 100-140 किलोमीटर दूरी से उदयपुर जाना-आना सम्भव नहीं है। इसके आर्थिक एवं समय की बर्बादी दोनों ही पक्ष हानिकारक हैं। सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्यों हेतु जनता को खण्ड कार्यालय में आना पड़ता है। ऐसी सभी परिस्थियों को मद्दे नजर रख कर इस कार्यालय का मुख्यालय अविलम्ब उदयपुर से हटाकर सलूम्बर उपखण्ड उप जिलाधीश मुख्यालय पर स्थापित कराएं एवं प्रशासन का विकेन्द्रीकरण कर गरीब आदिवासी जनता को शीघ्र सस्ता, सीधा लाभ दिलाएं।

(14.02)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन।)

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र रावत।

श्री रामस्वरूप मीणा : पाइंट आफ आर्डर।

श्री सभापति : हां, बोलिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : मैंने अध्यक्ष महोदय से सुबह ही निवेदन किया था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्दर 4 महन्तों की हत्या हो चुकी है। सरकार से बार-बार मैंने मांग की है, उसके बारे में कोई भी किसी प्रकार की जानकारी सरकार ने आज तक नहीं दी है। सभापति महोदया, बहुत ही गम्भीर मसला है। महन्त मारे जा रहे हैं, मन्दिर बरबाद हो रहे हैं, मन्दिर भी सुरक्षित नहीं रहे, मूर्तियां चोरी होती चली जा रही हैं। ऐसे महत्वपूर्ण मसले के ऊपर आप कोई व्यवस्था दिलाएं, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति : व्यवस्था दिलवा दी जाएगी।

श्री रामस्वरूप मीणा : दिलवा दी जाएगी, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र रावत। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : व्यवस्था का प्रश्न मैंने उठाया था, मैं मांग कर रहा था कि मेरे क्षेत्र में हत्याएं हो रही हैं, हत्याओं के बारे में सरकार से जानकारी दिलाएं।

श्री सभापति : आप रिपीट नहीं करें, विराजें। बार–बार रिपीट कर रहे हैं।

कोटपूतली क्षेत्र में लाइमस्टोन का अवैध खनन

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में लाइमस्टोन की खानों में अवैध खनन के सम्बन्ध में चर्चा करना चाहता हूं। मैं सदन व सरकार के समक्ष निम्न लोक महत्व के तथ्यों के बिन्दु रख रहा हूं।

कोटपूतली तहसील में मोहनपुरा, जोधपुरा, कुजोता, अजीतपुरा व भैंसलाना के निकट बड़े पैमाने पर चोरी से लाइमस्टोन का खनन कर विक्रय किया जा रहा है। क्षेत्र के निकट पड़ने वाली सिवाय चक भूमि के अतिरिक्त निजी खातेदारी भूमि में प्रचुर मात्रा में लाइमस्टोन के भण्डार हैं। यहां से आसपास के सीमेण्ट प्लान्ट व चूने भट्टों को बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आपूर्ति की जाती है, वहां बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है।

बड़े दुःख का विषय है कि इस क्षेत्र में राजनैतिक व व्यक्तिगत प्रभाव से कुछ लोगों ने एकाधिकार की प्रवृत्ति से बड़े आकार के खनन पट्टे स्वीकृत करवा लिये हैं जिसमें से वे कुछ सौ मीटर क्षेत्र में ही कार्य कर पाते हैं। इन गांवों के आसपास खेतों में लाइम–स्टोन है, अतः खातेदारी काश्तकार को ही खनन के लिये पट्टे जारी करते हुए इस अनधिकृत एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोका जाए एवं रायल्टी व सैल्स टैक्स की वसूली के नाके या ठेके दिये जाएं। बिना रायल्टी व बिक्री कर चुकाये माल की खपत कर अंकुश लगाया जाए।

माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा काश्त–कारों को खनन पट्टे देने के कई वादे चुनावी सभाओं में किये गये थे, लेकिन अभी तक इस ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः इन अत्यन्त लोक महत्व के तथ्यों पर सरकार व सदन के समक्ष चर्चा की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री उदयलाल आंजना।

निम्बाहेड़ा के डार्क जोन

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निम्बाहेड़ा के डार्क जोन के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

निम्बाहेड़ा और छोटी सादड़ी पंचायत समितियों को पिछले कई वर्षों से डार्क जोन घोषित कर रखा है जबकि इन दोनों पंचायत समितियों के साथ घोषित अन्य डार्क जोन क्षेत्रों को नोन डार्क जोन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। पंचायत समिति निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी डार्क जोन घोषित

(११२)

(श्री उदयलाल आंजना)

होने से इस क्षेत्र के काश्तकारों को कुएं खुदवाने, ट्यूबवैल लगवाने आदि सिंचाई के साधनों पर किसी प्रकार का बैंक या अन्य संस्थानों द्वारा ऋण नहीं दिया जा रहा है। साथ ही यह निवेदन है कि न जाने किस मापदण्ड से इस क्षेत्र को डार्क जोन घोषित कर रखा है। इस क्षेत्र में वर्षा कम हुई है और अकाल की स्थिति के बावजूद जो नये ट्यूबवैल लगाये जा रहे हैं उनमें से पानी मिल रहा है। साथ ही जो काश्तकार सक्षम हैं वे अपने ओपन वैल खुद बना रहे हैं, उनमें भी पानी मिल रहा है। अतः निवेदन है कि पुनः सर्वे करा कर अविलम्ब डार्क जोन को नोन डार्क जोन क्षेत्र घोषित किया जाए।

श्री सभापति : श्री मोहन लाल बारूपाल।

गोठ मांगलोद से रोल सड़क का डामरीकरण

श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) : महोदय, विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के तहत गोठ मांगलोद से रोल सड़क के डामरीकरण के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल के ग्राम गोठ मांगलोद से रोल तक 15 किलोमीटर ग्रेवल रोड करीब 15 वर्षों से बनी हुई है। गोठ मांगलोद में दधीमती माताजी का मन्दिर बना हुआ है, वहां मेला भरता है। वहीं पर माइन्स में जिप्सम का उत्पादन होता है और जिप्सम देश के अनेक राज्यों में ट्रकों द्वारा सप्लाई की जाती है। यही आवागमन की मुख्य सड़क है। बरसात के मौसम में आवागमन में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है तथा अधिक बरसात होने पर सड़क का आवागमन बन्द हो जाता है। अतः इस महत्वपूर्ण सड़क का शीघ्र डामरीकरण करवाया जाए। इस सड़क के अलावा बुरडी से भाडोती 3 किलोमीटर, भाडोती से सुरपालिया 6 किलोमीटर, अड़बड़ से तरनाऊ 9 किलोमीटर और ज्याणी से छोटी खाटू 4 किलोमीटर आदि सड़कों को भी डामरीकृत कर दिया जाए ताकि बरसात के मौसम में आवागमन की समस्या का निवारण हो सके।

श्री सभापति : श्री बाबूलाल बछेर।

दूदू के किसानों की सिंचाई व्यवस्था

श्री बाबूलाल बछेर (दूदू) : महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत सिंचाई मंत्री का ध्यान दूदू विधान सभा क्षेत्र के किसानों की सिंचाई समस्या की ओर दिलाना चाहूंगा।

यह विडम्बना ही है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र दूदू जयपुर जिले का हिस्सा होकर भी काफी पिछड़ा हुआ है और शुरू से ही उपेक्षित भी रहा है। यहां की सबसे प्रमुख और विकराल समस्या सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध नहीं होना है, जबकि यहां की जमीन पूरी तरह उपजाऊ और खेती योग्य है। इस समस्या का मुख्य कारण है कि गत सालों से कुओं का जल स्तर नीचे चला गया है। अधिकतर जल खारा होने का कारण भी है, साथ ही सिंचाई विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही भी रही है।

(श्री बाबूलाल बछेर)

मेरे क्षेत्र में अब सिचाई होती है तो केवल कुछ जगह तालाब–तलैयों से होती है लेकिन वह भी पूरे क्षेत्र में नहीं होती है। मेरे यहां सिचाई के नाम पर छोटे–बड़े करीब 25 बांध हैं लेकिन इनमें से मात्र पांच बांध ही कार्यरत हैं, बाकी 20 बांध अधूरे पड़े हैं। आज तक सरकार की ओर से कोई देखने वाला नहीं है। इतने वर्षों बाद भी इन बांधों का कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ ? क्या इसमें अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हाथ नहीं है सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि आने वाली बरसात से पहले अकाल राहत में इन बांधों का कार्य पूरा करवाया जाए जिससे लाखों किसानों को पानी उपलब्ध हो सके।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र दूदू में एक बहुत बड़ा बांध है जिसका नाम कालख है। इस बांध को सरकार ने करोड़ों रुपये लगा कर सिंचाई के लिये बनाया था, जिससे 7–8 वर्ष पहले तक लाखों बीघा जमीन की पिलाई होती थी। आज इस बांध की जो स्थिति है शायद अधिकारियों ने सरकार को नहीं बतायी होगी। बांध में जहां पानी भरता था वहां पर आज लाखों टन मिट्टी भरी हुई है और अधिकारियों की लापरवाही से करीब 15–20 किलोमीटर पर दो एनीकट बना दिये गये जिससे पानी की आवक समाप्त हो गयी।

सभापति महोदया, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या एनीकट सरकार की अनुमति से बने हैं और सरकार ने क्या इस बांध को बंद करना तय कर लिया है ? अगर ऐसा नहीं है तो यह सब कैसे हुआ ? इसकी जांच करवा कर दोषी अधिकारियों को दण्डित कर पुनः कार्य शुरू करवाया जाए जिससे लाखों बीघा जमीन उपजाऊ हो सके।

श्री सभापति : श्री हरिसिंह।

शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदया, मैं राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य सचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत लोक महत्व के विषय के संबंध में विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

शिक्षा विभाग, राजस्थान में शारीरिक शिक्षक ग्रेड–II के पद रिक्त हैं। उक्त पदों के रिक्त होने के कारण विद्यालयों में शारीरिक शिक्षण कार्य नहीं हो पा रहा है जिससे छात्रों को जो शारीरिक शिक्षण का लाभ मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है। ये पद अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के हितार्थ रिक्त हैं और उन्हीं के लिये आरक्षित हैं। राज्य सरकार की घोषित नीति के बावजूद भी कि अनुसूचित जाति/जनजाति के रिक्त पद अविलम्ब भर दिये जाएंगे, इन पदों को सरकार भर नहीं पा रही है। इन रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये 10 जून, 1993 को साक्षात्कार भी हो चुके हैं लेकिन उस साक्षात्कार को हुए 10-11 माह हो चुके हैं और अभी तक इन पदों पर नियुक्ति नहीं की जा रही है। अनुसूचित जाति/जनजाति के रिक्त पदों को नहीं भरा जाना राजकीय नीति के प्रतिकूल

(श्री हरिसिंह)

है इसलिये यह नितान्त आवश्यक है कि जिन रिक्त एवं आरक्षित पदों के लिये 10 जून, 1993 को साक्षात्कार हो चुके हैं उन पर साक्षात्कार किये व्यक्तियों में से नियमानुसार अविलम्ब नियुक्ति कर आरक्षित पदों को भरा जाए।

श्री सभापति : श्री हीरालाल इन्दौरा।

केसरीसिंहपुर मण्डी को उप तहसील का दर्जा

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : सभापति महोदया, केसरीसिंहपुर मण्डी को उप तहसील का दर्जा देने एवं सब रजिस्ट्रार नियुक्त करने के सम्बन्ध में मेरा विशेष उल्लेख है।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र केसरीसिंहपुर मण्डी जहां नगरपालिका एवं कृषि उपज मण्डी समिति कार्य कर रही हैं आज तक इस मण्डी को उप तहसील का दर्जा नहीं दिया गया है, जबकि मैंने पूर्व में कई बार राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में लिखा है।

मण्डी एवं आसपास के गांवों के लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिये 30 किलोमीटर दूर श्रीकरणपुर तहसील जाना पड़ता है जिससे भारी खर्च एवं समय की खपत होती है। अतः मण्डी केसरीसिंहपुर को सीमा की महत्वपूर्ण मण्डी मानते हुए इसे उप तहसील का दर्जा देने एवं सब-रजिस्ट्रार नियुक्त करने का आपसे आग्रह है।

श्री सभापति : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

जोधपुर की मसूरियां पहाड़ी पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा की स्थापना

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय सभापति महोदया, जोधपुर की मसूरियां पहाड़ी पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा लगाने के सम्बन्ध में नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख करना चाहती हूं।

राजस्थान की वीर प्रसविनी भूमि जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौड़ जैसे महान योद्धा एवं शूरवीर हुए हैं। उनके शौर्य एवं वीरता की स्मृति को जीवन्त बनाये रखने के लिये जोधपुर की मसूरियां पहाड़ी पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा लगाने की 14 वर्ष से लम्बित एवं प्रस्तावित योजना अभी तक कार्यरूप नहीं ले सकी है। इस दिशा में अपेक्षित कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

जोधपुर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। पर्यटन की दृष्टि से भी जोधपुर ने विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान बनायी है। वीर दुर्गादास राठौड़ समिति, जोधपुर द्वारा मसूरियां पहाड़ी पर उनकी अश्व आरोहित धातु की प्रतिमा स्थापित करवाने का निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है। नगर सुधार न्यास ने वर्ष 1978 में मसूरियां पहाड़ी पर वीर दुर्गादास की मूर्ति लगाने की स्वीकृति देने के साथ प्रतिमा स्थल आरक्षित भी कर दिया था मगर अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ भी कार्यवाही नहीं होने का कोई औचित्य समझ में नहीं आया। इसके अलावा राज्य सरकार की तत्कालीन मंत्री श्रीमती विद्या पाठक ने अपनी पत्र संख्या 2/1372 दिनांक 27.11.1978 में अवगत कराया था कि पर्यटन विभाग ने मसूरियां

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

पहाड़ी का विकास एवं राठौड़ की प्रतिमा के लिये वर्ष 1979-80 में धनराशि व्यय करना प्रस्तावित किया है। मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत ने भी गत जनता सरकार ने अपने पत्र संख्या 3179 दिनांक 20.7.1979 में बताया कि वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा स्थापना के लिये पर्यटन विभाग को आवश्यक निर्देश दिये जा रहे हैं। इसके अलावा तत्कालीन राज्यपाल ओ.पी. मेहरा, भारत सरकार के पूर्व पर्यटन एवं नागर विमानन उप मंत्री, नगर सुधार न्यास–जोधपुर के पूर्व अध्यक्ष ने भी अपने पत्रों में इस प्रतिमा को स्थापित करने के बारे में आश्वस्त किया था।

प्रसंगवश मैं इस सम्बन्ध में अनुरोध करना चाहूंगी कि भारत सरकार ने वीर दुर्गादास राठौड़ के मारवाड़ में उल्लेखनीय योगदान को दृष्टि में रखते हुए डाक टिकट जारी कर उन्हें सम्मान दिया है। इसलिये जोधपुर के पर्यटन महत्व को दृष्टिगत रखते हुए मसूरियां पहाड़ी के सौन्दर्यकरण के साथ वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा स्थापित करवाने की प्रस्तावित योजना की शीघ्र स्वीकृति जारी की जाए। इसके साथ ही वर्ष 1978 से लम्बित इस योजना को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करवाया जाए। वीर दुर्गादास राठौड़ समिति द्वारा प्रस्तावित 24 लाख रुपये की योजना को भी स्वीकृत कराएं।

मेरा आपसे निवेदन है कि जोधपुर की मसूरियां पहाड़ी पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा लगाने सम्बन्धी कार्यवाही की घोषणा इस सदन में करवाने की व्यवस्था करें।

श्री सभापति : श्री जितेन्द्र नीनामा।

तहसील घाटोल में निर्माणाधीन रोड पडला से उत्पन्न समस्या

श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : सभापति महोदया, नियम 295 के अन्तर्गत तहसील घाटोल में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन रोड पडला से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मेरा विशेष उल्लेख है।

मैं आपके मार्फत सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो रोड कार्य पाडला, गोज में चल रहे हैं वहां पर वहां के स्थानीय प्रभावशाली मेट अपनी मनमानी करते हुए काश्तकारों के खेत बिगाड़ रहे हैं। जो रोड पुराना गांव के काश्तकार दे रहे हैं वह कम खर्च में बन सकती है। लेकिन उसने वहां पर लाइन नहीं डाली व मेट ने अपनी मर्जी से मजदूर लगाये हैं। ऐसी स्थिति में वहां के काश्तकार व मजदूर उन मेटों व कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों से परेशान हैं।

साथ ही विभाग का मिस्त्री एक दिन ही गया। उसे मेट और प्रभावशाली लोगों ने डरा-धमका कर वहां से भगा दिया। इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उस रोड पर विभागीय ओवरसीयर मौके पर स्वयं जाकर लाइन व मजदूर लगाये तथा ऐसे मेटों को तत्काल हटा कर विभाग के परमानेंट बेलदारों को मस्टरोल दिलाये जाएं ताकि सारी समस्या का समाधान हो सके।

श्री सभापति : श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा।

(116)

फागी क्षेत्र की बिजली की समस्या

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) : माननीय सभापति महोदया, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री महोदय का ध्यान विधान सभा क्षेत्र फागी की बिजली की समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं।

विधान सभा क्षेत्र फागी, जिसमें तहसील फागी पूर्ण व तहसील चाकसू की चौदह पंचायतें आती हैं, जयपुर जिले का हिस्सा होकर भी बिजली के क्षेत्र में काफी पिछड़ा व उपेक्षित रहा है जिससे क्षेत्र की सारी जनता बहुत दुखी व परेशान है। इसका मुख्य कारण बिजली विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही रही है।

वर्ष 1993-94 में विद्युतीकरण के लिये गांव मंजूर हुए थे जिनके नाम क्रमश: इस प्रकार हैं- रतनपुरा, हनुतिया खुर्द, हनुतिया कलां, गोकुलपुरा, कंवरपुरा, हचूकडा, मोरड़ी, कुंजबिहारीपुरा, नवलकिशोरपुरा एवं अनदपुरा। इस प्रकार दस गांवों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया था परन्तु यह मेरे क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा है कि सिर्फ एक गांव गोकुलपुरा में ही विद्युतीकरण किया गया है। 31 मार्च नजदीक आ गया और बाकी 9 गांवों को और बिजली से जोड़ना है जो असंभव लग रहा है। विद्युत कर्मचारी जैसे ए.ईएन., जे.ईएन. कभी भी दफ्तर में उपलब्ध नहीं होते हैं तथा न किसी उच्च अधिकारी को पूरा मालूम है कि फागी क्षेत्र में कितना काम हो चुका व कितना काम बकाया है। इसी प्रकार वरीयता के आधार पर कृषि के कुओं को कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। एक तरफ तो जिन लोगों ने सन् 1983 से बिजली के लिये प्रार्थना पत्र दे रखे हैं उनको आज तक कनेक्शन नहीं मिले हैं, दूसरी ओर जिन लोगों ने 1993 में प्रार्थना पत्र दिये हैं उनको बिजली के कनेक्शन दे दिये गये। इस प्रकार बिना बारी के कनेक्शन देकर विद्युत कर्मचारी काफी अवैध धन अर्जित कर रहे हैं जिन पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। इससे क्षेत्र की जनता में बड़ा असंतोष व आक्रोश व्याप्त है।

इसी प्रकार बिजली के कनेक्शनों के लिये विभाग से जो सामान मौके पर पहुंचाना चाहिए वह सामान नहीं के बराबर पहुंचता, जैसे बिजली के खम्भे, तार आदि पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचते हैं। उक्त खम्भों को गन्तव्य स्थान तक पहुंचाने के लिये ट्रक तथा उचित मजदूरों का प्रबंध भी नहीं है और न ही कोई अधिकारी इस पर ध्यान देता है।

इसी प्रकार कभी-कभी आठ-दस घंटे तक लगातार बिजली बंद रहती है या मदरामपुरा से बिना सूचना के तथा बिना कारण के फागी क्षेत्र के लिये बिजली सप्लाई बंद कर देते है जिससे बड़ी परेशानी होती है।

अत: आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि विधान सभा क्षेत्र फागी में तहसील फागी, तहसील चाकसू दोनों क्षेत्रों में सामान की अविलम्ब पूर्ति कर जिन गांवों को वर्ष 1993-94 में विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा गया था उनको तुरन्त बिजली से जोड़ कर मेरे क्षेत्र की जनता को राहत दिलाएं तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

करने का कष्ट करें। साथ ही ग्राम रेनवाल मांजी में 132 किलोवाट का ग्रिड सब स्टेशन स्थापित कर मेरे क्षेत्र की बिजली की समस्या का स्थाई समाधान कर जनता को राहत दिलाएं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री कन्हैयालाल पाटीदार।

पिड़ावा क्षेत्र में पेयजल समस्या

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : आदरणीय सभापति महोदया, मेरे विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) में निम्नांकित गांव पेयजल समस्या से विशेष रूप से प्रभावित हैं। इन गांवों को एक किलोमीटर, आधा किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। कुछ गांव टेकरियों पर बसे होने से उन लोगों को काफी परेशानी होती है। ऐसे गांवों में हैण्डपम्प भी सक्सेस नहीं होते हैं, वाटर लेबल नीचे जाने से हैण्डपम्प का कोई उपयोग नहीं रह जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे गांवों में जी.एल.आर. टैंक बनाये जाएं और ट्यूबवैल द्वारा उनमें पानी सप्लाई कर गांव वालों को पेयजल समस्या से मुक्त कराया जाएं।

पिड़ावा क्षेत्र के गांव नकलंग, खटकड़ झीकड़ी, रमाय खेड़ा, सामत खेड़ा, धामनिया, लेमली खाम, हनोत्या, कोटड़ी, कल्याणपुरा, हरनावदागजा, शेरपुर, पुरा, गैलाना आदि हैं। गर्मी अभी शुरू ही हुई है और इन गांवों को पीने के पानी के अभी से लाले पड़ रहे हैं। मई-जून में इन गांवों की क्या हालत होगी, हम कल्पना कर सकते हैं। ऐसे अन्य विशेष समस्याग्रस्त गांवों में जी.एल.आर. के टैंक बने हैं लेकिन उनका उपयोग आस-पास रहने वाले लोग ही कर पाते हैं। मैंने एक बार मंत्री महोदय से भी निवेदन किया था कि ऐसे गांव जिनमें जी.एल.आर बने हैं उन गांवों में पाइप लाइन बिछाकर विभिन्न मोहल्लों में सात-आठ सार्वजनिक टंकियां लगा दी जाएं। पूरे क्षेत्र पिड़ावा में लगभग दस-बारह ग्राम पंचायत पूर्ण रूप से पहाड़ी क्षेत्र में स्थित हैं और वैसे भी पिड़ावा तहसील को सूखा संभावित या डार्क जोन घोषित किया हुआ है इसलिये इस क्षेत्र का पेयजल समस्या से ग्रस्त होना स्वयंसिद्ध है।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि मेरे पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के जो गांव पेयजल समस्या से विशेष रूप से ग्रस्त हैं उनमें किसी भी विकल्प के माध्यम से तुरन्त पेयजल उपलब्ध कराये जाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

गंगापुर सिटी में अवैध निर्माण

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : सभापति महोदया, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विशेष उल्लेख के द्वारा स्वायत्त शासन मंत्री व मुख्य मंत्रीजी का ध्यान गंगापुर सिटी में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए अतिक्रमण व अवैध निर्माण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गंगापुर नगरपालिका आज नगरपालिका न होकर नर्कपालिका बन गयी है। प्रशासन अपना विवेक खो चुका है और पुलिस प्रशासन को तो उससे कोई मतलब ही नहीं। "प्रशासन शहरों की ओर" कार्य-

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

क्रम चलाया गया था उसके अन्तर्गत अवैध निर्माणों को तोड़ा गया था और सड़कों पर हुए अतिक्रमण को भी हटाया गया था लेकिन आज पुन: वैसी ही स्थिति बन गयी है। सड़कों का अतिक्रमण के कारण यातायात तो अवरुद्ध होता ही है साथ ही कई बार दुर्घटना हो चुकी है। गंगापुर सिटी की आबादी एक लाख के लगभग हो चुकी है। "ए" क्लास कृषि उपज मंडी होने के कारण ऊंट गाड़ियां, ट्रैक्टर-ट्रोली व ट्रकों के आवागमन का अम्बार लगा रहता है। लेकिन बाई पास नहीं होने के कारण पुलिया गंगापुर से उदेई मोड़ तक हमेशा यातायात रुक जाता है। सड़कें काफी चौड़ी होने के बावजूद सड़कों का अतिक्रमण कर चौड़ी सड़कों को संकरा बना दिया गया है। जगह-जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं, नगरपालिका कुछ देखती ही नहीं है। अवैध निर्माण की तो स्थिति यह है कि बंदूक के जोर पर कोई भी कहीं भी कार्य करवा सकता है, सिर्फ माफिया गैंग से सम्पर्क करने की आवश्यकता है। कोर्ट का स्टे आदेश तो एक मखौल बन चुका है, कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट की चिंता ही नहीं है। उदाहरणार्थ नगर सुधार न्यास, गंगापुर की योजना संख्या दो में भूखण्ड 28, 29, 30, 31, 1976 में राज्य सरकार ने आवंटियों को नियमित किये थे लेकिन सन् 1978-79 में जनता पार्टी के शासन में उक्त आवंटियों को निरस्त करते हुए 60×90 का भूखण्ड एक ही व्यक्ति को जो कि आर.एस.एस. का सदस्य था, आवंटित कर दिया। साथ में नगरपालिका, गंगापुर ने समस्त कार्यवाही एक ही दिन में करके राज्य सरकार के प्रति अपने कर्तव्य निर्वाह की इतिश्री कर कार्यवाही सम्पन्न कर ली। खैर, जो होना था सो हो गया। अब स्थिति यह है कि मुंसिफ कोर्ट, गंगापुर का स्टे-निर्माण कार्य रोक, 60×90 के भूखण्ड पर रिहाइश के लिये है लेकिन उसके ऊपर दुकानों का निर्माण हो रहा है। आज की तारीख में कामर्शियल रेट है 3500/- रुपये प्रति वर्ग गज, यानि लाखों की जमीन कौड़ियों में गयी है। आश्चर्य इस बात का है कि ये दुकानें अगर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनायी जाती तो कम से कम एक माह में बनती लेकिन उसका निर्माण सिर्फ 24 घंटे में हो गया। नगरपालिका अध्यक्ष डा. प्रकाश गुप्ता गुप्त हो गये, उपखण्ड अधिकारी, जिनके निवास के पीछे कार्य हो रहा था, चुपचाप खिसक लिये क्योंकि मामला एक विशेष कार्यकर्त्ता का था। रात्रि को कार्य चल रहा था, गलती से एक कांग्रेसी कार्यकर्ता उधर से निकल गया क्योंकि उसका मकान था। स्वागत किया उसका बंदूक की अवैध गोली ने। शासन उनका, प्रशासन उनका। खैर, क्या स्थिति होगी गंगापुर की, यह तो वही जाने। मैं तो इतना जानता हूं कि गंगापुर की जनता में भारी आक्रोश है। गंगापुर नगरपालिका नर्कपालिका है; प्रशासन नपुंसक है, पुलिस बेजान है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को गृह मंत्री व भैरोंसिंह शेखावत मानता है। मैं तो भगवान से इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि इस गंगापुर सिटी का क्या होगा, जो कि अपने आपको अपना मानता है। गंगापुर में हो रहे अतिक्रमण व अवैध निर्माण का क्या होगा ? लेकिन....

श्री सभापति : पढ़ें आप।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मैं पढ़ रहा हूं, वही पढ़ रहा हूं जो इसमें लिखा है।

मुझे आशा है कि गंगापुर की जनता के साथ न्याय करते हुए मुख्य मंत्री जी एवं स्वायत्त शासन मंत्री जी अतिक्रमण, अवैध निर्माण तत्काल रुकवाने के साथ-साथ पक्षपात की नीति का त्याग करते हुए, अतिक्रमण व अवैध निर्माण पर अंकुश लगाते हुए जनता को राहत दिलाएं।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र गहलोत। (अनुपस्थित)।

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी, सदस्य, विधान सभा ध्यानाकर्षण करेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

माण्डलगढ़ के तालाब में शहर का गन्दा पानी आने से निवासियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) : माननीय सभापति महोदया, नियम 131 के अन्तर्गत मैं, माननीय मंत्री महोदय का माण्डलगढ़ तालाब की गन्दगी की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री मंगल राम (नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन उप मंत्री) : माननीय सभा-सभापति महोदया, नगरपालिका माण्डलगढ़ क्षेत्र में जालेश्वर तालाब के नाम से एक काफी बड़ा प्राचीन तालाब है। प्राचीन समय से ही आबादी का गन्दा पानी उक्त तालाब में आता रहा है। उक्त जालेश्वर तालाब सिंचाई विभाग के अन्तर्गत आता है तथा तालाब का पानी प्राचीन समय से सिंचाई के काम भी आता रहा है। उक्त तालाब से सिंचाई के रूप में उपयोग आने वाले पानी का शुल्क सिंचाई विभाग द्वारा वसूल किया जाता है और तालाब की मरम्मत का कार्य भी सिंचाई विभाग द्वारा ही निष्पादित किया जाता है।

शहर के गन्दे पानी के गिरने से कभी भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी, परन्तु गत वर्षों से कुछ काई उक्त तालाब में उत्पन्न हो गयी थी जिसके कारण तालाब के पानी से दुर्गन्ध आने लगी थी। सिंचाई विभाग द्वारा सफाई करने से यह कहते हुए मना कर दिया गया कि ऐसा कार्य करने के लिये उनके यहां कोई प्रावधान नहीं है। इस काई की सफाई के कार्य को नगरपालिका, माण्डलगढ़ द्वारा निष्पादित कराया गया तथा उक्त कार्य पर आर्थिक स्थिति खराब होते हुए भी नगरपालिका की ओर से 3,250/- रुपये खर्च किये गये। उक्त काई की सफाई हो जाने के उपरान्त तालाब के पानी से अब कोई दुर्गन्ध नहीं आती है।

नगरपालिका, माण्डलगढ़ की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। वर्तमान में कर्मचारियों का तीन माह का वेतन भी चढ़ा हुआ है। राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका को वेतन आदि चुकाने हेतु विशेष अनुदान भी दिया जाता रहा है। जहां तक गन्दे पानी के बहाव को जालेश्वर तालाब में गिरने से रोकने तथा उक्त गन्दे पानी की अन्यत्र व्यवस्था करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में नगरपालिका की ओर से कोई योजना अथवा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है जिसके कारण राज्य स्तर पर कोई

(श्री मंगलराम)

कार्यवाही नहीं की जा सकी है । नगरपालिका की ओर से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य सरकार की ओर से उक्त समस्या के स्थाई समाधान हेतु योजना का अध्ययन कर समुचित कार्यवाही हेतु विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

श्री बद्री प्रसाद गुरूजी: माननीय सभापति महोदया, मंत्री महोदय ने बताया है और स्वयं स्वीकार किया है कि तालाब में गांव का गन्दा पानी, शहर का गन्दा पानी आने से सड़ांध फैल रही है । मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि नगरपालिका ने करीब तीन हजार रुपये खर्च करके उसकी सफाई करायी है और सड़ांध बन्द हो गई है । यह बिल्कुल असत्य है । मैं अभी तीन दिन पूर्व गया था तब भी वहां सड़ांध आ रही थी । नगरपालिका की आर्थिक स्थिति, जैसा उन्होंने स्वयं स्वीकार किया, बड़ी विकट है, बहुत ही खराब है । तीन महीने की तनख्वाह बाकी है, सफाई कर्मचारियों के जी.पी.एफ के पांच लाख रूपये अभी तक उनके खातों में जमा नहीं करवाये गये हैं, जिससे उनको लोन लेने में भी बड़ी दिक्कत आ रही है । कई नगर पालिकाओं को अभी साढ़े चार लाख का विशेष अनुदान दिया गया परन्तु माण्डलगढ नगरपालिका को अनुदान के रूप में एक नया पैसा भी नहीं दिया गया । इस कारण से मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि या तो इन नगरपालिकाओं को खत्म कर दें जो छोटी-छोटी हैं । आज गांवों में जे.आर.वाई. के तहत भी उनके काम नहीं होते हैं, उनके 20 गांव और मिला रखे हैं । कांग्रेस वालों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ में, हबीज मोहम्मद को चेयरमैन बनाना था, इसलिये, माण्डलगढ़ की नगरपालिका बना दी । बड़ी शर्म की बात है । गांव वालों की हालत खराब करदी है । मेरा निवेदन है कि या तो सरकार उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने का प्रयत्न करे और यदि वित्तीय स्थिति सुधार नहीं सकती है, तो इनको पुनः विचार करके पंचायतों में गठित कर दें, जिससे कि गांव वालों में जे.आर.वाई. में, अनटाइड फण्ड में, किसी न किसी में फायदा तो उठा सकें । न तो उनको इन योजनाओं का फायदा मिलता है, न सरकार की सहायता मिलती है और उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब रहती है । इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि गम्भीरता से विचार करके माण्डलगढ नगरपालिका को राहत दें ।

श्री सभापति : श्री भंवरलाल जी शर्मा

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : सभापति महोदय, प्रश्न यह है कि गांव में एक तालाब है वह सिंचाई विभाग का है । सिंचाई के लिये पानी भरा जाता है, वह सिंचाई के काम आता है । प्रश्न यह है कि वह ठीक कौन करे ? तो मैं माननीय सदस्यों से एक बात की जानकारी चाहूंगा कि सिंचाई विभाग जो पानी सिंचाई के लिये देता है, उसका कोई पैसा वसूल करता है या नहीं करता है ? यह मेरे पास जानकारी नहीं है । यह आप लोग बता दें कि जो सिंचाई के लिये पानी आप लेते हैं, वह निःशुल्क लेते हैं या आपसे सिंचाई विभाग कोई पैसा वसूल करता है ? पैसा वसूल नहीं करता है, तो उनके पास भी साधन नहीं हैं । जो सिंचाई विभाग का तालाब है, उसकी सफाई करने की जिम्मेदारी नगरपालिका की नहीं है लेकिन फिर भी, क्योंकि

(श्री भंवरलाल शर्मा)

नगर में एक ऐसी स्थिति उसने पैदा कर दी जिससे सडांध पैदा हुई तो जो भी साधन थे उसके द्वारा उसकी सफाई करायी। मैं अब भी यह कह सकता हूं कि यह बजट तो अब करीब-करीब पूरा हो गया, अगले बजट में कोई अगर व्यवस्था कर सके तो मैं उसके लिए कोई व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा बाकी नगरपालिका अपने साधनों से लगातार इस काम को कर सके, यह कठिन है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : कोई व्यवस्था ?

श्री भंवरलाल शर्मा : सफाई करेंगे और क्या करेंगे ? आप बात तो सुनो। आप विषय तो बिगाड़िये मत। उनकी समस्या है, उसका समाधान कर रहे हैं और क्या करेंगे ? आप बता दो, क्या करेंगे। जो साधन हैं उन्हीं से तो ठीक करना होगा।

मेरा सुझाव यह होगा कि जो पानी, गांव का पानी या शहर का पानी उस तालाब में जाता है, यदि मान लो उसको डाइवर्ट किया जा सके और उसके कारण उसकी होने वाली सिंचाई पर असर पड़े तो उस पर विचार करके अगर कोई योजना बनी, यदि कहीं डाइवर्ट कर सके तो वह कोशिश करेंगे। पर यह सब डिपेंण्ड करता है आर्थिक साधनों पर। यही करेंगे।

श्री सभापति : ठीक है। श्री रतनलाल ताम्बी

जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र के कतिपय गांवों की पंचायतों का पुनर्गठन किये जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदया, प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों के पंचायत पुनर्गठन से असुविधा तथा उन्हें दूर मिलाने के क्रम में पंचायती राज राज्यमन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

महोदय, जहाजपुर पंचायत समिति के ग्राम दलपुरा, सुजानपुरा, मंडावर तथा कोटड़ी पंचायत समिति के देवरेडा, देवतातई ग्रामों को वर्तमान पंचायतों से हटाकर दूर मिलाने की कार्यवाही जनता के एतराजों को नजरंदाज कर तत्कालीन जनप्रतिनिधियों तथा जिला प्रशासन की मिलीभगत से जातीय आधार को महत्व देते हुए करने से असन्तोष व्याप्त है। इस बाबत दलपुरा, सुजानपुरा को अलग पंचायत अथवा पूर्ववत निकटवर्ती पंचायत में ही रखने और ग्राम पंचायत के रूप को हटाकर नयी पंचायत ससियाचारणान में गठित कर रखने की जन मांग के साथ अथवा भरणीकलां निकट की पंचायत जो एक किलोमीटर है की बजाय पांच किलोमीटर दूर बागूदार पंचायत में सम्मिलित करने की मांग जनहित, निकटता एवं आधारभूत सुविधा को देखते हुए की जानी वाजिब है।

अतः राज्य सरकार से ग्राम दलपुरा में अलग पंचायत बनाकर, आसपास के गांवों की दूरियां और पहाड़ी क्षेत्र होने की दृष्टि से दलपुरा, सुजानपुरा को बजाय किशनगढ़ एक छोटे से गांव जहां ढाणियां दूर-दूर मिलकर एक राजस्व ग्राम है, उससे मिलाना किसी भी दृष्टि से भौगोलिक स्थिति, आधारभूत सुविधा से, सर्वथा अनुचित तथा जनता के साथ अन्याय की पराकाष्ठात है, क्योंकि पूर्व में पटवार मण्डल, सहकार समिति, चिकित्सा सुविधा तथा निकटता से ये ग्राम पुनर्गठन से वंचित हो गये हैं। अतः

(श्री रतनलाल ताम्बी)

ग्राम किशनगढ़ में पंचायत मुख्यालय किसी भी दृष्टि से उचित न होते हुए भी गठन करते हुए उसमें सम्मिलित किये गये ग्रामों के निवासियों के एतराज को नहीं देखा गया है।

इसी तरह मण्डीयत को सरचारणान पंचायत बना कर मिलाने की मांग के बजाय निकट रोड से जुड़े दो किलोमीटर भरणी–कला में न मिला कर 5 किलोमीटर बागू–दार में मिला कर जहां यह ग्राम सड़क से जुड़ा हुआ भी नहीं है तथा बीच में नाले की असुविधा तथा बरसात में मार्ग अवरुद्ध होने की असुविधा को भी नजर अंदाज किया गया है।

अत: मैं नियम 131 के अन्तर्गत ध्यान आकृष्ट कर राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इन ग्रामों की जनता की मांग और पुनर्गठन के विरुद्ध एतराज, भौगोलिक स्थिति निकटता एवं आधारभूत सुविधाओं को दृष्टिगत रखकर तीनों ग्रामों की जनता को न्याय एवं सुविधा प्रदान करें ताकि जनता का असंतोष समाप्त हो सके। इसके लिये सरकार चाहे तो किसी विशिष्ट अधि-कारी को नियुक्त कर भौगोलिक स्थिति तथा जन भावना की जांच कर जनहित में समुचित निर्णय कर सकती है ताकि जन भावना के साथ किये गये खिलवाड़ से जनता को राहत मिल सके।

सभापति महोदया, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि पंचायत पुनर्गठन की एक प्रक्रिया राज्य सरकार ने प्रारम्भ की उसके बाद गांव के लोगों ने भीलवाड़ा, शाहपुरा और जहाजपुर जहां जहां भी एतराज मांगे जाकर बड़ी तादाद में एतराज उन्होंने प्रस्तुत किये। माननीय मन्त्री महो–दय अपने रिकार्ड में देख सकते हैं। उसके बावजूद आज इन ग्रामों के लोगों को उच्च न्यायालय में रिटें करनी पड़ रही हैं। बहुत जबर्दस्ती से उन गांवों को उनमें मिला दिया गया। जहां पर कोई सुविधा नहीं, सैकण्डरी स्कूल नहीं, चिकित्सालय नहीं, जहां एक प्राइमरी स्कूल, मतदान केन्द्र तक नहीं है उन गांवों में जाकर इनको मिला दिया और बीच में दूसरी पंचायत के गांवों में होकर के उनको जाना पड़ रहा है। इसलिये मैं समझता हूं, मन्त्री महोदय, यह मामला गम्भीर है। भौगोलिक स्थिति से आप देख लें, निकटता से देख लें, नक्शे के आधार पर देख लें। पंचायतें जिस तरह गठित की गयीं उसमें इन गांवों के साथ बहुत बड़ी साजिश, षड़यंत्र हुआ है। राज–स्थान उच्च न्यायालय में इन छोटे छोटे गांवों को जाकर के रिटें करनी पड़ रही हैं, परेशानी सामने यह आयी है। आपने जो मापदण्ड दिये हैं उनके आधार पर पचायतें गठित नहीं की गयीं इस बात को आपको देखना होगा। 1991 की जनसंख्या के आधार पर आपने पचायतें गठित नहीं की, जो क्राइटेरिया था तत्कालीन प्रशा–सन के अधिकारियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो इतना बड़ा अन्याय हुआ है। आप इस मामले को बहुत गम्भीरता से लें और पुनरवलोकन करें। राजस्व मण्डल के वरिष्ठ सदस्य को आप नियुक्त करें, इन सारी पंचायतों–जहाजपुर, कोटड़ी में इस प्रकार कई विसंगतियां, भेदभाव और पक्ष–पात हुआ है। आपके मापदण्ड के विपरीत यह गठन हुआ है, उसको देखकर के आप

(श्री रतनलाल ताम्बी)

इस पुनर्गठन को सही ढंग से जनता की भावनाओं के अनुसार करें। जितने उन्होंने ज्ञापन दिये हैं, उन्होंने अपने सारे प्रमाण दिये हैं उनके साथ न्याय हो, यह मैं चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री शिवनाथ सिंह जी, प्रश्न पूछेंगे ?

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : बिलकुल पूछूंगा।

एक माननीय सदस्य : पहले स्टेटमेंट आ जाए।

श्री सभापति : उनका प्रश्न इसमें लगा हुआ नहीं है, मन्त्री जी का स्टेटमेंट साथ में आ जाएगा। जब ताम्बी जी बोल गये तो ये भी बोल जाएं फिर साथ में जवाब आ जाएगा।

श्री नाथूसिंह (पंचायती राज, राज्य मंत्री) : सभापति महोदया, प्रक्रिया यह होती है कि पहले मेरा रिप्लाई हो उसके बाद वे पूछें।

श्री सभापति : उन्होंने पहले ही काल-अटेंशन करके अपनी समस्या आपको बता दी, तो वे भी बता दें।

श्री कालीचरण सराफ : सभापति महोदया, पहले तो जो लिखित में जवाब आया है उसको पढ़ेंगे, आप प्रश्न करें जवाब आ जाएगा।

श्री सभापति : उन्होंने जो कर दिया, ठीक है, वे भी वरिष्ठ सदस्य हैं। आप प्रश्न करें जवाब आ जाएगा ?

श्री टीकमचन्द कान्त : प्रश्न तो स्टेटमेंट में से ही करेंगे ?

श्री सभापति : वह चिन्ता आपको क्यों हैं, जिनका प्रश्न है उनको चिन्ता होनी चाहिए।

श्री कालीचरण सराफ : आप गलत परम्परा क्यों डाल रही हैं ?

श्री सभापति : कोई गलत परम्परा नहीं है, आप सुनिये।

श्री शिवनाथ सिंह : सभापति महोदया, वर्तमान सरकार से पहले की मिली-जुली सरकार....

श्री सभापति : आप प्रश्न करें।

श्री शिवनाथ सिंह : प्रश्न ही कर रहा हूं। जो आप वहां पूछती हैं वही मैं पूछ रहा हूं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : उनका जवाब आने दें।

श्री शिवनाथ सिंह : कोई बात नहीं है।

श्री सभापति : आप प्रश्न करिये, आपको सामने बात नहीं करनी है आप बात जानते नहीं, इनका तो ध्यानाकर्षण में नाम नहीं है इनका जवाब कैसे आएगा ? पहले प्रश्न करवा लें तो जवाब मिल जाएगा।

श्री शिवनाथ सिंह : सभापति महोदया, मैं एतराज करता हूं कि आपने जो यह रिमार्क्स कसे हैं कि आप जानते नहीं हैं हम आपसे ज्यादा जानते हैं।

(124)

श्री सभापति : आपसे नहीं कहा है मैंने, माननीय सदस्य। उनसे कहा है, आप से नहीं कहा। ....(व्यवधान)....श्री नाथूसिंह जी। कोई बात नहीं है आप प्रश्न करना ही नहीं चाहते। मुझे लगता है आपको ये लोग प्रश्न करने देना नहीं चाहते हैं।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, भारत सरकार द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक, 1992 प्रभावित होने के फलस्वरूप भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप राजस्थान पंचायत अधिनियम एवं पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम में संशोधन किया जाकर एक नये अधिनियम को राज्य सरकार द्वारा अन्तिम रूप दिये जाने की कार्यवाही चल रही है।

यह सही है कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन वर्ष 1960 में 1951 की जनसंख्या के आधार पर किया गया था जिसके आधार पर ग्राम पंचायतों की संख्या 7358 थी। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1991 में वर्ष 1981 की जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन किये जाने का निर्णय लिया गया तथा इस कार्य हेतु जो मापदण्ड निर्धारित किये गये वे निम्न हैं:—

सन् 1981 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत की जनसंख्या सामान्यत: दो हजार से पांच हजार की हो। परन्तु एकल ग्राम की पंचायत जिसमें ढाणियां आदि सम्मिलित नहीं हों, की जनसंख्या पांच हजार से अधिक भी हो सकती है। इसी प्रकार एकल ग्राम जिसकी जनसंख्या पांच हजार से अधिक हो यदि उसकी ढाणियां 8 किलोमीटर के अन्दर की हों तो उन ढाणियों को उसी मुख्य ग्राम की पंचायत में शामिल करना उचित रहेगा जब तक कि वे लोग किसी दूसरी पंचायत में शामिल होने के इच्छुक न हों। पंचायत के किसी भी गांव की दूरी पंचायत मुख्यालय के गांव से सामान्यतया 8 किलोमीटर से अधिक नहीं है।

यह सही है कि वर्ष 1991 की जनगणना में वर्ष 1981 की स्थिति काफी बदल गयी है परन्तु पुनर्गठन के समय भी 1991 की जनसंख्या के ग्रामवार आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1981 की जनगणना को आधार मानते हुए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जो ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन किया गया है उसमें सम्बन्धित जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर तथा प्रत्येक सम्बन्धित आपत्तिकर्त्ताओं को सुनकर ही निर्णय लिया गया है।

अब यह कहना है कि बड़े जिलों और छोटे जिलों में भेदभाव किया गया है, सही नहीं है। ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन निर्धारित मापदण्डों तथा जन भावनाओं को ध्यान में रखकर ही किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अभी वर्ष 1991 की जनसख्या को आधार मानकर पुन: पुनर्सीमांकन किये जाने का कोई विचार नहीं है। भविष्य में जब भी राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर पुनर्गठन किये जाने का निर्णय लिया जाएगा तब माननीय सदस्य द्वारा सुझाये गये सुझावों को ध्यान में रखकर उचित विचार किया जा सकेगा।

श्री सभापति : ठीक है, आपकी बात मान ली है। आपके सुझावों को ध्यान में रखेंगे।

श्री रतनलाल ताम्बी : मेरा निवेदन तो यह है...

श्री सभापति : देखिये, आप निवेदन तो पहले कर चुके हैं। अब कोई स्पेशल सवाल है तो पूछें।

श्री रतनलाल ताम्बी : स्पेशल सवाल ही पूछ रहा हूं। आपने यह कहा कि जो मापदण्ड दिये उनके अनुसार हुआ है, तो मापदण्ड में यह कहीं नहीं है कि जो गांव पहले तीन किलोमीटर की पंचायत में थे उनको आप सात किलोमीटर की दूरी में ला दें। यह मापदण्ड था क्या ? गांव वालों ने कब मांगा ? उसके लिये एतराज किया है, जगह जगह एतराज किया है। जहां पर ज्यादा सुविधाएं मिल रही थीं उन गांवों को दूसरी जगह डाल दिया है। यह गांव की भावना के विपरीत है।

श्री सभापति : ऐसा कुछ है तो आप लिखित में अपनी उस पंचायत का विवरण दे दीजियेगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : दे दिया। मंत्री महोदय को दे दिया गांव वालों ने। मंत्री महोदय उस इलाके में गये, कई दफा गांव के लोगों ने आकर मंत्री महोदय को दरख्वास्तें दी हैं, ध्यान आकर्षित किया है पर वह सारा समावेश इस उत्तर में नहीं होता, एक निवेदन। दूसरा, 1991 की जनसंख्या के आंकड़े आज के दिन उपलब्ध हुए हैं। 1981 के बाद मजरे और ढाणी गांव बन गये और वे किसी निकट की पंचायत के पास है, उनको आप दूर ढाणी–मजरे होने के आधार पर नहीं मिला कर उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। कुछ भौगोलिक परिस्थितियां गांव वाले जो आपके ध्यान में लाते हैं उनको देखा जाना जरूरी है। ....(व्यवधान) जोर जबरदस्ती उनके साथ यह अन्याय नहीं होगा। वे नहीं चाहते हैं, जबरदस्ती मिला रहे हैं आप। वहां उनको सैकण्डरी स्कूल की सुविधा प्राप्त थी, प्राइमरी स्कूल के गांव में जाकर मिला दिया। चिकित्सालय की सुविधा प्राप्त थी उस गांव में जाकर मिला दिया जहां कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। ग्राम सेवा समिति उनकी अलग रह गयी, पटवारी उनका अलग रह गया। सारी बातों को बदल कर इस तरह पुनर्गठन किया गया है। केवल जांच के आधार पर उवारने की दृष्टि से पंचायतें बन जाएं....

श्री सभापति : आप सारी बात कह चुके हैं। प्रश्न है तो बता एं।

श्री रतनलाल ताम्बी : प्रश्न यह है कि जो मैंने कहा है उन 3–4 मुद्दों का समावेश नहीं हुआ है।

श्री शिवनाथ सिंह : अभी मंत्रीजी ने बताया कि कुछ कुछ ढाणियां गांव बन गये हैं और 7–8 किलोमीटर की दूरी है उनको भी हमने मुख्य पंचायत में ही रखा है। मैं जानना चाहता हूं कि जब ढाणियां ग्राम बन गयीं तो मुख्य पंचायत, नयी पंचायत, छोटी पंचायत कहां रही ? वह तो अलग गांव बन गया। यह प्रोसेस सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिये दिया था कि बड़े गांव हैं, छोटी–छोटी ढाणियां हैं उनको अलग-अलग गांव बनाया जाए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जब गांव के 5–7 टुकड़े हो गये और आपके क्राइटेरिया में जनसख्या के हिसाब से 2 और 5 के बीच में उसकी दो पंचायतें बन सकती हैं तो आपने उसको दो क्यों नहीं बनाया ? क्या ऐसी जगह....

(126)

श्री सभापति : ऐसे नहीं । या तो आप पंचायत का नाम बताएं । यह प्रश्न कहां है ? भाषण का तो टाइम नहीं है । मूल प्रश्न यह है कि इस तरह की ढाणी थी उसको मिला लें ।

श्री शिवनाथ सिंह : सभापति महोदया, भाषण नहीं दे रहा हूं, भाषण देना ही नहीं आता है । मैं तो मंत्रीजी से यह सवाल पूछ रहा हूं कि जो गांव अलग-अलग ढाणियों में हैं उनको आपने गांव की शक्ल दे दी, उसको नया गांव मान लिया फिर भी आप उस पुराने गांव में रखना चाहते हो जो कि 5–7–8 किलोमीटर की दूरी पर है । वहां आबादी अधिक होने के कारण बनाया तो जिनकी मान लो 2 हजार और पांच हजार के क्राइटेरिया में है, उससे अधिक वह आती है । 8 हजार की संख्या है उसमें दो पंचायतें बन सकती हैं । उन पंचायतों को आप अलग क्यों नहीं कर रहे हैं, यह पूछ रहा हूं ।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : आपने पुनर्सीमांकन किया है पर किसी एक ढाणी को दो पंचायतों में पहले से बांट रखा है सन् 1960 और सन् 1991 में । सन् 1981 की जनसंख्या के आधार पर दुबारा आप पुनर्सीमांकन कर रहे हैं तो उस ढाणी को दो जगह क्यों रख रहे हो ?

श्री सभापति : यह तो वही कामन बात है जो इन्होंने कही है । सवाल करें । स्पेसिफिक सवाल करें ।

श्री अमराराम चौधरी : मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं । ....(व्यवधान)

श्री सभापति : यह जहाजपुर पंचायत समिति का सवाल है । मैं आपको ध्यान आकर्षण पढ़ कर सुना दूं कि इसमें विषय क्या है । ....(व्यवधान) माननीय सदस्य, एक बार बिराजें । मेरी बात सुन लें । जहाजपुर विधान सभा से सम्बन्धित प्रश्न है । अगर आप पूरे राजस्थान का पूछेंगे तो जवाब कैसे आएगा ?

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : मंत्रीजी ने 8 किलोमीटर की दूरी के बारे में बताया है कि 10 किलोमीटर की दूरी पर पंचायतें बनीं, उसी के बारे में मैं निवेदन कर रहा हूं । मेरा निवेदन है सभापति महोदया, क्या माननीय मंत्रीजी बताएंगे कि पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में गांव रिसोली जो गोपड़ी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और जिसको ग्राम पंचायत नहीं बनाया गया है....(व्यवधान)

श्री सभापति : वे बोल रहे हैं, उनको सुनें आप । अमरारामजी, बोलिये ।

श्री अमराराम चौधरी : पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में ग्राम गोपड़ी को ग्राम पंचायत बनाया गया है, जो पहले थी । लेकिन निवेदन यह था कि 10 किलोमीटर दूर ग्राम रिचोली है उसको ग्राम पंचायत बनाया जाए । गोडूका को जो 3 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से 8 किलोमीटर की दूरी है, पाटौदी के अन्दर मिलाया गया है जबकि गोडूका और रिचोली एक पंचायत बन सकती हैं । पाटौदी की जनसंख्या पहले से ही अधिक है इसीलिये रिचोली एक पंचायत बन सकती है जो 10 किलोमीटर गोपड़ी से दूर है जिसको नहीं बनाया गया । मंत्री महोदय कह रहे हैं कि 8 किलोमीटर की दूरी रखी गयी है । इसलिये मैं यह

(श्री अमराराम चौधरी)

निवेदन करना चाहूंगा कि आप रिचोली को ग्राम पंचायत बनाएं। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : मैं एक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका प्रश्न तो हो जाएगा लेकिन जवाब नहीं मिलेगा, फायदा क्या होगा ? आप लिखित में मंत्रीजी को दे दें तो उस पर कार्यवाही भी होगी वरना कुछ भी नहीं होने वाला है।

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : माननीय सभापति महोदया, जहाजपुर से सम्बन्धित प्रश्न पूछ रहा हूं। जहाजपुर के माननीय विधायक ने प्रश्न किया है। जो पुनर्गठन हुआ उससे असन्तुष्ट होकर जितने भी मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं, मुख्य रूप से उच्च न्यायालय में इस बारे में मेरा निवेदन है कि जहाजपुर, भीलवाड़ा और राजस्थान में जो भी मामले विचाराधीन हैं उनको सरकार मंगवा कर पुनर्विचार करना उचित समझेगी क्या ?

श्री बनवारीलाल बैरवा : मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से सीधा ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरे निवाई क्षेत्र के अन्दर नया गांव एक पंचायत थी उसके विभाजन पर तो मुझे कोई एतराज नहीं कि आपने विभाजन किया लेकिन जो नयी पंचायत बनायी और जो उसका मुख्यालय बनाया है वहां की जनसंख्या सिर्फ डेढ़ सौ थी और उसके साथ जो लगे हुए गांव हैं, एक में 450 की जनसंख्या है, एक में 550 की जनसंख्या है उनकी बात सुनी नहीं गयी। वहां पर न तो कोई पंचायत भवन है न और कोई व्यवस्था है उसके बाद भी धांधलेबाजी करके अरनिया के अन्दर एक पचायत स्थापित कर दी गयी है। भगवतपुरा और नया गांव के लोग आज भी चिल्ला रहे हैं कि हमारे साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। क्या माननीय मंत्रीजी उसके ऊपर पुनर्विचार करके उसमें कोई सुधार कर पाएंगे ?

श्री हरजीराम बुड़रक (लाडनूं) : अभी राज्य सरकार ने महामहिम राज्यपाल के भाषण में यह कहलवाया है कि हम पंचायतों का पुनर्सीमांकन करेंगे। अभी मंत्रीजी कह रहे हैं कि पुनर्गठन नहीं करेंगे तो उस भाषण का क्या मतलब है, वह स्पष्ट कर दें। अभी इसी सैशन में राज्यपाल महोदय से कहलवाया है।

एक माननीय सदस्य : मेरा सवाल यही था जो उन्होंने पूछ लिया।

श्री जगदीश चन्द दरक (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदया, मेरे भीलवाड़ा कान्स्टीट्युएन्सी में इसी तरह का एक छापड़ी गांव है।

श्री सभापति : देखिये, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि आप जहाजपुर के अलावा प्रश्न पूछेंगे तो आपको जवाब तो मिलेगा नहीं। सदन का समय क्यों जाया करते हैं ? आपके जो भी प्रश्न हैं एक पत्र पर लिख कर माननीय मंत्रीजी को दे दें, विचार कर लिया जाएगा। मंत्रीजी, बोलिये। (व्यवधान) इस सदन को मखौल का विषय नहीं बनाएं।

श्री घासीराम यादव (मुण्डावर) : माननीय सभापति महोदया, मंत्रीजी से यह

(श्री घासीराम यादव)

जानना चाहता हूं कि हमारे पड़ौस में हरियाणा में बहुत खूबसूरत पंचायतें हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्या इसको दूसरी पंचायत करने का विचार सरकार रखती है ?

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, अब आप जवाब दें।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदया, इन में जो बड़ी ग्राम पंचायतें थीं उनको छोटा करने के लिये ही यह पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन का निर्णय लिया गया है। माननीय सभापति महोदया, शायद सदन को यह जानकर हर्ष होगा कि लगभग 7 हजार पंचायतें थीं

(15.00)

अब पुनर्गठन से बढ़ाकर जिनकी संख्या 9173 के आसपास हुई है। एक निश्चित प्रक्रिया तय की गयी थी पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन की जिसमें पहले कलेक्टर्स को यह अधिकार दिया गया था कि वे नोटिस लगाएं, शिकायतें, आब्जेक्शंस ग्राम पंचायत के हों तो उनको लें, उनको सुनें और सुन कर उनका निस्तारण करें। तत्पश्चात् कलेक्टर्स के यहां आपत्तियां आयीं, उनका निपटारा किया गया उसके बाद भी इनमें कोई कमजोरी नहीं रह जाए इसके लिये राजेन्द्र जैन कमेटी बनी। उस कमेटी में, काम को और डी सेंटलाइज करने के लिये कि इस तरह की कोई सम्भावना नहीं रहे, बारह सचिवों को अलग-अलग ड्यूटी दी गयी, अलग-अलग जिले संभलाये गये। उसके बाद सेक्रेटरीज सम्बन्धित जिलों में गये, वहां आपत्तियां लीं, सुनवाई की और उनका निस्तारण किया और उसके बाद फाइनल पुनर्गठन–पुनर्सीमांकन का कार्य कर के इसका नोटिफिकेशन किया गया। सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया। माननीय सभापति महोदया, यह सही है....

श्री हरिसिंह (महुआ) : बी.जे.पी. के कार्यकर्ताओं की बात सुनी है लेकिन यहां किसी की नहीं सुनेंगे। एक पोलिटिकल डिसीजन हुआ जैसा आप चाहते थे, जैसा आपके कार्यकर्ता चाहते थे। पंचायतों का स्वरूप आप लोगों ने खत्म किया है, पूरे पंचायत सिस्टम को आप लोगों ने जंग लगा दिया....(व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, आप सुनना नहीं चाहते ? अगर आप जवाब सुनना नहीं चाहते तो मैं दूसरा प्रश्न पुकारती हूं। श्री जुबेर खान।....(व्यवधान).... आप बिराजें, यह जनरल बहस नहीं है।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदया, दो मिनट में पूछना चाहूंगा। मंत्री महोदय ने दुबारा उत्तर दिया है मुझे उसका सवाल पूछना है।

श्री सभापति : श्री जुबेर खान। यह जनरल डिबेट का सवाल नहीं है।

श्री रतनलाल ताम्बी : मुझे मंत्री महोदय ने दुबारा जब उत्तर दिया, उसमें सवाल पूछना है।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : आपने आसन से एक व्यवस्था दी कि चूंकि यह जहाजपुर से रिलेटेड सवाल है इसलिये वहां तक ही सीमित रहना चाहिये।

श्री सभापति : मैंने यह पहले ही कह दिया था।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : सभापति महोदया, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन सिद्धान्तों के आधार पर राजस्थान की सरकार ने पुनर्गठन करना शुरू किया है वे सिद्धान्त पूरे राजस्थान पर लागू होते हैं।

श्री सभापति : नहीं, पूरे राजस्थान पर लागू होते तो पूरे राजस्थान का ध्यानाकर्षण होना चाहिये। यह केवल जहाजपुर का है। बिराजें आप।....(व्यवधान)....

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : जिस किसी पंचायत की शिकायत आयी थी वहां पर....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें आप। ....(व्यवधान)..

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने उत्तर दिया उसमें मुझे दो सवाल पूछने हैं।

श्री सभापति : श्री जुबेर खान।

श्री रतनलाल ताम्बी : मंत्री महोदय ने दुबारा उत्तर दिया उसमें मुझे सवाल पूछना है।

श्री सभापति : आप पूछ चुके, बिराजें आप।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं दो सवाल पूछूंगा, सभापति महोदया, जो मंत्री महोदय ने दुबारा उत्तर दिया है।

श्री सभापति : आप पूछ चुके, बिराजिये आप। दूसरा नम्बर आ गया।

श्री रतनलाल ताम्बी : क्या आ जाएगा ? (व्यवधान)....

श्री सभापति : आप पूछने ही नहीं देते उनको, ये जब भी सवाल पूछते हैं आप सब खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)...

श्री रामपाल उपाध्याय : हम तो सुन रहे हैं, वह सुनाओ न आप। आप उनको इजाजत दीजिये। (व्यवधान)...

श्री सभापति : देखिये, आपने पहले तो मंत्री महोदय का जवाब सुना ही नहीं और आपने अपनी बात दुबारा रख दी। अब कितनी बार आप सवाल पूछेंगे ?

श्री रतनलाल ताम्बी : मैंने सुन लिया था और आपने अलाऊ कर दिया मुझे इसलिये मैं बोल गया था।

श्री सभापति : नहीं, अलाउ नहीं किया। आप तो पढ़ते ही चले गये। (व्यवधान)...

श्री रतनलाल ताम्बी : आपने मुझे रोका भी नहीं। गलती आपने भी की है।

श्री सभापति : कोई बात नहीं, आपने पढ़ लिया अच्छी बात है। आपकी सारी बातें मंत्री महोदय के ध्यान में आ गयीं, आप बिराजे। श्री जुबेर खान।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदया, मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि मेरा दो मिनट का सवाल है।

श्री सभापति : अब मैं अगला सवाल लेती हूं, कृपया आप बिराजें। माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, बिराजें आप।

(130)

श्री रतनलाल ताम्बी : दुबारा उत्तर दिया उसमें मुझे दो सवाल पूछने हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपको उत्तर मिल जाएगा माननीय मंत्री महोदय से लिखित में। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : वह नहीं मिलेगा, सभापति महोदया। दुबारा आपने जो फर्माया उसमें मुझे दो सवाल पूछने जरूरी हो गये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री रतनलाल ताम्बी : आपने यह फर्माया कि राजस्थान में 1951 की जनसंख्या के आधार पर जो पंचायतें थीं उसमें दो हजार पचायतें बढ़ीं। राजस्थान में आप मंगवा कर देख लें, भीलवाड़ा जिले की जनसंख्या 15 लाख है वहां पर 37 पंचायतें बढ़ी हैं और राजस्थान में छह-सात जिले ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या पांच-छह लाख ही है वहां पर 60-60, 70-70 पंचायतें बढ़ी हैं, एक तो मेरा यह कहना है।

दूसरा, आपने कहा कि बड़ी पंचायतें थीं उनकी छोटी पंचायतें की गयी हैं। मैं चुनौतीपूर्ण शब्दों में कहना चाहता हूं कि जहाजपुर में कोटड़ी पंचायत समिति में जो पंचायत पुनर्गठित की गयी उनमें इससे भी बड़ी पंचायतें हैं उनके हाथ नहीं लगाया गया। जहां जैसा चाहा वैसा पुनर्गठन हुआ और इससे बड़ी पंचायतें पुनर्गठित नहीं हुई हैं, यह मेरा आपको कहना है। मंत्री महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं...(व्यवधान)..

श्री सभापति ; माननीय सदस्य, बिराजें आप। देखिये, एक तरफ तो आप चाहते हैं कि सवाल का जवाब आये दूसरी तरफ जब भी ताम्बीजी बोलते हैं आप सभी बोलने लग जाते हैं। या तो ताम्बीजी को आप बोलने नहीं देना चाहते।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायतों के पुनर्गठन से वहां पर न केवल जनता...

श्री सभापति : देखिये, आपने कहा था कि सवाल करूंगा। सवाल करिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : न केवल कांग्रेस, न केवल बीजेपी तीनों ही संतुष्ट नहीं हैं। आप चाहें तो बीजेपी वालों से बैठ बात कर लें। यह हालत वहां पैदा की गयी है।

श्री सभापति : बात कर लेंगे।

श्री रतनलाल ताम्बी : वहां पुनर्गठन नहीं हुआ मखौल हुआ है। कुछ पंचायतों के अलावा बाकी पंचायतें ज्यों की त्यों रख दी गयी हैं। आपका वह सिद्धान्त तो आप बता रहे हैं वहां लागू नहीं हुआ है। मापदण्ड के अनुसार यदि पंचायत पुनर्गठित नहीं की गयी तो उसका पुनरावलोकन किया जाए। मेरे इलाके की 20 पंचायतों के गांवों के लोगों ने रिटें हाई कोर्ट में की हैं और जोधपुर हाई कोर्ट में हजारों रुपये खर्च किये हैं।

श्री सभापति : आप यह बात कितनी बार रिपीट करेंगे ?

श्री रतनलाल ताम्बी : यह पुनर्गठन मापदण्ड के अनुसार नहीं है, उसको वापस देखा जाए। ....(व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं करें। बिराजें आप।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, यह गम्भीर प्रश्न है, समस्या है, मैं यह चाहता हूं कि माननीय सदस्य सुनने का कष्ट करें। जब मैं इस मामले पर जवाब देने खड़ा होता हूं तो पांच–छह सदस्य खड़े होकर हल्ला करना शुरू कर देते हैं। ....(व्यवधान)....सभापति महोदया, यह सही है कि इस पुनर्गठन के बाद भी कई स्थानों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं लेकिन हमारे सामने ....(व्यवधान)....

श्री सभापति : मुझे लगता है, ताम्बी जी, आपका उत्तर कोई नहीं सुनना चाहता। ....(व्यवधान)....

श्री नाथूराम अहारी : 12 हजार की आबादी है....(व्यवधान)....क्या बात करते हो आप ?

श्री नाथूसिंह : अब मैं बोल रहा हूं आप बीच में खड़े हो गये।

श्री सभापति : सवाल करिये।

श्री नाथूराम अहारी : क्यों नहीं खड़ा होऊं ? ....(व्यवधान)...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, ध्यान रखें।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, यह सही है कि कुछ स्थानों से इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अब यह इतना बड़ा काम हुआ है तो इसमें हो सकता है कुछ स्थानों पर कमी रह गयी हो। मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज सरकार की मंशा यह है कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराये जाएं, आज यदि हम इस पिटारे को खोलेंगे और पंचायतों का पुनर्गठन वापस करना शुरू कर देंगे तो... (व्यवधान)....एक मिनट, उपाध्यायजी, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं आप बीच में....(व्यवधान)....मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि यदि अब हम शुरू करेंगे तो कई स्थानों से लोग कहेंगे कि इसमें भी ओपन करिये। यह कहना गलत है। मैं सदन को यह विश्वास दिला सकता हूं कि हमारे सामने करीब 173 मामलों में हाई कोर्ट जयपुर में और जोधपुर में ज्यादा भी हो सकते हैं, अब तक की जो जानकारी है उसके अनुसार लगभग 173 मामले हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं।....(व्यवधान)....जो भी है, विचाराधीन हैं। मैं आपसे इतना निवेदन करना हूं कि इस पुनर्गठन या पुनर्सीमांकन में कोई राजनैतिक भेदभाव किया गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे अधिकारियों के जिम्मे....(व्यवधान)....आप एक मिनट सुन लीजिये। Let me finish please. I have been MP also. तो आप हमारी तरफ से, जैसे माननीय ताम्बीजी बोल रहे थे।"

श्री सभापति : आपकी बात समझ में आ गयी है कि अगर पंचायत चुनाव जल्दी से कराने हैं तो जब तो ऐसे ही करा दें वरना आप अपने सुझाव मंत्रीजी को दे दें। बात खत्म।....(व्यवधान)....आप चुनाव नहीं चाहते ?....(व्यवधान)....

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदया, ताम्बीजी को मालूम है कि जहाजपुर

(श्री नाथूसिंह)

की, जहां की ये बात कर रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शिकायत कर रहे हैं। यदि यह राजनीतिक आधार पर होता तो ऐसी शिकायतें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्यों आतीं ? यह ऐसा नहीं है। कई जगह कांग्रेस वालों की तरफ से शिकायत आती हैं, कई जगह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कई जगह किसी पार्टी की तरफ से। नहीं, नान पालिटिकल आती है। तो इसमें कोई राजनीतिक भेद-भाव किया हो, ऐसा नहीं है। सरकार की मंशा है कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराये जाएं। जैसे कल बात आयी कि प्रशासक चला रहे हैं, तो इस मंशा को पूरा करने के लिये हम जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं। अगर इस तरह की कोई शिकायतें हों तो उसके बाद....

श्री सभापति : धन्यवाद । बिराजें आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) जल्दी से जल्दी अप्रैल में ?....(व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें आप। श्री जुबेर खान।

श्री नाथूसिंह : ज्यों ही एक्ट पास हो जाएगा, उसके बाद ही मैं वार्ड्स बनाना और उसकी प्रक्रिया सारी शुरु करवा दूंगा, जितना जल्दी हो सकता है।

श्री सभापति : धन्यवाद, बिराजें।

श्री परसराम मदेरणा : मेरा प्रश्न यह नहीं है, माननीय मंत्री महोदय, जो उठाया है जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने, कि पंचायतों के पुनर्गठन में भारी पक्षपात हुआ है, कि पालिटिकल एंगल से पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है। आप पंचायतों का पुनर्गठन कराना चाहते हैं क्या ? आप दोनों बिल पेश कर दीजिये। बिल दोनों आ जाएगे, चुनाव करा देंगे, चुनाव की प्रक्रिया तो बाद की बात है। The very existence of the panchayat and delimitation is defective. It is discriminatory and you have used unbridled power as a Government. जिस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर लगाने की बात यहां पर आई थी तो यह बात मैंने सदन में की थी, उल्लेख आप वह प्रोसीडिंग पढ़ लीजिये। आप पंचायतों का पुनर्गठन कराने के लिये जल्दी में नहीं हैं। आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं पंचायतों का पुनर्गठन कराना ? आपने किया क्या कि जहां तीन आदमियों की कमेटी थी जिसमें चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड होता था अपीलांट अथोरिटी वहां पर आपने पहले तो लगाया कमिश्नर डवलपमेंट को। कमिश्नर डवलपमेंट जब कोटा डिवीजन के दो डिस्ट्रिक्ट में गये तो आपने दूसरे कमिश्नर्स और सैक्रेटरीज को अलग-अलग 2-2, 3-3 जिलों में लगा दिया। उसकी स्थिति यह हो गयी कि अपीलैंट कमेटी एक आदमी की बन गयी और यहां से आपने इन्स्ट्रक्शन ये दे दिये कि सुनना ही नहीं है। जो एग्रीव्ड पार्टी हैं सब ने यहां पर आब्जेक्शन किये, पंचायत डिपार्टमेंट में किये, पूरे राजस्थान के लोगों ने, हाई कोर्ट की बात दूसरी है। जस्टिस में कोई उम्मीद ही नहीं है, कई लोगों की रिट भी चल रही है। मैंने खुद एतराज किये। I was an aggrieved party. वहां पर मैं जब अपीलैंट अथोरिटी, मि. आर्य के सामने अपीयर हुआ,

(श्री परसराम मदेरणा)

जिसके प्रस्तावों से मैं एग्रीवड पार्टी था, और वह बैठा-बैठा बीच में पंचायत कर रहा था। वहां का कलक्टर जो चीफ मिनिस्टर का सैक्रेटरी है आजकल, मैंने कहा कि आपका लोकस स्टेण्डाई क्या है। आप फिर सुनना चाहते हैं तो मैं एक बात और सुना दूं कि वहां बीजेपी के अध्यक्ष बैठे हुए थे जिनको मैंने कहा कि यह लोकस स्टेण्डाई है कौन। न तो वह एमएलए. है, न प्रधान है इसको बाहर निकाला जाए। उसको निकाला गया कमेटी से और कलक्टर से मेरी झड़प हुई। वह बात अखबारों में भी आयी थी। आपने भारी पक्षपात किया है।

You belong to the rural area. वहां पर जिस तरह की पंचायतें की हैं, पंचायतें नहीं हैं पंचायतों के बीच में 11-11, 12-12 किलोमीटर डिस्टेंस रख दिया है, और बीच में दूसरी पंचायतें आ गयी हैं। आप यह सोचते हैं कि इससे आपको जनाधार ज्यादा बढ़ जाएगा ? यह नहीं बढ़ेगा बल्कि लोगों में असंतोष फैलेगा। आपका जनाधार बढ़े, यह आपका पोलिटिकल एंगिल है और वह बढ़ाने के लिये हर एक पोलिटिकल पार्टी कोशिश करती है, उसमें कोई बात नहीं है लेकिन ग्रामीणों को आने-जाने की सुविधा नहीं, पंचायतों का हैड क्वार्टर सैंटर में नहीं, पंचायत वायबल यूनिट नहीं। आपको फिर मैं एक बात बताऊं, यहां आने के बाद मैं शायद राजस्थान के इतिहास में यह पहली दफा हुआ होगा, मेरे खुद के ग्राम की दो पंचायतें वहां पर कलक्टर ने प्रपोज की थीं, यहां से निर्देश दिये गये कि राठौड़ी में कि आपको 3 करनी हैं। आप सुनिये, मंत्रीजी, यहां तक मेनिपुलेशन होता है और किस हद तक, लोग लोएस्ट एब तक गिर जाते हैं। कलेक्टर ने 3 पंचायतों के प्रस्ताव भेजे और तीसरा प्रस्ताव भेजा तो पहले वाली फाइल निकाल ली गयी ओरिजनल फाइल में से निकालकर जैसे कि कलक्टर ने पहले प्रपोजल 3 के भेजे। इस तरह की धोखाधड़ी और जालसाजी सैक्रेटरिएट में हो हो सकती है तो मैं यह समझता हूं कि आपको यह विभाग ही इसलिये दिया गया है। पर आप काश्तकार हैं किसान के लड़के हैं, धरती के आप बेटे हैं इसलिये आपको देखना चाहिये कि पंचायतों के साथ में अन्याय न हो।

पुनर्गठन के मामले में जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ तथ्य आपके सामने दिये हैं वे केवल जहाजपुर के या भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के ही नहीं हैं, बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स के हैं और अन्दर ही अन्दर आप कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। इन्स्ट्रक्शन्स दे दिये कलक्टर को। इलेक्शन कमीशन कान्स्टीट्यूशनल अथोरिटी है जो कह रहा है आई.ए.एस. के बारे में कि वे स्पाइनलैस हैं। आई एम सारी, बोला आई एम सारी मीन्स आई एम सारी, मैं कुछ कुछ नहीं कर सकता, मेरी रीढ़ की हड्डी कमजोर है, वह लुकचुक कर रही है, आई एम सारी। उसकी जो अपीलैंट आथारिटी बनकर आया था उसकी तो मैं समझता हूं कि रीढ़ की हड्डी के 50 टुकड़े हो गये थे। मैं उधर कभी देखता नहीं हूं गैलेरी की तरफ, आज गैलेरी की तरफ वे आफिसर भी बैठे हुए दिखते हैं शायद। ऐसा सोच रहा था कि यह इम्पारशियल आफिसर है, वहां कलक्टर भी रहा हुआ था। मैं उसकी इंटिग्रिटी पर डाउट नहीं करता लेकिन यह पिक्यूलियर इंटिग्रिटी और चीज है और प्रिंसिपल स्टैण्ड लेना दूसरी बात है। आपने

(श्री परसराम मदेरणा)

दबाया वे दब गये । आपने चाहा वैसा ही कर दिया पंचायतों का । मैं आपसे कह रहा हूं कि उसमें मेनिपुलेशन हुआ है डेट्स के अन्दर । पहले आपने एक आदेश निकाला कि तहसीलदार से प्रपोजल मंगाकर एस.डी.ओ. कर देगा, एस.डी.ओ. ने नोटिफिकेशन कर दिया । चीफ सैक्रेटरी पहुंचे जोधपुर में, जोधपुर डिवीजन के कलक्टर्स इकट्ठे हुए । आपको एक तारीख को नये प्रस्ताव पंचायतों के हैडक्वार्टर्स पर चस्पा करने थे । नतीजा यह हुआ कि रात को मालूम हुआ कि यह तो कर ही नहीं सकता, कलक्टर के इस पर सिग्नेचर होने चाहिये । नैक्स्ट आ गया सनडे, बाई चांस मैं भी जोधपुर में था, मैंने पूछा कि कलक्टर कहां है ? कहा कि जिला परिषद में प्री डेट में दस्तखत कर रहा है । जो चीफ मिनिस्टर का सैक्रेटरी है अभी । प्री डेट में दो तारीख को रात तक किये हैं सिग्नेचर । Because I know certain people also and my own son was the Pramukh, Zila Parishad, इसलिये मुझे सब इन्फार्मेशन हो रही थी कि अब किन–किन पंचायतों के सिग्नेचर हुए हैं । फिर मैंने भी तो सी.आई.डी. लगाई कि वह कर क्या रहा है वहां पर जिला परिषद के आफिस में । परिणाम यह हुआ कि 3 तारीख को दोपहर तक जाकर मजिस्ट्रेटों को भेजा तब जाकर घोषणा कर दी एक तारीख से । एक दफा यहां पर जिस वक्त नेशनलाइजेशन आफ फारेस्ट प्रोब्लम चल रही थी हाउस में किसी ने एतराज किया था एक नोटिफिकेशन के बारे में और मैंने जाते–जाते आफिसर्स गैलेरी में पूछा कि यह नोटिफिकेशन मुझे ऐसा दिखता है कि आपने इसमें डेट लगायी है और इसकी प्रिंट बाद में छपवाई है । उन्होंने कहा, साहब इसमें 3–4 दिन की देरी हो गयी । आते ही हाउस में मैंने कह दिया, कन्फेस किया कि एक तरह से गवर्नमेंट आफिसर्स ने गलती की है और हाउस में बिजनेस ही नहीं, हाउस डेढ़ बजे एडजोर्न हो गया । You should be clean. You keep your hands clean. ब्यूरोक्रेट्स के कहने से अगर मिनिस्टर्स कोई भी उनके ऊपर चिड़िया की तरह दस्तखत कर देंगे, उनको नहीं करना चाहिये । आप अब आये हैं, मैं यह कह रहा हूं, आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं ? 3 मिनिस्टर्स की एक कमेटी बैठा दीजिये । कैलाशजी को उसमें रख दीजिये, आप रह जाइये और सुजानसिंह जी ठीक हैं, आप तीन की कमेटी बना दीजिये । मेरे पास 50 इस तरह के प्रपोजल हैं जिनमें बहुत भारी पक्षपात किया गया है । मैं आपके सामने अपीयर होऊंगा एग्रीव्ड पार्टी की हैसियत से । आप बैठे रहेंगे, मैं खड़ा–खड़ा मेरे प्रस्ताव रखूंगा, मेरे तर्क दूंगा, मेरे आग्यूमेंट्स दूंगा । उसके बाद फैसला जो कुछ भी आप ठीक समझें वैसा ही कीजिये लेकिन अपीलैंट अथोरिटी आयी थी नाम मात्र की ऐसा फैसला आप मत कीजिये ।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका, प्रतिपक्ष के नेता का आभारी हूं कि उन्होंने काफी अपने महत्वपूर्ण सुझावों से कि मंत्री की क्या–क्या कमजोरी हो सकती है, वे रहे हैं, उनका काफी अनुभव रहा है, मुझे अवगत कराया है ।

श्री परसराम मदेरणा : 5 साल तक कम्यूनिटी डवलपमेंट एण्ड पंचायत का

(श्री परसराम मदेरणा)

मिनिस्टर रहा था कन्टीन्यूड फ्राम 1967 टू 1972। जिस वक्त मैं मिनिस्टर बना तो करीबन 2 हजार के आसपास सरपंच सस्पेंडेड थे, एन्टी करप्शन के मामले में, कोई 8 रुपये की कोई 3 रुपये की। जाते–जाते मैंने ढाई हजार में से करीबन 2 हजार को रीइन्स्टेट किया। मैंने कहा, नहीं, पब्लिक रिप्रजेंटेटिव्ज को इस तरह से सस्पेंशन नहीं होना चाहिये। मैं इसलिये कह रहा हूं कि मुझे अनुभव भी है और मैं इस डिपार्टमेंट में रह चुका हूं। आपको मेरे वक्त में कोई भी यह कह दे कि यह बी.जे.पी. का था। उस वक्त बी.जे.पी. तो कहां थी, जनसंघ थी या जनता पार्टी होगी गये वक्त। तो उस वक्त कभी भी पक्षपात नहीं किया था। पंचायतों के अन्दर इस तरह पक्षपात शुरू करोगे तो डेमोक्रेसी ग्रास रूट में कमजोर होगी और जो आज कांस्टीट्यूशन अमेण्डमेण्ट हुआ है उसके पीछे फिलासाफी है कि हम सत्ता देना चाहते हैं। अपन लोग कुछ बैठे हुए हैं, अपन बहुत दूर हैं जनता से और इसलिये यह कांस्टीट्यूशनल अमेण्डमेण्ट हुआ है। कुछ पार्लियामेण्ट के मैम्बर और कुछ लेजिस्लेटिव के लोग कुल मिलाकर छः सात हजार आदमी हैं हिन्दुस्तान जैसे देश में जिसकी आबादी 80-90 करोड़ के आसपास होने जा रही है, इसलिये यह कांस्टीट्यूशनल अमेण्डमेण्ट हुआ है। कांस्टीट्यूशनल अमेण्डमेण्ट की स्पिरिट, उसके पर्सपेक्टिव हैं, उसके सन्दर्भ हैं। अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो तो This is an article of faith with you. आर्टीकल आफ फेथ अगर है तो, मुख्य मंत्रीजी, आपमें हम फेथ रिपोज करते हैं, हम कान्फीडेंस आपमें रिपोज करते हैं। अब आप सही करते हैं इन चीजों को, रि–आर्गेनाइजेशन को ठीक करते हैं या जनता के साथ में टेल करते हैं, यह आपके सोचने की बात है।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदया, जैसा मैंने कहा कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता का बहुत अनुभव रहा है... (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : मंत्री महोदय अभी एक महीने पहले ही बने हैं, तीन साल पहले की आप बात कर रहे हैं। इनको मौका दें, बहुत बढ़िया काम करेंगे। ऐसे तो नहीं करें आप। इनको तो आपने डांट दिया। ऐसा नहीं करें, बहुत बढ़िया काम करेंगे। थोड़ा सा...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें आप।

श्री नाथूसिंह : माननीय, इनका काफी अनुभव रहा है उन्होंने जैसा अभी बताया। मैं पहले तो आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, यह विश्वास दिलाना चाहता हूं सदन को कि जिस दिन से मैंने शपथ ग्रहण की है मंत्री के रूप में, मैं यहां पर कोई भेद-भाव नहीं करता हूं राजनैतिक रूप से, मैं निष्पक्ष रूप से काम करता हूं। आज तक मेरा एक भी निर्णय ऐसा नहीं है, सभापति महोदया, मैं विश्वास दिलाता हूं माननीय प्रतिपक्ष के नेता को कि जिसमें हम कोई भेदभाव करते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, लेकिन पूर्व में जो ब्लण्डर की हुई है उसको रेक्टिफाई करने और ठीक करने की आप सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं?...(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : दूसरा... (व्यवधान) मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं जैसा आपने कहा कि जो अफसर कह दे, उस पर केवल चिड़िया बिठाना। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, जब यह एक्ट बन रहा था, कई माननीय सदस्यों को मालूम है कि एक–एक लाइन को, एक–एक शब्द को मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि यह ठीक नहीं है तो उसको मैंने बदलवाया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आखिर आप एल.एल.एम. हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एल.एल.एम. मंत्री।

श्री नाथू सिंह : इसलिये कोई अफसर करके दे देते हों ऐसा नहीं है, निर्णय विभाग में मेरा होता है आफिसर एक्जीक्यूट करते हैं। 9,173 ग्राम पंचायतें हैं, इतना बड़ा आखिर काम हुआ है, माननीय प्रतिपक्ष के नेता से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कितने केसेज ऐसे हैं जिनमें शिकायतें आई हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं, कुछ शिकायतें आयी हैं, हो सकता है नीचे के लेबल पर कुछ ऐसा किया भी गया हो लेकिन ऊपर के निर्देश से या राजनैतिक आधार पर ऐसा नहीं किया गया है। यह मुझे सम्भव इसलिये नहीं लगता, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, कि इस तरह की जो शिकायतें हैं वे सब कार्नर से आती हैं। ये जितनी शिकायतें हैं वे सब कार्नर से आयी हुई हैं। आपको 173 केसेज के बारे में मैंने कहा है लगभग कि जो कोर्ट्स में गये, वे केवल एक पार्टी की तरफ से गये हुए हों, ऐसा नहीं है। सब कार्नर से आयी हैं तो इसका मतलब है कि इसमें बिल्कुल भेदभाव नहीं ... । नीचे के लेबल पर हो सकता है इतना बड़ा काम है तो कमी रह जाए, लेकिन अब यदि हम पुनर्गठन या पुनर्सीमांकन का काम वापस शुरू कर देंगे तो आप तो खुद अनुभवी हैं, It will take time. इसमें नोटिस देने पड़ते हैं, सुनवाई का समय देना पड़ता है। यदि ऐसा करेंगे तो चुनाव जो हम जल्दी कराना चाहते हैं उसमें बाधा आएगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार चुनाव हो जाएं उसके बाद कोई दिक्कत हो और कुछ हो तो उस पर विचार किया जा सकता है। जनता के हित में जल्दी से जल्दी जनता के हाथ में सत्ता जाए इसलिये सरकार यह प्रयास कर रही है कि पंचायतों के चुनाव जल्दी से जल्दी कराए।

श्री सभापति : बहुत बढ़िया। श्री जुबेर खान।

श्री परसराम मदेरणा : 173 तो रिट एप्लीकेशन देख लीं लेकिन आपके यहां पर 9,000 और कुछ पंचायतें हैं जो अभी परिसीमन किया है, उन सबकी तो यहां पर अपीलें आयी नहीं थीं। अपीलें तो लिमिटेड आयी होंगी। मैं इस पूरे, कोई नौ हजार को री–ओपन करने की बात नहीं कह रहा हूं। आपने पीरियड रखा था, नोटिस दिया था कि गवर्नमैण्ट के पास एतराज करने आएं तो पंचायत डिपार्टमैण्ट के अन्दर फलां–फलां तिथि को सब्मिट कर देने चाहिये, उन लोगों ने उस अवधि में एतराज नहीं दिये। वे तो हार्डली केसेज मेरी समझ में हजार, डेढ़ हजार से ज्यादा नहीं होंगे, उसको आप रिव्यू कर लीजिये। बाकी मैं कब कह रहा हूं? नौ हजार पंचायतों के पुनर्गठन का मामला लेकर सरकार जो विकास की गंगा बहाना चाहती

(श्री परसराम मदेरणा)

है, आप सत्ता की गंगा को बहाना चाहते हैं। तो गंगा तो सूखी हुई पड़ी है लूणी की तरह, आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री सभापति : श्री जुबेर खान।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में निरीक्षकों व सहायक आगार प्रबंधकों की अनियमित पदोन्नति

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय सभापति महोदया, प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत मैं यातायात मंत्रीजी का निरीक्षकों और सहायक आगार प्रबन्धकों की पदोन्नति नियमानुसार नहीं होने के संबंध में ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा।

श्री सभापति : यातायात मंत्रीजी।

श्री रोहिताश्व (यातायात राज्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदया, वर्ष 1987 में आगार प्रबन्धकों के कुछ पद रिक्त होने से निगम प्रबंध द्वारा यह विज्ञप्ति जारी की गयी थी कि इन रिक्त पदों को सेवा चयन मण्डल द्वारा पदोन्नति करके भरा जाएगा। इस सेवा चयन मण्डल की बैठक दिनांक 17.11.1987 एवं 27.11.1987 को हुई जिसके फलस्वरूप सेवा चयन मण्डल की सिफारिश पर 38 सहायक आगार प्रबन्धक/यातायात निरीक्षकों को दिनांक 2.12.1987 को पदोन्नति आदेश जारी किये गये। पदोन्नत किये गये सभी व्यक्तियों ने नये पदों का पदभार संभाल लिया।

इस आदेश के विरुद्ध 20 कर्मचारियों ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की जिसका निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा (एस.बी. सिविल रिट पिटीशन 177/88) दिनांक 3.7.1990 को किया गया। इस निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिये कि दिनांक 2.12.1987 को 38 कर्मचारियों के पदोन्नति सम्बन्धी आदेश निरस्तनीय हैं। उन्हें निरस्त कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जिन व्यक्तियों का चयन किया गया है और जिन्हें पदोन्नति दी गयी है वे चार महीने तक अपने–अपने पदों पर बने रहेंगे और इसी चार महीने की अवधि में राजस्थान पथ परिवहन निगम नये सिरे से डी.पी.सी. द्वारा चयन करेगा और पूर्णत: 1965 के रेगुलेशन के अनुसार पदोन्नति के आदेश जारी करेगी और पदोन्नति के ये आदेश 2 दिसम्बर, 1987 से लागू माने जाएंगे।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 3.7.1990 के निर्णय के विरुद्ध सिर्फ 6 कर्मचारियों ने माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में अपील प्रस्तुत की जिसका निर्णय माननीय न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 314/90 दिनांक 11.4.91 को किया....

(15.28)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

गया। इस निर्णय में डी.बी. द्वारा ये आदेश दिये गये कि माननीय एकल पीठ द्वारा 3.7.1990 को दिये गये निर्णय उचित हैं एवं उनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निगम अधिवक्ता द्वारा नये सिरे से चयन के लिये चार महीने का समय और मांगा गया जो माननीय

138

(श्री रोहिताश्व)

उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये भी आदेश दिये गये कि जो व्यक्ति पूर्व में पदोन्नत किये गये हैं वे चार महीने तक यथावत कार्य करते रहेंगे और इसी बीच में निगम नये सिरे से चयन प्रक्रिया अपना कर उपयुक्त कर्मचारियों का चयन करेगी और 1965 के रेगुलेशन के अनुसार पदोन्नति दी जाएगी और ऐसे व्यक्तियों को 2.12.1987 से चयनित माना जाकर सभी लाभ दिये जाएंगे।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.4.1991 की पालना में निगम द्वारा चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी और इसके लिये विज्ञप्ति दिनांक 27.12.1991 को जारी की गयी। पदोन्नति हेतु आयोजित लिखित परीक्षा का निर्धारित पाठ्यक्रम (सेवा विनियम-1965 के नियम 117) के अन्तर्गत दिनांक 2.1.1992 को अधिसूचित किया गया और परीक्षा दिनांक 19.1.1992 को आयोजित किया जाना निश्चित कर आयोजन हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी। यह परीक्षा दिनांक 19.1.1992 को आयोजित की जानी थी, परन्तु इसी बीच श्री मूलसिंह देवल व एक अन्य कर्मचारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में परीक्षा के आयोजन के विरुद्ध एक याचिका संख्या 269/92 प्रस्तुत की गयी जिस पर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर खण्डपीठ द्वारा सभी कार्यवाही कर स्थगन आदेश जारी किया गया जिसके फलस्वरूप परीक्षा सम्बन्धी सभी कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सारे प्रसंग के विधिक पहलुओं का परीक्षण करने पर अन्ततः यह तय किया गया कि यदि विनियमों में परीक्षा सम्बन्धी प्रावधान विलोपित कर दिये जाएं तो उचित रहेगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आगार प्रबन्धक के पदों पर पदोन्नति करने सम्बन्धी प्रक्रिया एवं कार्यवाही हाथ में ले ली गयी तो निगम प्रबन्धक के ध्यान में यह आया कि पदोन्नति के पात्र व्यक्ति अधिकतर पूर्व में ही दो या तीन पदोन्नतियां प्राप्त कर चुके हैं और आगार प्रबन्धक का पद निगम प्रशासन में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि यह निगम का मुख्य कर्तव्य संचालन कार्य है व आगार प्रबन्धक की सीधी देखरेख में किया जाता है अतः यह उचित समझा गया कि इस पद पर सुयोग्य व्यक्ति ही पदस्थापित किये जाने चाहिये। अतः निगम मण्डल के निर्णय संख्या 103/92 में यह निर्णय लिया गया कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को आगार प्रबन्धक के पद पर पदोन्नति दी जाए जो कि स्नातक की उपाधि ग्रहण किये हुए हैं।

दिनांक 8-9-1992 को आगार प्रबन्धक के पद पर पदोन्नति दिये जाने के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गयी जिसमें पात्र अधिकारियों के नाम पर विचार किया जाकर चयन मण्डल की सिफारिशों के अनुसार चयनित व्यक्तियों को आगार प्रबन्धक के पद पर पदोन्नति के आदेश दिनांक 10–9–1992 को प्रसारित कर दिये गये हैं, जिसकी प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट "अ")

इन पदोन्नति आदेशों के विरुद्ध श्री जमील अहमद ने जिनकी अवमानना याचिका संख्या 495/91 पूर्व से ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में विचाराधीन थी उसमें कुछ अतिरिक्त कथन

(श्री रोहिताश्व)

जोड़ते हुए पुनः प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं एवं इस पर निगम के प्रत्युत्तर पर माननीय न्यायालय के स्तर पर बहस के अनुसरण में दिनांक 10-9-1992 के पदोन्नति आदेशों को वापस ले लिया गया। प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट "ब")

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने उक्त विचाराधीन अवमानना याचिका संख्या 495/91 के निर्णय आदेश दिनांक 1-3-1993 के द्वारा निगम को यह आदेश दिया कि दो माह के भीतर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नये सिरे से आयोजित की जाए एवं दिनांक 2-12-1987 को पात्रताधारी समस्त प्रत्याशियों को सेवा विनियम, 1965 के अनुसार पदोन्नति दी जाए। उक्त निर्णय की अनुपालना में निगम की सेवा चयन मण्डल की बैठक दिनांक 3-5-1993 को आयोजित की गयी एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित प्रत्याशियों को आगार प्रबन्धक के पद पर आदेश क्रमांक 207 दिनांक 18-6-1993 के द्वारा पदोन्नत किया गया। (आदेशों की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।)

(आदेशों की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट संख्या-22 देखिए।)

श्री जमील अहमद ने दिनांक 18.6.1993 के पदोन्नति आदेशों के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष एक अन्य अवमानना याचिका संख्या 270/93 प्रस्तुत की जिसमें खण्डपीठ के निर्णय आदेश दिनांक 11.2.-1994 के द्वारा माननीय न्यायालय ने अपने आदेशों की अवमानना मानते हुए निगम को आदेश दिये कि विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही विवरण के साथ साथ दिनांक 3.5.1993 को किये गये चयन में अपनाये गये मापदण्डों को दर्शाते हुए विस्तृत प्रत्युत्तर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ तथा खण्डपीठ के आदेशों की पूर्णरूपेण पालना कर दी गयी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अवमानना याचिका संख्या 270/93 अभी भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष विचाराधीन है, अतः यह मामला सबजुडिस है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : यह क्या बात है, आप एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं। अब जब कार्यवाही चल रही है, Let him speak. अभी मामला ओपन ही नहीं हुआ है, इन्होंने जवाब दिया है। जब वे ओपन करेंगे उसके बाद चलेगा। (व्यवधान) क्या हो गया; सबजुडिस है कह दिया तो ? वे बोलने के लिये खड़े हैं। कोई जरूरी है कि आप बोलें सब के सब ?

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : In the statement he said that the matter is subjudice....

(140)

श्री अध्यक्ष : आप पहले उनको सुन लीजिये। यदि वे भूल कर जाएं बोलने में तो आप जरूर बोलिये।

श्री भगराज चौधरी : ....Then there was no need to take such a long time.

श्री अध्यक्ष : यदि वे बोल सकते हैं तो let him speak. यह जरूरी है कि हम उनकी वकालत करें। वह बोलना चाहें बोल सकते हैं। वे खुद ही पूछ लेंगे कि यह सब-जुडिस कैसे है।

श्री जुबेर खान : सबसे पहले तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय के बारे में इस सदन में जैसी एक धारणा है, आज का यह वक्तव्य उन्होंने जिन लोगों ने गलती की थी उन अधिकारियों का दिया है। आपने पढ़ दिया और इसमें यह सत्य तथ्य नहीं हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि 17.11.1987 और 27.11.1987 को एक डी.पी.सी. हुई थी जिसकी लिस्ट 2.12.1987 को निकली। उस लिस्ट में क्लीयर लिखा है कि the meeting was held on 17th November, 87 but all the selections could not be completed so it was postponed and the meeting was held again on 27th November, 1987. All the Officers of the seniority list of DIs. and ADMs. were taken into consideration and service record, ACRs. and PFs. etc. pertaining to the officers were gone through carefully and SRB came to the conclusion that the following persons are suitable for promotion to the post of Depot Manager.

इसमें आपने 28 आदमियों की एक लिस्ट निकाली। इसमें ग्रेजुएट भी थे, इसमें मैट्रिक भी थे, इसमें इन्टरमीडियट भी थे। कुछ लोगों को शिकायत रही कि 26 लोग ऐसे थे जिनकी सीनियरटी सुपरसीड करके दूसरे लोगों को प्रमोशन दे दिये गये जबकि उनके खिलाफ कोई केस पेंडिंग नहीं थे और कुछ ऐसे थे, कोर्ट के आदेशों में भी है कि कुछ ऐसे लोगों को भी जो अण्डर सस्पेन्शन थे प्रमोशन दिया गया। माननीय मंत्री महोदय, 6 आदमी व्यक्तिगत याचिकाएं लगाकर जोधपुर हाई कोर्ट में चले गये। दो-चार महीने की सुनवाई के बाद एकल पीठ में जोधपुर ने फैसला दे दिया कि इन आदमियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इनको मिलना चाहिये था प्रमोशन इसलिये इनको प्रमोशन दिया जाए। इसी तरह से 20 आदमियों ने जयपुर हाई कोर्ट में रिट लगायी माननीय जस्टिस ईसरानी साहब के यहां। उन्होंने उन बीसों की रिट को कम्बाइन कर दिया. क्योंकि एक ही जैसे मामले हैं कि इनके साथ ज्यादती हुई है। ये सीनियर थे और प्रमोशन इनसे जूनियर को दे दिया गया। उसके बाद फैसला दिया 3-7-1990 को जो क्लीयर था।

"I am, therefore, of the considered opinion that selections made by the Recruitment Board/DPC of the respondant Corporation in Nov., 28th, 1987 for posts of Depot Managers have not been done in accordance with the Regulations 1965 and suffer from

(श्री जुबेर खान)

discrimination and arbitrariness and, therefore, violative of Article 14 and 16 of the Constitution. The order dated December 2, 1987 which was issued on the basis of the above mentioned selections made by the DPC are, therefore, quashed and set aside. However, the persons selected and promoted on the post of Depot Managers shall continue to hold their posts for a period of 4 months form the date of this order within which period the respondent No. 1 shall hold fresh selections and give promotions strictly in accordance with the regulation 1955. Such pramotions shall be given with effect from December 2, 1987 with all consequential benefits.''

यह अदालती फैसला दे दिया है। जिन लोगों को गलत तरीके से प्रमोशन दिया गया, इसमें से 6 लोगों ने डबल बेंच में अपील करदी कि यह गलत फैसला हुआ है, हमारा हक बनता है हमको रहना चाहिये। डबल बैंच ने भी इन लोगों की रिट खारिज कर दी और सिंगल बेंच के फैसले को ही मान लिया कि वह फैसला उचित है, उसी को लागू करना चाहिये। उसमें बोर्ड ने कहा कि टाइम थोड़ा निकल गया, हमें चार महीने और दिये जाएं कम्पलीट करने के लिये। चार महीने पहले डी.बी. ने चार महीने आगे और दे दिये कि आप पूरी फार्मेल्टीज करके दुबारा डी.पी.सी. करके लोगों का सलेक्शन करिये और हमें रिपोर्ट करिये। उसके बीच में आपका निगम क्या खेल खेलता है कि दो लोग माननीय मुख्य न्यायाधीश अग्रवाल साहब और टिबरीवाल साहब के यहां बेक–डोर से एक और अपील लगाते हैं। उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया यह कहकर कि इस पर फैसला हो चुका है। उन्होंने भी सिंगल बेंच के फैसले को एज इट इज मान लिया। इसका मतलब आपके बोर्ड से गलती हुई थी और सारी कोर्ट्स ने सिंगल बेंच ने, डबल बेंच ने, जोधपुर ने और चीफ जस्टिस टिबरीवाल साहब की डबल बेंच ने भी यह मान लिया कि सिंगल बेंच का फैसला उचित है, इसको लागू करना चाहिये।

अब देखिये, मंत्री महोदय कि आपके डिपार्टमेण्ट्स ने कैसे–कैसे आनाकानियां शुरू कीं। फिर आपका रेगुलेशन 1965 का 117, जिसके अन्दर गवर्न होते हैं प्रमोशन, उसमें आपने हेराफेरी करनी शुरू की। उसमें एक नया सिरा लगा दिया कि हम अब परीक्षाएं लेंगे। रिटिन टैस्ट लेंगे। नोटिस लगा दिया कि हम प्रमोशन कर रहे हैं। लिस्ट को तो क्वेश कर दिया न्यायालय के आदेशानुसार कि हम रिटिन टैस्ट लेंगे अब। फिर जो डिप्राइव्ड थे, एग्रीव्ड पार्टी थे मूलसिंह देवल, वे जोधपुर हाईकोर्ट में चले गये कि यह तो गलत तरीके से हो रहा है। आपने जो निर्णय दिया था कि 19.7 में जिसके आधार पर डी.पी.सी. थी, जो लोग एलिजिबल थे तब तक जिस तरह से डी.पी.सी. की जाती थी, प्रमोशन किये जाते थे, उस आधार पर हो, इसका वायोलेशन है। क्योंकि हम कोर्ट में चले गये हमारे साथ डिसक्रिमिनेशन होगा। एग्जामिनेशन में फेल करने का बहाना लेंगे इसलिये हमें न्याय दिया जाएं। तो आपके एग्जामिनेशन को जोधपुर न्यायपीठ ने कैंसिल कर दिया कि

(१४२)

(श्री जुबेर खान)

आप इसमें परीक्षा नहीं ले सकते । आप लेना चाहें. लें लेकिन आगे के प्रमोशन के लिये लेंगे । ये प्रमोशन जो आपने नवम्बर, 87 में किये हैं इनमें नहीं ले सकते क्योंकि उस टाइम आपने नहीं लिया था । फिर आपके अधिकारियों ने एक और कलाकारी की कि ग्रेजुएट का क्राइटेरिया लगा दिया कि जो ग्रेजुएट होगा उसी को हम कन्सीडर करेंगे और उस आधार पर एक लिस्ट 35 आदमियों की निकाल दी जबकि निकालनी चाहिये थी 38 की । उसके खिलाफ भी डी. बी. ने फैसला दिया है कि आप 87 तक जिस रूल को ले रहे थे उसी रुल के तहत करना है क्योंकि इसमें बेस 1987 माना गया है । आप लीजिये, ग्रेजुएट नहीं पी.जी. लीजिये, पी एच डी. लीजिये लेकिन प्रोस्पेक्टिव आगे से लीजिये, क्लियर कोर्ट ने कहा है । जो आप लोगों ने कोर्ट में प्ली दी है कि डिपो मैनेजर पढ़ा लिखा होना चाहिये, इसमें कोर्ट कहता है :

"Qualification can be amended retrospectivly. It is submitted that several Depot Managers, who had not graduated, have been functioning and in case the Corporation wants that graduation should be the minimum qualification it can do so retrospectively but cannot deprive the employees who were legible for consideration for promotion when the existing rules which have always been followed."

आपको क्लीयर कह दिया कि आप खूब बढ़ाइये–पी. एच. डी. लीजिये एक्स रिटायर लीजिये लेकिन दो दिसम्बर, 1987 के बाद जो डी.पी.सी. करेंगे उसमें लेंगे और यह डी.पी.सी., क्लियर कहा था उसी आधार पर होगी । यह बात भी रिजेक्ट कर दी गयी । फिर कोर्ट का फैसला लागू नहीं हुआ तो कुछ लोगों ने कोर्ट में जाकर शिकायत की कि हमें तो न्याय नहीं मिल रहा है तो कोर्ट ने कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट लिया आपके लिये । आपके मैनेजिंग चेयरमैन साहब ने जाकर वहां क्लीयर कहा कि हमने जो सलेक्शन किया था It was strictly on the basis of seniority–cum–merit.

वहां कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं थी । निगम ने बना रखा है कि कौनसी पोस्ट के लिए क्या सैलेरी होगी यानि वेतनमान क्या होगा डायरेक्टर रिक्रूटमैण्ट के लिये क्या क्वालिफिकेशन होगी, प्रमोशन के लिये क्या होगी । आपकी सूचना के लिए मंत्री महोदय, कि आपके निगम का जो क्राइटेरिया बना हुआ है सब रूल 117 के तहत, इसमें क्लियर है कि Depot Manager, scale....100% by promotion. लिखा है 100% by promotion. इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है Assistant Depot Manager or Traffic Inspector with 3 years experience and with 30 years of age. तो क्लियर है कि यह क्वालिफिकेशन हो गयी । अब इसको चेन्ज करना है तो करिये लेकिन कुछ गलत लोगों को प्रमोशन दे दिया उसको जस्टिफाई करने के लिये और कुछ लोगों से आपका विभाग जो बायस्ड था उनके लिये आप ऐसा करना चाहते हैं, यह कोई उचित बात नहीं है । अगर आप कहें तो मैं आपको पढ़कर सुनाऊं जिसमें क्लीयर कहा है कि फलां–फलां आदमी के खिलाफ पैंडिग

(श्री जुबेर खान)

इनक्वायरी थी। 27 तारीख को डी.पी. सी. हो रही है और 28 तारीख को आप उनका रिवोक कर रहे हैं सस्पेन्शन और आपने प्रमोशन दे दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि सारा कोर्ट ने इसमें क्लीयर दिया है। अब मेरा आपसे निवेदन है कि आपके पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो आप कहिये कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे तो इस फैसले को लागू कीजिये। आप इससे बच नहीं सकते कि कह दें the matter is subjudice. सबजुडिस तो कोग्नीजेंस का है whether this cognizance was bonafide or mala-fide. इसका निर्णय करेगी कोर्ट आपको देखकर। आपके चेयरमैन और एम.डी. जो आज तो नहीं हैं, अब नये आये हैं, इनको शायद ज्यादा जानकारी नहीं है, उनके खिलाफ पर्सनल हियरिंग देगी। जो कोर्ट ने कहा है आपने भी पढ़ा है। क्लीयर कोर्ट ने कहा है : "The orders so as to hold him guilty of contempt of this Court and do not intend to punish conseqnently. We, however, cannot restrain ourselves from recording our displeasure and dis-satisfaction and deem it proper to issue fresh direction." फिर वही डायरेक्शंस दिये हैं कि इतने दिन में डी.पी.सी. आप उसी आधार पर करिये। इन लोगों को भी उसमें बुलायें और आप कर दें। मेरा आपसे कहने का मतलब यह है कि आप तो नहीं थे, लेकिन मैंने 24.2.1992 को भी इस सम्बन्ध में एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें फैसला लगाया था। मुख्य मंत्रीजी को कापी दी, यातायात मंत्री को दी, आपके एम.डी. को दी, आपके चेयरमैन को दी कि इस तरह का मैटर आया है। मैंने लास्ट में यह लिखा था "The matter, you would agree with me, is quite serious. I wish you could intervene in the matter and see that the judgement of the High Court is duly honoured and implemented by the Rajasthan State Road Transport Corporation otherwise I will have no alternative but to raise the matter in the forthcoming session of the Vidhan Sabha." उसका भी आज तक आपके विभाग ने कोई जवाब नहीं दिया कि हम क्यों इसको लागू नहीं कर रहे हैं, क्या अड़चनें आ रही हैं। मेरा आपसे कहना है कि आपकी परम्परा के अनुरूप, जो आपकी नीति है अगर आप इसमें स्पष्ट रहना चाहते हैं तो आप इन कर्मचारियों को मत लीजिये।

मैं आपके ध्यान में एक और चीज लाना चाहूंगा, जो इन मैटर्स को डील करते हैं उस आदमी के बारे में आप जांच करा लें, उसका प्रमोशन किस आधार पर हुआ है। वह प्रमोशन की लिस्ट गलत तरीके से और न जाने कितने दिनों से उसी चेयर पर, उसी कमरे में बैठे हुए है। बायस्ड होकर यह कार्यवाही की जा रही है। आप इसको सबजुडिस मत मानिये, कोर्ट की अवमानना मत कीजिये। आपको क्लीयर कह दिया कि जो लोग उस टाइम सीनियर थे, मैरिट से थे, आते थे, उनको लीजिये। आप आगे एम.ए. करायें, बी.ए. करिये, कुछ भी

(श्री जुबेर खान)

करिये, खूब करिये। इस सम्बन्ध में मेरा आपसे निवेदन है कि आप जवाब देते....

श्री अध्यक्ष : अब आप रिपीट कर रहे हैं। मंत्रीजी, बोलिये। (व्यवधान) आप बैठिये पहले। मैं भूल जाऊंगा फिर जो फैक्ट्स इन्होंने बताये हैं।

श्री रोहिताश्व : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मुझ पर आरोप लगाया कि जैसा अधिकारी लिखकर दे देते हैं, मैं पढ़ देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत....

श्री अध्यक्ष : यह आरोप नहीं है।

श्री रोहिताश्व : आप सुनिये मेरी बात। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : Please don't divert it. जो इन्होंने फैक्ट्स दिये हैं, Do you admit all these facts ?

श्री रोहिताश्व : No Sir, I am not agreed.

श्री अध्यक्ष : जो कोर्ट के फैसले हुए हैं उनके डायरेक्शंस हैं ये सब।

श्री रोहिताश्व : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो मामला है, मिस्टर जमील अहमद के मामले को लेकर माननीय सदस्य ने....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप इनको बोलने तो दीजिये। I am here.

श्री रोहिताश्व : आप मेरी बात तो सुनिये।

श्री घासीराम यादव : जमील अहमद के लिये भी होगा।

श्री अध्यक्ष : घासीराम जी, आप बैठिये तो सही।

श्री रोहिताश्व : आप मेरी बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष : अब जब मैं बातें कर रहा हूं, जबरदस्ती आप क्यों कर रहे हैं ?

श्री घासीराम यादव : नाम क्यों लिया ?

श्री रोहिताश्व : नाम इसलिये लिया कि ये ही कन्टेम्प्ट में गये हैं।

श्री अध्यक्ष : नाम इसमें आया है।

श्री रोहिताश्व : आप इसको सुनने की कोशिश नहीं करते।

श्री अध्यक्ष : नाम आया है उसमें, आपको पता कहां है। कॉल अटेन्शन में नाम आया है।

श्री रोहिताश्व : कंटेम्प्ट में कौन गया है ? आप देखिये, कंटेम्प्ट का हाई कोर्ट का जो फैसला था उसमें साफ लिखा है। माननीय सदस्य ने पढ़ा नहीं शायद कि No reply has been filed to the contempt petition so for. We deem it proper to take cognizance of the contempt and direct the respondent to appear in proper and file detailed reply to show what

(श्री रोहिताश्व)

criteria has been followed and to place the DPC proceedings before the Court wherein it might have been enacted as to what. was followed.... सारी, जरा फोटोस्टेट किया हुआ है।....

श्री अध्यक्ष : यही तो मुश्किल है, यहां फोटो खींची जा रही है।

श्री रोहिताश्व : ....at the time of considering the case of the petitioner. Three weeks time is granted to file the reply. थ्री वीक का टाइम कोर्ट ने दिया है तो आज आप हमसे इस विषय में क्या चाहते हो ? मैं आपसे कहना चाहता हूं The case is subjudice.

श्री जुबेर खान : थ्री वीक्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, यह आप हां-ना में जवाब दे दीजिये।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं....

श्री अध्यक्ष : Please don't interfere. please sit down. श्रीमान्, बैठिये आप।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : डबल बेंच ने कर दिया....(व्यवधान)....कर दिया और फिर भी आप नहीं करते मंजूर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये आप।

श्री रोहिताश्व : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोर्ट ने थ्री वीक का टाइम दिया (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप मेरी जगह आ जाइये, यहां बैठे रहिये।....(व्यवधान) क्या बात है ? सीधा-सा सवाल है, झंझट में मत पड़िये। जो अदालत ने फैसले दिये हैं उन की कम्प्लायंस कर रहे कि नहीं आप।

श्री रोहिताश्व : जो अदालत का, न्यायालय का आदेश होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम उसको शत प्रतिशत मानेंगे।

श्री अध्यक्ष : उसकी कम्प्लायंस करेंगे ना ?

श्री रोहिताश्व : वर्ड बाई वर्ड करेंगे।

श्री अध्यक्ष : बस इतना ही सवाल है; लम्बा-चौड़ा नहीं है। जो अदालत ने फैसले दिये, उनकी कम्प्लायंस विदिन टाइम जो अदालत ने दिया है, करिये। खत्म हुआ मामला। इतना ही है, अब There is no question.

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा निवेदन आप से (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आपकी बात हो गयी। यहां हाउस में कमिटमैण्ट, जरा समझा करिये, आप किसी भी चीज़ को, आप किसी चीज को बिलिटिल क्यों कर रहे हैं ? मामला सीरियस है, सीरियसली डील किया गया है। सीरियसली कमिटमैण्ट है कि the Government is abide by the decision of the High Court and they will have to comply within the time. बात खतम हुई। अब इसके लिये कोर्ट है। आप बैठिए। Court is there. अभी तो आप और हम ही नहीं हैं Court is there. कण्टेम्प्ट हैं वहां पर। और कोर्ट को सब अधिकार हैं, कोर्ट अपने

(श्री अध्यक्ष)

जजमैण्ट को लागू करवाने के लिये पूरी तौर से सक्षम है। आपने यहां पर और कमिटमैण्ट ले लिया। इसलिये अब बारबार उसमें एजीटेट करने का कोई सवाल नहीं है।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री कैलाश मेघवाल, खनिज मंत्री।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन/माइन्स एवं मिनरल्स लिमिटेड का 13वां एवं 45वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1991–92

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम की धारा 619 ए की उप धारा 3 के भाग (ब) के अन्तर्गत निम्नांकित कारपोरेशन कम्पनी के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1991–92; एवं

(2) राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 45वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1991–92।

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री सुरेन्द्र गोयल।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं :—

जैतारण के ग्राम बिलाडा को उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्राम बिलाड़ा में स्थित सीनियर उप स्वास्थ्य केन्द्र को उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने बाबत, पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

ग्राम निबोल से डिगाणा जिला पाली की ग्रेवल की सड़क का डामरीकरण

(2) ग्राम निबोल से डिगाणा जिला पाली की ग्रेवल की सड़क का डामरीकरण कराए जाने बाबत, पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, जैतारण, जिला पाली में इतिहास एवं सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय नीमाज में विज्ञान संकाय

(3) राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, जैतारण, जिला पाली में इतिहास एवं सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, नीमाज में विज्ञान संकाय खोलने के बाबत, पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

जैतारण के ग्राम बोभाकूडी से बिलाड़ा तक सड़क का डामरीकरण

(4) विधान सभा क्षेत्र, जैतारण के ग्राम बांभाकूडी से बिलाड़ा तक सड़क को डामरीकरण किए जाने बाबत, पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

जैतारण के कस्बा आनन्दपुर कॉलोनी में उप तहसील कार्यालय

(5) विधान सभा क्षेत्र, जैतारण के कस्बा आनन्दपुर कॉलोनी में उप तहसील कार्यालय खोलने बाबत, पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल पाटीदार।

सुनेल–रायपुर रोड को पूर्ण कराये जाने

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सुनेल–रायपुर रोड को पूर्ण कराये जाने बाबत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1994

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। माननीय सदस्य, जिन्होंने कल के पंचायत संशोधन एक्ट को जनमत हेतु परिचालित करने और प्रवर समिति का प्रस्ताव दिया था विथड्रा कर रहे हैं या इस पर कुछ कह रहे हैं ?

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, अब माननीय मंत्रीजी का एक अमैण्डमैण्ट आया है।

श्री अध्यक्ष : हां, वह आएगा तब जब यह विथड्रा करेंगे आप। यह विथड्रा करने के बाद वही आने वाला है। (व्यवधान) नहीं, वह तो हो गया लेकिन आप दोनों विथड्रा करते हैं तब तो ठीक है नहीं तो फिर मैं उसको क्वेशचन करता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, अध्यक्षजी, मैं निवेदन करूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं अब कुछ नहीं। Either I question or you withdraw.

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी एक मिनट सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह कल बहुत सुन लिया।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूं। इस अमैण्डमैण्ट के आने के बाद में मैंने अमैण्डमैण्ट दिया इस अमैण्डमैण्ट के ऊपर....

श्री अध्यक्ष : वह जब आए तब बोलिये। अब इसको विथड्रा कर रहे हैं कि इसको इनसिस्ट कर रहे हैं ?

श्री शिवनाथ सिंह : विथड्रा करता हूं।

श्री अध्यक्ष : एक दूसरा, श्री विष्णु मोदी, आप विथड्रा कर रहे हैं या इस पर इनसिस्ट कर रहे हैं ?

श्री विष्णु मोदी : मैं विथड्रा करता हूं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा। खण्डश: विचार। प्रभारी मंत्रीजी संशोधन प्रस्तुत करें। एक मिनिट बैठिए।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

मंत्रीजी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

विधेयक पर खण्डश: विचार

श्री नाथूसिंह (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड दो में विधेयक के विद्यमान खण्डों के स्थान पर निम्नलिखित पुर:स्थापित किया जाएगा अर्थात् "1953 के राजस्थान अधिनियम संख्या 21 की धारा 9 (क) के संशोधन राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953, (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 21) की धारा 9 (क) की उप धारा (1) में विराम चिन्ह, फुल स्टाप

(श्री नाथूसिंह)

के स्थान पर विराम चिन्ह प्रतिस्थापित किया जाएगा, कॉलम प्रतिस्थापित किया जाएगा और इस प्रकार अन्त:स्थापित विराम चिन्ह के पश्चात् प्रतिस्थापित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाएगा।" (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : एक्ट जो है। उसकी ऑथेन्टिक कॉपी इंग्लिश की है and he is L.L.M. हम कन्फ्यूज हो रहे हैं इसलिये आप इंग्लिश वाले वर्शन को ही लीजिये क्योंकि आपका राइट भी इंग्लिश है।

श्रीमती कमला : डिस्ट्रीब्यूट भी इंग्लिश में किया है।

श्री परसराम मदेरणा : डिस्ट्रीब्यूट तो हिन्दी में है।

श्री नाथूसिंह : दोनों में किया है। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, पीछे हिन्दी है। (व्यवधान) लेकिन बात यह है कि लैंग्वेज एक्ट आपको रेस्ट्रिक्ट करता है।

श्री अध्यक्ष : बात यह है कि आप अटक रहे थे इसलिये झगड़ा हुआ। सीधी सीधी हिन्दी बोलते तो झगड़ा ही नहीं होता।

Clause-2

श्री नाथूसिंह : 3. For the existing clause 2 of the Bill, the following be substituted, namely :-

"2. **Amendment of section 9-A, Rajasthan Act No. 21 of 1953:-**

In section 9-A, of the Rajasthan Panchayat Act, 1953 (Rajasthan Act No. 21 of 1953),-

(a) in sub-section (1), the punctuation mark "." shall be substituted by the punctuation mark ":" and after the punctuation mark so substituted, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the Adminsstrator so appointed shall abide by the advice of a Committee set up in accordance with the rules framed in this behalf.", and

(b) in sub-section (2), for the words "two years nine months", the words "three years and three months" shall be substitued."

श्री अध्यक्ष : चूंकि इस पर कोई विधिवत मेरे पास संशोधन नहीं है...

श्री परसराम मदेरणा : संशोधन तो आपके यहां अध्यक्ष महोदय नहीं आया.... (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, नहीं दिया है तो भी हम बोल सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : हम तो ऐसा सोच रहे थे....(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : थर्ड राउण्ड में बोलियेगा। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं नहीं, थर्ड राउण्ड कहां है ?

श्री अध्यक्ष : आप, एक मिनट बैठिये। आपका कोई संशोधन मेरे पास नहीं है इसलिये संशोधन पर तो आप बोल नहीं सकते। आप इस पर जब थर्ड रीडिंग आयेगी तब बोल लीजिये।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, अमैन्डमैण्ट देने का कायदा है। नोटिस पहले दे दिया, अब वह आपके यहां नहीं पहुंचा वह मेरी तो गलती नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब वह देखिये, हमारे यहां नोटिस आपने विदिन टाइम दिया है, टाइम के बाद दिया है, मुझे पता नहीं है। I don't know it.

श्री शिवनाथसिंह : विदिन टाइम दिया है, अध्यक्षजी, विदिन टाइम दिया है। अमैण्डमेंण्ट आज आया है, आज ही मैंने दे दिया है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : शिवनाथ सिंह जी, थर्ड राउण्ड में बोलियेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री शिवनाथसिंह : बहुत फर्क पड़ता है। (व्यवधान)

(16.00)

श्री अध्यक्ष : आपने 3 बजे दिया है।

श्री शिवनाथसिंह : यह तो बाद में हमको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। होते ही तो हमने दे दिया।

श्री अध्यक्ष : आप करिये मूव।

श्री शिवनाथसिंह : अध्यक्ष जी, जो मंत्री महोदय ने क्लाज में अमेन्डमेन्ट मूव करके प्रोवाइजो लगाया है उस प्रोवाइजों में मैंने अमेन्डमेन्ट दिया है और वह यह है :

"Provided that the Administrator so appointed shall abide by the advice of a Committee consisting of...."

मैंने उसमें 3 नाम दिये हैं–एक उस पंचायत हैडक्वार्टर पर जो स्कूल है उसका हैडमास्टर और वह पंचायत जिस जी. एस. एस. के एरिया में पड़ती है उसका चेयरमैन और एक महिला सदस्य जो उस डिजाल्व्ड पंचायत की सदस्या रह चुकी हो।

माननीय अध्यक्षजी, मैंने यह अमेन्डमेन्ट इसलिये दिया है कि कल पूरी बहस हुई थी उसमें माननीय मुख्यमन्त्री जी भी यहां थे, सदन के प्रतिपक्ष के नेता महोदय भी यहां थे और उस समय एक विचार व्यक्त हुआ था। हमारे सामने एक विचार आया था कि हम इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे कि ग्रामसेवक का जो अपरहैंड था कि यह पूरी तरह से अपने हाथ में है उसके ऊपर कन्ट्रोल किया जाएं। माननीय अध्यक्षजी, उस भावना को इस अमेन्डमेन्ट में व्यक्त नहीं किया गया है। हम यह चाहते थे कि जो बिल है, जो एक्ट बनने जा रहे है उसके प्रोवीजन में फलां-फलां को आप रखना चाहते हैं उसको स्पष्ट आने दीजिए। आपने यह कहा है कि रूल्स के हिसाब से है उसमें रखेंगे। आप रूल्स कब बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इससे हम सन्तुष्ट नहीं हैं। आप जिसको भी रखना चाहते हैं इस कमेटी में, किस-किस को रखना चाहेंगे वह रखिये क्योंकि कमेटी का पहले का हमने देखा है। कमेटी पहले भी आपने एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से बनायी थी और उसकी

(श्री शिवनाथसिंह)

फंक्शनिंग से वहां का ग्रामसेवक जो कि पुराना एडमिनिस्ट्रेटर है वह कन्ट्रोल नहीं हो पाया और वह कमेटीज इनइफेक्टिव रही हैं। उस व्यवस्था को ही आज दुबारा करें हम यह नहीं चाहते। उससे तो अच्छा है कि जब उसके हाथ में ही देना है तो फिर उसी के हाथ में रखो आप। आप यदि इसमें सुधार करना चाहते है तो यहां स्पष्ट तौर से जैसा मैंने अमेन्डमेन्ट मूव किया है उस हिसाब से साफ लिखें, स्कूल का हैड-मास्टर, जी. एस. एस. का चेयरमैन और डिजाल्व्ड पंचायत की एक महिला सदस्या को इसमें रखें। कौन सी महिला को आप उसमें रखोगे वह आपके हाथ में है। मैं इस अमैन्टमैन्ट को मूव करता हूं और चाहता हूं, सदन इसको स्वीकार करे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी,

श्री परसराम मदेरणा : मेरा अमेन्डमेन्ट तो नहीं है but then, under the rules I can just request Hon'ble Speaker that the proviso which has been moved, be deleted. I am within my right. Without any amendment I can propose in the House that the amendment made by the Minister, the very proviso by deleted.

श्री अध्यक्ष : अमैन्डमैन्ट तो हो नहीं सकता इसमें।

श्री परसराम मदेरणा : अमेन्डमेन्ट का नहीं, डिलीट के लिए तो कह ही सकता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : We propose to reject it directly.

श्री परसराम मदेरणा : In order to cover myself, honestly speaking, I do not want....

श्री अध्यक्ष : हां, डिलीट का बोल सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : हां, डिलीट हो सकता है इसलिए मुझे अवसर दे दिया जाए। मैं डिलीट कराऊं, या नहीं कराऊं, मेरा सजेशन रखता हूं, आपके सामने। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्रीजी ने इस सदन की भावनाओं को देखते हुए जो प्रोवीजो रखा है इस प्रकार के प्रोवीजो के अन्दर जो भी पावर्स होती हैं, कोई भी अधिनियम बनता हैं या बिल यहां पर आता है तो रूल्स मेकिंग पावर्स सदा एग्जीक्यूटिव के पास में रहती हैं उस विधेयक के इन्टेन्शन को, उसके प्रोवीजन्स को मूर्तरूप देने के लिये। आपने यह रख दिया है कि कमेटी बनाएंगे लेकिन कमेटी के परसोनल्स कौन होंगे ? कल भी मामला तो यही था, प्रश्न यही आया था और मेरी और मुख्यमंत्री जी की बात हुई थी। आज वे अस्वस्थ हैं इसलिये मैं बात नहीं कर सका उनसे और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि पावर्स ले लेंगे। लेकिन आज हाउस को कान्फीडेन्स में लीजिये कि आप किन किन को रखने जा रहे हैं। यहां कोई प्रिन्सिपल चीफ सेक्रेटरी बनाने नहीं जा रहे हैं, न कोई हाईपावर अथारिटी है। यह तो नीचे लेवल पर एक एडमिनिस्ट्रेटर है जिसको अनब्रिडल्ड पावर्स थीं उसको चैक करने के लिये यह लाये हैं ताकि विकास के काम ठीक तौर से हो सकें, उस पर कंट्रोल रखा जा सके, सुपरविजन रखा जा सके। तो मैं यह कह सकता हूं, जो अभी अमेन्ड-

(श्री परसराम मदेरणा)

मेन्ट मूव किया है 3 का आपने प्रोवीजो के अन्दर एक कमेटी 4 की बनाना चाहते हैं, इसमें अभी तक यह क्लीयर नहीं है कि किसको आप एडमिनिस्ट्रेटर बनाने जा रहे हैं। पोस्ट प्रोबेबली जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा पहले भी एडमिनिस्ट्रेटर की पावर्स आपके पास में थीं तो आपने बी. एल. डब्ल्यू. को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था। अगर वह एड–मिनिस्ट्रेटर हो जाता है तो फिर कमेटी 4 की रहेगी या एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा 4 की रहेगी, यह इसमें क्लीयर नहीं है।

दूसरे मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब आप बनाने जा रहे हैं, जैसी कि अभी आपसे मेरी बात भी हुई थी, तो कलक्टर को नामीनेट करने के अख्तियार दे देगी गवर्नमेन्ट। जैसा आप सोच रहे थे। इसके लिये भी आपको हाउस को कान्फीडेन्स में लेना चाहिये। कलक्टर को नामीनेशन की पावर्स देते हैं जिसमें इनवेरीयेबली एक लेडी होगी एज़ फार एज़ पासीबल, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप इसमें इन कन्सलटेशन विथ दी मैम्बर आफ दी लेजि–स्लेचर अगर आप रख देते हैं तो निश्चित तौर पर वह भी सजेशन देगा ठीक तरह से क्योंकि अपनी–अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में सबको जानते हैं। नहीं तो फिर यह एक ब्यूरोक्रेट कान्स्टीट्यूशन हो जाएगा कमेटी का।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महो–दय, प्रश्न केवल इतना सा था, सदन में एक विचार व्यक्त किया गया कि एक व्यक्ति को जो कि ग्रामसेवक है, एडमिनिस्ट्रेटर बना देंगे। तो जैसा कि अब तक का मान–नीय सदस्यों का अनुभव रहा है, उस पर अंकुश लगाना था और अकुश लगाने के लिये एक कमेटी बन जाएं। पहले भी सुझाव आया था, एडवाइजरी कमेटी तो पहले भी थी इस-लिये यहां मेन्डेटरी इस एक्ट में यह अमेन्ड-मेन्ट कर रहे हैं कि वह जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा अबाइड–बाई होगा इस कमेटी की जो एडवाइस होगी उससे। उसको बाध्य होना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई लम्बे समय के लिये परमानेन्ट व्यवस्था नहीं है इसलिये इसमें इतनी चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। यह कमेटी कौन बनाये यह मेरा विचार नहीं था, यह कुछ माननीय सदस्यों का सुझाव आया था। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई लम्बा मामला नहीं है, फोर दी टाइम बीइंग एक कमेटी बना दें। वह कमेटी, विचार जो आया था वह था कि 3 आदमियों की बनायें या 4 आदमियों की बनायें। गवर्नमेन्ट के पास पावर्स इसलिये रख लीं क्योंकि अभी कल का ही मामला है, एक दिन में ऐसा नहीं कर सकते। कन्टी–न्युअस काम चल सके, इसलिये विचार करके वह कमेटी बना दी जाएगी फोर दी टाइम बीइंग दो ढाई महीने के लिये अंकुश रखने के लिये। उसके बाद बरसात शुरू हो जाएगी। तो केवल इतना–सा मामला है, कोई बहुत लम्बा चौड़ा मामला नहीं है। यह जो पुराना एक्ट है उस ओरिजनल एक्ट में अमैन्डमैन्ट करना पड़ेगा। इतना–सा ही है, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री अध्यक्ष : शार्ट में।

श्री नाथूसिंह : नया एक पैरा 5 कर ही रहे हैं, उसमें अलग-अलग मामले हैं

(श्री नाथूसिंह)

इसलिये इसमें आज लम्बी-चौड़ी बात नहीं है। मैं सदन से, विशेष रूप से माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि इसको पास करें।

श्री परसराम मदेरणा : बरसात बरसात की बात कर रहे हैं आप, आपके एडमिनिस्ट्रेटर का टर्म खतम हो रहा है 19 तारीख को और आज तारीख है 17, अगर आप 18 को माइन्ड एप्लाई नहीं करते हैं तो आपके एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं रहेंगे, वेक्यूम हो जाएगा राजस्थान के अन्दर सात हजार पंचायतों में। इसलिये मैं यह कह रहा था कि बरसात आये या नहीं आये, आप को माइन्ड को एप्लाई करना तो आज रात से ही शुरू कर देना चाहिये।

श्री नाथूसिंह : आप पास कराइये इसको, हम तो अभी से माइन्ड एप्लाई करना शुरू कर देंगे।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन आया है उसकी मंशा यह है, आप डेज़िग्नेशन और स्पेसिफिक पद को बताते हुए इसमें दर्ज कर दें तो किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो सकती कि आप कलक्टर को भी अथोराइज करें तो वह भी कोई मनमानी कर सके या गवर्नमेंट भी अपने लेवल पर करे तो वह भी डिस्क्रिमिनेशन करके कोई नामीनेशन कर सके। इसलिये हैडमास्टर आफ दी हैडक्वार्टर और समिति का जो अध्यक्ष है वह और जो पुरानी पंचायत थी उसमें जो दो महिलाएं थीं उसमें से एक महिला इसमें नामीनेट हो जाए तो आप किसी तरह से भी इसमें उलटफेर नहीं कर पाएंगे और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आपके लिये भी आसानी है कि आपको भी कोई दबाएगा नहीं कि इस आदमी को लें, मेरे कहने से करो और हमको भी यह तसल्ली होगी कि आप किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करेंगे। इसलिये इसको मानने में कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा आप कह रहे हैं आपका अमैण्डमेन्ट कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं कह रही हूं कि यह उससे भी छोटी चीज है। हमने नामजद कर दिया उसको मान लें तो यह सदन की भी भावना रहेगी और हमारा भी विश्वास बना रहेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन श्री शिवनाथ सिंह जी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

श्रीमती कमला : नहीं, अध्यक्ष महोदय, कल यह तय हुआ था, मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि प्रतिपक्ष के नेता और मैं बैठकर तय करेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं....

श्री अध्यक्ष : अब आप मत बोलिये, हो चुका।

श्रीमती कमला : कल मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था....

श्री अध्यक्ष : कमला जी, I am on the legs, please sit down.

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन रूप में स्वीकार किया गया।

अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण
राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1994

श्री नार्थूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1994 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्रीमती कमला : इसमें तो बोल सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : बिलकुल। मैं तो चुप था इसीलिये।

श्रीमती कमला : मेरा यह निवेदन है कि जिस भावना से इस बात को उठाया गया था और जिस प्रकार से मुख्य मंत्री जी ने इस बात को एक्सैप्ट किया था कि सही बात है कि आज जो स्थिति है उससे पंचायतों का रूप बहुत खराब हो रहा है इसलिये इसको डेफर करके मुख्य मंत्री जी और प्रतिपक्ष के नेता बैठकर एक रास्ता निकाल लें, उस पद्धति को न अपनाकर जिस प्रकार का संशोधन लाया गया है वह संशोधन इन पंचायतों के काम को और भी कठिन करने की स्थिति में आ गया है। इसलिये यह जो संशोधन लाया गया है यह उपयुक्त नहीं है। इसके जरिये से जो भावना थी उसको और ज्यादा दबाने की कार्यवाही हो गयी है। माननीय मंत्री जी ने वैसे तो पास करा लिया है क्लाजेज को लेकिन फिर भी अगर सोच-विचार कर और आपस में बैठ कर इसको तय कर सकें जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा था, जो उचित होगा।

श्री अध्यक्ष : कमेटी बनाएंगे, रूल बनाएंगे तब कर लेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि कल जिस प्रकार से सदन में विधेयक पर चर्चा हो रही थी, कमेटी बनाने की बात मुख्य मंत्री जी ने कही थी। उस कमेटी की मान्यता नहीं होगी इसलिये इसको एक्ट में लाकर इस प्रकार का प्रावधान कर दिया जाए ताकि वह इससे बंधा रहे। इसलिये इसमें यह संशोधन किया गया कि इससे प्रवाइड रहेगा वह। इसलिये एक्ट में संशोधन करने के लिये बात हुई थी। आज सुबह भी माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय नहीं आ सके इसलिये माननीय खेतसिंह जी और रामनारायण जी आ गये थे, उनको सारी बात की जानकारी मंत्री महोदय ने दे दी थी। मैं भी वहां मौजूद था। इस एक्ट में जैसा माननीय कमला जी कह रही थीं कि अपन नामजद कर दें किसी प्रधानाध्यापक को या किसी महिला सदस्या को, वह करने में थोड़ी दिक्कत थी कानूनी रूप से इसलिये उसमें वह कर दिया।

श्री रामनारायण चौधरी : वह तो खत्म हो गया ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह अब हो गया है इसलिये मैं यह समझता हूं कि इसको पारित किया जाना चाहिये । वह सदन की भावना के अनुकूल है ।

श्रीमती कमला : मंत्री महोदय कम से कम यह तो कहें कि जो नामिनेशन किये जाएंगे वे क्षेत्रीय विधायक की कन्सल्टेशन से किये जाएंगे । यह तो कम से कम सदन में वे अनाउंस करें जिससे कि कोई मनमाने ढंग से कार्यवाही नहीं हो सके ।

श्री रामनारायण चौधरी : जो डर लग रहा है वह यह है कि अभी तो ग्राम सेवक तंग कर रहा है, कमेटी बनेगी तो फिर वह कमेटी ऐसी स्वेच्छाचारी बन जाए जिससे सारा संशोधन ही और जो संघर्ष किया गया है वह सारा ही खत्म हो जाए । इसलिये माननीय मंत्री महोदय आपके माध्यम से कोई ऐसा आश्वासन दें कि इसमें पूरी निष्पक्षता, फेयरनैस, ईमानदारी और सच्चाई रहेगी, जिस भावना से यह कमेटी बनाने का हमने तय किया है उसमें कोई वायोलेशन नहीं होगा, गड़बड़ नहीं होगा । आशंका यही है ।

श्री नाथू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय कमला जी ने कहा कि कल यह बात हुई थी....

श्री परसराम मदेरणा : मैं बोल रहा हूं थर्ड स्टेज आफ दी बिल ।

थर्ड स्टेज पर, अध्यक्ष महोदय, प्रिंसिपल आफ दी बिल डिस्कस होते हैं । माननीय मंत्री जी, आप जो प्रोविजो लाये हैं इसके पीछे सिद्धान्त और प्रिंसिपल यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर अकेले ग्राम सेवक को पहले अपाइण्ट किया गया था और उसको अनब्रिडल्स पावर्स थे और उसने उन पावर्स का मिसयूज किया । डी आर डी.ए. के अन्तर्गत तमाम जितने भी काम हो रहे हैं उनमें यह एडमिनिस्ट्रेटर बीच में इलैक्टेड पंचायतों की जगह है आज, इसलिये इसके ऊपर कण्ट्रोल और सुपरविजन की लीगल अथारिटी होनी चाहिये, जिसका प्रावधान लॉ में होना चाहिये । वह प्रावधान तो कर दिया लेकिन इन चार लोगों को कैसे नामिनेट करेंगे ? यह जो प्रिंसिपल आपके दिमाग में है, जो सिद्धान्त है कि किन–किन को आप करने जा रहे हैं, आपको हाउस को कांफिडेंस में लेना चाहिये । नहीं तो आपके सिद्धान्त क्या हैं, प्रोपाउण्ड कीजिए यहां पर । आप इसको इल्यूसिडेट भी नहीं करते हैं और प्रोपाउण्ड भी नहीं करते हैं, बताना भी नहीं चाहते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं ? या तो आप मेहरबानी करके हाउस को बताइये नहीं तो वे तो अनब्रिडल्ड पावर्स थे यह अनप्रिंसिपल्ड अमैण्डमैण्ट हो जाएगा ।

श्री नाथू सिंह : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ग्राम पंचायतों में जो काम चल रहे हैं उनमें कोई गड़बड़ नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो इसके लिये कमेटी बनायी जाएगी और बिलकुल निष्पक्षता से अच्छे लोगों को इसमें लगाया जाएगा । मैंने प्रातः काल भी आपसे विचार किया था, कांग्रेस के माननीय सचेतक से भी विचार किया था, और भी आगे विचार कर लूंगा ।

श्रीमती कमला : आपने सचेतक महोदय को यह कहा था कि मैं हाउस में यह

(श्रीमती कमला)

डिक्लेयर करूंगा कि इन नामिनेशन के वक्त में एम.एल.एज. से कंसल्टेशन किया जाएगा। यह आपने सचेतक महोदय को कहा था और उन्होंने हम सबको कहा कि मंत्री महोदय ने मुझे ऐसा आश्वासन दिया है कि वे सदन में इस तरह की घोषणा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम, बोल रही हैं? आप बैठिये, मंत्री जी, और लोग बोल रहे हैं। आप बार बार जवाब देंगे क्या?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही निवेदन करना चाहती हूं कि आपने एक्ट में जो अमैण्डमैण्ट किया है उसके पीछे भावना, जैसा हमारे नेता महोदय ने बताया, यह है कि वहां पर बिना किसी अंकुश के काम नहीं किया जाए। आप अमैण्डमैण्ट के बाद भी अपनी मर्जी से ही लोगों को लगाएंगे तो वह तो निरंकुशता ही हो जाएगी। जैसा माननीय कमला जी कह रही हैं, कुछ न कुछ यह जरूर बताना चाहिये कि आप किस तरह से किनको करेंगे, कैसे करेंगे, किसकी सलाह से करेंगे। ऐसा नियम यहां बताने की कृपा करें।

श्री लक्ष्मण सिंह : मंत्री महोदय की मनोभावना तो बिलकुल स्पष्ट और अच्छी लगती है, लेकिन आप जो यह कमेटी बनाना चाहते हैं, मैं मंत्री महोदय से एक ही बात जानना चाहता हूं कि यह कमेटी कब तक बना दी जाएगी। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक महीने में, दो महीने में, तीन महीने में या छह महीने में? इस पर आप अगर निश्चित रूप से सदन में घोषणा करें तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मुझे निवेदन यह करना है कि मंत्री महोदय जो अमैण्डमैण्ट लाये हैं वह अमैण्डमैण्ट हमारे कांस्टीच्यूशन में जो अमैण्डमैण्ट हुआ है उसके सिद्धांत के खिलाफ है, जो सैल्फ गवर्निंग का प्रिंसिपल हम पंचायतों में एडाप्ट करने जा रहे हैं उसके सिद्धान्तों के खिलाफ है। कैसे खिलाफ है? अभी तक तो एक एडमिनिस्ट्रेटर था जो पंचायत में काम करता था। सरकार का मुलाजिम था, सरकार के नियमों से बाध्य था। यदि कोई भी हेरा-फेरी करता तो उस पर आर.एस.आर. एप्लीकेबल था। अब आपने क्या रास्ता निकाला है बैकडोर से कि आप उस सरकारी कर्मचारी पर चार आदमियों की कमेटी बनाना चाहते हैं और उस कमेटी से उसको पाबन्द करना चाहते हैं कि उस कमेटी के अनुसार वह काम करेगा। चार आदमी आपके कौन होंगे? वे चार आदमी आपके नामिनेटेड आदमी होंगे। वे पब्लिक के कोई भी आदमी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के आदमी हो सकते हैं। इररेस्पांसिबिल आदमी भी हो सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आपकी पार्टी के ही आदमी होंगे। छंटे हुए क्रिमिनल्स भी इस कमेटी के अन्दर आ सकते हैं जो उस पंचायत को किधर भी ले जा सकते हैं और उनकी राय से वह एडमिनिस्ट्रेटर पाबन्द होगा। मान लीजिये, किसी गांव के छह गुण्डे उस कमेटी के अन्दर आ गये तो उन गुण्डों की राय से वह पाबन्द होगा?

श्री अध्यक्ष : विधान सभा में आ जाएं तो क्या करेंगे आप?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : वह अपन नहीं आ रहे हैं वह तो जनता भेज रही है। वहां पर जो जनता राज की मालिक है वह भेज रही है, नोमिनेट कर रही है गवर्नमेण्ट। गवर्नमेण्ट के नोमिनेशन के विपरीत आज पूरी पार्लियामेण्ट अपने सिद्धान्त बनाना चाहती है....

श्री अध्यक्ष : परिणाम तो एक ही होगा। चाहे गवर्नमेण्ट भेजे और चाहे सरकार नोमिनेट करे परिणाम तो एक ही होगा।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : ऐसा प्रोसीजर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रोसीजर नहीं है परिणाम है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इसमें आपको यह निश्चित रूप से बताना चाहिये कि आप किस प्रकार के आदमी बनाना चाहते हो। उसमें स्पेशल नॉलेज बनाना चाहते हैं, कोई एक्सपर्ट रखना चाहते हैं, यह तो आपको बताना चाहिये। कितने आदमी रखना चाहते हैं ? इस प्रकार की जो....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह जी, बहुत लोग बोलने वाले हैं। श्री हरिसिंह महुआ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, कल सदन में दो बातों पर बड़ी सर्वानुमति हुई और एक सामान्य निर्णय पर दो बातों पर सदन पहुंचा। पहले तो कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में माननीय सदन के नेता ने पूरे सदन को कांफिडेंस में लिया और पूरे सदन ने एक स्वर में यह कहा था कि इससे निपटिये अच्छी तरह से, पूरा सदन आपके साथ है। दूसरा इश्यू यह था जिस पर पक्ष और विपक्ष एक मत से, एक राय से इस बात पर सहमत थे कि पंचायतों में जो प्रशासकों की व्यवस्था है वह ठीक ढंग की नहीं है, प्रशासक भ्रष्ट हो चुके हैं और भ्रष्टाचार पंचायतों में फैल रहा है। इस बात को पक्ष और विपक्ष सबने एक स्वर से माना और उम्मीद यह कर रहे थे कि भ्रष्टाचार के निराकरण के लिये सरकार सदन को कांफिडेंस में लेगी और विथ क्लीन हैण्ड हाउस के सामने आएगी। लेकिन सरकार बड़े अंधेरे के साथ में आयी है, पूरे सदन को सरकार धोखा दे रही है। यह कमेटी की बात जो कर रहे हैं मैं उसी पर आ रहा हूं। जो कमेटी की आप बात कर रहे हैं, सरकार को बिल्कुल क्लियरकट इसमें आना चाहिये कि उनकी कमेटी में कितने आदमी होंगे, कौन-कौन आदमी होंगे। यही कल यहां हाउस में मांग की गयी थी और फिर उसको लपेटकर के, घुमा-फिराकर दूसरे तरीके से ला रहे हैं, फिर गुमराह कर रहे हैं। कब आपके रूल्स फ्रेम होंगे और कब आप कमेटी बनाएंगे, किन-किन लोगों को उस कमेटी में लेंगे, कौन-कौन होंगे वे लोग, इन बातों पर सदन को अंधेरे में रखा जा रहा है। उस स्थिति में जब पूरा सदन एक राय से, एक स्वर से इस बात को मानता था कि प्रशासकों को चेन्ज किया जाए और इनको कण्ट्रोल किया जाए। आपके माध्यम से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि सरकार must come in the House with clean hands.

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये, सरदारजी, आप।

श्री जगतार सिंह (श्रीकरणपुर) : माननीय अध्यक्षजी, मैं तो आपके माध्यम से यह मंत्रीजी से गुजारिश करना चाहता

(श्री जगतार सिंह)

हूं कि इसमें आदमी को स्पेशिफाई करना चाहिये कि किसको लगाना है। मैं समझता हूं कि यह इनके लिये भी बड़ी प्राब्लम आएगी कि हर आदमी अपने आपको पंचायत में नोमिनेट करवाना चाहेगा। उस कमेटी में आज जो इलेक्टेड बॉडी के चेयरमैन हैं, जैसे जिला सहकारी समिति है ग्राम लेबल की, उसके चेयरमैन को कर दें या जैसे माननीया कमला जी ने कहा है, जो महिलाएं पहले पंचायत में कोआप्टेड मैम्बर रही हुई हैं उनमें से कर दें। अपने को अगर यह होगा कि उसको करें उसको नहीं करें तो मैं समझता हूं कि 7000 पंचायतों में अगर इस तरह से मिनिस्टरी लेवल पर होगा तो वह बड़ी गड़बड़ होगी जब तक हम यह नहीं कहेंगे कि फलां डेजिग्नेशन के आदमी आएंगे। जैसे अभी माननीय सदस्य ने कहा कि ग्राम सेवकों पर तो हमारा कण्ट्रोल था और हमने सभी ने इस बात को माना है कि ग्राम सेवकों ने बड़ी गड़बड़ियां कीं और उनके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है मगर आज अगर ऐसे आदमी डेजिग्नेट हो जाएंगे या ऐसे आदमी पहुंच जाएंगे तो ये गड़बड़ियां ज्यादा बढ़ेंगी। फिर हम समझें कि यह दिक्कत भी आएगी काम करवाने में कि अगर एक जगह कांग्रेस के आदमी लग जाते हैं तो बी.जे.पी वालों को दिक्कत आएगी और अगर बी.जे.पी. के आदमी आ जाते हैं तो कांग्रेस वालों को दिक्कत आएगी। तो ऐसी बातों में प्रजातांत्रिक तरीके से बढ़िया सोल्यूशन यही है कि अपने आदमी को डेजिग्नेट कर दें और इनको पर्दे में नहीं रखें क्योंकि अपने को इससे गुरेज नहीं करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका। उपाध्याय जी।

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल दिनांक 16 मार्च का सत्रान्त ऐसे सुन्दर समय में हुआ कि कल के दिन में जो भी दर्शक होंगे उन्होंने देखा होगा और आज राजस्थान की जनता ने पत्रों को पढ़ा होगा।

श्री अध्यक्ष : जिनकी शुरूआत अच्छी नहीं होती उसका अन्त अच्छा होता है।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं यह निवेदन कर रहा हूं श्रीमान् कि कल जिस तरह से जो हमारे कर्मचारी साथी हड़ताल कर रहे हैं उसके बारे में पक्ष और विपक्ष के सारे लोगों ने एक मत से सारी बात कही, उसी प्रकार से पंचायतों के संचालन में कमेटी की बात आयी। इसके बारे में पक्ष और प्रतिपक्ष के नेता और अन्य हमारे सचेतक और दूसरे मित्रों ने सब ने मिलकर जिस तरह से एक समन्वयात्मक सहानुभूति की, विशालता की बात की और सारे जितने माननीय विधायक हैं दोनों पक्षों के, साथ में मिलकर के जो बात की तो मैं समझता हूं बड़ा सुन्दर चित्रण सामने आया और ठीक उसके प्रतिकूल आज यह बात आ रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यह कमेटी का ही पता नहीं है कि यह 100 आदमी की होगी या दो की। इस कमेटी में लिखा है परन्तुक, इस प्रकार नियुक्त प्रशासक, प्रशासक के निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार स्थापित की गयी समिति की सलाह से आबद्ध होगा। अब वह समिति 9 की होगी या दो की होगी, 199 की होगी, कितने की होगी कुछ भी पता नहीं है। मैं समझता हूं, कल के सौहार्दपूर्ण वातावरण को भविष्य में

(श्री रामपाल उपाध्याय)

अधिक सुन्दर स्थान देने के लिये माननीय मंत्री महोदय इस बात को मानें और सारे सदन को विश्वास में लें।

श्री अध्यक्ष : श्री राधेश्यामजी। कई लोग बोलेंगे।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय आज सवाल....

श्री अध्यक्ष : कितने लोग बोलेंगे ? सब लोग बोलेंगे।

अनेक माननीय सदस्य : सबकी भावना है।

श्री अध्यक्ष : इसलिये तो कह रहा हूं कि भावना एक ही है इसलिए सब बोलें या एक बोले, फर्क नहीं पड़ता, भावनाएं आ गयी आपकी। देखिये, मैं समझता हूं आज सुबह से बोलने की बड़ी छूट....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी तो एक राय है। मंत्रीजी की मुस्कुराहट और हंसी जो है वह इस बात की द्योतक है....

श्री अध्यक्ष : पारीक साहब, आप फिर मुझे कहते हो कि आजकल मैं कुछ नहीं करता और अभी फिर कर रहे हो। इसलिये आप बैठिये। देखिये, इस पर ज्यादा बोलने की गुंजाइश नहीं है। ज्यादा बोलने की गुंजाइश इसलिये नहीं है कि एक व्यू आपका सबका आ गया है सामने, दूसरे जो इधर हैं, यह जरूरी नहीं है कि हर बात में एक ही मत हो। नोट नेसेसरी। आपको पता है कि थर्ड रीडिंग के बाद या तो आप यह कह सकते हैं कि बिल को खारिज करिये या सिद्धांत की बात कह सकते हैं। बाकी बिल की कंटेंट्स में तो जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल को खारिज करने की बात आप कह रहे हैं, सीधी-सी बात यह है। तो आप एक कहें या 100 कहें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपकी अकाल राहत पर लम्बी बहस करनी है, मैं आपको दिन भर में नहीं बोला, आज आपका दिन है इसलिये आप मर्जी आये जितना टाइम कन्ज्यूम करिये। यदि आप अकाल राहत पर कम बोलेंगे तो घाटा आपको होगा इसलिये आपको छूट दी और यदि आप ठीक से समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो जो इम्पोर्टेण्ट बहस है उस वक्त आप घर चले जाएंगे और फिर यह हाउस मुझे एडजोर्न करना पड़ेगा। इसलिये बैटर यह है कि अब आप इसको समाप्त करिये और Let me ask the Question....(व्यवधान)....ठीक है अब आ गयी सारी आपकी, रिकार्ड हो गयी है आपकी बात।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1994 को संशोधित रूप में पारित किया जाए ?

(ध्वनि मतदान) (व्यवधान)

आप बैठिये, आप बैठिये प्लीज। मैं फिर पूछ लेता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1994 को संशोधित रूप में पारित किया जाए ?

(ध्वनि मतदान) (व्यवधान)

डिवीजन कॉल कर रहे हैं ? वांट डिवीजन ?

श्रीमती कमला : राजनीतिक +++ की है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप डिवीजन चाहते हैं ?

(मत विभाजन घण्टी)

माननीय सदस्य, लाबीज आर क्लियर, कृपया लाबीज में जाइये। अपनी–अपनी लाबीज में जाइये।.... (व्यवधान) आप कहें तो एश्योर कर दें वे कि कंसल्टेशन से कर दें। आप कहें तो दुबारा पूछ लूं ? Please take your seats. कृपया अपने–अपने स्थानों पर बिराजें। प्रतिपक्ष के नेता कुछ बोल रहे हैं। माननीय सदस्य, कृपया अपने–अपने स्थानों पर बिराजें... (व्यवधान)... कृपया माननीय श्री परसराम मदेरणा, आप कुछ बोलना चाहते हैं....(व्यवधान)..कृपया अपना स्थान लें..(व्यवधान). आर्डर प्लीज। श्री परसराम मदेरणा। (व्यवधान)....यह क्या कर रहे हैं आप ? ....(व्यवधान) क्या कर रहे हैं आप ? आप बैठिये तो सही कृपया पहले। क्या कर रहे हैं आप ?....(व्यवधान)....यह क्या तमाशा हो रहा है ? आपके नेता कुछ कहते हैं और आप कुछ अपनी–अपनी अलग–अलग नेतागिरी कर रहे हैं। आपके नेता जो कह रहे हैं उसको पहले सुनिये।(व्यवधान)... जो नेता कह रहे हैं सुनिये आप, जाइये अपनी जगह पर। हरेक नेता बन गया है क्या ? कृपया बैठिये। सभी नेता बन गये। प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं और सारे ही नेता हो रहे हैं आप। (व्यवधान).... आप जाइये. बैठिये। हां माननीय श्री परसराम जी मदेरणा। (व्यवधान)....दे दूंगा, वे बोले तो सही। (व्यवधान)....आपके नेता बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह पार्टीज का डिसिप्लिन नहीं है कि आपके नेता बात कर रहे हैं और आप चिल्ला रहे हैं। यह क्या बात है ? (व्यवधान)....ये नेता नहीं हैं ? आपके नेता बात कर रहे हैं। आप अपने नेता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्या ? (व्यवधान)....आपके कोई अलग नेता बनेंगे तब सुनूंगा, अभी आपके नेता बात कर रहे हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता। (व्यवधान) कृपया शान्ति रखिये। बोलिए, श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बिल की थर्ड स्टेज पर भी माननीय प्रभारी मंत्री जी से निवेदन किया था, जिस कमेटी को आप कांस्टीट्यूट करने जा रहे हैं और कमेटी की जो रूल मेकिंग पावर ले रहे हैं. उसमें एमएलए. का कंसल्टेशन होना जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटर के लिये आप एक कमेटी बना रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा लेकिन उसकी जो कमेटी होगी, कमेटी की राय एडमिनिस्ट्रेटर के लिये बाइंडिंग होगी इस प्रकार का प्रावधान भी आप लाये हैं। वह कमेटी क्या है, उसके पर्सनल्स क्या हैं उस संबंध में मैं यह निवेदन कर रहा था, क्योंकि वह गवर्नमेन्ट के पास डिस्क्रशनरी पावर होगी। आप एक्ट के अन्दर चारों पर्सन्स का यहां मेंशन कर दीजिए। मैं तो इतना ही पूछ रहा था कि एमएलए. की कंसल्टेशन की बात प्रातःकाल जब आपकी मीटिंग में बात हो रही थी और हमारे व्हिप महोदय ने आपसे इस सम्बन्ध के बारे में विचार-विमर्श किया तो इस सम्बन्ध में मुझे यह जानकारी मिली है कि आपने इस बात का आश्वासन दिया था। अगर यह आश्वासन

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया

(श्री परसराम मदेरणा)

दिया था और जब आप रूल मेकिंग पावर में जिस किसी को भी नोमिनेशन का अधिकार दे रहे हैं तो उसमें आपको यह मैंशन करना पड़ेगा रूल के अन्दर "इन कंसल्टेशन विद दी एमएलए", यही मैं चाहता हूं कि आप इसको क्लियर कर दीजिये। रूल मेकिंग पावर तो आपकी है लेकिन वह सोलेम एश्योरेन्स अगर हाउस में मिल जाता है तो सदन के माननीय सदस्यों को यह विश्वास हो जाएगा कि जो कमेटी बनेगी, वह निष्पक्ष कमेटी बनने जा रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिस प्रकार आपने कहा कि कल यह तय हुआ था कि प्रतिपक्ष के नेता और माननीय मुख्यमंत्रीजी बैठकर किस प्रकार की कमेटी बनेगी, यह तय करेंगे, ऐसा कोई तय नहीं था। आपने कहा कि ग्राम सेवकों का जिस प्रकार का रोल रहा है, उसके कारण कमेटी बननी चाहिये और उस मांग के अनुसार सारा सदन एकमत था कि कोई न कोई कमेटी का निर्माण हो। अब वह कमेटी का निर्माण कैसे हो, इस बारे में कोई तय नहीं हुआ था। आपका सबका यह कहना था कि किसी भी प्रकार की कमेटी बने, पर बननी चाहिये। इसमें सुझाव यह भी आया था....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुन तो लें। (व्यवधान) आपके नेता बोल रहे हैं। सही मायने में हो रहा है और आप सब खड़े हो जाते हैं। Please have some discipline in the name of....आप बैठिये (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, उसमें सुझाव यह भी आया था कि वहां की ग्राम पंचायत में जो भी मिडिल स्कूल हो, सैकेण्डरी स्कूल हो, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हो या प्राइमरी स्कूल हो उसका हैडमास्टर हो। उसमें यह भी सुझाव आया था कि ग्राम सेवक सहकारी समिति का कोई रिप्रजेन्टेटिव भी हो, उसमें यह भी सुझाव आया था कि कोई महिला भी हो, उसमें यह भी सुझाव आया था कि वहां का कोई जन प्रतिनिधि हो। ये सारी बातें उसमें आयीं थी लेकिन तब यह हुआ था कि माननीय मुख्य मंत्रीजी और प्रतिपक्ष के नेता जिस प्रकार भी बैठकर तय कर लेंगे, उसी प्रकार से नियमों में प्रावधान कर दिया जाएगा। अभी तक केवल कमेटी बनाने की बात आयी, कमेटी की बात पूरे सदन ने स्वीकार की। अब किस प्रकार की कमेटी बनेगी, उसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी और प्रतिपक्ष के नेता जिस प्रकार बैठकर तय करेंगे, उसी प्रकार हो जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप पूरे हाउस को बाई पास कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, यह भी सर्वमान्य बात है कि वहां पंचायत समिति का कलक्टर लेवल पर जो भी समिति बनती है, जैसे अभी अकाल राहत समिति बनी, उसमें विधायकों का.... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी के चैम्बर में मीटिंग हुई, मुख्य मंत्रीजी स्वयं वहां पर थे। बात यह हुई थी कि आप चाहते क्या हैं और आपकी पार्टी की राय क्या है। मैंने उनसे कहा कि पार्टी की राय यह है कि ग्राम सेवकों पर से विश्वास हट गया है, ग्राम सेवकों के साथ में एक ऐसी कमेटी बना दी जाए जो उनको

(श्री खेतसिंह राठौड़)

सुपरवाइज कर सके और उनके कहने से सारा काम हो, उनकी निगरानी में ही सारा काम हो ताकि कोई गड़बड़ी नहीं हो। मुख्य मंत्रीजी ने कहा, यह बिल्कुल ठीक है। तय यह भी हुआ कि एक तो स्कूल का हैडमास्टर रहेगा ही चाहे वह प्राइमरी स्कूल का हो, हायर सैकण्डरी हो, सैकण्डरी हो उस पंचायत में, फिर कहा कि दो ऐसे कर दो कि एक महिला कर दो और एक पुरुष कर दो, उसमें सोशयल वर्कर भी आ सकता है, उसमें और कोई भी आ सकता है। मैंने कहा कि यह कौन तय करेगा तो उन्होंने कहा कि कलक्टर तय कर देवें। मैंने कहा कि कलक्टर को क्या नालेज है कि जिले की और हर गांव की कि वह बतावे, तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं। तो मैंने कहा कि सबसे बढ़िया तो यह है कि एमएलएज. आपके भी हैं और हमारे भी हैं, एम.एल.एज. की राय से कलक्टर एक महिला और एक पुरुष, दो के सुझाव दे दें, वे कमेटी के मैम्बर हो जाएं। यूं तो 4 महीने, 7 महीने, 8 महीने में चुनाव होने वाले हैं, कोई आसमान गिरने वाला नहीं है, इस बात को आप मान जाइये। और ये मान गये थे। अब न मालूम किसने क्या भड़काया कि यहां आकर....मैं तो यहां था नहीं और ये.... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर अण्डर रूल 157।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं अपनी बात कह दूं ?

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पाइंट आफ आर्डर रेज किया है। तिवाड़ी जी, आप जानते हैं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, मैं जानता हूं आपको।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने ब्रीच आफ प्रिविलेज का अभी-अभी आपके सामने एक नोटिस प्रस्तुत किया है। अभी जब हमारे द्वारा डिवीजन की मांग की गयी थी उस समय....

श्री अध्यक्ष : नहीं, पाइंट आफ आर्डर क्या है आपका ?

श्री लक्ष्मण सिंह : अण्डर रूल 157.

श्री अध्यक्ष : हां, तो आपने ब्रीच आफ प्रिविलेज का नोटिस दिया है, मेरे पास आ गया है। अब पाइंट आफ आर्डर कुछ नहीं रहा है इसमें।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर यह है कि आप इसका डिस्पोजल करिये।

श्री अध्यक्ष : वह करेंगे, वह तो आ गया है। इमिजिएटली होता है क्या ब्रीच आफ प्रिविलेज का डिस्पोजल ? आपका आ गया है और You have mentioned it. There is no point of order. You have given a notice for breach of privilege which will be examined according to the rules and then I will take decision. There is no point of order.

श्री लक्ष्मण सिंह : Please ask whether ten persons are in favour of it or not.

श्री अध्यक्ष : There is no point of order. कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है। घनश्याम जी, बोलिये आप।

श्री लक्ष्मण सिंह : There is point of order.

श्री अध्यक्ष : कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं। घनश्यामजी, बोलिये आप। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मदेरणा जी ने जो बात की है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे सदन ने पहले सेशन और दूसरे सेशन, दोनों सेशनों में मिलकर सारी बातें तय की थीं। कल जब इस बिल पर चर्चा हो रही थी तो उस समय कांग्रेस के सदस्य और बी.जे.पी. के सदस्य, सबने कहा था कि कमेटी बननी चाहिये और कमेटी उस आधार पर होनी चाहिये। इसके बाद यह भी तय हुआ कि कमेटी बने उसमें एक ग्राम सेवक रहे, एक हैडमास्टर रहे चाहे प्राइमरी स्कूल का हो, चाहे मिडिल स्कूल का हो, चाहे वह महिला रहे और पुरुष भी रहे। इसके साथ-साथ यह चर्चा भी चली कि विधायकों की भी इसमें राय ली जाए। इसके लिये रूल्स बनाये जाएं और रूल्स में इस प्रकार का प्रावधान किया जाए। मैं इस बात को अनुचित नहीं मानता। कि जो कमेटी जिस विधान सभा क्षेत्र में बने उसमें कांग्रेस का और बीजेपी का और निर्दलीय कोई माननीय सदस्य हो, उसकी राय ली जाए। यह कोई गलत बात नहीं है, सही बात है और मैं समझता हूं, सदन में माननीय मंत्रीजी खुद एश्योर करने वाले हैं कि विधायकों की राय के आधार पर करेंगे : मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बात से कोई ऐसा वातावरण बने इस सदन में, इसलिये सबकी राय लेकर कमेटी बनाये सरकार। (व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी सुबह कहा था, सबने कहा था, सारे सदन की राय है....

श्री चन्दनमल बैद : सीधे से कह दो, माननीय मंत्री जी, इतनी तो बात है।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, कल जब यह चर्चा हुई थी, कई सुझाव आये थे। पहले तो कमेटी बने यह तय हो गया, इस बात पर सहमति हो गयी थी कि कमेटी बननी चाहिये। अब कमेटी में मैम्बर कौन-कौन हो (व्यवधान) आप सुनिये। Let me speak. जब यह बात आयी कि.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है, आप इस कमेटी में इन्ट्रेस्टेड नहीं और अगर कोई पोलिटिकल मामला हो तब तो मैं कह नहीं सकता। मैंने एक निवेदन किया था, मैंने माननीय प्रतिपक्ष के नेता से भी बात की, सचेतक महोदय से बात की और हमने सहमति बनाने की कोशिश की। कई सुझाव आये, कइयों ने कहा पटवारियों को भी रखो, फिर उसका भी विरोध हो गया। सुबह जो अपनी बात हो गयी तो यह सुझाव आया था कि हैडमास्टर हो जो सीनियर हो, जो भी स्कूल हो उसका, एक एडमिनिस्ट्रेटर ग्राम सेवक हो और दो और मैम्बर हों, जिसमें मोस्ट प्रोबेब्ली एक महिला हो अगर पासिबल हो तो। कई जगह महिला नहीं मिलेगी तो वहां आदमी भी हो सकते हैं। इस तरह से सुझाव आये।

(श्री नाथूसिंह)

फिर एक सुझाव आया कि यह कमेटी बनाये कौन, तो इसमें भी कई सुझाव आये। मोदीजी ने यह कहा कि डी. सी. बनाये, किसी ने कहा डी. सी. सम्भव नहीं होगा, कलक्टर को बनानी चाहिये तो किसी ने कहा, बीडीओ के ऊपर छोड़िये, बीडीओ कमेटी बनाये। ये सारे सुझाव आये और इसीलिये मैंने प्रतिपक्ष के नेता से अभी थोड़ी देर पहले बातचीत की है। मैंने कहा इस मामले में अपन रूल बना रहे हैं यहां पर, इस एक्ट में इसका कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है कोई लम्बा मामला है नहीं कि 5 साल चलने वाला है, एक या 2 साल का है। बहुत ही कम समय के लिये, जब तक यह चुनाव प्रक्रिया शुरू हो। इतना-सा है। अब इसमें कौनसी पोलिटिक्स कर रहे हैं? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता से मैंने अभी निवेदन किया था....(व्यवधान) इसमें क्या बात हो गई....

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा यह निवेदन है....एक मिनट, मेरी बात सुनिये।

श्री परसराम मदेरणा : इन कंसल्टेशन विद एमएलएज. यह रखने जा रहे हैं कि नहीं रखने जा रहे हैं रूल के अन्दर? बड़ी स्पष्ट बात है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा यह निवेदन है कि यह मामला सब की चिन्ता का विषय है और सब एक ही बात चाहते हैं कि पंचायत ठीक से चले, इसमें कमेटी बने। सबकी एक राय है कि कमेटी बननी चाहिये, कमेटी बन रही है। कमेटी में कौन रहे इसको लम्बा नहीं करके, मेरा सुझाव है कि आप और सदन के नेता महोदय तय कर दें उसकी कमेटी बना दें, वह ज्यादा अच्छा रहेगा। (व्यवधान) सुनिये, सुनिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके नेता में विश्वास नहीं है क्या आपका? (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : नेता में विश्वास नहीं है क्या आपका? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : देखिये, मेरा यह निवेदन है कि अगर यह प्रावधान डालते हैं कि माननीय सदस्य की राय से किया जाए तो कितना लम्बा प्रोसीजर होगा, कितना लम्बा लगेगा। सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता तय कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। Have faith in your leader.

श्री नाथू सिंह : आपका नेता में विश्वास ही नहीं है क्या? जब हम कह रहे हैं कि दोनों बात करके कर लेंगे ...(व्यवधान)...

श्रीमती कमला : जब सरकार देगी तो भी समय लगेगा, हम देंगे तो भी समय लगेगा, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मंत्रीजी, और कुछ नहीं कहना है? (व्यवधान) मैं अलाऊ नहीं करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मेरे और उनके बीच में एक–एक नाम की कंसल्टेशन का नहीं है, यह संभव ही नहीं है। लीडर ऑफ दी हाउस और मेरे बीच में बैठ करके एक–एक पंचायतों के नाम ले-ले करके हम कमेटी कांस्टीट्यूट नहीं कर सकते....

श्री भंवरलाल शर्मा : कैटेगरी।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, कैटेगरी के बारे में भी इन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हैडमास्टर होगा। जिस तरह से आपने इंटेंशन जाहिर की है हैडमास्टर के संबंध में एक्स–ऑफिशियो, उसी तरह से दूसरे मैम्बर हों। एक तो एक्स–ऑफिशियो हो गया और दो मेम्बर और रहें–एक लेडी मैम्बर और एक दूसरा मैम्बर।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह हम आप पर छोड़ रहे हैं ना।

श्री परसराम मदेरणा : हमारे पर नहीं छोड़ सकते। इसलिये नहीं छोड़ सकते कि रूल मेकिंग पावर आपके पास में है और रूल मेकिंग पावर के अन्दर अगर आप यह रूल बनाने जा रहे हैं कि इन कंसल्टेशन विद दी एम.एल.एज. वे नोमिनेट होंगे। मैं इसलिये कह रहा था क्योंकि कमिश्नर 19 तारीख तक नोमिनेट नहीं कर सकेगा और एमएलएज. भी अपना कंसल्टेशन जल्दी नहीं दे सकेंगे क्योंकि यहां सेशन चल रहा है इसलिये आप कलक्टर रखिये। यह मैंने कहा था।

श्री नाथू सिंह : मान ली है आपकी बात, कलक्टर रख दिया उसमें।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिये कलक्टर आप रख रहे हैं तो आप रूल्स में प्रावधान क्यों नहीं डाल देते कि 'इन कंसल्टेशन विद दी एमएलए." ? (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : विधायकों पर आपका भरोसा नहीं रहा।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, कलक्टर भी जब कोई कमेटी बनाएगा तो वहां के जो विकास अधिकारी हैं उनसे भी वे कंसल्टेशन करते हैं, वहां के जो रिप्रजेन्टेटिव होते हैं उनसे भी वे कंसल्टेशन करते हैं। एमएलएज., एमपीज. सबसे कंसल्टेशन करते हैं।

श्री हरीसिंह (महुआ) : नहीं, नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : आप विकास अधिकारी का कंसल्टेशन एट पार विद एमएलए. लाने जा रहे हैं, आप एमएलए. को कहां ले जा रहे हैं ?

श्री भीमराज भाटी : कमेटी बनायी उसमें भी लोकल एमएलए. को कंसल्ट नहीं किया था, ये उन छोटी–छोटी कमेटी की बात कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिये यह कंसल्टेशन वह जिससे करता है, यह मैटर सिर्फ एमएलए. की बात का था और जैसा कि हमारे चीफ व्हिप राठौड़ साहब कह रहे हैं कि सुबह मुख्य मंत्री जी ने इस बात को एग्री किया था तो इसके बाद हाउस में स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं ?...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह रूल में नहीं डल सकता।

श्री महावीर प्रसाद जैन : राजस्थान में ऐसा कोई रूल भी नहीं है जिसमें यह प्रावधान हो कि एमएलए. की कंसेंट से फलां आदमी की नियुक्ति की जाएगी। ऐसा कोई रूल नहीं है, यह सम्भव भी नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : चीफ व्हिप साहब, आप राय देने से पहले एमएलएज. को पूछ लीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, सदन का समय बढ़ाइये।

श्रीमती कमला : यह जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका तो सब्मिट किया है कमेटी के फोर्मेशन में आप दो दिन बाद में भी नाम देकर कमेटी बना सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसलिए एमएलएज. को इन्वाल्व करने में कोई परेशानी नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : आज तक पंचायतों को ग्राम सेवकों ने चलाया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप लोगों ने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है, अब आप मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करने दीजिये और मेहरबानी करके जो प्रक्रिया है....

एक माननीय सदस्य : समय बढ़ाइये।

श्री अध्यक्ष : समय बाद में बढ़ जाएगा, यह समय काउंट नहीं होगा। बाद में बढ़ा लेना क्योंकि अभी डिवीजन में बैठे हुए हैं, अभी बीच में समय नहीं बढ़ेगा। अब आप जब इस सम्बन्ध में सहमत नहीं हो रहे हैं तो मेरे पास इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है कि आगे चलूं।

एक माननीय सदस्य : हो रहे हैं।

श्री किशन मोटवानी : अध्यक्ष महोदय, पहले तो 6 जनों को बाहर निकालना पड़ेगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : डिवीजन के बाद में सदन में अंदर घुसे हैं उनको बाहर निकालना पड़ेगा। we will name them.

श्री अध्यक्ष : मेरी बात पूरी हुई नहीं और आप नये-नये सवाल उठाकर सदन में उत्तेजना मत पेश करिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : व्यवस्था का सवाल है, 6 आदमी अन्दर घुस गये।

श्री अध्यक्ष : ऐसे मामलों में तत्काल व्यवस्था नहीं दी जा सकती बिना जांच के। मैंने कुछ देखा नहीं, आपने देखा ?

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : मैंने देखा।

श्री विष्णु मोदी : मैंने देखा।

अनेक माननीय सदस्य : हमने देखा है।

श्री अध्यक्ष : आपने देखा होगा.... (व्यवधान)....आपने देखा होगा।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खुद सैक्रेटरी साहब के पास गया और सेक्रेटरी साहब ने कहा....

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये ना, क्या कह रहे हैं ? अब आप डाइवर्ट मत करिये। ... (व्यवधान).... Please do not divert and let me do my duty. मेरी ड्यूटी अब यह है कि मैं दुबारा आपसे पूछता हूं।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : आप उन पर फैसला कीजिये। (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आप सब क्यों बोल रहे हैं ? एक बार डिवीजन के बाद जब सदन दुबारा डिबेट में एंटर हो गया तो it is my duty to call again.

श्री किशन मोटवानी : हमने तो उस समय ही ऑब्जेक्शन किया था।

श्री अध्यक्ष : उस समय नहीं था। ....(व्यवधान).... आप अपने नेताजी से बात करिये। यू टॉक प्लीज। मैंने प्रतिपक्ष के

(श्री अध्यक्ष):

नेता की रिक्वेस्ट पर डिबेट अलाउ की थी इसलिये we have entered into a new debate. Now I will have to ask the question again. (Interruption).. No. This is the rule. I will have to ask the question. बैठिये अब आप।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1994 को संशोधित रूप में पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान पचायत (संशोधन) विधेयक, 1994 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

श्री चन्दनमल बैद : नोज हैव इट। नोज हैव इट।

कुछ माननीय सदस्य : नोज हैव इट।

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम संख्या 276। श्री नरेन्द्र सिंह भाटी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अवमानना की है आपने सदन की।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि कार्य सूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : कार्य सूची क्या है ? एक घण्टा ?

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे के लिये बढ़ाया जाए ?

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि समय बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

एक घण्टे के लिये समय बढ़ाया गया।

प्रक्रिया के नियम 276 के तहत श्री नरेन्द्र सिंह भाटी।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज डिवीजन से जुड़ा हुआ है। डिवीजन करने से पहले ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का निर्णय होना चाहिये था। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता की सुरक्षा की व्यवस्था करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री नरेन्द्र सिंह भाटी। अब आप सब खड़े रहेंगे तो कैसे बोलेंगे वे ?

श्री भंवरसिंह : अपने नेता का कहना तो मानो कम से कम....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री नरेन्द्र सिंह भाटी।

व्यवस्था का प्रश्न

सदस्य की मांग पर मत विभाजन

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : आप बोल रहे हैं ? हां, बोलिये ।

श्री परसराम मदेरणा : पहले इस बिल के ऊपर पारित का आपने प्रस्ताव रखा, हमने डिवीजन मांगा था । डिवीजन मांगने के बाद में मैं ऐसा समझ रहा था कि कन्सल्टेशन बात से अगर कोई सर्वसम्मत निर्णय हो जाता है यहां पर । मैं इसलिये सर्वसम्मत निर्णय के बारे में कह रहा था क्योंकि पहले सुबह मुख्य मंत्रीजी ने इस बात का आश्वासन दिया था हमारे चीफ व्हिप को कि इन कन्सलटेशन विद एमएलए. कलक्टर कांस्टीट्यूट करेगा और नोमिनेट करेगा कमेटी के मैम्बर्स को । वही बात कहनी थी । अब सत्ता पक्ष के चीफ व्हिप महोदय ने यह बात कही कि इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है । या तो इन्हें लॉ की इनसाइट नहीं है या उन्होंने प्रोवीजन नहीं देखे हैं । अभी जो बिल हो रहा है या जो राजस्थान पंचायत समिति जिला परिषद एक्ट है, इसमें इस बात का प्रावधान है और कांस्टीट्यूशन में इस बात का प्रावधान रखा गया है कि वहां का लोकल एमएलए. और एमपी. पंचायत समिति तक का एक्स–आफिशियो मैम्बर होगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह अलग बात है ।

श्री परसराम मदेरणा : वह अलग बात है, मैं जानता हूं वह अलग बात है ।

श्री रामस्वरूप मीणा : वह अलग बात नहीं है ।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि दुबारा जब आपने इस प्रस्ताव को वोट के लिये रखा तो हमने डिवीजन क्लेम किया ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : घनश्याम तिवाड़ी मानते हैं इस बात को ।

श्री परसराम मदेरणा : रूल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट आफ बिजनस में हमारा अधिकार है डिवीजन मांगने का परन्तु आपने हमारी तरफ ध्यान भी नहीं, हम डिवीजन मांगते रहे ।

श्री अध्यक्ष : नहीं ।

श्री चन्दनमल बैद : चिल्लाते रहे । (व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : बैदजी ने मांगा था ।

श्री परसराम मदेरणा : आपने डिवीजन अलाउ नहीं किया और इस प्रकार आपने व्यवस्था नहीं दी । आप तो उस तरफ देखते हुए इसको पारित कराने में रहे । मैं यह समझता हूं कि आपने आज जो व्यवस्था दी है यह ...

श्री राजेन्द्र पारीक : यह सदन की अवमानना है ।

श्री परसराम मदेरणा : कार्य सचालन सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन है और उसके प्रोटेस्ट में हम सदन में बहिर्गमन करते हैं ।

(कांग्रेस (इ) दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

(168)

व्यवस्था

मत विभाजन देना अध्यक्ष का विवेकाधिकार

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्रतिपक्ष के नेता श्री परसराम मदेरणा ने अभी जो प्रश्न उठाया, उसके सम्बन्ध में मेरी यह व्यवस्था है कि जब डिवीजन मांगा गया, मैंने डिवीजन दिया और रूल यह है कि जब डिवीजन एक बार काल कर लिया जाता है तो उसके बाद कोई स्पीचेज नहीं होतीं। This is the rule और यदि किसी वजह से हाउस स्पीचेज में एन्टर होता है तो that Division fall, उसके लिये फिर नयी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है, यह नियम है।

माननीय प्रतिपक्ष के नेता मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि मैं इसमें सरकार से आश्वासन चाहता हूं, सरकार यह आश्वासन दे देगी और इसलिये मैं इसमें बोलना चाहता हूं, सरकार का आश्वासन लेना चाहता हूं, आप हमको अलाउ करिये। उनकी रिक्वेस्ट पर मैंने डिबेट अलाउ की जो मेरा डिस्क्रिशन था। जब हाउस एन्टर हो गया डिबेट में तो वह डिवीजन नहीं रहा, जो पहले वाला था। तो नेचुरली लाबीज के दरवाजे यदि खुले भी हैं तो it was just, legal, perfectly legal. एक बार जब डिवीजन समाप्त हो गया तो दुबारा डिवीजन होना था, इसलिये लाबीज के दरवाजे खुलना स्वाभाविक है।

अब जहां तक डिवीजन का प्रश्न है मैंने डिवीजन के लिये पूछा तो वहां से विपक्ष के दस लोग एक साथ बोले कि पहले छह आदमियों को बाहर निकालिये। They didn't claim division, उन्होंने डिवीजन मांगा नहीं। मैंने कई बार देखा किसी ने डिवीजन नहीं मांगा और फिर तो इतना हल्ला हुआ कि जैसा कह रहे हैं, यदि कहा भी होगा तो मुझे सुनाई नहीं दिया, उस हल्ले में यह सुनना भी नहीं था। डिवीजन मांगा नहीं गया फिर भी, उसके बावजूद भी डिवीजन देने का डिस्क्रिशन स्पीकर को है। It is not a right, It is on the discretion of the Speaker whether to allow for division or not. If I am satisfied by the voice-vote कि हां पक्ष या ना पक्ष में से जिसकी वाइस ज्यादा है वह जीता है तो डिवीजन देना मेरे लिये कोई आवश्यक नहीं है। I am not bound by it. It is my discretion.

तो पहली बात तो यह है कि उन्होंने डिवीजन मांगा नहीं, इसके विपरीत दस माननीय सदस्यों ने खड़े होकर यह कहा कि पहले छह आदमियों को बाहर निकालिये। जब डिवीजन एक बार समाप्त होने के बाद हाउस डिबेट में एन्टर हो गया तो लाबीज के दरवाजे खुल जाने चाहिये थे, बंद रहने का कोई सवाल नहीं था और इसलिये आने-जाने पर भी प्रतिबंध नहीं था। ऐसी सूरत में डिवीजन मांगा नहीं गया और यदि वे डिवीजन मांगते तो मैं क्या डिसीजन लेता यह मेरा डिस्क्रिशन है, मेरे विवेक पर है। यदि वाइस वोट से मैं संतुष्ट हो जाऊं कि एक पक्ष की मैजोरिटी इसमें है तो डिवीजन देना मेरे लिये आवश्यक नहीं है। इसलिये जो कुछ भी मैंने इस सदन में आज किया है, नियम और प्रक्रिया के बिल्कुल अनुकूल और सब परम्पराओं और मर्यादाओं को फालो करते हुए किया है।

(श्री अध्यक्ष)

मुझे खेद है कि आज प्रतिपक्ष के नेता ने अपनी पार्टी की जो रिफ्ट हो रही थी उसके दबाव में आकर ऐसी बात कही है जो उनके मुंह से शोभा नहीं देती तथा जो एसपर्शन है आसन पर। मैं नहीं समझता कि कोई भी सीनियर माननीय सदस्य आसन पर अनावश्यक रूप से इस प्रकार के आक्षेप लगाएंगे। यदि ऐसी परम्परा बन गयी तो मैं समझता हूं कि फिर यह सदन चल नहीं पाएगा। प्रत्येक माननीय सदस्य को वह चाहे किसी दबाव में आये, हो सकता है उनका इन्टरनल दबाव कुछ हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है लेकिन कम से कम सदन में नियम की बात को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिये। इसलिये मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि आज जितनी कार्यवाही हुई है नियम, प्रक्रिया और परम्पराओं को फालो करते हुए है तथा किसी प्रकार के नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है।

श्री रामस्वरूप मीणा : हुआ है, उल्लंघन हुआ है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष । श्री नरेन्द्रसिंह भाटी।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आप....

श्री अध्यक्ष : अब जरूरत नहीं है इसमें मेरे बोलने के बाद। I will not allow अब मैं जो बोल चुका हूं उसके ऊपर आपको कमेन्ट करने का मौका नहीं दूंगा।

श्री विष्णु मोदी : आपने जो बोला, उस पर मैं कमेन्ट नहीं कर रहा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, उस पर आप कुछ कमेन्ट नहीं कर सकते। No. comment will be allowed.

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके बोलने पर कोई कमेन्ट कर ही नहीं रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : तो आप बैठिये। श्री नरेन्द्रसिंह भाटी का नाम पुकारा है मैंने।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी, ~~अध्यक्ष~~ सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (ओसियां) : अध्यक्ष महोदय, कल आपने मुझे नियम 119 के तहत बोलने के लिये खासकर दो बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण करने के लिये मौका दिया। उसके लिये मैं आभारी हूं।

(17.10)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

आज भी, सभापति महोदय, कल की डिबेट के तहत जो मुझे आश्वासन मिला था, शायद उसी के तहत नियम 273 में अध्यक्ष महोदय ने समय दिया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिये आपको अवसर दिया है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सभापति महोदय, यह मैं अधिकार में बोल रहा हूं इसलिये आप मुझे टोक नहीं सकते। मैं आपकी मर्सी पर नहीं हूं, और अगर आप यह समझते हैं कि मैं मर्सी पर हूं तो जिस

(170)

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

कारण मैंने एग्री किया है इसको आगे बढ़ाने के लिये वह भी मुझे बोलना पड़ेगा।

श्री सभापति : आप बोलिये, माननीय सदस्य, स्पष्टीकरण दीजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : स्पष्टीकरण दूंगा लेकिन नियमों के तहत दूंगा।

श्री सभापति : हां नियमों में दीजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मेरे पास आज अभी दो घण्टे पहले व्हिप महोदय के माध्यम से आपके नेता महोदय ने रिक्वेस्ट की थी कि वे अस्वस्थ हैं हाजिर नहीं हो सकेंगे और इस कारण अगर मुझे एतराज नहीं हो तो इसको आगे उठा लिया जाए। मेरे को किसी बिन्दु पर अड़ कर नहीं रहना है और यह मेरी कोई उदारता भी नहीं है, लेकिन साथ-ही-साथ, सभापति महोदय, आपसे मैं अनुरोध करके मेरे इस राइट को रिजर्व रखता हूं। वह राइट क्या है, वह मैं अभी आपको बता दूंगा, अभी थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन मुझे करना है।

सभापति महोदय, कल अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया था कि आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं और इसके लिये समय दूंगा। इसलिये अब सदन के समय में कृपया सहयोग करें और सदन के समय को बर्बाद नहीं करें कि ऐसा तो है नहीं, मैं आपको मौका नहीं दे रहा हूं, इत्यादि। उनके प्रति मैं आभारी हूं लेकिन सभापति महोदय, मैं एक अर्ज करना चाहता हूं, कल जो कुछ हुआ उस पर मैं नहीं जाना चाहता, मंत्रियों ने भी फरमाया, मुख्य मत्रीजी ने भी कुछ कहा, वह आगे समय आयेगा तब मैं बोलूंगा परन्तु मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं, अभी भी और उस समय भी, क्योंकि सैशन शायद आज आप एडजोर्न कर दें तो मेरा यह मोशन आप सस्पेंशन में रखे, इसको यह न कहें कि सैशन खत्म हो गया है, इसलिये आपका मौका चला गया।

मैं आपका ध्यान अध्यक्ष महोदय दूसरी रूलिंग पर थोड़ी देर बाद आकर्षित करूंगा, लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, आपके माध्यम से कि इस हाउस में अनेकों मित्र जो मेरे ऊपर बैठे हैं, हां, पक्ष में हो सकते हैं, उन लोगों को एतराज होगा कि भाई थोड़ा पर्सनल मामला है। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि राजनीति में कुछ पर्सनल मामले होते हैं लेकिन, यह मैंने कल भी अर्ज किया और आज भी कहूंगा और भविष्य में भी कहूंगा एक सदन का सदस्य होने के नाते कि आपके पास तो +++ मेजोरिटी है, आपके पास सरकार है, अगर आप चाहें तो आपके डिपार्टमेन्ट, आपकी पुलिस फोर्स के माध्यम से मेरे खिलाफ अगर आपके पास कुछ तथ्य हों तो आप मुझे प्रोसीक्यूट कर सकते हैं, आप मेरे खिलाफ केस लगा सकते हैं, आप मेरे खिलाफ इन्क्वारी लगा सकते हैं, आप झूठे केस लगा सकते हैं, परन्तु मेरे पास प्रोटेक्शन दो हैं, सभापति महोदय, एक तो यह सदन और एक कोर्टस्। साथ ही साथ मैं एक अर्ज और कर देना चाहता हूं यह स्पष्टीकरण नहीं है कि निजी स्वार्थ का जो बिन्दु मुख्य मंत्रीजी ने उठाया, मैं सभापति महोदय, आपके द्वारा इस पूरे सदन को और राजस्थान की जनता को अर्ज कर देना चाहता हूं कि व्यक्तिगत रूप से न तो पूर्व

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

में न वर्तमान में और न भविष्य में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक प्रतिशत भी फेवर चाहूंगा, भले ही वह मेरे किसी पर्सनल मामले में हो। अगर मेरे खिलाफ केस लगे हुए हों तो उनकी उनको इन्क्वायरी करवानी चाहिये, उनको केसेज लगाने हों तो लगाने चाहिये और अगर, सभापति महोदय, बैक-डेट में, कल की रात्रि की डेट में कुछ लोगों के कहने पर वे आदेश पारित करें, तो भी उनको करवाने चाहिये क्योंकि मैं कोर्ट से वे डिसपोज करवा दूंगा यह मेरा अधिकार है। मित्रों को मैं इसलिये कहना चाहूंगा कि अदरवाइज नहीं लें। आखिर हम लोग करें क्या? आज जो उदाहरण हुआ है, आज सदस्य लोग जो परेशान हो रहे हैं, हम तो यहां आकर ही आवाज उठाएंगे। भ्रष्टाचार का मुद्दा आपने उठाया है, मैं तो बार बार उठाऊंगा। सभापति महोदय, इतनी डिबेट हुई कल, अध्यक्ष महोदय नाराज भी हुए, उनको एतराज भी था, मैं तो यह कहूंगा कि इस डिबेट को वहीं आप खारिज कर दीजिये, वहीं रख लीजिये और उन्होंने जो मेरे खिलाफ आरोप लगाये हैं तथा मैंने उनके खिलाफ जो आरोप लगाये हैं, दोनों की जुडीशियल इन्क्वायरी करवाइये, मैं उसके उसके आगे कोई डिमाण्ड नहीं करूंगा। आप किसी भी हाई कोर्ट जज को मेरे खिलाफ बैठा दीजिये जो मैंने मुद्दे उठाये हैं उसके ऊपर बैठा दीजिये।

सभापति महोदय, अनेकों बिन्दु भविष्य में भी आते रहेंगे। मैं आपका ज्यादा समय न लेकर यह जो डिमाण्ड मैंने की है ज्युडीशियल इन्क्वायरी की, गांधीजी के बहुत ही प्रिय कवि डब्ल्यू.बी. मीट्स, जो....(व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अगर मंत्री महोदय को एतराज है तो डिबेट करवा लें। (व्यवधान)....

श्री कालीचरण सराफ : इनको बैठाइये; डिबेट अलाउ की है तो वैसे बताइये। यह क्या बात हुई? आपने यदि डिबेट अलाउ की है तो वैसे बताइये।

श्री सभापति : माननीय नरेन्द्र सिंहजी; आप समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, नहीं, आप बोलिए कालीचरणजी, मेरा यह अधिकार है, आप मुझे टोक नहीं सकते। मैं अगर इस पर 10 बजे तक बोलूंगा तो मैं बोलूंगा।

श्री कालीचरण सराफ : मैं सभापति महोदय, आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि आपने केवल स्पष्टीकरण अलाउ किया है या डिबेट अलाउ की है?

श्री सभापति : आप विराजें, माननीय सदस्य। आप भी विराजें। आप भी बिराजें; लक्ष्मणसिंहजी। आप जल्दी समाप्त करें; माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो जौहरी बाजार से आते हैं उन्होंने एक प्रश्न आसन से पूछा है कि यह पर्सनल एक्सप्लेनेशन हो रहा है या डिबेट हो रही है। यह शायद पर्सनल एक्सप्लेनेशन था, डिबेट तो रिजर्व है न अभी? डिबेट रिजर्व है।

(172)

श्री सभापति : ये 273 में अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : हां, डिबेट तो रिजर्व रह गई अपने आप जैसा कि कल आसन ने निर्देश दिये थे।

श्री सभापति : यह अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सभापति महोदय, गांधीजी की एक बड़ी फेवरेट पोइम थी डब्ल्यू.बी. मीट्स की, उन्होंने....(व्यवधान)

श्री सभापति : सुनिये, माननीय सदस्य, समाप्त हो रहा है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : और वह उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी 1933 में एक अधिवेशन में सुनायी थी, मैं उसकी चन्द पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं।

"Turning and turning in the
widening gybe,
The falcon cannot hear
the falconer
Things fall apart
the centre cannot hold,
Mere anarchy is loosed upon
the world,
The best lack all conviction
While the worst are full of
passionate intensity."

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हिन्दी में बताओ, माननीय सदस्य, गांवों के आदमी ज्यादा बैठे हैं यहां। (व्यवधान)....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से अध्यक्ष महोदय की जो व्यवस्था हुई है वह पढ़कर मैं मेरा स्थान लेता हूं।

श्री सभापति : वह तो उन्होंने कह दी, उस सम्बन्ध में क्यों टाइम ले रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : आप तो बात कौनसी है वह बता दीजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इसमें मैं रूल 119 में अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था पढ़ रहा हूं।

श्री सभापति : वह सबने सुनी है। आप वहीं से पढ़ रहे हैं ना, प्रोसीडिंग्स में से ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय ने, मैंने और सदस्यों ने यह पूरी किताब, यह जो पोथी बनायी है उसमें से मैं सिर्फ....

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, लम्बा....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : राम नारायण जी साहब, लम्बा होगा तो मेरा समय है।

श्री कालीचरण सराफ : 119 के अन्तर्गत व्यवस्था दे दी है....(व्यवधान)....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : देखिये, आप डिबेट कराना चाहे तो करा लें, मेरे को कोई एतराज नहीं है।

श्री सभापति : माननीय भाटी साहब, कृपया बिराजें। एक मिनट बिराजें। आपने अपनी सारी बात कह दी। अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था दी वह अंकित है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : स्पष्टीकरण, सभापति महोदय, दो मिनट ।

श्री सभापति : व्यवस्था को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है । (व्यवधान)....

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, स्पष्टीकरण का आप गला मत घोंटो ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सभापति महोदय, ओसियां से आने वाले सदस्य को कहिये कि मुद्दे की बात तो कहें । फालतू की बात कहने की क्या जरूरत है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, जो बात उनको कहनी है वे कहेंगे चाहे आपको मुद्दे की लगे या नहीं लगे । मैं क्या कर सकता हूं ? जैसा मुद्दा उनके पास होगा वैसा ही सुनाएंगे वे ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : "इसलिये मैं रूल 119 के अन्तर्गत तो इस मोशन को ग्राह्य करने की स्थिति में नहीं हूं लेकिन मैं इस पक्ष में हूं कि इस रूल को रिलेक्स करके इस पर डिबेट करायी जाए और इसके लिये मैं उचित समझता हूं कि अभी मेरे चैम्बर में कल या परसों जब भी आप समय ठीक समझें इसके लिये समय तय कर लें और इस पर विस्तार से जो डिबेट आप करना चाहें करें और उस समय हर माननीय सदस्य को मौका मिलेगा । यदि आप यहां पर आपने आरोप और प्रत्यारोप लगाये तो एक निवेदन आपको करना चाहता हूं कि उसमें यह संयम बरतें लेकिन तथ्य ऐसे हों कि जो आरोप के रूप में न तो रहेंगे लेकिन तथ्य ही तथ्य होंगे, उन तथ्यों पर बोलने से तो मैं रोक नहीं सकता । जो सदस्य यहां मौजूद हैं उनको यह अधिकार है कि वे अपनी बात रखें, अपना स्पष्टीकरण दें और इसलिये अब जब डिबेट होगी तो मैं भाटीजी से भी कहूंगा कि जो कुछ आज कहा गया है और जो डिबेट के वक्त कहा जाएगा उस सबके बारे में स्पष्टीकरण करने का मौका दूंगा और क्योंकि मैंने डिबेट अलाउ कर दी है इसलिये इस प्रकरण को अब समाप्त करता हूं ।" इत्यादि ।

सभापति महोदय, उसके तहत चूंकि नेता महोदय से सजेशन आया था उसको मानते हुए मेरे राइट्स रिजर्व रखता हूं दोनों बिन्दुओं पर । आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद ।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

वर्तमान सत्र का अवशेष काल

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन । कल से यह स्थिति बन रही है, कल तक यह पता नहीं था कि आज विधान सभा चलेगी या नहीं । आज भी सुबह से यही स्थिति है कि विधान सभा का कल सत्र चलेगा या नहीं चलेगा । तो कृपया यह जानकारी करा दें कि यह विधान सभा कब तक चल रही है ? कल चल रही है या नहीं चल रही है ?

श्री सभापति : चल रही है ना अभी ।

श्री विष्णु मोदी : कल के लिये पूछ रहा हूं ।

श्री सभापति : अभी तो चल रहा है.... (व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : मेरे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि आप किस

(एक माननीय सदस्य)

तरीके से चलाना चाह रहे हैं । ....(व्यवधान)....

(17.25)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री **परसराम मदेरणा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, दसवीं विधान सभा का दूसरा सत्र राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के फलस्वरूप, आपके साथ विचार-विमर्श में बिजनस एडवाइजरी कमेटी में यह तय हुआ था कि वोट आन अकाउण्ट लेने के बाद में आज, आज का मतलब 16 को, सदन एडजोर्न हो जाएगा । फिर आपने आज अकाल के ऊपर डिबेट भी रख दी तो जो वोट आन अकाउण्ट लेने की बात थी, हालांकि मुझे तो रात को मालूम पड़ गया था, इस बात की मैंने जानकारी कर ली थी फाइनेंस डिपार्टमेंट से कि आपने यह जो नेचुरल कैलेमिटी की डिमाण्ड है इसमें कितना अमाउण्ट लिया है । उन्होंने कहा कि हमने तो पूरा ले लिया, इस स्थिति में कट मोशन शायद स्वीकार नहीं होंगे । प्रातःकाल सचिव महोदय की जो चिट्ठी मिली आपके आदेश से, उसमें बहुत विस्तृत जानकारी इन्होंने रख दी थी, मैंने रात को ही आब्टेन कर ली 11 बजे लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आज फिर.. (व्यवधान)...

श्री **अध्यक्ष** : सब समझदार आदमी समान रूप से ही सोचते हैं ।

श्री **परसराम मदेरणा** : लेकिन अध्यक्ष महोदय, अनिश्चितता की स्थिति आप यहां मत रखिये । अगर सत्र चलना है तो निश्चित तौर पर आसन की तरफ से यह आदेश आना चाहिये और व्यवस्था आनी चाहिये लेकिन डे टू डे, आवर टू आवर इस तरह से कोई विधान सभा चलती है ? कभी नहीं चली पहले । हम अनिश्चितता की स्थिति में नहीं रहना चाहते । अगर सदन चलाना है तो निश्चित तौर पर यह बताइये कि सदन चलेगा । गवर्नमेंट बिजनस ला रही है कि नहीं ला रही है, गवर्नमेंट इस स्थिति को स्पष्ट करें । अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट को इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करना चाहिये क्योंकि बिजनस गवर्नमेंट का है ।

श्री **अध्यक्ष** : आप मेरे से पूछ रहे हैं या गवर्नमेंट से ?

श्री **खेतसिंह राठौड़** : गवर्नमेंट से । (व्यवधान)... गवर्नमेंट आगे चलाना चाहती है या नहीं ? बिजनस है या नहीं ?

श्री **अध्यक्ष** : एक बात सुनिये । दो दिन में जो अनिश्चितता की अवस्था की बात कर रहे हैं इसमें मैं कहीं बीच में नहीं हूं । आप हर दो घण्टे बाद मिलकर बात करते हैं उसमें बदलाव करते हैं, मैं कहीं बीच में नहीं हूं लेकिन मैं हमेशा इस पक्ष में रहा हूं कि सदन चलेगा, सदन चलता रहेगा और मैं आपको फिर कहता हूं कि सदन चलेगा । कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा, आगे भी चलेगा । सदन एडजोर्न करने का अभी कोई प्रश्न नहीं था । वोट आन अकाउण्ट जो लिया गया था तो वह इस सम्भावना से लिया गया था कि कर्मचारियों की हड़ताल का कितना असर पड़ता है । यदि उनकी हड़ताल की वजह से हमारे काम में रुकावट आये तो सदन एडजोर्न करने का सवाल है । दो दिन से जो स्थिति है, उससे यह लगा है कि कर्मचारियों को वह सपोर्ट नहीं मिल रहा है और सरकार का काम

(श्री अध्यक्ष)

सुचारू रूप से चल रहा है। तो सदन नहीं चलने का कोई कारण नहीं है। इस मतलब से वोट ग्रान अकाउण्ट लाया गया था।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, बीच में आप मुख बंद तो नहीं कर देंगे ? मान लीजिये कि तीन दिन बाद आप कहें कि इन जिलों के काफी गड़बड़ है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सचेतक जी, मैं इस सम्बन्ध में आपसे बात कर चुका हूं, बड़ी फर्मनैस से की है और यह आवश्यक नहीं है कि वह बात सारे सदन में की जाए। मैंने बात की है और बड़ी फर्मनैस से की है तो आप मेरे पर विश्वास रखिये। इसका मतलब यह है कि या तो मेरे पर विश्वास नहीं है आपका या आपके सदस्यों का आप पर विश्वास नहीं है। दो में से एक बात है। I am firm मैंने जो आपको कहा है, I stick to that. मैं जो कमिटमेंट करता हूं, I stick to that. सदन सुचारू रूप से विधिवत नियम, प्रक्रिया के मुताबिक चलेगा। आज के कट मोशन तो आपने बता ही दिये हैं क्योंकि बाकी सारे हैड्स में तो वन फोर्थ लिया है लेकिन इस हैड में चूंकि अकाल का मामला था इसलिये उन्होंने सारा अकाउण्ट ले लिया। और यह बाद में पता चला। बाद में पता चला तो हमने आपको सबको इन्फार्म कर दिया कि जो आज की डिमाण्ड है वह आलरेडी पास हो चुकी है इसलिये अब कट मोशन का सवाल ही नहीं पैदा होता।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यही मानें कि 31 तारीख तक तो हाउस चलेगा।

श्री अध्यक्ष : अब जो बिजनस एडवाइजरी कमेटी का है वह है 31 तारीख तक का।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह 31 तक का है ?

श्री अध्यक्ष : है और बिजनस एडवाइजरी कमेटी को अधिकार है कि वह इसको बदल दे। मैं क्या करूंगा ? It lies with the Business Advisory Committee. आप भी उस कमेटी के मैम्बर हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, एक सब्मिशन है।

श्री अध्यक्ष : आप मेरे से यह पूछिये कि मैं 31 तक जिन्दा रहूंगा कि नहीं तो I cann't guarantee. मैं उसकी गारण्टी आपको दे नहीं सकता।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों की हड़ताल का कितना असर होता है उसके ऊपर यह निर्णय लिया जाएगा कि हाउस एडजोर्न किया जाए या नहीं किया जाए। कम से कम मैं यह इम्प्रेशन बिजनस एडवाइजरी कमेटी से लेकर नहीं आया था। बिजनस एडवाइजरी कमेटी में आज रखने का मतलब तो यह था कि कुछ ऐसे मुद्दे आ गये हैं जैसे ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य का स्पष्टीकरण का मुद्दा है जिसे वे देना चाहते थे, इसलिये कल एक डिबेट भी रख दी जाए। इस तरह की एक चर्चा हुई थी, अगर यह होता कि 31 तारीख तक लगातार चलेगा....

श्री अध्यक्ष : मैंने यह नहीं कहा था। आप मेरी बात को गलत इण्टरप्रेट नहीं करें, मैंने यह नहीं कहा है। मैंने कहा है कि वोट

(176)

(श्री अध्यक्ष)

ग्रान एकाउण्ट इसलिये लिया गया था कि शायद कर्मचारियों की व्यापक हड़ताल का असर होकर हमारा काम चलाना मुश्किल हो जाए और इसलिये हाउस को एडजोर्न करना पड़े, मैंने यह कहा है। मैंने यह नहीं कहा है, वोट ग्रान एकाउण्ट का उद्देश्य बताया है कि वोट ग्रान एकाउण्ट जो कल लिया गया वह इस उद्देश्य से लिया गया। यह नहीं कहा कि यह तय हुआ था। तय तो आप कह रहे हैं, मैं कौन होता हूं ? मैं तो साक्षी हूं। I am not a party to it.

श्री परसराम मदेरणा : आप तो साक्षी हैं लेकिन आप इतने बड़े साक्षी बैठे हुए थे। अगर मुझे यह मालूम होता कि वोट ग्रान एकाउण्ट लेने के बाद में आप हाउस को चला रहे हैं, then I would not have been a party to that.

श्री अध्यक्ष : यह आप जानें, मैं किसी की समझ के अन्दर तो घुस नहीं सकता कि कौन आदमी क्या सोचता है, उसकी समझ क्या है। यह तो अपनी अपनी है इसलिये इसमें तो मैं घुस नहीं सकता।

नैक्स्ट। नरपतसिंहजी, आप बोल रहे हैं ?

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री नरपतसिंह राजवी : अभी तो स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : दे दिया।

श्री नरपतसिंह राजवी : स्पष्टीकरण देंगे तो हम बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : देखिये, मेरे पास आज पांच माननीय सदस्यों के 273 के अन्तर्गत नोटिस मिले हैं और मैंने उनको पढ़ा है। पांच माननीय सदस्यों ने आपस में और भिन्न भिन्न लोगों पर आरोप लगाने की बात कही है। मैंने उन सबको देखा है और रूल 273 के अन्तर्गत उनको स्वीकार करना मैंने इसलिये उचित नहीं समझा क्योंकि वे डेरोगेटरी होंगे, उससे सदन का सम्मान बढ़ेगा नहीं। यदि इतनी बड़ी संख्या में सदस्य एक दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप लगाएंगे तो मैं समझता हूं कि इससे विधान सभा की गरिमा में गिरावट आयेगी। इसलिये नियम 276 के प्रोवीजो में जो मुझे अधिकार है उस अधिकार का उपयोग करते हुए मैंने वे कोई अलाउ नहीं किये। अब यदि आपका मतलब आरोप–प्रत्यारोप से है तो वह तो समाप्त हो गया, वह तो लगेगा नहीं। जहां तक डिबेट का प्रश्न है, कल चार घंटे तक डिबेट हो चुकी है, थ्रेड–बीयर हो चुकी है। सही मायने में तो अब उसमें कुछ बचा हो, किसी को कोई नई बात कहनी हो,....(व्यवधान) हां, रूलिंग कह रहा हूं, मैं मना कहां कर रहा हूं ? तो कल साढ़े चार घंटे तक काफी तथ्य आ चुके हैं। अब आप लोगों में से किसी को नये तथ्य रखने हों, आरोप-प्रत्यारोप किसी पर लगेंगे नहीं, तथ्य रखने हों तो आप बोलिये। मैंने डिबेट अलाउ की है, मैं उससे पीछे नहीं हट रहा हूं। किसी को भी तथ्य रखना है तो बोलिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सदन के नेता महोदय आज डिबेट में नहीं....

श्री अध्यक्ष : यह देखिये, सारी बातें आपके सचेतक महोदय और नेता महोदय

(श्री अध्यक्ष)

के बीच में क्या होती हैं, मैं सबका साक्षी नहीं हूं लेकिन यह विचार सबका बना कि सदन की गरिमा को नहीं गिराया जाए, यह सबका विचार बना कि सदन की गरिमा बनी रहे। अच्छा हो कि नरेन्द्रसिंह जी अपना स्पष्टीकरण दें और इसको समाप्त किया जाए, वास्तव में बात यह थी। उनके आपस में समझौता जरूर हुआ था लेकिन मैंने तो आपको डिबेट का कहा है, अब फिर कह रहा हूं मैं आपको कि आप डिबेट करना चाहें बिना किसी प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप लगाये, तथ्यों के आधार पर अपने व्यूज रखना चाहें, रखिये, मैं अलाउ करता हूं, मैं मना नहीं करता। ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा ? जब कोई तथ्य नहीं होंगे तो आप डिबेट किस पर करेंगे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : तथ्य तो उनके पास बहुत हैं ?

श्री अध्यक्ष : वे बोलें ना, मैं कब मना कर रहा हूं ? I have not turned it down. तथ्यों पर बोलिये। मैं आरोप-प्रत्यारोप की बात कर रहा हूं। इनका जो मामला है, तथ्यों पर बोलिये यदि आप बोलना चाहें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ये चाहते थे कि मुख्य मंत्रीजी यहां मौजूद रहें।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी बीमार हैं। आप भी इतना तो समझते हैं कि यह किसी के बस की बात नहीं है। (व्यवधान) आज पोस्टपोन कर दें, यह मतलब है क्या आपका ? जैसा मैंने आपको कल कहा....

श्री राधेश्याम : सभापति महोदय ने आपसे पूर्व पोस्टपोन कर दी है।

श्री अध्यक्ष : क्या पोस्टपोन कर दी ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : डिबेट के बारे में सारी बातचीत हो चुकी है। वह पोस्ट-पोन कर दी है और स्पष्टीकरण भी उनका पोस्टपोन कर दिया है।

श्री राधेश्याम : उसी इश्यू को दुबारा कैसे ले सकते हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई पोस्टपोन नहीं किया मैंने।

श्री अध्यक्ष : छोड़िये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय भाटी साहब ने अपनी बात कही और मैंने सुन ली।

श्री अध्यक्ष : नरेन्द्रसिंह जी, आप कोई तथ्य रखना चाहें, रखिये। आप तथ्य रखिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप प्रोसीडिंग्स मंगा कर देख लीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ये तो बोलना चाहते हैं लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब....

श्री अध्यक्ष : यह तो चीफ मिनिस्टर साहब की मर्जी है कि बोलें या नहीं बोलें। नरपतसिंहजी हैं जिन पर आप लगा रहे हैं; वे बोलेंगे। Narpat Singhji is very much here.

श्री खेतसिंह राठौड़ : चीफ मिनिस्टर साहब की प्रजेन्स में ये चाहते थे।

श्री नरपतसिंह राजवी : ये तथ्यों पर बोलें तो, अध्यक्ष महोदय, मैं उसका जवाब देने के लिये तैयार हूं।

श्री राधेश्याम : मेरा एक निवेदन है...

श्री अध्यक्ष : नरेन्द्रसिंह जी, आप बोलिये। मैं नरेन्द्रसिंह जी को बुला रहा हूं। वे आपसे ज्यादा विद्वान और समझदार हैं, अपनी वकालत स्वयं कर सकते हैं।

श्री राधेश्याम : मैं अर्ज करूं ?

श्री अध्यक्ष : मैं नरेन्द्रसिंह जी से कह रहा हूं, वे आपसे ज्यादा विद्वान हैं। अपनी वकालत कर सकते हैं।

श्री राधेश्याम : मैं अपने आप में विद्वान बहुत हूं। मैं अपने इलाके का नेता हूं। आप कैसे कह सकते हैं ?....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप जरूर नेता रहेंगे लेकिन विषय नरेन्द्रसिंह जी भाटी का है, वे बोलेंगे।

श्री राधेश्याम : मैं नहीं दबूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। नोट मत करिये।

श्री राधेश्याम : X X X

श्री अध्यक्ष : नरेन्द्रसिंह जी, बोलिये।

श्री राधेश्याम : X X X

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, नरेन्द्रसिंह जी भाटी के लिये नहीं कह रहे हैं, कुछ और बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री नरेन्द्रसिंह जी के बोलने के बाद सुनूंगा।

श्री राधेश्याम : X X X

श्री अध्यक्ष : होश में नहीं हैं जोश में बोल रहे हैं। वे जोश में बोल रहे हैं, मैं क्या करूं ?

श्री राधेश्याम : X X X

श्री अध्यक्ष : नरेन्द्रसिंह जी, आप बोलिये। नरेन्द्रसिंह जी का दर्ज हो, अन्य किसी का दर्ज नहीं हो।

श्री हीरालाल इन्दौरा : X X X

श्रीमती कमला : X X X

श्री अध्यक्ष : नरेन्द्रसिंह जी, बोलिये। Please, let him open the debate. पहले वे अपनी डिबेट ओपन करेंगे।

श्रीमती कमला : X X X

श्री राधेश्याम : X X X

श्री अध्यक्ष : आप सीमा में रहिये। Please, remain within limits. होश मत खोइये। नरेन्द्रसिंह जी बोलिये।

श्री राधेश्याम : X X X

श्री अध्यक्ष : श्री नरेन्द्र सिंहजी बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा।

श्री राधेश्याम : X X X

श्री हीरालाल इन्दौरा : X X X

श्री खेतसिंह राठौड़ : X X X

X X X : अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किये गये।

श्री राधेश्याम : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप कंस की तरह से सौ गाली मुझे निकाल लीजिये, मैं शांति से बैठा हूं निकाल लीजिये। श्री नरेन्द्र सिंहजी भाटी।

श्रीमती कमला : × × ×

श्री राधेश्याम : × × ×

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री नरेन्द्र सिंहजी भाटी।

श्री जगतार सिंह कंग : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री नरेन्द्र सिंहजी भाटी, अब आप नहीं बोल रहे हैं। आप शुरू करिये। I am helpless. आप बोलिये। आपकी पार्टी के सदस्य हैं, बैठाइये। आप या आपके नेताजी बैठाएं, सचेतकजी बैठाए, कोई बैठाइये। अब मैं आपको पुकार रहा हूं, आप बोलिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये। श्री नरेन्द्र सिंहजी भाटी, बोलिये।

श्री जगतार सिंह कंग : × × ×

श्री खेतसिंह राठौड़ : × × ×

श्री राधेश्याम : × × ×

श्री अध्यक्ष : नरेन्द्र सिंहजी के बोलने के बाद, पहले नरेन्द्र सिंहजी अपनी बात कह दें उसके बाद, पहले नहीं। श्री नरेन्द्र सिंहजी।

श्री बनवारी लाल बैरवा : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री नरेन्द्र सिंहजी भाटी।

श्री रामप्रताप कासनियां : × × ×

श्री जगतार सिंह कंग : × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्रीमती कमला : × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप बैठिये। बैठिये, एक मिनट बैठिये। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की काफी कसरत हो गयी। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, इस पर विचार करिये कि यह सदन कैसे चलाया जाए? एक माननीय सदस्य खड़ा होता है और जो मर्जी आये सो अध्यक्ष को बोलता रहे और आप लोग तालियां बजाते रहें। इस सदन को चलाने के लिये मैं सब सहन करूंगा लेकिन किसी के धैर्य की परीक्षा इस हद तक न लें। मैं मनुष्य हूं, मैं कोई देवता नहीं हूं, न मैं भगवान हूं, मैं भी मनुष्य हूं मगर मुझे इस बात का खेद है कि इस प्रकार के मेरे पर जो आरोप लगाये जा रहे हैं उन पर तालियां बजायी जा रही हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। मैंने कह दिया कि वे डिबेट ओपन कर रहे हैं, उनको बोलना है। जब डिबेट ओपन हो रही है तो उनको बोलने का मौका दूंगा। अब जब मैंने उनका नाम पुकार लिया, हर बार जब मैं किसी का नाम पुकारूं, कोई माननीय सदस्य खड़ा हो गया और कहे कि नहीं, मेरी ही सुननी पड़ेगी,

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किये गये।

(श्री अध्यक्ष)

मेरा ही अधिकार है और अध्यक्ष तो जज हो गया, अब इस तरह की यदि भाषा.... (व्यवधान)....देखिये....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : XXX

श्री अध्यक्ष : राजस्थान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कहा ये सारी बातें कहीं और वह तो सारी बातें रिकार्ड नहीं हुई हैं, जो भी कहा है रिकार्ड नहीं हुआ है लेकिन इसके बावजूद भी जो दृश्य....

श्री राधेश्याम : XXX

श्री अध्यक्ष : फिर वे खड़े हो रहे हैं, अगेन वे खड़े हो रहे हैं। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से तो सदन चलाना बहुत कठिन होगा। यह मैं पिछले दो—तीन दिन से देख रहा हूं कि कोई माननीय सदस्य खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि मेरी ही सुननी पड़ेगी, मैं हाउस नहीं चलने दूंगा और जितनी मर्जी आये उतना बोलूंगा। अब यह परम्परा और नियम इस सदन के बनाये हुए हैं मेरे बनाये हुए नहीं हैं। जब बार बार यह भी कहा जा रहा है....(व्यवधान).... प्लीज-प्लीज, कि हमारे अधिकारों की रक्षा करें, तो मुझे तो आप जितने सदस्य यहां बैठे हैं सब के अधिकारों की रक्षा करनी है। एक की करनी है क्या ? अब एक आदमी अपने अधिकारों की रक्षा के लिये बाकी के अधिकारों पर अतिक्रमण करे तो क्या मैं उसको अलाउ कर दूं ? आखिर इसीलिये तो आपने मुझे यहां पर बैठाया है कि मुझे सब के अधिकारों की रक्षा करनी है। एक आदमी सदन के बाकी माननीय सदस्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं करे इसलिये व्यवस्था बनायी गयी है। जब यह कह दिया कि वे डिबेट ओपन कर रहे हैं उनको बोलने दीजिये, जब डिबेट चल रही है तो आपका भी नम्बर आ जाएगा, तब जो कहना है कह दें। लेकिन मैं ही बोलूंगा और अध्यक्ष ने नरेन्द्र सिंहजी का नाम पुकार लिया इसलिये उनकी बात रहनी ही नहीं चाहिये और मेरी ही रहनी चाहिये, दुर्भाग्य की बात है कि सीनियर नेता भी कह रहे हैं कि इनको सुन लीजिये। इतना होने के बाद भी....(व्यवधान)....देखिये, प्लीज, अब मैं बोल रहा हूं। इतना होने के बाद भी यह जो कहा जा रहा है यह मैं समझता हूं कि उचित नहीं है और यह सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है और आप नहीं चाहते तो, well, I am ready to resign.

अनेक माननीय सदस्य : XXX

श्री अध्यक्ष : लेकिन इस तरह से किसी सदस्य को यह इंडलजेंस की छूट जब तक मैं इस आसन पर हूं कभी नहीं दूंगा। मैंने जब दे दिया कि नरेन्द्र सिंहजी बोलेंगे, he will speak. Nobody will speak. मौका सब को देता हूं। मैंने उनको मना किया नहीं और कहा कि जब यह डिबेट शुरू हुई, वे ओपन कर रहे हैं....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : वे आवेश में हैं चाहे जिस में हों लेकिन जिस तरह का आचरण उन्होंने किया है, उसको आप सदस्य यदि एप्रूव

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किये गये।

(श्री अध्यक्ष)

करते हैं तो क्या मैं भी एप्रूव कर दूं ? और आप लोगों को यदि यह लगता है कि नहीं, उनका आचरण सदन की गरिमा के मुताबिक नहीं हुआ तो कृपया आत्मचिंतन करिये और विचार करिये। इस सदन को गरिमापूर्ण तरीके से चलाने के लिये इस प्रकार की वृत्ति अगर किसी भी माननीय सदस्य में पैदा होती है तो उसको रोकने की कोशिश करें आज तक ऐसा होता आया है कि यदि कोई सदस्य अड़ जाए, जोश में अड़ जाते हैं, होता है कभी-कभार, प्रोवोकेशन होता है लेकिन बाकी के माननीय सदस्य उसको समझा–बुझाकर बैठाते हैं और आसन की बेइज्जती करवाने की हद तक जाएं, यह इंडलजेन्स कभी नहीं देते। यह कभी इंडलजेन्स नहीं देते कि आसन का आदेश तो रद्द हो जाए और इनकी बात रहे। अब मैंने कहा है कि भाटीजी बोलेंगे तो Let him speak. डिबेट शुरू हो रही है वे बोल रहे हैं, मैंने अभी डिबेट बंद नहीं की है और यह कहा है कि तथ्यों पर जो बोलना चाहे, सबको मैंने ओपन छूट दी है। इसलिये मैं उचित समझता हूं कि श्री नरेन्द्र सिंह जी भाटी बोलें।

अब जो मैंने कहा है उसमें डिबेट की जरूरत नहीं है। It is my observation मैंने जो फील किया है आपके सामने सिन्सियरली रखा है इसलिये मुझे इस बारे में कुछ कहना नहीं है। यदि माननीय सदस्य क्षमा मांगने के लिये खड़े हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन वे, कोई एक्सप्लेनेशन दें, इसकी जरूरत नहीं है। I don't want any explanation. अगर वे क्षमा मांगने के लिये खड़े हों, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सदन की परम्परा रही है। मेरे पर डिबेट करने के लिये खड़े हैं तो यह परम्परा नहीं है, मेरे से डिबेट नहीं की जानी चाहिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मेरे प्रस्ताव पर क्योंकि आज तक कभी इस प्रकार नहीं हुआ....

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं पहले से बोल रहा हूं, आप कहां से खड़े हो गये ?

श्री अध्यक्ष : आप पहले बोलने दीजिये, इनको बोलने दीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो आपको शंकर का रूप मानते हैं और उसी प्रकार से जैसे ईश्वर की कृपा से, लिहाज से....

श्री अध्यक्ष : शंकर के तीसरा नेत्र भी होता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह है आपके पास, वह भी हम देखते हैं समय–समय पर। कभी–कभी वह खुलता भी है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय. सदन का समय आधा घण्टे के लिए बढ़ाया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ये रखना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, चूंकि कल की डिबेट में रेफरेंसेज सी. बी. आई. के भी आये, रेफरेंसेज ऐसे कागजों के भी आये, जिनकी जानकारी व्यक्तिगत रूप से मुख्य मंत्रीजी को ही है और....

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये। एक मिनट, थोड़ा–सा।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भी अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं और अकाल पर भी बहस होनी है, आज की कार्य सूची में अकाल पर भी बहस होनी है इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय एक घण्टे के लिये बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि समय बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

एक घण्टे के लिये बढ़ाया गया।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, एक घण्टे में क्या डिबेट होगी ?

श्री अध्यक्ष : और बढ़ा देंगे। जब तक का तो अन्त नहीं है ना आज।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, यह बोलिये।

श्री अध्यक्ष : There is no end. आज आगे की लिमिट नहीं है इसलिये जब तक कैसे हो, खुला है आगे। ग्राण्ट होती तब तो तब तक का हो जाए। अब आज तो खुला है।

भाटीजी, बोलिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारे मन में यह मंशा नहीं है तिल भर भी कि हम आपके सम्मान को ठेस पहुंचाएं, अंश भी ऐसी मात्रा नहीं है। अब यह अलग बात है कि वे बोलना चाहते थे, थोड़ी–सी अपनी बात कहना चाहते थे, कुछ आपने भी थोड़ा-सा फरमा दिया उस पर उनको गर्मी आ गयी। वह बात थोड़ी–सी चली भी परन्तु ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिये आपके सम्मान में हमारे लिहाज से कहीं पर भी यह कमी आयी हो, कभी हमने रखा नहीं, इसलिये आपसे यह निवेदन है कि इस चैप्टर को यहीं खत्म कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, दो मिनट बैठिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : और वे जो शब्द लिखे हैं, उनको आप निकलवा दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज। प्लीज।

श्री राधेश्याम : आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्माननीय अध्यक्ष जी, मेरी कभी भी यह इच्छा नहीं रही। मैं तो हमेशा आपको बहुत आदर की नजर से देखता हूं, और कभी भी इस तरह की बात नहीं की। मैं तो केवल अपनी बात यह रख रहा था कि जब सभापति यहां मौजूद थे उन्होंने एक फैसला दे दिया। मैंने केवल आपके ध्यान में, क्योंकि आप बाद में पधारे थे और शायद आपकी नॉलेज में नहीं हो, तो मैं वह निवेदन करने

(श्री राधेश्याम)

के लिये केवल एक सैकण्ड की बात कहना चाहता था परन्तु आपने खुद को कृष्ण और मुझे कंस कह डाला। आपने तीसरा नेत्र खोल दिया। मेरे लिये तो आप प्रभू हैं। हे प्रभू आप कृपा करके मुझे जो बुद्धिहीन कहा है उसको एक्सपंज कीजिये। मेरी भावना को ठेस लगी है....

श्री अध्यक्ष : श्री भाटी जी।

श्री राधेश्याम : मेरी भावना को ठेस लगी है....

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये, हो गया।

श्री राधेश्याम ; अगर आप नहीं करेंगे तो मैं वाक आउट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : वह आपका अधिकार है।

(माननीय सदस्य, श्री राधेश्याम द्वारा सदन से वहिर्गमन)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मेरे प्रस्ताव पर....

श्री अध्यक्ष : आप प्रस्ताव को इन्सिस्ट मत करिये।

श्री **महावीर प्रसाद जैन** : मेरा प्रस्ताव यह है कि जिस प्रकार....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Please, don't insist. हां भाटीजी, बोलिए।....(व्यवधान).... अब आप नये सिरे से क्यों शुरू कर रहे हैं, बैठिये।

श्री **नरेन्द्रसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, बड़े आश्चर्य की बात है कि चेयर से अलग-अलग रूलिंग मिले....

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष की रूलिंग अन्तिम होती है, कोई सभापति उसको ओवररूल नहीं कर सकता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने कोई रूलिंग नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, दी भी है तो वह अध्यक्ष की रहेगी, दूसरी नहीं रहेगी; यह आप समझ लीजिये। इसमें कोई कन्फ्टेशन नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे आरोप सरकार के खिलाफ थे, मेरे आरोप मुख्यमंत्रीजी के खिलाफ थे, और मेरे आरोप माननीय सदस्य नरपत सिंह जी के भी खिलाफ थे। अगर आप मेरा प्रस्ताव पढ़ें तो न उसमें मेरा कोई पर्सनल था, न कोई रंजिश का था लेकिन यहां कहा गया कि व्यक्तिगत स्वार्थ से भाटीजी ने यह मेरे खिलाफ उठाया। उसका मैं कह चुका हूं कि मैंने पूर्व में उनसे कभी पर्सनल काम के लिये रिक्वैस्ट नहीं की, न वर्तमान में की है और न भविष्य में करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, अगर आप परमिट करें तो मैं आपका दो-तीन बिन्दुओं पर ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा परन्तु मैं इस डिबेट को आज की तारीख में नहीं उठाना चाहूंगा, आप मुझे अगली बार अलाउ कर दें, बड़ी मेहरबानी। नहीं तो मेरे पास साधन हैं रूल्स के मुताबिक, आप अगर इसको लेप्स करेंगे तो भी मैं उठाऊंगा।

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, यहां पर मुख्य मंत्रीजी का....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भाटीजी, बोलिये ।

श्री चन्दनमल बैद : सरकार भाग रही है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सरकार टिकी हुई है ।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : क्या ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कल ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य नियम 119 के अन्तर्गत इसी विषय को उठाने की अनुमति मांग रहे थे, उस दौरान आपने जब उनसे पूछा कि आप कितना बोलेंगे तो उन्होंने कहा था 10 घण्टे बोलूंगा । आज भी....

श्री अध्यक्ष : It is no point-of-order. Rejected.

श्री जोगेश्वर गर्ग : एक मिनट मेरी बात सुनिये ! कोई समय सीमा निर्धारित की जाए । अनलिमिटेड बोलते जाएंगे क्या ?

(18.00)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन ।)

श्री सभापति : विराजिये । नो पाइंट आफ आर्डर, बिराजें । माननीय भाटीजी, बोलिये ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय सभापति महोदय, आप जितनी बार पधार कर इस कुर्सी पर बिराजते हैं, यहां से कोई और रूलिंग देते हैं तथा वहां जाकर कुछ और बोल देते हैं । सभापति महोदय, मैं इस विषय को बहुत गम्भीरता से लेना चाह रहा हूं । भ्रष्टाचार का जो मसला है वह इस हाउस में उठाने के लिये ही मैंने यह मुद्दा उठाया है और भैरोंसिहजी को पर्सनली नहीं लेकिन मुख्य मंत्री होने के नाते और उनकी सरकार को मैं कटघरे में रखना चाहता हूं कि यह सरकार भ्रष्ट है और उसके लिये अति आवश्यक है, सभापति महोदय, कि मुख्य मंत्री खुद उनके बयानों के तहत यहां पर हाजिर रहें । चूंकि उनसे एक रिक्वैस्ट आयी थी, हमारे व्हिप महोदय ने मुझे अर्ज किया था इसलिये मैं मेरा राइट रिजर्व रखते हुए....(व्यवधान) यह तो कुर्सी देगी । इसलिये मैं इस मुद्दे पर मुख्य मंत्रीजी जब यहां होंगे आपके सामने, मैं तब बोलूंगा, विस्तार में बोलूंगा लेकिन यह भी निवेदन करता हूं कि अगर आपने यह विषय लैप्स कर दिया तो दोनों मुद्दे पर...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : यह कोई सब्जैक्ट हुआ ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय चतुर्वेदीजी फरमा रहे हैं कि भई, कोई सब्जैक्ट ही नहीं हुआ । सब्जैक्ट मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो मुख्य मंत्रीजी ने मेरे पर आरोप लगाये और जो मैंने आरोप उन पर लगाये हैं और उस प्रकरण पर लगाये हैं, उन दोनों की न्यायिक जांच होनी चाहिये । अगर आप लैप्स कर देंगे तो यह मेरी डिमाण्ड है, वह मेरी डिवेट है और अगर सरकार जवाब देती है अभी तो बहुत मेहर-

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

बानी, नहीं तो मैं अगले सत्र में या जब कभी भी मुख्य मंत्रीजी....

श्री चन्दनमल बैद : ललितकिशोर जी, हां कह दो जुडीशियल इन्क्वायरी कराएं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इसलिये मैं बोलूंगा। सभापति महोदय, यह मेरी आपसे अर्ज है विनती है। (व्यवधान)

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर। मुख्य मंत्रीजी उपस्थित रहें या नहीं रहें परन्तु इस सदन का सदस्य होने के नाते मेरा भी यह अधिकार है कि इस इश्यू को बारबार जब तक माननीय सदस्य ले जाना चाहें, ले जाने की इजाजत यह सदन न दे। इनको जो बोलना है, जितना सामान इनके पास है, वे बोल लें और अगर मेरे ऊपर आरोप लगाएं तो उसके बारे में उसका स्पष्टीकरण देने की मुझे अनुमति दी जाए। फिर उनको जो भी डिमाण्ड करनी हो कर लें।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। प्राकृतिक आपदाओं से राहत पर सामान्य वाद-विवाद। अभी लिस्ट आयी नहीं है माननीय सचेतक महोदय कृपया अपनी अपनी सूची दें। कोई बोलने वाले नहीं हैं अकाल पर ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : पहले आप इस पर व्यवस्था दीजिये। भाटी साहब ने....

श्री सभापति : अकाल पर बहस प्रारम्भ करिये, यही मेरी व्यवस्था है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अकाल पर बहस प्रारम्भ करें उससे पहले स्टेटमेण्ट होगा मंत्रीजी का।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय भाटीजी का कहना है कि मुख्य मंत्रीजी की प्रजेंस में ही यह बात होगी।

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जो कहना था उन्होंने कह दिया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इस केस में आरोप सिर्फ माननीय चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य के खिलाफ ही नहीं है; इसमें मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ भी आरोप हैं....

श्री सभापति : आप बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और जब तक मुख्य मंत्रीजी....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय धारीवालजी, बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ भी आरोप हैं।

श्री सभापति : बिराजें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जनता दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती है। सभापति महोदय, इस बात को टालिये मत। जब मुख्य मंत्रीजी मौजूद हों इस बात का फैसला होना चाहिये।

(186)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उन्होंने कह दिया।

श्री नरपतसिंह राजवी : सभापति महोदय, पाइंट ग्राफ ग्रार्डर। एक विषय पर तीन बार··चार बार ग्रलग-ग्रलग सदस्य बोलेंगे ? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ग्रापको इस बात को देखना चाहिए कि मुख्य मंत्रीजी की रिक्वेस्ट ग्रायी है।

श्री सभापति : ग्राप बिराजें। मैं ग्रपनी बात कहता हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुख्य मंत्रीजी की रिक्वेस्ट ग्रायी है कि इसको स्थगित कर दिया जाए ग्रौर ग्राप एक बार व्यवस्था दे चुके हैं।

श्री सभापति : ग्राप बिराजें। पहले मेरी बात....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय सभापति महोदय, जब एक बार....

श्री सभापति : ग्रासन पैरों पर है, बिराजें, माननीय सदस्य। यह कोई बात नहीं हुई, ग्राप बिल्कुल नहीं सुनते हैं।

मैं निवेदन यह कर रहा था कि जिस समय मैं ग्रासन पर था उस समय माननीय भाटीजी ने कहा था कि मैं ग्रपना राइट रिजर्व रखता हूं ग्रौर वे बोल कर बैठ गये। मैंने कोई व्यवस्था नहीं दी। उसके बाद जब माननीय ग्रध्यक्ष महोदय ग्रासन पर ग्राये तब उन्होंने कहा कि मैं वाद-विवाद की ग्रापको ग्रनुमति देता हूं, ग्राप बोलिये। इसके बाद माननीय भाटीजी ने कहा कि मैं मुख्य मंत्रीजी होंगे तब बोलूंगा तथा मेरा राइट रिजर्व रख रहा हूं। इस पर मैं ग्रपनी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं देता हूं, मैंने चर्चा समाप्त कर दी। ग्रब प्राकृतिक ग्रापदाग्रों से राहत पर बहस प्रारम्भ होगी इसलिये उस पर चर्चा प्रारम्भ की जाए। माननीय सदस्य की सूची मुझे ग्राप दोनों सचेतक महोदय दे दें, उसके हिसाब से मैं नाम पुकारूंगा। ग्रब ग्रकाल पर चर्चा प्रारम्भ होती है।

माननीय श्री बद्री प्रसाद गुरुजी।

प्राकृतिक ग्रापदाग्रों से राहत पर चर्चा

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदय, ग्राप चर्चा प्रारम्भ करवाएं....

श्री सभापति : बिराजें, मैंने व्यवस्था दे दी है, रामनारायणजी।

श्री रामनारायण चौधरी : उससे पहले मंत्रीजी का स्टेटमैण्ट ग्रा जाए ग्रकाल के बारे कि ग्रकाल की कैसी स्थिति है। कल ग्रापने ग्रनुदान की मांगें तो पास करवा लीं, ग्रब तो यह मामला नया होगा।

श्री सभापति : ग्राप बिराजिये, मैं बताता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : सुनिये। जब मामला फ्रैश हो गया तो मंत्रीजी से स्टेटमैण्ट दिलाएं ताकि उसके ऊपर बहस करें।

श्री सभापति : ग्राप बिराजें। ऐसा है, कल जो तय हुग्रा था वह यही हुग्रा था कि मंत्री का वक्तव्य नहीं होगा। ग्राज चर्चा होगी ग्रौर चर्चा के बाद मंत्रीजी ग्रपना वक्तव्य देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : सबसे पहले स्टेटमैण्ट होगा उस स्टेटमैण्ट पर हम चर्चा करेंगे। मंत्रीजी हमें फिगर देंगे कि कितने मजदूर काम पर हैं, अकाल की स्थिति क्या है....

श्री सभापति : पहले चर्चा...(व्यवधान) माननीय रामनारायणजी, बिराजें।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, कल तो....

श्री सभापति : माननीय विष्णुजी, बैठिये। व्यवस्था पर मैं कोई प्रश्न नहीं चाहता।

श्री विष्णु मोदी : एक मिनट आप सुन लीजिये।

श्री सभापति : आसन की व्यवस्था पर क्वेरीज अलाउ नहीं करूंगा, आप बिराजें। मैंने अकाल राहत पर चर्चा प्रारम्भ कर दी, जो माननीय सदस्य बोलना चाहें बोलें, नहीं बोलना चाहें....

श्री विष्णु मोदी : क्वेरीज नहीं कर रहा हूं मैं कल की बात आप से कह रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा....(व्यवधान) कट मोशन्स दिये थे अकाल राहत... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठ जाएं। अंकित नहीं होगा।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी। (अनुपस्थित) (व्यवधान) मैंने सुन लिया है और मैंने रिजेक्ट कर दिया है। श्री कन्हैयालाल पाटीदार, आप बोलिये।

श्री रामपाल उपाध्याय : XXX

श्री रामनारायण चौधरी : XXX

श्री विष्णु मोदी : XXX

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : सभापति महोदय, मैं झालावाड़ जिले के पिड़ावा क्षेत्र से चुन कर सदन में आया हूं। वैसे मेरा क्षेत्र अकालग्रस्त घोषित नहीं हुआ है लेकिन मेरे क्षेत्र में अकाल से बड़ी भयंकर....

श्री रामपाल उपाध्याय : सभापति महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री सभापति : पाटीदारजी, बैठिये, रामपाल उपाध्यायजी का पाइंट आफ आर्डर है।

श्री रामपाल उपाध्याय : श्रीमान्, कल या परसों हमारे सामने जब यह सारा कार्यक्रम आया उसमें प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा करनी थी और परसों एक बजे तक मतलब 15 तारीख को एक बजे तक कट मोशन देने थे। इधर के तथा उधर के कई माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव दिये उसके बाद आज जब आपकी कार्य सूची हमारे पास पहुंची उसके अन्दर कट मोशन का कहीं उल्लेख नहीं है और उसमें कहा कि इस पर सामान्य वाद–विवाद होगा। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह व्यवस्था चाहूंगा कि सामान्य वाद–विवाद के बारे में भी कोई व्यवस्था होती है, कोई प्रक्रिया होती है और

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रामपाल उपाध्याय)

आप मेरे से ज्यादा भिज्ञ हैं, ज्यादा समझदार हैं, आप विद्वान हैं लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप किस रूप में यह बुलाना चाह रहे हैं? सदन के सामने न संबंधित मंत्री महोदय का अकाल की, वस्तुस्थिति का कोई तथ्यात्मक विवरण है...

एक माननीय सदस्य : भेजी गयी है।

श्री रामपाल उपाध्याय : नहीं पहुंची है। न कोई तथ्यात्मक विवरण हमारे पास है और न कोई कट मोशन है। मैं आपसे ही व्यवस्था चाहता हूं कि सामान्य....

श्री सभापति : मैं व्यवस्था दे रहा हूं, बिराजिये।

श्री रामपाल उपाध्याय : एक मिनट। अकाल जैसी विभीषिका के बारे में कृपया दरिद्रनारायण पर मेहरबानी करके इसको इतना सस्ता न लें। इसको कम से कम राजनीति का विषय नहीं बनाए, इसको कोई स्पर्धा का विषय नहीं बनाएं। सहिष्णुता जिस तरह से कल शाम को शुरू हुई थी वह आज दुर्भाग्य से खत्म हो गयी, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह सहिष्णुता वापस आए। उन दरिद्रनारायण के नाम पर, जिनके आंसू बह रहे हैं और जिनके होठों की मुस्कान गायब है, आप और हम यह सब कुछ कर रहे हैं, परन्तु व्यवस्था के नाम पर जीरो है। आज जहां पर इन्सान मर रहा है, पशु मर रहा है, इन्सान को पानी नहीं मिल रहा है भूखा मर रहा है तो ऐसे समय, माननीय सभापति महोदय, आप कोई व्यवस्था नहीं चाहते, यह कैसे हो सकता है।

श्री नरपतसिंह राजवी : माननीय सभापति महोदय, यह पाइंट आफ आर्डर कैसे हुआ?

श्री रामपाल उपाध्याय : इसलिये मैं आपसे पुरजोर शब्दों में प्रार्थना करूंगा कि आप इसकी व्यवस्था दें।

श्री सभापति : माननीय श्री रामपाल उपाध्यायजी, मैंने जो बात कही वह तो कार्य सूची जो आज सुबह आपको भेजी उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया। माननीय सदस्यों को ध्यान होगा कल जब अपन ने वोट ऑन अकाउण्ट पास किया था, उस वोट ऑन अकाउण्ट में प्राकृतिक आपदाओं की पूरी डिमाण्ड पास हो गयी। इस कारण से कार्य सूची में....(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : एक मिनट, आप बिराज जाइये, मेहरबानी करके बिराज जाइये। जब आपने वोट ऑन अकाउण्ट लिया था तो आपने यह कहा था कि साल के एक अंश के लिये हम वोट आन अकाउण्ट ले रहे हैं। यही स्पीकर साहब के चैम्बर में बात हुई थी, आपके सामने बात हुई थी, यहां विधान सभा में बात हुई थी। हमको मालूम नहीं था कि धोखे के साथ आप लोग इस तरह का व्यवहार करेंगे कि कुछ डिमाण्ड्स का आप साल भर का अनुदान हमसे प्राप्त कर लेंगे बिना उनके पत्र वितरित किये हुए, कागज वितरित किये हुए। यह हमारे साथ धोखा था। माफ कीजिये, प्रजातांत्रिक इतिहास में बहुत बड़े धोखे की बात है....(व्यवधान)

श्री नरपतसिंह राजवी : सभापति महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : पाइण्ट आफ आर्डर पर पाइण्ट आफ आर्डर नहीं होते।

श्री रामनारायण चौधरी : जब एक पाइण्ट आफ आर्डर चल रहा हो तो दूसरा पाइण्ट आफ आर्डर नहीं आ सकता। एक पाइण्ट आफ आर्डर पर आपने अभी तक व्यवस्था नहीं दी है इसलिये दूसरा पाइण्ट आफ आर्डर नहीं आ सकता।

श्री सभापति : मुझे व्यवस्था देने नहीं दे रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : उस पर तो हम बोलेंगे। (व्यवधान) सुनिये इनके पाइण्ट आफ आर्डर पर मेरी बात सुनिये।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि मेरी समझ में आ जाए तो भी किसी की सुनूं। वे कह रहे थे आप बड़े विद्वान हो इसलिये मेरी समझ में आ गयी।

श्री चन्दनमल बैद : समझानी हैं आप, हुरनायक हैं आप।

श्री सभापति : माननीय आप मेरी बात सुनें। तो मैं निवेदन यह कर रहा था कि उस पर अनुदान की मांगों के सम्बन्ध में एक पुस्तिका जारी हुई थी....(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : नहीं हुई।

श्री चन्दनमल बैद : कोई कागज जारी नहीं हुए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : रात को तीन बजे मिली है।

श्री सभापति : पहले जारी नहीं हुई।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वोट–आन–अकाउण्ट यहां छह बजे ही पास करा दिया।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कल अगर हाउस में टेबल पर रखी हो तो हमको बता दिया जाए।

श्री चन्दनमल बैद : हमको यह बताया गया था कि साल के एक अंश के लिये ये वोट आन अकाउण्ट लिये जाते हैं। वोट आन अकाउण्ट साल के एक अंश के लिये होते हैं, सैक्रेटरी साहब, ठीक से बता दीजिये इनको आप, साल भर के लिये वोट आन अकाउण्ट नहीं हो सकता।

श्री सभापति : चाहे किसी भी कारण से हो वह डिमाण्ड पास हो गयी। अब डिमाण्ड वापस नहीं ली जा सकती। अब इस पर सामान्य वाद–विवाद होगा। पहले सब माननीय सदस्य बोलेंगे, उसके बाद मंत्रीजी जवाब देंगे और फिर प्रश्न के रूप में माननीय सदस्य मंत्रीजी से पूछ सकते हैं, यह मेरी व्यवस्था है और जितने आपने इसके पहले कटमोशन दिये थे उनके लिखित में जवाब आप सबके पास पहुंच जाएंगे। इसलिये कृपा करके अब अकाल राहत पर चर्चा प्रारम्भ की जाए।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार।

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, सवाल सिर्फ इस बात का था जो कि बात का+++बनता जा रहा है कि मंत्री महोदय से पहले अकाल की स्थिति का एक स्टेटमैण्ट दिला दें, जायजा दिला दें, उसके बाद वाद-विवाद शुरू करा दें। समझ में

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री विष्णु मोदी)

नहीं आता कि जरा--सी एक टैक्निकल बात के ऊपर इस सदन में हमेशा अवरोध पैदा होता है।

श्री सभापति : पहले स्टेटमैण्ट नहीं होगा पहले चर्चा होगी, फिर जवाब होगा फिर प्रश्न पूछे जाएंगे। बिराजिये।

श्री नरपतसिंह राजवी : सभापति महोदय, मैंने एक पाइण्ट आफ आर्डर रेज किया था।

श्री सभापति : पाइण्ट आफ आर्डर पर पाइण्ट आफ आर्डर नहीं आता, माननीय सदस्य, आप बिराज जाएं। चर्चा को निलम्बित करने के लिये कोई व्यवस्था का प्रश्न अलाऊ नहीं करूंगा।

कन्हैया लाल जी बोलेंगे।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : सभापति महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया, मेरा झालावाड़ जिला अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है लेकिन झालावाड़ जिले का मेरा विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा....(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर--आर्डर। माननीय सदस्य, बोलिये।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : मेरा विधान सभा क्षेत्र पूर्ण रूप से अभावग्रस्त है....

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह सरकार अकाल की स्थिति....

श्री सभापति : अंकित नहीं होगा इनका, अंकित न करें। पाटीदार जी बोलें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ××××

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : बरसात की भारी कमी की वजह से जितनी भूमि में वांछित रूप से सिंचाई होनी चाहिये थी उसकी 25 प्रतिशत सिंचाई भी इस वर्ष बरसात की कमी से नहीं हो पायी है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि वोट आन अकाउण्ट हुआ, अगर उससे पहले हमको सारा मैटीरियल मिल गया होता तो निश्चित तौर पर वोट आन अकाउण्ट जिस वक्त में चल रहा था हम अपने वहां पर कुछ न कुछ अमैण्डमैण्ट देते और उसमें बोलते उस वक्त। मगर दस मिनट में वोट आन अकाउण्ट सारा पास हो गया, एप्रोप्रिएशन बिल पास हो गया। हमको यही अनुमान था कि तीन महीने के लिये इन्होंने यह सब कुछ करवाया है। अब आज जो सबसे बड़ी भयंकर अकाल की स्थिति इस वक्त में चल रही है उसके बारे में स्टेटमैण्ट आप इनसे दिलवा नहीं रहे हैं, वोट आन अकाउण्ट के कागजात रात को एक-डेढ़ बजे मिले, किन्हीं को सवेरे मिले, उनको अभी तक स्टडी नहीं किया गया है और आप सीधा ही आज का आज इसका फैसला करना चाहते हैं। ऐसा क्या आसमान गिर रहा है और क्या ऐसा हो रहा है....

श्री सभापति : चर्चा नहीं चाहते, माननीय सदस्य ?

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कल खान पर हो रहा है। पहले आप स्टेटमैण्ट दिलवा दीजिये। अगर स्टेटमैण्ट दिलवा देते हैं तो हमको उससे ही मैटीरियल मिल जाता है, हम उसमें क्वेश्चंस ही कर लेंगे और उनसे सारी बात हो जाएगी लेकिन आप वह भी नहीं कराना चाहते। आप मेटीरियल भी हमको जो रात को मिला है, पढ़ने का मौका नहीं देना चाहते और आज का आज ही चूंकि यह डिमाण्ड पास हो गयी है। इस-लिये इस पर विचार करके इसको खत्म करना चाहते हैं। कल भी आप इस पर आगे बहस चला सकते हैं। कल खान का एक महकमा ही तो है, खान पर इतने थोड़े ही बोलेंगे। यह तो एक इतना बड़ा सवाल है अकाल का कि जिस पर आज भी बोलें, कल भी बोल लेवें इसलिये इसको कन्टीन्यू कर लीजिये... (व्यवधान)

श्री सभापति : मुख्य सचेतक जी, माननीय भंवरलाल जी कुछ कह रहे हैं, सुनिये। (व्यवधान) माननीय भंवरलाल जी कहें फिर आप कर दें।

श्री चन्दनमल बंद : ठीक है।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : सभापति महोदय, जिन परिस्थि-तियों में वोट आन अकाउण्ट लिया गया वह सबकी जानकारी में है लेकिन यह अकाल वाला मामला इतना इम्पार्टेण्ट है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसमें कोई पास तो करवाना नहीं चाहते हैं। क्या पास करवाना है इसमें ?

श्री चन्दनमल बंद : नहीं, आपने साल भर का कैसे ले लिया ?

श्री सभापति : अकाल तीन महीने के लिये होता है, माननीय सदस्य, इसलिये लिया।

श्री चन्दनमल बंद : पहले यह बताइये आप साल भर का ले सकते हैं क्या ? वोट आन अकाउण्ट साल भर का लिया जा सकता है क्या कभी ? वोट आन अकाउण्ट लिया आपने हमको यह कहकर कि साल भर के एक अंश के लिये हम वोट आन अकाउण्ट ले रहे हैं। छह महीने के लिये ले सकते थे आप। तीन महीने के लिये ले सकते थे आप लेकिन बारह महीने का आपने वोट आन अकाउण्ट कौनसे कानून, कौनसे नियम के अनुसार, कौनसे फाइनेंशल तरीके के अनु-सार लिया ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे निवेदन करने दीजिये।

श्री चन्दनमल बंद : सारे फाइनेंसेज को, सारी परम्पराओं को, सारी चीजों को तोड़कर आपने जो सदन के साथ रहना चाहिये, धोखा किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, कोई धोखा नहीं किया है।

श्री चन्दनमल बंद : उसके लिये आपको माफी मांगनी चाहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, कोई धोखा नहीं किया।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह आपकी छद्म प्रवृत्ति का सूचक है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इनको बोलने दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, एक तो भाषा पर नियंत्रण रखें ।

श्री राजेन्द्र पारीक : भाषा नहीं, छद्म ।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, मत रखें ।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपका छद्म वेश है। आपने षडयंत्र किया है, आपने सदन की अवमानना की है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप स्वतन्त्र हैं कुछ भी बोलने के लिये । आप पूर्ण स्वतन्त्र हैं कुछ भी बोलने के लिये, शब्दों का प्रयोग करने के लिये । मेरा निवेदन यह है कि वोट आन अकाउण्ट जो पास किया वह तो आप सबकी सहमति से, सद्भावना से और उस समय जो....(व्यवधान) एक सैकण्ड, बोलने दीजिये मुझे आप । वह पूरा कर दिया । चूंकि यह अकाल का विषय प्रदेश के लिये बहुत ही इम्पार्टेन्ट है इसलिये आज इसको चर्चा में रखा गया कि इस पर माननीय सदस्यों के सुझाव आ जाएंगे । माननीय सदस्य विस्तार से चर्चा कर लेंगे उसके बाद सरकार को भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी और सरकार भी निश्चित रूप से जो उसको करना चाहिये, आपके सामने रखेगी । चर्चा का लाभ पूरे प्रदेश को हो, सारी समस्या का समाधान आसानी से हो सके इसलिये यह आपके सामने रखा है । अब आपकी यह कठिनाई हो सकती है कि माननीय सदस्य, मान लो, इसके लिये आज तैयार नहीं हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सभी तैयार नहीं हैं, जो तैयार हैं वे बोल लें । फिर यदि ठीक समझेंगे तो कल या फिर कभी इस पर चर्चा रख सकते हैं ।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : फिर वह बात ठीक समझेंगे तो ।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो मेरा यह निवेदन है कि माननीय सदस्य जो इस पर अपने विचार रखना चाहते हैं, उनके अमूल्य सुझाव आ जाने दीजिये, सरकार को उससे लाभ मिलेगा ।

श्रीमती कमला : आप पहले प्राथमिक ब्यौरा तो दो ना ।

श्री सभापति : वह पुस्तिका अकाल राहत की दी जा चुकी है ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कितने काम पर लगे हैं, क्या काम, पानी का पैसा किस जिले को कितना दिया....

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं यही निवेदन करता हूं....

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी से वक्तव्य दिलवा दीजिये । (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये । माननीय सदस्या ।....(व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है । आप उनको बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं ? यह कोई बात नहीं है । माननीय सदस्य, मैं आसन से उनको अलाउ कर रहा हूं और आप उनको नहीं बोलने देंगे ? तो यह कोई तरीका नहीं है जिस ढंग का आज वातावरण बनता जा रहा है । मंत्रीजी बोलें, उसके बाद आप बोलें । (व्यवधान) मैं पहले उनको सुन रहा हूं । आपको सचेतकजी ने कोई बात कही है उस पर सरकार जवाब दे रही है और आप सुनना नहीं चाहते हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो माननीय सदस्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यहां बोलना चाहते हैं उनको तो बोलने दीजिये। जो भाग लेना चाहते हैं उनको भाग लेने दीजिये....(व्यवधान) और फिर यदि....

श्री रामपाल उपाध्याय : आन ए पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : बीच में पाइण्ट आफ आर्डर नहीं। खेतसिंह जी ने बात उठायी है उस पर ये बोल रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर मान लीजिये....

श्री सभापति : रामपाल जी, बिराज जाइये।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, यदि आपकी व्यवस्था हो कि चर्चा से पहले माननीय मंत्री महोदय को स्टेटमैण्ट देना ही चाहिए, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप यह कर लीजिये। (व्यवधान) वरना चर्चा शुरू करा दीजिये। (व्यवधान)

श्री इन्द्रसिंह पूनियां : कल करवा दीजिये। (व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं यह चाहता था, (व्यवधान) मेरी सुन लें। मैं दिला दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता था कि पहले माननीय सदस्य बोल लें फिर मंत्रीजी का वक्तव्य आ जाए, फिर आप प्रश्न पूछ लीजिये। यदि आपकी यही इच्छा है कि पहले मंत्रीजी बोलें, फिर आप प्रश्न पूछें तो आपको एक अवसर मिलेगा, दो अवसर नहीं मिलेंगे। अगर आप एक अवसर लेना चाहते हैं तो मंत्रीजी अगर वक्तव्य देना चाहें तो इस पर चर्चा प्रारम्भ करवा देंगे। (व्यवधान)

माननीय अकाल राहत मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापतिजी, इससे अधिक लाभ नहीं होगा।

श्री सभापति : ये नहीं मानते तो मैं क्या करूं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर क्या फायदा होगा उससे ?

श्रीमती कमला : आज तैयारी नहीं है तो फिर कल रखी जाए।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, सरकार तैयार है।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, नहीं, तैयार कौन नहीं है ?

एक माननीय सदस्य : अकाल राहत मंत्रीजी स्वयं कह रहे थे, इसका मतलब यह है।

श्री भंवरलाल शर्मा : कौन नहीं है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्यों का एक अवसर समाप्त हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आप तैयार नहीं हैं (व्यवधान)....तो समय मांग लो। (व्यवधान)....आप समय मांग लीजिये। अगर आप तैयार हैं तो समय मांग लेंगे।

श्री सभापति : माननीय सांवरलाल जी वक्तव्य दे रहे हैं (व्यवधान)....वक्तव्य पर चर्चा होगी फिर....

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : मंत्रीजी का स्टेटमैण्ट बाद में कराओ, इससे सब इलाके की समस्याएं आएंगी। काम चालू हुए नहीं, ये अकाल पर दुबारा चर्चा कराने नहीं। लोगों को बोलने दो, क्या दिक्कत है अपने को ? (व्यवधान) कैसे बोलने दो ? क्या कुछ नहीं देंगे ? (व्यवधान) वे क्या देंगे ? पढ़-पढ़ाकर छुट्टी करेंगे ? क्या बोलेंगे बाद में ? आप मुझसे पूछें, आप प्रश्न पूछ सकते हो बाद में,

श्री सभापति : शिवनाथसिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह : सभापति महोदय, सवाल इस बात का है कि अकाल एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा ढंग से हो। माननीय सभापति जी, मेरा निवेदन यह है कि इस चर्चा को आज तक सीमित न रखें। चर्चा आज शुरू हो जाए और कल भी इस चर्चा को जारी रखें। आज जो माननीय सदस्य बोलना चाहें, बोल लें और कल दूसरे तैयार होकर आ जाएं। इस चर्चा को कल तक किया जाए, आज तक इसको सीमित न किया जाएं। (व्यवधान) इसमें क्या आपत्ति है ?

श्री सभापति : माननीय विष्णु मोदीजी, आप विराज जाएं। (व्यवधान)....

श्री विष्णु मोदी : कुल मिलाकर बात यह है कि आज अकाल जैसे विषय को आप किस उसमें लेना चाहते हैं। आप इसे गम्भीरता से लीजिये, हम तो बात कर रहे हैं। (व्यवधान) वोट ग्रान अकाउण्ट में आपने इस तरह की गड़बड़ी की, फिर आपने इसके कटौती प्रस्ताव को वाद-विवाद में बदल दिया और वाद-विवाद के बाद में भी इस तरह कि हम तैयार हैं कि नहीं हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। आप चाहे वाद-विवाद कराइये लेकिन आप इस तरह अकाल जैसे मामले को हल्के ढंग से लें....(व्यवधान)....

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : इस तरह जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराज जाएं। (व्यवधान) सुन लें मेरी बात आप। भीमसेनजी, विराज जाएं।

मुझे बड़ा दुःख है कि मैं खुद जिस बात को प्रारम्भ कर रहा था कि माननीय मंत्रीजी पहले नहीं बोलते, पहले सभी सदस्य अपने अपने क्षेत्रों की बात रख देते क्योंकि उन सदस्यों को अपने क्षेत्रों की बात रखने के लिये सरकार की आवश्यकता नहीं थी, उनको अपने क्षेत्र की ज्यादा जानकारी है बजाय सरकारी अधिकारियों के। और माननीय सदस्य अपनी बात रख देते, उनकी बात मंत्रीजी नोट करते और नोट करने के बाद में मंत्रीजी अपना वक्तव्य देते और मंत्रीजी के वक्तव्य के बाद में फिर मैं आप को प्रश्न पूछने के लिए अलाउ करता, यह मैंने तय किया था। जब यह मैंने तय किया तो प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि मंत्रीजी अपना वक्तव्य दें। सरकार इसके लिये भी तैयार थी। सरकार ने कहा कि मंत्रीजी वक्तव्य देने के लिये तैयार हैं। जब मंत्रीजी वक्तव्य देने के लिये तैयार हुए तो फिर प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमको बोलने का अधिकार चाहिये। ऐसी परिस्थिति में आसन को फंसाना था आसन से इस प्रकार से बारबार अपनी व्यवस्था बदलने के लिये आग्रह करना किसी

(श्री सभापति)

भी प्रकार से उचित नहीं है और अकाल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे की गम्भीरता कम करना है। अब मेरी व्यवस्था यह है कि पहले जो माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे वे अपने विचार रखेंगे, फिर मंत्रीजी उस पर वक्तव्य देंगे और उस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अब कोई माननीय सदस्य अगर आपत्ति करेगा तो मैं उस आपत्ति को नहीं मानूंगा और अब जिनका नाम मैंने पहले पुकारा था वे माननीय सदस्य चर्चा प्रारम्भ करेंगे। श्री बद्री प्रसाद गुरुजी, आप नहीं थे।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार।

एक माननीय सदस्य : आ गये ना, अब बोलने दीजिये।

श्री सभापति : बाद में नम्बर आएगा। पाटीदारजी बोल रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ : सभापति महोदय, बात यह है कि ये केवल अखबारी खबरों के आधार पर चर्चा करना चाहते हैं, इनको पता ही नहीं है।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने अभी निवेदन किया था कि मेरा विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा अकालग्रस्त नहीं होते हुए भी अकाल की विभीषिका में....

श्री सभापति : अकाल की विभीषिका को गम्भीरता से लें। माननीय सदस्य, आपस में बातचीत न करें, गम्भीर मसले पर चर्चा हो रही है।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : जो रहा है, बरसात की कमी की वजह से जितनी खेती सिंचित होनी चाहिए थी, उसकी 25 प्रतिशत खेती सिंचित हो रही है और जिस जमीन को कम बरसात के बावजूद सिंचित किया गया उसमें भी अब फसलें सूख रही हैं। मेरे क्षेत्र में कोई नहरी साधन नहीं हैं, तालाब नहीं है और उसके ऊपर डार्क जोन और लगाया हुआ है जिसकी वजह से सरकार कुए खोदने के लिये, मोटर लगाने के लिये पम्प लाइन लगाने के लिए पैसा नहीं देती है। किसानों की हालत काफी दयनीय हो चुकी है। यदि यही स्थिति बनी रही तो किसानों को, मजदूरों को शहरों की ओर पलायन करना पड़ सकता है। माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र को भी जिस तरह से अकालग्रस्त क्षेत्रों में राहत दी जाती है, उसी तरह से राहत दी जाए। चूंकि वह डार्क जोन घोषित है इसलिये मेरे पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में हमेशा अकाल की स्थिति बनी रहती है। इसे प्रतिवर्ष अकालग्रस्त ही माना जाए और अकालग्रस्त मानकर हमेशा राहत कार्य चलाये जाएं। या तो इस डार्क जोन को हमेशा के लिये समाप्त कर दिया जाए अन्यथा प्रति वर्ष अकालग्रस्त के रूप में मानकर इस क्षेत्र को राहत प्रदान करायी जाए।

इस वित्तीय वर्ष में माननीय शेखावत साहब ने मेरे क्षेत्र के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है और मेरे क्षेत्र में एक मध्यम सिंचाई योजना स्वीकृत की है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, उस सिंचाई योजना को कार्यरूप में परिवर्तित होने में कम से कम 8–10 वर्ष लगेंगे। इस बीच, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में सिंचाई के साधन बढ़ाने के रूप

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

में तालाबों को विकसित किया जाए, एनीकट बनाए जाएं, छोटे-छोटे स्टाप डेम बनाये जाएं ताकि वहां के किसानों की माली हालत सुधर सके और उनको शहरों की तरफ पलायन करने से रोका जा सके। माननीय सभापति महोदय, डार्क जोन होने से जमीन के अन्दर पानी की मात्रा कम बतायी जा रही है। उसकी वजह से मेरे क्षेत्र में पेयजल भी विकट समस्या का रूप धारण करता जा रहा है। पेयजल समस्या के बारे में मैं समय समय पर सदन को, आपको एवं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराता रहा हूं। इसी सन्दर्भ में मेरे क्षेत्र में 12-14 हजार की आबादी का गांव सुमेल है उसके लिये काफी समय से पेयजल टंकी का प्रपोजल भिजवाया हुआ है लेकिन जलदाय विभाग से उस टंकी की स्वीकृति अब तक नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि सुमेल में पेयजल टंकी की स्वीकृति दी जाए। इसी तरह से झालावाड़ रोड गांव में बहुत पुराने समय की एक लोहे की टकी वहां की पेयजल आपूर्ति के लिये बनी हुई है। वह काफी जर्जर हो चुकी है, फूट चुकी है और उसमें पानी ठहरता नहीं है। वहां का प्रपोजल भी मैंने एक्स.ईएन. साहब से मिलकर भिजवाया हुआ है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों जगह की पेयजल टंकियां स्वीकृत करें ताकि उस डार्क जोन के लोगों को पेयजल उपलब्ध हो सके। ऐसी परिस्थिति निर्मित करें एवं किसानों के हित को सोचते हुए वहां के सिचाई के साधन बढ़ाए जाएं।

मुझे बोलने के लिये समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अमराराम चौधरी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, अकाल के ऊपर जो आपने....

श्री सभापति : आप नाम दे दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नाम मैं खुद बोल रहा हूं... (विराम)

श्री सभापति : खेतसिंह जी, मैंने उनको पुकार लिया। आपकी किसी की भी स्लिप नहीं आयी। आप अनुमति दें तो मैं उनको बुला लूं। श्री अमराराम जी चौधरी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : सभापति महोदय, बाड़मेर जिले में पचपदरा विधान सभा क्षेत्र के एक गांव बिठूजा को छोड़कर सारे गांव अकालग्रस्त हैं, भयंकर अकाल है, पूरे विधान सभा क्षेत्र में अकाल है लेकिन अकाल राहत मंत्री जी ने ऐसे क्षेत्र में दौरा नहीं किया। आप धरती के पुत्र जरूर हैं, कभी साफा लगाकर, धोती पहनकर भी आते हैं लेकिन आज अकाल के समय पेन्ट सूट में आये हैं। सुआलों को दूध मिलता है और भूखे बच्चे अकुलाते हैं, एक तरफ वे लोग हैं जिनके कुत्तों को दूध मिलता है और हमारे यहां के जो लोग हैं भूखे और प्यासे हैं, उनके लिए आपने कोई अकाल राहत कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किये हैं। पानी के लिये मात्र एक टेंकर आपने स्वीकृत किया है। माननीय राजस्व मंत्रीजी की अध्यक्षता में तारीख 19.2.1994 को 11 बजे जिला अकाल राहत कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि हर पंचायत के अन्दर कुछ न कुछ काम होंगे। आज पूरे के पूरे गांव में अकाल है,

(श्री अमराराम चौधरी)

आप एक–दो गांव में थोड़े बहुत काम खोल देंगे। पहले से जो पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कें चल रही हैं ठेकेदारों को पनपाने के लिये, मजदूर जो है ठेकेदार कहीं बाहर से लाये हैं वहां के लोकल आदमी लगे हुए नहीं हैं। दो-दो किलोमीटर की सड़कें जो पंचायतों के मार्फत आप करवा रहे हैं उनमें ट्रैक्टरों से काम लिया जा रहा है। आज पटरियां ठीक करवा रहे हैं उनको भी आपने ठेकेदारों को दे रखा है। ईरिगेशन का कोई भी काम है, आपने नहर तालाब के लिए नहीं बनायी, ठेकेदारों को पत्थर लगाने के लिये दे दिया है वे जो पुरानी पाल बनी हुई हैं बहुत बड़े-बड़े तालाबों की उसको मिटा करके वहां पत्थर लगा रहे हैं जबकि हमारे यहां पर ऐसे बहुत बड़े-बड़े तालाब हैं जिनमें 12 महीने पानी रहता है। वहां पर सेना का इस साल प्रशिक्षण हुआ, वहां टैंकर चले और सारी नहरें नष्ट कर दी गयीं। उन नहरों को आप मंजूर नहीं करते। आपको हम सड़कें देते हैं, आज बहुत से ऐसे गांव हैं जो पंचायत हैडक्वार्टर्स से जुड़े नहीं हैं, जहां आने-जाने के भी साधन नहीं हैं तो हमने सड़कों के प्रस्ताव भी दिये हैं। हर गांव में हर पंचायत में कम से कम 200 मजदूर तो आप लगाएं। वे बहुत ही गरीब लोग हैं लेकिन आपके कलक्टर ने या अकाल राहत विभाग के कर्मचारियों ने जो आपको आंकड़े दिये होंगे उस आधार पर किसी पंचायत के अन्दर कोई अकाल राहत कार्य नहीं है। पूरे जिले के अन्दर आज करीब 35 हजार मजदूर लगे हुए हैं जिसमें अन्दर जवाहर योजना के सैकण्ड और फर्स्ट फेज में इस प्रकार के पक्के काम बना रहे हैं लेकिन वहां पर गरीब मजदूर लगते नहीं हैं। आपको मालूम होगा, सभापति महोदय, जब कांग्रेस सरकार थी तो नवम्बर के अकाल में जहां मेरे क्षेत्र में 10–15 गांव भी अकालग्रस्त नहीं थे फिर भी 10–15 हजार मजदूर काम किया करते थे और पूरे जिले में एक लाख से अधिक मजदूर थे। आज भी वैसी की वैसी भयंकर स्थिति बाड़मेर जिले की है। पानी की स्थिति तो और भी गम्भीर है। आपने हर उस विधान सभा क्षेत्र में जहां पानी है वहां तो 8–10 हैंडपम्प दिये हैं, वहां नल भी लगे हुए हैं, कुएं भी हैं लेकिन शेरगढ़ से लगता हुआ जो मेरा क्षेत्र है वहां पर आपने हैंडपम्प दिये हैं सिर्फ 3, अब ये किस–किस जगह देंगे ? आपने कंटिन्जेन्सी प्लान बनाया है इसमें भी आपने बहुत ही कम बजट रखा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि कोई सम्बन्ध नहीं है इसमें राजनीति का, हर गांव के अन्दर हर पार्टी का व्यक्ति रहता है। वह गरीब हो या अमीर हो लेकिन हर पंचायत में कम से कम 200–300 मजदूर लगने चाहिये, जहां तक हो सड़कों का काम होना चाहिये और हमने जो कलक्टर को प्रस्ताव भेजे हैं उन पर काम होना चाहिये। यदि आप गिट्टी रोड बनाते हैं, डामर रोड बनाते हैं तो और भी अच्छा है। वह पैसा सही लगेगा लेकिन यह काम भी आप अकाल राहत मजदूर लगाकर करें ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मजदूरी मिल सके।

मेरा निवेदन है कि जो आज हमारी स्कूलें हैं जैसे ढोकियों की ढाणी है, नवातला है, कालातला है वहां पीने के लिये एक बूंद भी पानी नहीं है बच्चों के लिये, बोतलों में पानी लेकर घर से जाते हैं। उसके लिये भी एक टैंकर स्वीकृत किया गया था पर बाकी

(श्री अमराराम चौधरी)

गांवों के अन्दर टैंकर अभी तक शुरू नहीं किये गये हैं जब कि इन्होंने कहा था कि हम बहुत ही जल्दी टैंकर शुरू कर रहे हैं। मैंने जो 51 प्रस्ताव कलक्टर को दिये हैं उससे सारी कान्स्टीट्यूएन्सी कवर होती है। हर गांव में कुछ ऐसी सड़कें भी हैं जो पहले अकाल राहत के समय हुईं, वे अधूरी पड़ी हैं उनको पूरा कराया जाये ताकि वे हमेशा के लिये पूरी हों। कुछ ऐसी सड़कें हैं जिन पर पहले अर्थवर्क हो गया लेकिन उस पर ग्रेवल नहीं डाला गया इसी कारण से सारा पैसा पहले भी बेकार गया और आगे भी जाएगा। इसलिये मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि अकाल राहत कार्य शीघ्र से शीघ्र खोलें और बाड़मेर जिले के अन्दर कम से कम एक लाख मजदूरों को काम पर लगाया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में जब आप एक गांव में नहीं मान रहे हो तो एक गांव कैसे रह गया, कुछ समझ में नहीं आता। जबकि चारों तरफ के गांव अकालग्रस्त हैं तो क्या वहीं बरसात हो गयी? जब मैंने यह पूछा तो कलक्टर ने कहा कि यह हमारी गलती से रह गया। कोई बात नहीं। मेरा निवेदन है कि आप शीघ्र ही अकाल राहत कार्य खोलकर पचपदरा क्षेत्र में कम से कम 20 हजार मजदूर लगाएं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान में भयंकर अकाल की स्थिति है और मेरा क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं है। मेरा इसमें माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 343 गांव हैं जिसमें कम से कम 243 गांवों में अकाल की स्थिति है। जिस ढंग से अकाल पर मजदूरों का बंटवारा होता है और काम की सैंक्शन होती है मेरा निवेदन है कि पूरे जिले की जो स्वीकृत होती है उन गांवों में जितने गांव अभावग्रस्त हैं उनके पर्सेन्टेज के हिसाब से उनको डिवाइड किया जाये जिससे सभी जगह बराबर के काम चालू हों। यह सही है कि कुछ क्षेत्रों में अकाल की स्थिति ज्यादा खराब है, उनके लिये आप विशेष व्यवस्था करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु इस नाते हमारे क्षेत्र में तो अकाल राहत कार्य कम खोले जाएं और दूसरे क्षेत्र में ज्यादा खोले जाएं, यह स्थिति ठीक नहीं है। इसके अलावा अकाल राहत में काफी कुछ सड़कें स्वीकृत हुई हैं। पंचायत हैडक्वार्टर भी हैं। पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से करायी जा रही हैं तो पुलियाओं का निर्माण भी कराया जाना चाहिए। बरसों से लोग पुलियाओं की इच्छा कर रहे हैं, आवागमन के साधन नहीं है। पुलियाओं का निर्माण होने से उन लोगों को गांवों में आने-जाने में सुविधा रहेगी। जैसे खाजरोल से महुआ तक अकाल राहत में सड़क स्वीकृत होकर कार्य चल रहा है। 28 लाख रुपए की स्वीकृति है और करीब 150 मजदूर उस पर लग रहे हैं। महुआ में एक अवली नदी पड़ती है उस पर अगर पुलिया बन जाए छोटी-सी, 4-5 फीट की। बरसात में 30-40 गांवों के लोग आ नहीं सकते, उनका जीवन बड़ा नारकीय हो जाता है। कोई आदमी बीमार हो जाता है, तो मरने की स्थिति में हो जाता है परन्तु उसको अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सकता है। राशि भी बहुत बड़ी स्वीकृत है और ग्रेवल रोड ही सैंक्शन की है, उसमें यह पुलिया बन

(श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी)

जाए। मैं तो यह निवेदन करूंगा माननीय मंत्रीजी से कि जो ग्रेवल रोड आपने सैंक्शन की है, जो राशि स्वीकृत की है, पी.डब्ल्यू.डी. के मैजरमैण्ट को देखें तो उसमें मिट्टी की रोड भी हो सकती है, डामर भी हो सकता है। इसलिये मिट्टी रोड की स्वीकृति दिलाएं जिससे वह सड़क सुदृढ़ रहे, सुचारू रहे और उसमें रोलर का भी प्रयोग करें जिससे उसमें स्थायित्व आए।

इसके साथ, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पेयजल की गम्भीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के ग्राम आमा में माननीय पी.एच.ई.डी. मंत्री राष्ट्रपति शासन के पहले जब सरकार भंग नहीं हुई थी, पधारे थे और एक ट्यूबवैल सैंक्शन किया था। वह ट्यूबवैल सरकार भंग होने के 5–7 दिन पहले लग गया, परन्तु दुर्भाग्य से दो साल होने आए, उस ट्यूबवैल से एक बूंद पानी गांव के लोगों को नहीं पिलाया गया है। वहां ट्यूबवैल लगा हुआ है लेकिन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से उनकी अकर्मण्यता की वजह से उस ट्यूबवैल का उपयोग नहीं हो पाया और गांव की जनता आज भी प्यासी मर रही है। इसको जल्दी से जल्दी चालू कराकर गांव के लोगों को पीने के पानी की सुविधा दी जाए।

इसी प्रकार मेरे माण्डलगढ़ में रीआर्गेनाइजेशन स्कीम के तहत चार साल पहले एक स्कीम बनी। करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो गये परन्तु चार साल से आज दिन तक उस टंकी में पानी नहीं पहुंचा है। मेरे विधायक बनने के बाद मैंने उस योजना को उठाया, दो महीने हो गये उस बात को पर पाइप कभी आगे से फट जाता है कभी पीछे से फट जाता है। न जाने शिवचरण जी माथुर कौनसी सीमेण्ट फैक्ट्री से पाइप लाये कि वे पाइप फट रहे हैं और पानी पहुंच ही नहीं रहा है। यह स्थिति वहां की हो रही है इसलिये इस पर ध्यान देकर इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए।

इसी प्रकार मेरे क्षेत्र में जगपुरा, दामणिया और हरपुरा की एक स्कीम बनी थी। उसमें दामणिया में पानी पिलाया जा रहा है और जगपुरा में पाइप लाइन बिछी हुई है, टंकी बनी हुई है, हरपुरा में पाइप लाइन बिछी हुई है, टंकी बनी हुई है। आज चार साल हो गये उस बात को, उस पाइप लाइन और टंकी में पानी नहीं पहुंचा है, इसलिये उस अधूरी स्कीम को पूरा किया जाए।

इसी प्रकार ग्रामा अरचीपुरा के नाम से एक स्कीम सैंक्शन हुई थी। बरसों पहले भाखले में कुआ भी खुद गया परन्तु वह स्कीम सैंक्शन नहीं हुई। उसके बाद विभाग से मैंने निवेदन किया कि यह स्कीम ठीक नहीं है, इसको टुकड़ों में बांटकर, अलग–अलग गांवों के लिये नये प्रपोजल बनाकर उसको सैंक्शन किया जाए। परन्तु आज तीन महीने हो गये हैं, इस दिशा में कार्य में प्रगति नहीं हुई है। अतः इस स्कीम को तुरन्त बनाकर चालू कराया जाए।

इसके अलावा मेरा निवेदन एक और है कि मेरा क्षेत्र उपरमाल क्षेत्र है, वह अभावग्रस्त गांवों में नहीं आता है, फसलों के मापदण्ड के अनुसार अकाल की स्थिति में

(श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी)

नहीं आता है। परन्तु उस क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या है। आज मेरे बिजौ-लिया में पीने के पानी का भयंकर अभाव है। एक समय सप्लाई होती है वह भी आधा घण्टा, पन्द्रह मिनट, पांच मिनट और किसी किसी घर में तो पानी पहुंचता ही नहीं है। फिल्टर प्लाण्ट बनाया, वह फिल्टर प्लाण्ट तकनीकी खराबी के कारण चालू नहीं हुआ। उस फिल्टर प्लाण्ट के चालू नहीं होने की वजह से गांव के लोगों को गन्दा पानी पीने को मिल रहा है, बिलकुल काला पानी पीने को मिल रहा है और उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर हो रहा है। फिल्टर प्लाण्ट की 25 साल पहले सन् 1966 में योजना लागू हुई थी, उस समय की आबादी और आज की बिजौलिया की आबादी में बहुत फर्क है। रीआर्गेनाइजेशन स्कीम के तहत, जैसा मेरे प्रश्न के जवाब में बताया, केन्द्र सरकार को 87.70 करोड़ रुपये की योजना बनाकर भेजी गयी है। उस योजना में जल्दी से जल्दी केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को सहायता स्वीकृत कराएं जिससे कि बिजौलिया के लोगों को पीने का पानी मिल सके।

इसके अलावा हैण्ड पम्पों की बात और निवेदन करना चाहता हूं कि हैण्ड पम्पों को ठीक करने की दिशा में विभाग ने गम्भी-रता से प्रयत्न नहीं किये हैं। हैण्ड पम्पों की स्थिति यह है कि पाइप कहीं गल गये हैं, कहीं उनमें छिद्र हो गये हैं और कहीं वे फूट गये हैं। जब-जब हैण्ड पम्प ठीक करते हैं उनको काटकर या उनको बदलकर पाइप को ठीक कर देते हैं, चालू कर देते हैं। पर आज स्थिति यह है कि कई हैण्ड पम्पों में दो पाइप हैं, कई में तीन हैं। वाटर लेवल नीचे चला गया इसलिये कम से कम 100 फीट तक हैण्ड पम्पों के पाइपों की व्यवस्था की जाए और जो पाइप गल गये हैं, जो खराब गये हैं वे पाइप बदलने चाहिये। मेरे क्षेत्र में 450 हैण्ड पम्प खराब हुए पड़े हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र की अकाल की स्थिति बतायी है, माननीय पी.एच.ई.डी. मंत्री और अकाल राहत मंत्री महोदय इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे। आपने मुझे समय दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री खेतसिंह राठौड़।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : सभा-पति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यदि हमारे सामने पहले ही स्टेटमैण्ट पढ़ लिया जाता तो हमें कम से कम यह तो मालूम होता कि किस जिले में कितना लेबर लगा हुआ है। आज हम बिल्कुल अन्धकार में हैं, हमें यह कतई मालूम नहीं कि लेबर कितना लगा हुआ है, इन्होंने क्या सीलिंग मुकर्रर कर रखी है, उसमें से वास्तव में लेबर वहां पर कितना है, क्या पेमेण्ट हुआ है, कहां-कहां पानी की व्यवस्था की गयी है, किस तरह के काम चल रहे हैं, कितने सॉइल कन्जर्वेशन में लिये हैं, कितने अफा-रेस्टेशन में लिये हैं, कितनी सड़कें ली हैं। यह अगर स्टेटमैण्ट में जिलेवार आ गया होता। पहले हमेशा यह होता रहा है। फेमिन मिनिस्टर लम्बे समय तक गुलाब सिंह साहब भी रहे हैं और फेमिन मिनिस्टर परसराम जी मदेरणा भी बहुत रहे हैं, हमेशा एक स्टेटमैण्ट आ जाया करता था।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं भी रहा हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, आप भी रहे हैं।

श्री सभापति : लेकिन, माननीय सचेतक जी, आप तो सर्व विज्ञ हैं, आपसे क्या छुपा हुआ है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, मैं सबके हिसाब से आपके सामने यह निवेदन कर रहा हूं कि अगर वह होता तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी डिबेट होती और इनको भी बहुत उससे लाभ मिलता। नहीं तो यह सबसे गम्भीर विषय है।

श्री सभापति : मैंने मान लिया था, आप में ही मतभेद थे, मैं क्या करूं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब मैं मेरे चुनाव क्षेत्र से आगे कोई बात नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास और कोई मैटर है नहीं, न मेरे पास आपके स्टेटमैण्ट्स हैं कि जिनके तहत मैं कुछ निवेदन कर सकूं। अकाल के काम शुरू हुए हैं या नहीं हुए हैं, हमें यह भी पता नहीं। हमारे यहां पर शुरू में एक मीटिंग बुलायी थी कलक्टर साहब ने, जब यह असेम्बली शुरू नहीं हुई थी उससे काफी पहले। हम चार कांग्रेस के एम.एल.एज. थे और एक–दो आपकी पार्टी के भी थे। उन्होंने उस वक्त यह बात जरूर कही थी कि हमने ये काम सैंक्शन किये हैं लेकिन अभी तक मंजूरी ऊपर से नहीं आयी है, काम चालू नहीं हुए हैं। उसके बाद में जब असेम्बली आयी तब मैंने खास तौर से कलक्टर साहब से पूछा था। शेरगढ़ जो वर्स्ट हिट है, जहां पर रेगिस्तान ही रेगिस्तान है वहां पर दोसांखी गांव बहुत कम हैं, पीने के पानी की बेहद कमी है। इस महीने के अन्दर हमारी खुद की एक तहसील के अन्दर करीब 30 हजार लेबर लगा सकती थी आपके हिसाब से और आपने कितना लेबर लगाया कम से कम यह आंकड़ा तो मुझे दे दीजिये। उन्होंने मुझे कहा कि साढ़े आठ सौ लेबर आपके यहां लगी हुई है। आप खुद इस बात को सोचिये, बड़ी गम्भीर बात है, यह कोई खेतसिंह का प्रश्न नहीं है। कोई वह कान्स्टीट्युएन्सी मेरा ठेका नहीं है, वहां से आपके लोग भी जीतते आये हैं और हम भी जीतते आये हैं और यह ऐसा कोई दुश्मनी का प्रश्न नहीं है कि क्योंकि हम आपके विरोध में बैठ गये इसलिये वहां पर जनता का काम न हो। अगर यह आपका दृष्टिकोण है तो फिर भगवान ही मालिक है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : वहां ज्यादा करवा रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ज्यादा तो होगा या नहीं होगा, मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे तब मालूम होगा लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि भैरोंसिंहजी साहब ने बहुत बड़ा स्टेटमैण्ट दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि हम गरीब की तरफ देखते हैं, एक को भी भूखे नहीं मरने देंगे, एक को भी प्यासा नहीं मरने देंगे, हम हर प्रकार से उनके लिये व्यवस्था करेंगे। लेकिन जो व्यवस्थाएं आज चल रही हैं और जो व्यवस्थाएं पहले चला करती थीं, मान्यवर बहुत बड़ा अन्तर है, और मैं आपको निश्चित तौर पर यह निवेदन कर सकता हूं कि यह कोरा ढोल बजाने से जनता का पेट नहीं भरता। आप बात तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हकीकत में जाकर मौके पर जाइये। मैं तो आपसे यह निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, कि आप असेम्बली के मेम्बर्स की

(श्री खेतसिंह राठौड़)

एक कमेटी बनाइये और उनसे कहिये कि वह जाकर के हर जिले के अन्दर कुछ जगह चैकिंग करे कि जिससे आपको सही स्थिति तो मालूम हो सके कि वास्तव में लेबर लगा कितना है और उस लेबर को पैसा कितना मिल रहा है और इन्होंने कौन–कौन से ऐसे काम लिये हैं कि जिन कामों की वजह से वहां पर जनता का बहुत बड़ा हित होगा और वे बड़े परमानेंट काम होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी काम आज तक वहां शुरू किये गये हैं उन पर ये लेबर लगाते नहीं हैं, कहते हैं कार्ड बनवाओ और घर में से एक आदमी का कार्ड बनवाओ एक आदमी लगो। यहां पर भैरोंसिंहजी साहब ने कहा, नहीं, हमारे कोई कार्ड का सवाल नहीं है। मंत्रीजी ने भी यह कहा कि कार्ड का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, कार्ड कौन बनवाता है। वहां पर या तो आपका आर्डर कोई मानता है या आप अनभिज्ञ हैं कि आपको जानकारी नहीं है। निश्चित तौर पर कार्ड के बिना किसी भी मजदूर को मजदूरी पर लगाते हैं, हर घर में से एक ही व्यक्ति को लगाते हैं दूसरे को नहीं लगाते हैं। काम भी इतनी दूरी-दूरी पर हैं और इतनी बड़ी सड़कें जो अधूरी हैं वे रख दी हैं कि जिनके अन्दर एक मजदूर अगर मजदूरी करने जाए तो 7-8 किलोमीटर जाने के बाद में उसको काम पर लगाया जाय। वहां पर पुराने जमाने में, जैसे हमारे वक्त में इन्तजाम होता था सिरकियां भी लगती थी, पानी का इन्तजाम भी होता था, वहीं पर गेहूं का वितरण भी हुआ करता था और फिर वे मजदूर रात को रहते भी वहीं पर थे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कागजों में।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां–हां, रहते थे। वे काम हुआ करते थे और बड़ी लम्बी-लम्बी सड़कें बनी हैं। आज आपके इस राज के अन्दर....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बोलने दें, व्यवधान नहीं डालें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नजदीक–नजदीक काम आप खोल नहीं रहे हैं, मजदूर इतनी दूर नहीं जा सकता है और इस वजह से बड़ी परेशानी में, गरीबी की हालत में लोग पल रहे हैं। उनका बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। आप इस बात को जरा सीरियसली लीजिये। पीने के पानी की कोई व्यवस्था आपने नहीं की, आपकी जो स्कीमें चल रही हैं, भंवरलालजी साहब अभी यहां बैठे थे, चले गये दिखते हैं, हमने उनसे कहा था कि कुछ हैण्ड पम्प आप मंजूर कीजिये, कुछ खराब पड़े हैं, उनको ठीक करवाइये, कुछ ऐसी योजनाएं जो कई दिनों से बन्द पड़ी हैं उनको वापस से चालू करवाइये; जो जल योजनाएं दूर–दूर हैं उनके लिये बूस्टर लगाकर ऐसी व्यवस्थाएं कीजिये कि उन खारे पानी के गांवों को बराबर पानी मिलता रहे। लेकिन एक यहां उन्होंने मीटिंग की, उनको लिखित में दिया उसके बाद में मुख्य मंत्रीजी जोधपुर आये। वहां पर भी उन्होंने....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

करता हूँ कि सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया जाए ?

श्री सभापति : सदन की राय है ?

(स्वीकृत)

समय एक घण्टा बढ़ाया गया ।

प्राकृतिक आपदाओं से राहत पर चर्चा

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मुख्य मंत्रीजी स्वयं जोधपुर आये, उन्होंने यहां तक कहा कि मैं पहला मुख्य मंत्री होऊंगा कि जिसने आकर के मीटिंग ली। तो मैंने कहा कि पहले तो नहीं हैं, सुखाड़ियाजी ने भी यहीं मीटिंग ली थी। खैर, उस बात को छोड़िये। लेकिन इन्होंने अर्ली-इन-द-मार्निंग मीटिंग लेकर के वहां यह घोषणा की कि जोधपुर शहर के अन्दर भी पानी की व्यवस्था मुकम्मल हो जाएगी, आप जो आये हैं आपके इलाके में भी पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, मैं 50 हैण्ड पम्प और आपके यहां मन्जूर करके जाता हूँ। मैंने डिपार्टमेण्ट में पता लगाया तो कोई सवाल ही नहीं है कि ये बोलते हैं उसको कौन दर्ज करता है, कौन उसको आगे भेजता है। सुखाड़ियाजी के वक्त में यह था कि उन्होंने जो कह दिया उसी वक्त में उनका स्टेनो लिख देता था और उसी वक्त उसको टाइप करके और जिस महकमे में वह आर्डर जाना था वह आर्डर चला जाता था और 7वें दिन निश्चित तौर पर उसकी पालना हो जाती थी। इन माननीय मुख्य मंत्रीजी के उस मीटिंग करने के इतना समय गुजर जाने के बाद आज तक कुछ पता नहीं है। हम तो लोगों को यह आश्वासन देकर आ गये कि 50 हैण्ड पम्प श्रीमान् शेखावत साहब ने बड़ी प्रसन्नता से अपने को आवंटित किये हैं लेकिन एक भी हैण्ड पम्प शुरू नहीं हुआ न कोई खुदाई शुरू हुई।

श्री सभापति : 50 में कितने हुए ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक भी शुरू नहीं हुआ है, एक की भी खुदाई नहीं हुई। आप 50 दो तो 50 क्यों 100 लो, नहीं 100 नहीं 200 लो। अभी आगे तो नहीं कहना चाहता।

श्री किशनाराम नाई (श्रीडूंगरगढ़) : मुख्य मंत्रीजी तो आप पर तो बहुत खुश हैं, 100 मांगेंगे तो 200 देंगे। बड़ी प्रशंसा करते हैं आपकी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा था माननीय सभापति महोदय, कि अकाल को जिस गम्भीरता से सरकार को लेना चाहिये था उस गम्भीरता से सरकार ने नहीं लिया और इसलिये न तो लेबर लगी है न पीने के पानी की व्यवस्था हुई है और न जानवरों के लिये चारे की व्यवस्था आज तक हुई है। यहां पर तो यह कहा था कि हम हरा चारा भी भेजेंगे और सूखा चारा भी दूसरे राज्यों से लाना पड़ेगा तो हम लाएंगे, पास के जिले में अगर चारा है तो वहां से व्यवस्था कर देंगे पर आज तक तो व्यवस्था का कोई नामोनिशान नहीं है न अभी तक किसी को तय किया है कि कौनसी एजेन्सी होगी जिसके मार्फत यह चारा लाया जाएगा। कहीं पर भी हमारे जिले जोधपुर में तो नहीं है दूसरे जिलों की मैं कह नहीं सकता कि चारे की व्यवस्था की है या नहीं की लेकिन सब जगह यही हाल

(श्री खेतसिंह राठौड़)

बताया जा रहा है। इससे आप देखिये कि मवेशियों के मरने की सम्भावना है। आपने दाला या और कोई कैटलफीड की व्यवस्था नहीं की है इस वजह से जो केटल को मिलना चाहिये वह कुछ भी नहीं मिल रहा है।

इसी प्रकार से मैं यह भी निवेदन करूंगा कि कई अधूरे काम सोइल कंजर्वेशन के, एफोरेस्टेशन के और आपने सिंचाई के, एनीकट्स के अधूरे पड़े हैं और उन कामों के लिये आपने प्रोविजन किया ही नहीं है। आपने कुछ सड़कें मंजूर कर दीं और कुछ नाड़ियां थीं उनको पक्का करने के लिए 2–4 नाड़ियों को सैंक्शन कर दिया इसके सिवाय आज तक मेरी कांस्टीट्युएंसी में एक काम नहीं लिया है। इस वक्त में निश्चित तौर पर कम से कम 15 हजार लेवर इस कांस्टीट्युएन्सी में होने ही चाहिये। तीन लाख के करीब की आबादी, एक फसली इलाका, कम्प्लीट डेजर्ट, वहां पर और कोई साधन नहीं हैं जिससे लोग अपनी पेट भराई कर सकें। कहीं पर तो खानें होती हैं कहीं पर और बड़े काम होते हैं, मेरे यहां पर तो पत्थर की खानें भी बहुत थोड़ी हैं, इसलिये मैं आपसे खास तौर से निवेदन कर रहा था। माननीय मंत्रीजी, आप स्टेटमैण्ट तो पढ़कर सुना देंगे, आपने पहले भी हमको सुनाया है उसमें सारी बात कही है कि हम यह व्यवस्था कर रहे हैं और वह व्यवस्था कर दी है लेकिन हकीकत में व्यवस्था मौके पर नहीं होती है। मैं तो निवेदन करूंगा कि असैम्बली के ड्यूरेशन में पहले यह हुआ करता था कि जो एरिया वर्स्ट हिट होते थे वहां के एम.एल.एज. को मिनिस्टर कहा करते थे कि आप वहां आ जाओ तो दोनों वहां जाकर के मौके पर ही क्या-क्या काम चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं, उनमें क्या बाधाएं आ गयी हैं, उनको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, कितना लेबर बढ़ा सकते हैं और वहां की कितनी ग्रेबिटी है, कितने लोगों को और लगाना चाहिये

(19.00)

ये सारी व्यवस्थाएं स्वयं किया करते थे। (व्यवधान) हां, मौके पर जाकर धान की दुकान खोलनी है तो नयी दुकानें खुलवाते थे, धान का कोटा बढ़ाना है कोटा बढ़ा देते थे। यह जॉइन्ट रेस्पोंसिबिलिटी है, यह जरूरी नहीं है कि आपके साथ फूड मिनिस्टर भी चले, वह भी चले। मुख्य मंत्रीजी जाएं तो सबको जाना चाहिये था, लेकिन आप भी जाओ तो कम से कम इलाके को देखते हुए। जहां धान की कमी है, जिन इलाकों के अन्दर धान दूर है, दूसरी दुकानें खोलनी हैं, कोटा बढ़ाना है अगर आज उनको 4 किलो मिल रहा है तो अगर 7-8 या 10 किलो कर देते हैं तो उससे उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। धान के अन्दर फेमिन के हिसाब को देखते हुए अगर कुछ और एडिशनल एड वगैरह दे सकें तो और भी खुशी की बात होगी।

इसी प्रकार से पानी के लिये 3–4 तरीके हैं। हमारे यहां करीब 32 ऐसे इलाके हैं जहां पर बिलकुल खारा पानी है। हर फेमिन के अन्दर वहां पर 5–7 बड़े-बड़े टैंकर्स लगाये जाते थे और उन टैंकरों से मीठा पानी उन गांवों में पहुंचाया जाता था। गांवों के लोगों के पास में खारा पानी तो काफी है, उस मीठे पानी को खारे पानी में

(श्री खेतसिंह राठौड़)

शामिल करके खुद भी पीते है और जानवरों को भी पिलाते हैं। अभी तक उसकी भी पूर्ण व्यवस्था नहीं हुई है। शेरगढ़ के अन्दर आपके टैंकर अभी नहीं पहुंचे हैं न उन लोगों के लिये कोई पीने के पानी की व्यवस्था हुई है। मैं तो उनसे कहता हूं कि भाई, मैं क्या करूं, मैं तो अपोजीशन में आ गया हूं, राज डूबा हुआ है और +++ भैरोंसिंहजी का राज ज्यादा चलने वाला नहीं है। ये सब बातें कह करके उनको (व्यवधान) तसल्ली दे देता हूं। आप खुद सोचिये मेहरबानी करके, आप अगर तसल्ली से ही काम चलाना चाहते हैं तो मामला सब गड़बड़ है। इसलिये मेहरबानी करके ज्यादा काम खुलवाइये लेबर बढ़वाइये, चारे का बन्दोबस्त कीजिये, पीने के पानी का कीजिये, पीने के पानी के लिए टैंकर लगाइये, पिवाई दीजिये। पिवाई के लिये भी वहां पर व्यवस्था है, ऐसे कुएं हैं जिन पर हर साल पिवाई देते आये हैं वहां पर पिवाई दीजिये। आज तालाबों के अन्दर पानी है वह गन्दा होता जा रहा है, उस पानी के अन्दर ऐसी दवाइयां डालिये जिनसे कीड़ें मर जाएं और पीने के लायक पानी रह जाए। हर फेमिन में ऐसा होता आया है। वहां पर कुछ दवाइयों की व्यवस्था कीजिये, उनको आप बी-काम्पलेक्स विटामिन्स देने के लिये भी कुछ व्यवस्था करवाइये। जो हम पुराने वक्त से करते आये हैं उसकी नकल तो कर लीजिये, नये काम ध्यान में नहीं आए तो मत करो, कोई बात नहीं है लेकिन पुराने काम जो हमेशा उन तहसीलों के अन्दर, उन इलाकों के अन्दर होते आये हैं वे तो कृपया वापस शुरू कीजिये जिससे उन लोगों को राहत मिले और सही मायने में काम हो। मजदूर आप ज्यादा बढ़वाइये और आप कलक्टर को यह आदेश दीजिये कि तहसील के अन्दर मैं आ रहा हूं दौरे पर, कम से कम 10 हजार मजदूरों को मजदूरी मिलनी चाहिये, यह मैं देखूंगा। तब तो कुछ दौड़-भाग होगी, कुछ काम भी होंगे। आप अगर सीधे अपने इलाके भीलवाड़ा में ही और उधर ही पधार जाओ और कभी दर्शन ही नहीं दो तो अपने आप उन लोगों को काहे को चिन्ता होगी। जब तक मिनिस्टर का दौरा नहीं हो, खुद आप मौके पर जाकर मीटिंग्स नहीं करें। हम तो फेमिन की बैठकों के इन्चार्ज मिनिस्टर बनाया करते थे और उस मिनिस्टर को पूरे अख्तियार देते थे कि उस जिले के अन्दर जो कोई कमियां हैं चाहे पानी की हों, चारे की हों और चाहे और किसी चीज की हों तो उस मिनिस्टर को ही अधिकार था कि वहीं पर सैंक्शन कर दिया करते थे कि ये काम आप और शुरू कर दें। पर आपके यहां तो पूरा रूलियारा है, कुछ पता ही नहीं पड़ता है कि किसके पास क्या पावर्स हैं, किस के पास क्या पावर्स नहीं हैं। यह तो कुछ कम से कम तय करो। क्योंकि श्री चतुर्वेदी जी भी आ गये हैं और भूतपूर्व मंत्री बैठे हैं फेमिन के, उन सभी से मैं खास तौर से यह कहूंगा कि आप एक-एक जिले के या दो-दो जिले के एक एक मन्त्री को जिम्मेवार बनाइये, मजबूत मन्त्री को जिम्मेवार बनाइये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बना दिये हैं।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप जैसे मंत्री खुद आएं मौके पर, कोरे भाग-भाग कर कोटा जाकर आ जाते हो। यह राजस्थान बहुत बड़ा है, ठेठ पाकिस्तान तक सीमा लगती है। मेहरबानी करके आप उधर के इन्चार्ज भी बनिये और....

श्री सभापति : आप उधर ले जाना चाहते हैं क्या माननीय श्री चतुर्वेदीजी को?

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्यों नहीं, क्या हर्जा है ?

श्री सभापति : कोटा में अकाल नहीं पड़ता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कोटा में तो कोई अकाल नहीं है ये तो ख्वामख्वाह यह कह देते है कि हमारी फसलें गल गयी हैं। इनकी फसलें तो गलती हैं और हमारी फसलें जलती हैं, तो मारे तो हम जा रहे हैं ना। हमारे यहाँ फसल नहीं है इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि आप यह धान की भी व्यवस्था करवाइये; मिनिस्टर्स को इन्चार्ज बनवाइये। मिनिस्टर्स मौके पर वहां जाए, फेमिन रिलीफ कमेटी की मीटिंग्स में उनको खुद को बैठना भी चाहिये, वहां की प्राब्लम्स को समझना चाहिये और उसी वक्त आपको आर्डर्स देने चाहिये कि इस हैसियत से आयें। बाकी वहां बैठकर, सुनकर उठकर चले जाएं उससे तो कोई मतलब नहीं है। आपके भी सैक्रेटरी आये थे बहुत बड़े सैक्रेटरी हैं श्री पी.एन. भण्डारी, जिनका नाम खूब चला है, उनको आपने पानी का सैक्रेटरी बनाया है, उन्होंने वहां एक मीटिंग ली। वैसे हम सैक्रेटरी की मीटिंग में जाया नहीं करते हैं, परन्तु उनकी मीटिंग में हमने सोचा कि शायद कुछ मंजूरियां होंगी। हमने उनसे पूछा कि आप किस हैसियत से आये हैं और क्या आप मंजूरियां देंगे तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपको सुनने के लिए आया हूं। मैंने कहा कि सुनाने के लिए हम असेम्बली में ही सुना देंगे फिर आपको सुनाने से क्या नतीजा निकलेगा।

इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि इस बात को यूं मत टालिये, बैठकर कैबिनेट में विचार कीजिये। आप बड़े मिनिस्टर हैं इसलिये जिन जिलों के अन्दर भयंकर अकाल की स्थिति है उन 2-2 जिलों के इन्चार्ज बनिये। आपको पहले से प्रोग्राम देना चाहिये कि इस तारीख को मीटिंग रखी है, सारे एमएलएज. को उस मीटिंग में बुलवाइये और लोग भी आवें और सब की बात सुनने के बाद वहीं पर जो आपको फैसले करने हैं तुरन्त कहिये कि इनके यहां ये दो सड़कें और बना दीजिये, इनके यहां ये ये काम और हो जाना चाहिये, इनके यहां यह काम हो जाना चाहिये। यह होता था, इसी प्रकार से फेमिन को मीट आउट किया जाता था। निश्चित तौर पर वे काम होते थे और उससे एक सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता था। आज कलक्टर्स के भरोसे ही सारे काम छोड़े हुए हैं तो लुटिया डूबने को ही है और मामला आपका गर्क होने को है; यह मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री हरिनारायण जी बैरवा।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैंने नाम दिया था सुबह।

श्री सभापति : आपका नाम है, आप निश्चित रहिये। माननीय सदस्य, माननीय सचेतक महोदय ने जो मुझे सूची दी है

(श्री सभापति)

उसी क्रम से मैं पुकारूंगा, क्रम दिया है उन्होंने और जो निर्दलीय विधायक हैं एक-एक दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों के बोलने के बाद आपको नम्बर दूंगा। बीच में दे चुका मंगलारामजी।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हरिनारायण (खण्डार): माननीय सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र अनुसूचित जाति का क्षेत्र है, यहां की ज्यादातर जनसंख्या अनुसूचित जाति की है। पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी नगरपालिका नहीं है और न कोई शहर है, पूरे के पूरे गांव हैं। पूरे के पूरे गांव होने के कारण सभी कृषि पर आधारित रहते हैं। इस वर्ष बरसात कम होने के कारण अकाल की स्थिति बनी हुई है और पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। खेतिहर मजदूर खेती पर आधारित थे और जब किसान के पास ही अनाज नहीं है तो खेतिहर मजदूर के पास कहां से आएगा। बहुत-से मजदूर तो यहां जयपुर में पड़े हुए हैं, बहुत-से मजदूर दिल्ली निकल गये हैं। उनको जहां-जहां भी कमाई के साधन मिलते हैं वहां वे पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं इसलिये ज्यादा से ज्यादा राहत कार्य क्षेत्र में खोले जाएं और आगे अकाल से बचने के लिये वहां सिंचाई के साधन बढ़ाये जाएं। मेरा विधान सभा क्षेत्र चम्बल और बनास नदी से तीन ओर से घिरा हुआ है इसमें मिनी लिफ्ट सिंचाई योजनाएं चालू की गयी हैं। पहले भी पीपल्दा और पीपलेट में सिंचाई की लिफ्ट योजना स्वीकृत हो चुकी थी पर उसको चालू नहीं करवाया गया। केन्द्र से राज्य सरकार को फाइल लौट आयी है कि इनको बजट में ले लिया जाए लेकिन उनको इस बजट में नहीं लिया गया है। इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि पीपलेट और पीपल्दा की लिफ्ट सिंचाई योजना को चालू करवाया जाए। गांवों में अकाल के समय में कुएं सूख गये हैं इसलिए डी.आर.डी.ए. के द्वारा उनके अन्दर ब्लास्टिंग करवायी जाए। काश्तकार अपने कुओं की सफाई करेंगे और मलबा खुद निकालेंगे और ब्लास्टिंग की व्यवस्था गवर्नमैण्ट करवाये, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जो चितोला गांव है उस गांव में अभी 11 तारीख को, जहां कई सिंचाई के साधन थे वहां थोड़ी-बहुत पैदावार हुई, वहां और खलिहानों में आग लगने के कारण जल गयी है। तहसीलदार ने इसकी रिपोर्ट दी है, करीब 3 लाख 11 हजार की फसल जली है, इसलिये वहां के जो किसान हैं उनको उस जली हुई फसल का मुआवजा दिया जाए, क्षतिपूर्ति की जाए और उस गांव के परिवारों को काम पर लगाने के लिये राहत कार्य खुलवाये जाएं।

पीने के पानी की बड़ी भारी किल्लत मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही नहीं पूरे जिले में आ रही है, हैण्ड पम्प्स सारे के सारे खराब पड़े हुए हैं। जो हैण्ड पम्प सुधर सकते हैं उनको सुधारा जाए और जो हैण्ड पम्प कोलेप्स हो गये, जो सुधर नहीं सकते उनकी जगह नये हैण्डपम्प लगाये जाएं। वैसे मेरा विधान सभा क्षेत्र और जिला चम्बल नदी के किनारे हैं और चम्बल नदी में अथाह पानी है इसलिये पानी की व्यवस्था चम्बल और बनास नदी से करवाई जाए ताकि हमेशा के लिये यह परेशानी दूर हो

208

(श्री हरिनारायण)

जाए। वैसे 2000 तक की आबादी पर आपने पनघट योजना लागू करने के लिये कहा है और 2000 की आबादी में ऐसे गांव नहीं आते क्योंकि रेवेन्यू रिकार्ड में तो अलग-अलग हैं लेकिन वे आपस में पास-पास में बसे हुए हैं, एक किलोमीटर के दायरे में 3-3 गांव हैं इसलिये उनको मिलाकर एक योजना लागू की जाए, यह मेरा आपसे निवेदन है।

जो पानी सिंचाई में चला जाता है उसके बाद में बांधों से जो जमीन निकलती है उसको प्रभावशाली लोग शहरों से आकर जोत लेते हैं वहां के नायब तहसीलदार, तहसीलदार और पटवारियों से मिलकर। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वहां के जो काश्तकार हैं उनको ही वह जमीन अलाट की जाए और बाहर के जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनको वह जमीन जोतने से मना किया जाए, वह उनको नहीं दी जाए।

श्री सभापति : अकाल पर बोलिये, माननीय सदस्य।

श्री हरिनारायण ; अकाल पर ही है, पैदावार के ऊपर ही है। अकाल के कारण चारे की बड़ी भारी समस्या पैदा हो गयी है इसलिए चारे के लिये सरकार के द्वारा जो सरकारी डिपो खोले गये हैं उसके द्वारा किसानों को चारा वितरित किया जाए और जो गाय-भैंसें हैं जिनको काश्तकार छोड़ देते हैं उनके लिये कहीं भी गौशाला बनाकर उनकी सरकारी खर्चे से व्यवस्था की जाए। सहकारी समितियों के और बैंकों के जो कर्जे हैं अभी अकाल का समय है, काश्तकार कर्जा चुकाने में असमर्थ हैं इस-लिए ऐसे कर्जों के ऊपर रोक लगायी जाए और जब भी उनकी पैदावार हो तब उनसे कर्जे की वसूली की जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में चम्बल और बनास में बड़े-बड़े नाले हैं, उन पर एनी-कट्स बनाये जाएं। एनीकट्स बांधने से पानी रुकेगा, कुओं का जल स्तर बढ़ेगा, सिंचाई के साधन भी बढ़ेंगे और आदमी और जानवरों के लिये पीने का पानी भी मिलेगा। एक योजना अमीरसागर की थी जिसके पहले फील्ड डायरेक्टर फतेहसिंह थे, उन्होंने क्षेत्र से द्वेषता के कारण उस योजना के ऊपर यह लिख दिया कि यदि यह बांध बंध गया तो इस अमीरसागर बांध के पानी से यहां की वन सम्पदा नष्ट हो जाएगी और अभी जो सी.एफ साहब हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में कहिये।

श्री हरिनारायण : मैं एक दिन सी.एफ. साहब से मिला था और बैठकर उस पर विचार-विमर्श किया था। उन्होंने यह कहा था कि यदि यह बांध बंध गया तो इससे वन सम्पदा नष्ट नहीं होगी बल्कि इससे बांध परियोजना के जानवरों को पीने का पानी मिलेगा। वन सम्पदा भी इससे ज्यादा हो जाएगी और काश्तकारों को सिंचाई के साधन मिलेंगे यह एक अच्छा साधन है, इसको जल्दी लागू किया जाए।

श्री सभापति : धन्यवाद, माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री हरिनारायण : एक मिनट जीवन-धारा को आपने बन्द कर दिया है, जीवन-धारा में जो कुएं खुद गये हैं उनको पूरा किया जाए।

श्री सभापति : जीवनधारा से इसका कोई मतलब नहीं है, विराजिये। श्रीमती कमला (अनुपस्थित) श्री रामपाल उपाध्याय।

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : सम्मानीय सभापति महोदय, जब राजस्थान के मंत्रिमण्डल के विभागों का आवंटन हुआ.... (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं आपके सचेतक महोदय की सूची से बंधा हुआ हूं। (व्यवधान) जब भी नम्बर आएगा तो पुकारूंगा। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : मेरा नाम नहीं है।

श्री सभापति : आपका नाम मेरे पास है। (व्यवधान)

श्री रामपाल उपाध्याय : श्रीमन्, जब राजस्थान के मंत्रिमंडल के मंत्रियों के विभागों की घोषणा हुई और उस समय जब सांवरलाल जी का नाम अकाल और प्राकृतिक आपदा और सहायता के बारे में आया तो मैं समझता हूं....(व्यवधान)

श्री सभापति : हां बोलिये, बोलिये, रामपाल जी।

श्री रामपाल उपाध्याय : हां तो मैं निवेदन कर रहा था, उस समय प्रोफेसर सांवर लाल जी नाम आया, मैं समझता हूं मेरे जैसा व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ कि एक विद्वान आदमी, एक दूरदृष्टा और कल्पनाशील व्यक्ति ने इस काम को सम्भाला है। मैं समझता हूं उनको अपनी दूरदृष्टि दिखाने का, अपनी कल्पनाशीलता दिखाने का सबसे अच्छा सुअवसर मिला और अकाल और सहायता, जैसे विभाग में जिसमें लाखों-लाख रुपये खर्च होंगे, करोड़ों-करोड़ रुपये खर्च होंगे, उसमें बहुत ही सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से चलने की कृपा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर भीलवाड़ा और बाड़मेर दो जिले अकाल से सर्वाधिक प्रभावित हैं और भीलवाड़ा में भी 11 तहसीलों में दुर्भाग्य यह है कि मेरा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित है। (व्यवधान)

श्री सभापति : रामपाल जी....

श्री रामपाल उपाध्याय : सभापति महोदय, मैं क्या करूं ?

श्री सभापति : इसका तो मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री रामपाल उपाध्याय : यह हमारा दुर्भाग्य है, और क्या कहें ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये, माननीय सदस्य। माननीय खेतसिंह जी, मुझे आप एक सूची दे दें, बार-बार कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं, दो सूची में से एक सूची बनाकर दे दीजिये। हां, रामपाल जी, बोलिये।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, अकाल में सहायता किस प्रकार हो। सबसे पहले तो मेरा आपसे अनुरोध यह है कि इंसान... (व्यवधान)

श्री सभापति : यह एक और मेरे पास आपकी सूची पड़ी है (व्यवधान) हां, बोलिये, रामपाल जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप इनको एक साथ सारी दे दें। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, मुझे माननीय सचेतक जी जो क्रम देंगे उसी क्रम में मैं पुकारूंगा।

श्री रामपाल उपाध्याय : सारा गुड़-गोबर कर दिया है।

श्री राजेन्द्र पारीक : सचेतक महोदय के नाम से कहीं राजेन्द्र जी राठौड़ तो नहीं दे रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, राजाराम और खेताराम में बहुत फर्क है। ये खेतसिंह जी हैं और ये राजेन्द्र सिंह जी हैं, राठौड़ ही हैं दोनों। माननीय रामपाल जी बोलिये। माननीय सदस्य को बोलने दीजिये। अपने वरिष्ठ सदस्य हैं, अकाल से गम्भीर रूप से प्रभावित जिले से आये हैं, बोलने दीजिये इनको (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यहां चर्चा ठेकों पर हो रही है।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं निवेदन करना चाह रहा था कि राजस्थान में गवर्नमेन्ट के हिसाब से सर्वाधिक खराब हालत में पहले भीलवाड़ा जिला है और दूसरा बाड़मेर जिला है। इस बार भीलवाड़ा जिले में बरसात भी कुछ क्षेत्र में 10 प्रतिशत हुई है, कुछ में 15 और कुछ में 20 प्रतिशत ही हुई है और 11 तहसीलों में काफी खराब हालात हैं। आप यह जानते हैं कि जब बरसात नहीं होती है तो सभी तरह की प्राकृतिक आपदाएं जितनी होनी चाहिये वे सब उत्पन्न हो जाती हैं। चाहे अनाज का मामला हो, जब बरसात नहीं बरसती तो फसल पैदा नहीं होती, फसल पैदा नहीं हुई तो किसानों को काम करने का अवसर नहीं मिला, फसल पैदा नहीं हुई तो अनाज नहीं हुआ, फसल पैदा नहीं हुई तो जानवरों के लिये घास की व्यवस्था नहीं हुई, फसल पैदा नहीं हुई तो इंसान अब मारा-मारा डोलने लगा और बरसात नहीं हुई तो पानी नहीं है पीने का। पीने के पानी के लिये माननीय भंवरलाल जी शर्मा का विभाग जिस कदर काम कर रहा है वह तो जब होगा उस समय बात करेंगे, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई विभाग और कोई क्या करेगा जब जल का स्तर इतना गहरा जा रहा है। इंसान को तो एक जगह पानी नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह वह पानी पिएगा लेकिन पशु के लिये पानी की बहुत कमी है, पानी है ही नहीं। मैं मेरी तहसील सहाड़ा का उल्लेख करके बताना चाहता हूं कि श्रीमन्, वहां पर 300-350 तालाब हैं उनके अंदर कोई एक ऐसा तालाब नहीं जिसमें एक बूंद पानी आया हो। सारे कुएं सूख गये, नालों में पानी नहीं, नदियों में पानी नहीं, ताल-तलैया में पानी नहीं और कहीं पानी नहीं है, श्रीमन्, ऐसी परिस्थिति में वहां का पशु कैसे रहे। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो फेमिन रिलीफ कोड है उसके अंदर यद्यपि संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि कोड को बने हुए बहुत लम्बा समय हो गया है, अगर आवश्यकता हो तो भारत सरकार या राजस्थान सरकार जिसका सीमा क्षेत्र हो वह उसमें परिवर्तन करे तो बहुत अच्छा हो।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सुखाड़िया साहब के समय में काफी

(श्री रामपाल उपाध्याय)

अकाल राहत कार्य चले। लेकिन हमारे सामने अगर आप देखें, 1986 से, आप मेरे से शत प्रतिशत सहमत होंगे कि हरिदेव जोशी जी के समय में अकाल राहत कार्यों का एक रेकार्ड बना। उसे मैं स्वर्णिम युग कहना चाहता हूं कि ऐसा काम हुआ उस समय कि....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अकाल पड़े प्रदेश में और आप स्वर्णिम युग कह रहे हैं।

श्री रामपाल उपाध्याय : आप माननीय राठौड़ साहब, इतने विद्वान व्यक्ति हैं कि मैं आपके लिये कुछ कहना नहीं चाहता। यह उस दर्द भरे इंसान की कहानी कह रहा हूं, यह अमीर की कहानी नहीं है गरीब की कहानी है जिसके पेट में अन्न नहीं है जिसकी आंखों में पूरी रोशनी नहीं पड़ रही है अकाल के कारण जिसके पशु गिड़गिड़ा रहे हैं, जिसके बच्चे अनाज के बगैर बैठे हैं उनकी कहानी कह रहा हूं और आप और हम सब मिलकर यह कहानी लिख रहे हैं और आप इस प्रकार से मजाक, हंसी और छोटेपन से बात को ले रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं और बहुत गम्भीर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि यह आपका और हमारा सबका दायित्व है अब इस दायित्व का निर्वहन हम कैसे करें ? हमारा यह दायित्व है कि यह जो प्राकृतिक आपदा आयी है इस प्राकृतिक आपदा का कैसे साहस, हौसले, समन्वय, एकता और मजबूती से मुकाबला करें। इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिये, न धर्म नीति आनी चाहिये, न वर्ग नीति आनी चाहिये। इसमें आनी चाहिये केवल इंसान की नीति कि आपकी और मेरी इंसानियत क्या अलाउ करती है। अगर आपका पशु तड़प रहा है और मेरा पशु पानी पी रहा है तो उस तड़पते हुए मूक पशु को कैसे जिंदा रखें, यह आवश्यकता है इस पर आज आप विचार करिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं कि आज हमारे सामने जो काम चल रहे हैं उनकी स्थिति देखिये कि 10 किलोमीटर लम्बी सड़क की मंजूरी हो गयी और दूसरे दिन अखबारों में निकल गया कि एक्स से वाई पाइंट तक की 10 किलोमीटर की सड़क पर 50 लाख रुपया मंजूर हुआ। माननीय सभापति महोदय, मैं विनम्र भाव से निवेदन करना चाहता हूं कि उस सड़क पर मजदूर कितने हैं, 45 । 10 किलोमीटर लम्बी सड़क पर 45 मजदूर और 50 लाख रुपये–एक करोड़ रुपये की सड़क मंजूर हो गयी। आज यह व्यावहारिक तकलीफ आ रही है कि उसमें 10 गांव पड़ते हैं, 8 गांव पड़ते हैं, 5 गांव पड़ते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे कार्यक्रम को भी हमें एक समन्वित रूप से देखना चाहिये। मुझे खुशी है कि अभी हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री भी यहीं हैं। इस अकाल का मूल उद्देश्य है इंसानों को जिंदा रखना, पशुओं को जिंदा रखना, उनको काम देना और पशुओं व इंसान के लिये पानी की व्यवस्था करना। आप जल स्तर की क्या हालत देखते हैं। आज एक समस्या हो गई इस मार्च में कि जल स्तर नहीं के बराबर है। कई वाटर वर्क्स बंद हो गये हैं, कई कुइयां बंद हो गयी हैं। मंत्री महोदय, आप गांव के हो, धरती पुत्र हो, किसान के लड़के हो इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे गांव की जो सार्वजनिक कुइयां हैं वे सूख गयी हैं,

(श्री रामपाल उपाध्याय)

हमारे हैण्ड पम्प जिस जमाने में लगे थे, आपको पता है कि उस समय जल स्तर ऊपर था, चाहे वह सीकर हो, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे भिनाय हो या अजमेर हो, उस समय 70 से 90 फीट तक खोदे हैं। उसके बाद आज जल स्तर हमारा 200–250 फीट नीचे चला गया है जिससे सारे हैण्ड पम्प बेकार हो गये हैं, नकारा हो गये हैं और जिन हैण्ड पम्पों में पानी है उनके पाइप इतने सड़ गये हैं कि उनमें पीला–पीला पानी आता है। आज बड़ी परेशानी है। इस सारे मामले में कैम्पेन चलाया जाता है वह भी नहीं के बराबर है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पेयजल को प्राथमिकता देनी चाहिये, चाहे वह पारम्परिक कुइयों से हो चाहे वह हैण्ड पम्पों से हो या ट्यूब वैलों से हो और चाहे और किसी से हो। कस्बों में उन गरीब लोगों को कम से कम टैंकरों से निःशुल्क पानी पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिये। पहले राजस्थान के विभिन्न गांवों में, जैसा अभी माननीय खेतसिंहजी साहब ने कहा था, बहुत–से गांवों में गरीब बस्तियों में सरकार ने निःशुल्क रूप से टैंकर लगवाकर पानी पहुंचाया है, मैं प्रार्थना करूंगा कि पानी पहुंचाने की बात करें।

दूसरा निवेदन मैं यह कर रहा हूं कि हमारी खरीफ की गिरदावरी हुई, उस गिरदावरी में 100 पर्सेन्ट तक, भीलवाड़ा जिले में मेरे क्षेत्र में तो 100 पर्सेन्ट गांव ऐसे हैं जहां 70 पर्सेन्ट से 100 पर्सेन्ट तक अभाव की स्थिति है। ऐसी परिस्थिति में आप 75 पर्सेन्ट से 100 पर्सेन्ट के ऊपर आप कर रहे हैं। मैं आपको निवेदन करूं कि भीलवाड़ा जिले के और राजस्थान के 22 हजार कुछ गांव इसमें घोषित हुए हैं। अगर आप एवरेज ले लें, आज तो मुझे पता नहीं, यदि आंकड़े होते तो मैं बता सकता था कि राजस्थान में कितने श्रमिक लग रहे हैं, मेरे अपने ख्याल से 5–7 श्रमिक प्रति गांव के अंदर आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह दयनीय स्थिति है।

माननीय सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार, माननीय मुख्य मंत्रीजी से, माननीय राहत मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 3–4 महीने तक हौसला रखिये और इस हौसले से कम से कम इतने श्रमिक दीजिये' लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। आज जो दरिद्रनारायण हैं, गरीब हैं, एस.सी. का है, एस.टी का है, बैकवर्ड क्लासेज का है, न जाने कहां–कहां भटकता फिर रहा है। अभी मुझे कुछ लोग मिले थे वे गांधीसागर के तरफ गये थे। वहां भी उनको काम नहीं मिल पाया तो वापस अपना बोरिया–बिस्तर लेकर आये। लोगों का जो पलायन हुआ वह तो ठीक है लेकिन अब पलायन नहीं हो। इधर गर्मी बढ़ रही है इधर आपके पास काम नहीं है और फसल बिलकुल नहीं है। मेरे क्षेत्र में तो मैं यह सकता हूं कि 99.9 पर्सेन्ट जमीन के अंदर कोई खेती नहीं है। तो श्रीमन्, ऐसे समय में आप श्रमिक बढ़ाइये और मजबूती से बढ़ाइये। यह देखिये कि अकाल की गंभीरता कहां है, जहां ज्यादा गंभीरता है वहां ज्यादा बढ़ाइये, जहां सिवियरिटि कम हो वहां उस हिसाब से देखिये।

मैं सिंचाई के कार्यों के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं, सरकार के यहां से आदेश आता है कि अधूरे कामों को लेना है

(श्री रामपाल उपाध्याय)

और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में 12 हजार या 36 हजार, मुझे याद नहीं रहे, इतने अधूरे काम हैं। उन अधूरे कामों में मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप ऐसा समन्वय रखिये कि अकाल के श्रमिक हों, पी.डब्ल्यू डी. के पैसे हों, उसके वहां एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के पैसे हों और जहां पर केस आता है वहां पर श्रमिक ज्यादा बढ़ाएं। यदि कहीं 20 हजार रुपया ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो वहां श्रमिकों पर आप ज्यादा खर्च करें। लेबर और मेटीरियल कम्पोनेंट का पी.डब्ल्यू.डी. से समन्वय बिठाकर अगर आप काम करेंगे तो श्रमिकों को भी काम मिलेगा, वहां पर हमारी सड़कें बनेंगी, हमारे बांध बनेंगे, दूसरे काम भी होंगे।

माननीय सभापति महोदय, आज के जो सिचाई विभाग के इंजीनियर हैं वे एनीकट लेने में मनाही करते हैं। मुझे खुशी है, हमारे सिचाई मंत्री महोदय ने कल शायद स्टेटमेंट यह दिया था कि एनीकट लेने में हमें कोई किसी तरह की बाधा नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि विभाग को इस प्रकार के निर्देश दे. दिये जाएंगे। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मुझे हैरानी होती है कि जिन-जिन एनीकट्स में 20–20 लाख, 25–25 लाख, 30–30 लाख, 10–10 लाख, 5–5 लाख तक खर्च किया उन अधूरे कामों को वे ले नहीं रहे, हैं। सहायता विभाग से इस प्रकार की छूट उनको मिल जानी चाहिये।

लिफ्ट इरिगेशन के बहुत-से मामले हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की दूसरी तहसील रायपुर है। इनमें एक नदी है कोठारी, जिसमें लड़की बांध है। उसका एक किनारा आमेंट तहसील जिला राजसमंद का है, दूसरा किनारा भीलवाड़ा जिले की रायपुर तहसील का है। उस जिले में तो 10-12-14 जो जलोत्थान योजनाएं हैं वे काम कर रही हैं और इधर एक लिफ्ट इरिगेशन योजना बनायी जिसका नाम "रामाधोरा" योजना कहते हैं। मैं निवेदन करूंगा, वहं रामाधोरा का कुआं तैयार है; उसका पानी का रिजरवायर तैयार है, 3.6 किलोमीटर लंबी उसकी पूरी चैनल बन गयी है सीमेण्टेड चैनल बन गयी है, केवल छह–सात चैनल और एक–दो पुलिया के लिये दो–चार लाख रुपयें की और आवश्यकता है। मैं प्रार्थना करूंगा विभाग से व माननीय मंत्रीजी से कि उनको भी स्वीकृत करने का कष्ट करें।

श्री सभापति : संक्षिप्त करें।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं समाप्त कर रहा हूं जल्दी। मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं श्रीमन् कि अभी हमको हैण्ड पम्प दिये। त्वरित योजना के अन्तर्गत दिये। मेरे यहां करीब ढाई–पौने तीन सौ ढाणियां वगैरह, हमारे वहां मजरे कहते हैं, खेड़े, वह करीब तीन सौ, सवा तीन सो हैं, उनमें कुल चार हैण्ड पम्प दिये। सारे जिले में 32 हैण्ड पम्प हैं। एक–एक कान्स्टीट्युएन्सी में कलक्टर साहब ने चार–चार हैण्ड पम्प बांट दिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपा करके कुछ हैण्ड पम्प की ऐसी व्यवस्था कराएं ताकि कम से कम गरीब तबके में जाकर हैण्ड पम्प खुदें, उनको थोड़ा जल्दी से दो–चार–छह तहसील के अन्दर तो पानी मिल जाए। जो

(215)

(श्री रामपाल उपाध्याय)

ट्यूब वैल्स खुदे पड़े हैं, कोई एक साल से, कोई दो साल से, कोई डेढ़ साल से, कोई छह महीने से, उनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है। हमने उनको पूछा कि क्यों नहीं मिल रहा है तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। बिजली विभाग कहता है हमको पैसे दीजिये और जलप्रदाय विभाग कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, अभी माननीय चतुर्वेदी साहब भी पधार गये, हमेशा मेरी मान्यता रही है कि कम से कम श्रमिक तो लगें राहत विभाग से। आपको सड़कें भी इसी धरती पर बनानी हैं, इसी धरती पर बांध बनाने हैं, इसी धरती पर आपको राहत देने के लिए एनीकट बनाने हैं, सभी काम करने हैं। यह ऐसा समय आया है चार-पांच महीने के लिए तो सभी विभागों का समन्वित कार्यक्रम बने जिससे हमारे मजदूर जहां एक हजार लगते हों वहां पर दो हजार लगने की स्थिति में हो जाए और स्थाई प्रवृत्ति के हमारे यहां पर काम हों। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्, कि फेमिन कोड में बहुत स्पष्ट है कि जो आपकी अफेक्टेड पापुलेशन है उसके कम से कम दस प्रतिशत लोगों को आपको राहत देनी चाहिये। मेरा निवेदन है कि बाइस हजार और कितने गांव हमारे राजस्थान में हैं उनका दस प्रतिशत, आठ प्रतिशत, सात प्रतिशत और बढ़ेंगे। अभी मार्च है, पांच प्रतिशत आप अभी दीजिये, फिर आप अप्रेल में बढ़ाइये, फिर मई में बढ़ाइये, जून में क्लाइमेक्स है, फिर तो भगवान की कृपा हो जाएगी, बरसात हो जाएगी तो फिर आपको और हमको सब राहत मिलेगी।

श्री सभापति : थोड़ा संक्षिप्त करें, बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं समाप्त कर रहा हूं, सभापति महोदय।

मैं एक निवेदन यह कर रहा था अन्त में, कि कृपा करके इस सारे कार्यक्रम में, चाहे आप कमेटियां बनाएं, चाहे आप दूसरे काम करें, चाहे आप अधिकारियों से कुछ कहें लेकिन कुल मिलाकर केवल हमारा मानवीय दृष्टिकोण ही ऊपर होना चाहिये। मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि प्रकृति ने जो पुरुष को यह चैलेंज दिया है, आज सरकार के सामने जो यह चुनौती आयी है इस चुनौती का आप और हम सब मिलकर कंधे से कंधे लगाकर मुकाबला करें और उस मरते हुए इंसान को, उस गिरते हुए और प्यास से मरते हुए, दम तोड़ते हुए पशु को हम नई जिन्दगी दें, इंसान को काम दें। मैं समझता हूं आपका और हमारा इसी में भला होगा, तभी लोकतंत्र की हमारी जो स्वस्थ परम्परा है वह कायम रहेगी और संवेदनशील सरकार कहलाने वाले की सार्थकता तभी सिद्ध होगी। मुझे आपने समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र जैतारण में सम्पूर्ण क्षेत्र में अकाल घोषित हो रखा है। आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों में ग्यारह आदमी कोटा जा रहे थे खाने-कमाने के लिये, उनकी वहां पर दुर्घटना हो गई और ग्यारह के ग्यारह आदमी मर गये। आज हालत ऐसी है मेरे इलाके में आप जाकर देखें कि रोजाना

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

बस स्टैण्ड पर गरीब आदमी अपना बोरियां बिस्तर लेकर बाहर खाने–कमाने जा रहा है। स्थिति ऐसी भयावह हो गयी है कि वहां न तो पीने का पानी है, न अकाल राहत के काम खुले हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे वहां कम से कम, जैसा कि राज्य सरकार की भी मंशा है अकाल राहत कार्य खोलने के पीछे कि रोजगार मिले लोगों को और उनको धान कुआ हो, उनमें सुविधाएं मिलें। आज न तो अकाल राहत काम सड़कों के हो रहे हैं न एनीकट के हो रहे हैं न तालाब के हो रहे हैं, अब हो रहे हैं पक्के काम। आप सोचें, पक्के काम में ठेकेदार लोग मिलकर दो–चार मजदूर लगा देते हैं और ट्रैक्टरों से पत्थर लाकर चुनाई कर देते हैं, उससे मजदूरों को तो कोई राहत मिलती नहीं है। इसलिए मेरा अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन है कि आप पहले कच्ची रोड्स को लें। मैंने आपको लिखित में दिया, माननीय मुख्य–मंत्रीजी को भी लिखित में दिया कि आज आजादी को 45 साल होने को आये हैं परन्तु उन गांवों में कच्ची ग्रेवल सड़क भी नहीं है। आप उनको प्राथमिकता से लें जैसे यह रीबोर से बोगासनी बहुत बड़ा गांव है, 3–4 किलोमीटर पड़ता है पर आज भी आप चले जाएं, कम से कम ट्रैक्टर लेकर जाएंगे तो घण्टा–डेढ़ घण्टा पहले वहां नहीं पहुंच सकते, ऐसी हालत है। तरास से केशर–पुरा, पाटन, प्रतापगढ़, ये चार गांव लगते हैं, वहां आज भी आप चले जाइये, कच्ची रोड्स भी नहीं हैं। देवरिया से देवरी कलां कच्ची रोड भी नहीं है, रावतों की ढाणी से दयालपुरा कच्ची रोड भी नहीं है, राज–डेन से पाटवा आज भी कच्ची रोड भी नहीं है। मेरा निवेदन है कि ऐसे काम जो बिल्कुल जेनुइन हैं और गांव की आवश्यकता है, उन पर गांव के लोगों को मजदूरी भी मिलेगी और वे सभी गांव अकालग्रस्त घोषित हो रखे हैं, इन गांवों में प्राथमिकता से अकाल राहत के काम शुरू करवाये जाएं।

मैं निवेदन कर रहा हूं पीने के पानी के लिये, आज मेरे क्षेत्र में जलस्तर इतना नीचे चला गया है, मैं किन शब्दों में मूल्यांकन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आज पूरे क्षेत्र में आप कहीं पर चले जाइये, जो भी पी. एचईडी की स्कीम हैं, सब फेल हो गयी हैं। कालगा में चालीस मीटर पानी नीचे चला गया है, नीबोल में चालीस मीटर पानी नीचे चला गया है, बेर में चालीस मीटर पानी नीचे चला गया, बल्लुपुरा, सब फेल हो गयी हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, मैंने पानी मंत्रीजी से भी निवेदन किया था कि आप कम से कम कम्प्रेशर मशीन भेजकर वह गहरा करवाएं। जो पूरे क्षेत्र की समस्या है, वहां पानी मुहैया हो। मैं यह भी निवे–दन करना चाहता हूं कि सिंचाई के एनीकट आज मेरे को लिस्ट देखने को मिली, 1985 से 1990 तक 65 एनीकट कागजों में बताये हुए हैं, जो अकाल राहत के अन्दर बनाये गये हैं, इस सदन के माध्यम से आज मैं आपको बताना चाहता हूं, चैलेंज करता हूं कि उन एनीकट में जिनमें चालीस प्रतिशत, साठ प्रतिशत और अस्सी प्रतिशत खर्चा बताया हुआ है, अगर वहां पर एक धेला भी लगा हुआ हो, एक रुपया भी कहीं पर। आप मेरे जैतारण क्षेत्र की वर्षा का औसत देख लें, कहीं ऐसा नहीं है कि ज्यादा बर–सात हो गयी और वे एनीकट टूट गये हों। 1985 से लेकर 1990 तक, 1990 के बाद में तो कोई एनीकट बना ही नहीं वहां, 1985 से 1990 तक जो एनीकट बने हुए हैं, जो खडीन बने हुए हैं और अधूरे पड़े हैं, आप उन खण्डीनों और एनीकट की

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

जांच कराएं। मेरे वहां एक ए. ई. एन. शेखावत लगा हुआ था, उसने मिलीभगत करके पूरे फर्जी मस्टररोल भर कर पैसा आखिर में जून के महीने में उठा लिया था और सारे गांवों में एक पैसा भर भी काम नहीं करवाया गया। मैं सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो 85 एनीकट हैं उनकी लिस्ट मंगाकर अपने अधिकारियों को भेज कर सर्वे कराएं, एक भी एनीकट नहीं बना हुआ है मैं कह सकता हूं। सभापति महोदय, मेरे यहां सौ–सौ दो–दो सौ गायें इधर-उधर घूम रही हैं, मेरा निवेदन है कि एक नीमाज के अन्दर कुमावत शिक्षा ट्रस्ट के नाम से गौशाला चल रही है एक जैतारण में चानणवास गांव में गौशाला चल रही है तो उनके अंदर चारे की व्यवस्था करवा दी जाए जिससे मवेशी को ले जाकर उसके अन्दर डाल दिया जाए और उनको चारा मुहैया हो जाए।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, गौशालाओं को चारे की जो बात आ रही है उसको आप विशेष रूप से नोट कर लें, सारे राज्य की समस्या है यह।

श्री सुरेन्द्र गोयल : कुमावत शिक्षा ट्रस्ट, नीमाज और चानणवास और जैतारण प्रोपर में एक गौशाला है, ये तीन गौशालाएं चल रही हैं उनमें अगर चारा मुहैया करवा दिया जाए और गायों को उन गौशालाओं में डाल दिया जाए तो कम से कम गायें मरने की स्थिति में नहीं आएंगी और चारे की व्यवस्था हो जाएगी। वहां के लोग बहुत धार्मिक हैं, मरने नहीं देंगे, इसलिये मेरा निवेदन है कि चारा डिपो पहले खोले जाएं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था, सिंचाई मंत्रीजी नहीं है, पिछले सेशन में राज्य सरकार ने रायपुर बांध को दो–तीन फीट नीचा करने के आदेश भी जारी कर दिये थे। उसके बाद हाई कोर्ट में रिट हुई, स्टे आ गया। बाद में स्टे वेकेट भी हो गया परन्तु अभी तक वह रायपुर का बांध जिसको तीन फीट नीचे करने के राज्य सरकार ने आदेश दे रखे हैं उसको नीचे नहीं किया गया है। अगर तीन फीट नीचे कर दिया जाता है तो जो पानी रायपुर के बांध में आएगा और वह ओवरफ्लो होकर के नदी में होकर गुजरेगा तो कम से कम सौ गांवों को इससे फायदा मिलेगा। इसलिये मेरा आपके मार्फत सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन है कि उस रायपुर डेम को जल्दी से जल्दी नीचे करवाने के आदेश दिये जाएं। माननीय सभापति महोदय, मैंने जो पेयजल की स्कीम बतायी, जो चारे की बात कही, इन सब पर गौर फरमाएंगे और जो कच्ची रोड्स के लिए निवेदन किया उन कच्ची रोड्स को प्राथमिकता से बनाएंगे और उनको रोजगार मुहैया कराएंगे। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री अमरा–राम जी।

श्री अमरा राम (धोद) : सभापति महोदय, यहां अकाल पर चर्चा चल रही है और हमारी सरकार अकाल से प्रभावित लोगों को काम देने की बात कर रही है, उससे पहले मैं समझता हूं, राजस्थान के उन 22700 गांवों के लोग पलायन कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं अपने जीवन को बचाने के लिये....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह ग्रकाल राहत की जो बहस है यह कल भी चालू रहेगी। खनिज भी चलेगा ग्रौर यह भी साथ-साथ चलेगी। हिसाब से ग्राप बोलें संक्षेप में। सब माननीय सदस्यों की बहुत लम्बी लिस्ट है, वैसे कल भी ग्रपनी बहस चालू रहेगी।

श्रीमती कमला : मेरा नाम कल के लिये दिया था, गलती से ग्रभी बता दिया। एक लिस्ट तो पहले ग्रापको दी थी वह ग्राज की थी ग्रौर दूसरी थी वह कल की थी।

श्री सभापति : श्री ग्रमराराम जी बोलें।

श्री ग्रमराराम : जहां तक राहत का सवाल है सबसे ज्यादा प्रकृति ने उनके साथ खिलवाड़ किया है हमेशा से। ग्राज मार्च है, लोग जा रहे हैं, हमारी सरकार चाहे इस सदन में कुछ भी घोषणाएं करे कि कार्ड नहीं है, वहां काम पर लगाये जा रहे हैं। कौनसी प्राब्लम है? जहां पर जो लोग ग्रा सकते हैं उनको काम पर लगाया जाना चाहिये ग्रौर जहां तक उनको मजदूरी देने का सवाल है मैं समझता हूं कि न्यूनतम मजदूरी 22 रुपये जब तय की गयी थी उससे लेकर ग्राज मार्च, 1994 तक 450 इण्डेक्स प्राइस बढ़ चुके हैं, लेकिन हमारी सरकार उसका भी ग्रनुसरण नहीं करना चाहती जो उनकी खुद की पार्टी की सरकार दिल्ली में है उसने 60 रुपये न्यूनतम मजदूरी की घोषणा की है। न्यूनतम मजदूरी को 22 रुपये रखकर सरकार केवल ग्रांकड़े तैयार करना चाहती है कि हमने इतने लोगों को काम दे दिया है। जिस तरह व्यवस्थाएं की जा रही हैं मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि ग्राज इस महंगाई के जमाने में 14 रुपये देकर ग्रापकी मंशा क्या है? एक परिवार के केवल एक व्यक्ति को ग्रकाल पर काम दे रहे हैं, उसके परिवार के कम से कम भी चार-पांच सदस्य मानें तो 14 रुपये से उनके परिवार का पालन हो सकता है क्या? किसी भी सूरत में न 14 रुपये से हो सकता है ग्रौर न 22 से हो सकता है। तो सबसे पहले मैं यही ग्रनुरोध करूंगा सरकार से, ग्रगर उसकी मंशा वाकई ग्रकालग्रस्त लोगों को राहत पहुंचाने की है ग्रौर काम देने की इच्छा है, तो तमाम जो भी लोग ग्राते हैं उनको काम दिया जाए ग्रौर जो न्यूनतम मजदूरी है उसको 50 रुपये बढ़ाया जाए, ये दो बातें हैं। (व्यवधान) इनकी सरकार ने वहां 60 किये हैं यह 50 तो करे।

श्री सभापति : ग्राप मांग तो पूरी करो, मांग में क्या दिक्कत है?

श्री ग्रमराराम : दूसरी चारे की बात है। मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार की उन पशुग्रों को बचाने के लिये, सारे राजस्थान में 30 में से 25 जिले ग्रकाल से प्रभावित हैं इसलिये नैचुरली चारा बाहर से मंगाना पड़ेगा। सूखा चारा बाहर से मंगाया जाए लेकिन हरा चारा तो राजस्थान में पैदा हो सकता है। विशेष तौर से ग्रकाल के ऐसे टाइम में जो हरा चारा राजस्थान में ग्रौर उन इलाकों में जहां ग्रकाल है, पैदा हो सकता है, वहां जितने भी ट्यूबवेल सबसेज हैं उनको हरा चारा पैदा करने के लिये कनेक्शन दिये जाने चाहिये। उन इलाकों में जो कनेक्शन ग्रगले साल के लिये हैं उनको सरकार को इस बात के लिये

(श्री अमराराम)

निश्चित करना चाहिये कि अप्रेल के महीने में सबको कनेक्शन मिल जाएं ताकि जो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी सरकार को खर्च करनी पड़े वह उसी गांव में हो और हमेशा-हमेशा के लिए उस अकाल का मैं समझता हूं, सिर फूटे और उस काश्तकार और उसके आस-पास के काश्तकारों को इसका लाभ मिले। इसलिये जहां अकाल है और बिजली के कनेक्शन जहां मांगने वाले हैं, वहां कनेक्शन दिये जाएं और विशेष कनेक्शन हरा चारा पैदा करने के लिए दिये जाएं, तो मैं समझता हूं कि हरा चारा उसी कास्ट पर मिल सकता है।

दूसरा है पेयजल के बारे में। विशेष तौर से धोद विधान सभा क्षेत्र और सीकर जिले की दो बातें आपके सामने सभापति महोदय के जरिये मैं कहना चाहता हूं कि गांवों में ग्रामवासियों को जो ट्यूबवेल्स टीएसएस. में चालू किये हैं, जो आज तक चलते थे, लेकिन अभी किन्हीं कारणोंवश वह नहीं चल पा रहे हैं, उनके बिजली के बिल वे नहीं चुका पा रहे हैं, उनकी मेन्टिनेंस नहीं कर पा रहे हैं, और बकाया के कारण उनका कनेक्शन काटा जा रहा है। तो उनको क्यों नहीं सरकार अपने यहां ले बिजली का बिल जो बकाया है, वह चुकाए और उनकी मेन्टिनेंस अपने हाथ में लें, जिससे कि उनकी व्यवस्था हो सके। दूसरी समस्या यह है कि गांव में पानी गहरा जाने के कारण बोरिंग्स फेल हो गये हैं। हर जिले में एक एग्जिस्टिंग वैल में जो बोरिंग करने की मशीनें हैं, एक–एक जिले में एक–एक की व्यवस्था की जाए। ऐसे गांव मैं आपको बता सकता हूं, अमरपुरा है, बड़ीपुरा है, ऐसे गांव हैं, जहां टी.एस.एस. चलते थे और बोरिंग फेल हो गये और बार-बार वार्टर वर्क्स के द्वारा लिखे जाने के बाद भी वह मशीन नहीं पहुचती है। तो एक–एक जिले में ऐसी एक–एक मशीन जरूर हो ताकि जो एग्जिस्टिंग टी.एस.एस. हैं उनमें बोरिंग फेल होता है तो उसको तुरन्त गहरा करवाने की व्यवस्था की जाए। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हीरालाल जी विश्नोई।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : सभापति महोदय, आपके माफ्त मैं, अकाल राहत मंत्रीजी से कुछ मेरे तहसील की समस्या सुनाऊंगा। सांचौर तहसील गुजरात की सीमा तक लगी हुई है जहां पिछले चार–पांच वर्षों से भयंकर अकाल की स्थिति बनी हुई है फसल की भारी खराबी होने के कारण। वर्षा की कमी के कारण, समय-समय पर बरसात नहीं होने के कारण फसलों को भारी क्षति पहुंचती है। किसानों के सारा खर्च करने के बाद भी प्राप्ति नहीं के बराबर है। पूरे क्षेत्र में पशुओं के लिये चारे का भी भारी अभाव है, अनाज का भी भारी अभाव है और उपलब्ध नहीं होने के कारण अनाज का भाव आसमान को छूने जा रहा है। अकाल के अन्दर हमारी तहसील में ऐसे काम खोले जो नहीं के बराबर हैं।

एक माननीय सदस्य : आप मीटिंग में शामिल नहीं थे।

श्री हीरालाल विश्नोई : मैं, मीटिंग में शामिल था और मान्यवर, मैं मेरी तहसील में जाकर आया हूं और एक महीना हो गया

(श्री हीरालाल विश्नोई)

अकाल राहत कार्य खोले। यह सड़कों के ऊपर 451 आदमियों की सूची मैं लेकर आया हूं, पी.डब्ल्यू.डी. से सिर्फ 451, तीन लाख की आबादी के अन्दर 451 आदमी लगे हैं खाली आज दिन तक मजदूरी के लिये। कई ऐसे काम खोले गये हैं जहां कि प्रमाण-पत्र लाओ फिर खोलेंगे, आपको लगाएंगे। अब अकाल की स्थिति में कब वह आदमी प्रमाण–पत्र लेने जाए? न उनको पटवारी मिलता है न मेरी तहसील में तहसीलदार है, वह प्रमाण पत्र कौन दे उनको ऐसी स्थिति के अन्दर? मैं सरकार का ध्यान उन गरीब परिवारों की ओर ले जाना चाहता हूं कि ऐसी जो भी ग्रेवल सड़कें आप लोगों ने खोली हैं, रिपेयरिंग के नाम पर खोली हैं। रिपेयरिंग में ग्रेवल सड़क में पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारीगण ग्रेवल सड़क के अन्दर एक–दो गाड़ी कंकरीट डालकर कह देंगे, हमने इतनी कंकीरट डाल दी और इतने मजदूर लगा दिये और वह आंकड़े पूरे कर देंगे। इसीलिए जो अधूरी सड़कें थीं उनको पूरा करने के लिए पहले रेती डलाएं। फिर बाद में रेती वाली जो सड़कें हैं वे अकाल ग्रस्त में न लेकर एक सुनिश्चित योजना के अन्दर ली हैं। सुनिश्चित योजना के अन्दर प्रमाण–पत्र जरुरी है और अकालग्रस्त में जो सड़कें खोलते हैं इसमें तो वह नहीं है। नयी सड़कें आपने, उस माध्यम से खोली है जहां कि हमारा शहर इलाका है। कम से कम 20-25 पंचायतें ऐसी हैं, सभापति महोदय, यह कच्छ रन जो है उससे लगता हुआ वह इलाका है।

श्री सभापति : यह बात तो आप बोल चुके सुबह।

श्री हीरालाल विश्नोई : सुबह तो मैं पानी के ऊपर बोला था, सभापति महोदय, और अब वहां के अकाल के सम्बन्ध में बोल रहा हूं। पानी की भी भारी समस्या है वहां पर। जो भी पानी की योजना पहले बनी हुई थी वह योजना भी पिछले तीन साल से बन्द पड़ी है। कई जगह वह पूरा फ्लड का ही एरिया है और अण्डरग्राउण्ड वाटर है नहीं। एनीकट के बांध बने बने हुए थे कई वे भी, मान्यवर, 1990 की बाढ़ में टूट गये थे। उसके बाद आज दिन तक एनीकट एक भी नहीं बंधा और थोड़ा बहुत बाढ़ का पानी आया वह यूं का यूं रन आफ कच्छ में चला गया, खेतों में नहीं फैला। नहीं फैलने की वजह से वहां की फसलें भी नष्ट हो गयीं और वहां फसलें नहीं हुई।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान वहां के गरीब किसानों के जो कि एससी., एसटी. के लोग ज्यादातर वहां पर रहते हैं उनकी तरफ दिलाना चाहता हूं। वे लोग अपने गांव छोड़ छोड़ कर गुजरात सीमा में मजदूरी करने चले गये हैं। वहां पर अभी मैं भी जाकर आया, दस–बीस गांवों में घूमा। कहीं तो दस मजदूर लगे हैं कहीं बीस मजदूर लगे हैं। वहां कम से कम हजारों की तादाद में मजदूर लगेंगे जब उनकी मजदूरी पूरी उनको मिलेगी। पिछले उपाध्यक्ष जी ने अभी कहा कि हरिदेव जोशी जी के टाइम जो अकालग्रस्त क्षेत्रों में अकाल का काम खोला गया था उसमें जितने एनीकट बांध बने थे उसके बदले में अनाज की योजना थी। पिछले दो–तीन सालों तक लोगों के पास अनाज खाने के लिए रहा था। अब वहां यह स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वहां के मवेशियों के लिये भी न चारा है।

220

(श्री हीरालाल विश्नोई)

कलक्टर साहब से मैंने बात की तो कह दिया कि चारा तो ...

श्री सभापति : संक्षेप में करें थोड़ा।

श्री हीरालाल विश्नोई : कर रहे हैं साहब। हमारी स्थिति तो पूरी बता दें। वहां चारे के लिये एक भी डिपो नहीं खोला है। चारे के डिपो का भी ग्राम सेवक जी को दे दिया। अभी यहां पंचायत बिल पर ग्राम सेवक पर चर्चा चल रही थी, मैं आपको एक बात मेरे एरिये की ध्यान में लाना चाहूंगा कि पिछले डेढ़ साल से एक स्कूल का काम स्वीकृत था और ग्राम सेवक जी ने उसको जान बूझकर आज दिन तक नहीं किया। यह स्थिति है वहां के एरिये की, अधिकारियों की मनमानी है। आप लोग वहां के लोगों को भागीदार बनाकर, वहां के लोगों को जिम्मेवार बनाकर जब तक नहीं सौपेंगे तब तक वहां काम कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरा सुझाव है अकाल मंत्री जी कि आप वहां ज्यादा से ज्यादा काम खोलें। जो हमारी पक्की सड़क का काम है वह पक्की में दीजिये और ग्रेवल वाला है वह रिपेयरिंग का तो जरूर है। उसके अलावा भी आपने यह अकाल की सड़कें खोलने का जो कहा है, अभी तक कोई काम नहीं खोला। वहां की आबादी को देखते हुए, तीन लाख की आबादी है वहां आपके 451 मजदूर क्या काम करेंगे? इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अकाल के ऊपर सांचौर तहसील के ऊपर ध्यान देकर वहां पर ज्यादा से ज्यादा अकाल राहत के काम खोलें। सिंचाई मंत्री जी हैं नहीं अभी मगर एनीकट के बांध जो बंधे थे....

श्री सभापति : श्री उगम राज जी मेहता। बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल विश्नोई : उसके लिये स्वीकृति तो दी है, मगर वह स्वीकृति यह दी है, सभापति महोदय, कि एनीकट बांधों के लिये भी ठेकेदारों को सौंपा गया है वह आपने अकाल राहत में नहीं लिया है। तो इसलिये उनको भी मजदूरों को देना चाहिये और ठेकेदारी बन्द करके उनके माध्यम से वहां मजदूरी देकर काम कराना चाहिये। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : सभापति महोदय, अजमेर जिले में 9 विधान-सभा क्षेत्र हैं और अजमेर जिले में विभिन्न क्षेत्रों में चालीस हजार मजदूर इस समय काम पर लगे हुए हैं। इस समय काम सारे अजमेर जिले में है परन्तु मेरा विधान सभा क्षेत्र ब्यावर का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां छोटे-छोटे किसान छोटी-छोटी जमीनों के ऊपर निर्भर रहेंगे, वर्षा नहीं हुई बिल्कुल वहां पर। मजदूरों की संख्या बढ़ाने के लिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां पर आज ही आप वायरलेस से कहें कि वहां पांच हजार मजदूर बढ़ाये जाएं। मैंने वहां 2 करोड़ 80 लाख 90 हजार रुपये की सारी योजना बना करके पूरा नक्शा माननीय मंत्री महोदय और जिला अध्यक्ष के यहां रखा हुआ है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि वहां काम नहीं हो रहे हैं, काम बड़ी संख्या में हो रहे हैं परन्तु जो सीलिंग है वह सीलिंग बढ़ायी जाए। आपको यह भी मालूम होना चाहिये कि आपने 70 लाख रुपये चारे के अनुदान के लिये दिये और बीस लाख रुपये ऋण के रूप में आपने दिये परन्तु उसका भी हिसाब रखा जाए।

(श्री श्रमराज मेहता)

हमारे वहां एक चारा किंग, डिपो किंग जो पहले भी नाम आ चुका है उसका पेमेण्ट नहीं किया जाए पहले का जब तक कि उसके उपर से केस नहीं हटाया जाए, यह ख्याल में रखें। यह ध्यान में रखें कि इस प्रकार से भ्रष्टाचार वहां नहीं हो। और मैं भी चाहता हूं कि बराबर उन पर निगरानी रखें। हम सारे विधायकों का कर्तव्य है कि जहां-जहां काम हो रहे हैं वहां विधायकों को जाना चाहिये और चैकिंग करनी चाहिए।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर इस समय पेयजल की भयंकर समस्या है। आपके पास अभी साढ़े तीन करोड़ रुपये हैं, मैं कहना चाहूंगा कि एक करोड़ रुपया पीएचईडी. को दे दिया जाए अजमेर जिले में जो अभी है नहीं तो 31 मार्च को समाप्त हो जाएंगे। पीएचईडी. को दिया जाए ताकि वह पानी पेयजल के उपयोग में लाया जाए। एक करोड़ रुपया आप पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री जी को दीजिये ताकि सड़कें बनायें वहां। अपनी मीटिंग में यह तय हुआ था कि ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के काम लिये जाएंगे और डामर के लिए रिजंर्व पैसा रखा जाएगा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि काम पक्के लिये जाएं, पक्के कराये जाएं, पी.डब्ल्यू.डी. के मार्फत कराये जाएं। जितने भी जेआरवाई. सैकिण्ड में काम कर रहे हैं पक्की सड़कों के, वे पक्की सड़कें बनायी जाएं। एनीकट्स के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में कोई बांध बीच में नहीं आता है। जहां की भी एनीकट्स बनाने की योजना है वहां एनीकट बनाने के लिये आप यहां से आदेश दें क्योंकि रोक लगी हुई थी। छोटे-छोटे एनीकट्स बनाये जाएं ताकि छोटे-छोटे किसानों को राहत मिले। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय ब्यावर में पांच दिन से पानी आ रहा है। यह समस्या अब बन गई है पहले नहीं थी अभी दस दिन पहले। इस समय हालत यह है कि 120 घण्टे में पानी मिल रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जलदाय योजना के मंत्रीजी यहां बिराजे हुए हैं कि नसीराबाद से पम्पिंग 16 घण्टा कराया जाए ताकि ब्यावर की जनता को 72 घण्टे में पानी मिल सके। साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज मैंने अधिकारियों से वार्ता की है, उनका कहना है कि बीसलपुर की पाइप लाइन बिछ रही है, अप्रैल में ब्यावर को 15 लाख गैलन पानी अलग से दिया जाएगा।

(20.00)

मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके वादे के अनुसार ब्यावर को अप्रेल में 55 लाख गैलन पानी मिलना चाहिये और जुलाई में तीस से चालीस लाख गैलन पानी इसी साल मिलना चाहिए। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके डिपार्टमेंट में जितनी भी सड़कें स्वीकृत की हुई हैं वे सड़कें पूरी हों, डामर की सड़कें हों। ब्यावर क्षेत्र में आस-पास के पांच ग्राम लिये हुए हैं वहां पर आपने अभी काम सैक्शन नहीं कराये हैं, मैं अकाल राहत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सेंदड़िया, गणेशपुरा, नरसिंहपुरा, दौलतगढ़ सिंहा, फतेहपुरिया

(श्री उगमराज मेहता)

इनके काम आप अतिशीघ्र चालू कराने के आदेश फरमाएं ।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद ।

श्री सभापति :- सदन की कार्यवाही कल दिनांक 18 मार्च की प्रातः काल 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 20.01 बजे शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 1994 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 378 का विवरण

टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के स्वीकृत वर्ष का विवरण

क्रमांक	तहसील	योजना का नाम	योजना का प्रकार	स्वीकृत वर्ष	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	टोडाभीम	शहरी जलयोजना टोडाभीम	पाइप्ड	वर्ष 72	
2.	,,	जलयोजना घाटरा बरेडी	क्षेत्रीय	वर्ष 89	क्रियान्वयन में
3.	,,	जलयोजना पाटोली आंतरहेड़ा	क्षेत्रीय	वर्ष 82	
4.	,,	जलयोजना खिरखिडी तुर्कपुर	क्षेत्रीय	वर्ष 89	
5.	,,	जलयोजना खिलचीपुरवाडा	क्षेत्रीय	वर्ष 89	क्रियान्वयन में
6.	,,	जलयोजना मोरडा	पाइप्ड	वर्ष 80	
7.	,,	जलयोजना कमालपुरा	पाइप्ड	वर्ष 84	
8.	,,	जलयोजना पदमपुरा	पाइप्ड	वर्ष 84	
9.	,,	जलयोजना खोहरा	पाइप्ड	वर्ष 89	
10.	,,	जलयोजना सांकरवाडा	पाइप्ड	वर्ष 93	क्रियान्वयन में
11.	,,	जलयोजना महन्दीपुर बालाजी	पाइप्ड	वर्ष 92	
12.	,,	जलयोजना निसूरा	पाइप्ड	वर्ष 89	
13.	,,	जलयोजना पाडला	पाइप्ड	वर्ष 88	
14.	,,	जलयोजना महस्वा	पम्प एण्ड टैंक	वर्ष 89	क्रियान्वयन में
15.	,,	जलयोजना खेडी	,,	वर्ष 84	
16.	,,	जलयोजना नन्द खुर्द	,,	वर्ष 67	
17.	,,	जलयोजना रानोली	,,	वर्ष 89	क्रियान्वयन में
18.	,,	जलयोजना भजेड़ा	,,	वर्ष 93	
19.	,,	जलयोजना भनकपुरा (जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की योजना)	नलकूप योजना	वर्ष 93	क्रियान्वयन में

224

1	2	3	4	5	6
20.	टोडाभीम	जलयोजना मातासूला (जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की योजना)	नलकूल योजना	वर्ष 93	क्रियान्वयन में
21.	,,	जलयोजना गोरडा (जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की योजना)	नलकूप योजना	वर्ष 93	क्रियान्वयन में
22.	,,	जलयोजना पहाड़ी	पनघट	वर्ष 80	
23.	,,	जलयोजना टुडावली सरसेना	क्षेत्रीय	वर्ष 89	क्रियान्वयन में
24.	नादौती	जलयोजना सोप शहर नादौती		वर्ष 73	
25.	,,	जलयोजना जीतकीपुर		वर्ष 85	
26.	,,	जलयोजना आंधियाखेडा		वर्ष 89	
27.	,,	जलयोजना पांवडी		वर्ष 89	
28.	,,	जलयोजना गढमोरा	पम्प एण्ड टैंक	वर्ष 82	
29.	,,	जलयोजना गुढाचन्द्रजी	पाइप्ड	वर्ष 80	
30.	,,	जलयोजना गढखेडा	पम्प एण्ड टैंक	वर्ष 92	
31.	,,	जलयोजना त्रिरावंडा	,,	वर्ष 84	क्रियान्वयन में
32.	,,	जलयोजना तिमावा (जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की योजना)	नलकूप	वर्ष 93	
33 से 137	नादौती व टोडाभीम	सभी हैण्डपम्प योजनाएं	150 ग्रामों की हैण्डपम्प योजना	वर्ष 81-88	

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 381 की सूची

कृषि उपज मण्डी समिति, सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी मण्डी क्षेत्र में बनवायी जाने वाली विचाराधीन सड़कों के नाम:–

कृषि उपज मण्डी समिति, सवाईमाधोपुर क्षेत्र में:–

1. बौंली से लाखनपुर 4 कि.मी.
2. बौंली से खिरनी 4 कि.मी.[1]
   (सम्पर्क सड़क विशेष मरम्मत)

कृषि उपज मण्डी समिति, गंगापुर सिटी क्षेत्र में:–

निम्नलिखित सड़कों की स्वीकृति दिनांक 3.11.93 को जारी की गई:–

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई कि.मी.	प्रशासनिक स्वीकृति	वित्तीय स्वीकृति
1.	बालाखेड़ा से ग्रांधियार खेड़ा	2.00	4.00	3.50
2.	बजीरपुर से पीलोदा स्टेशन	2.00	4.00	3.50
3.	गंगापुर नादौती रोड़ से बाड़ा पिचनोत	2.00	4.00	3.50

निम्नलिखित सड़कों के निर्माण प्रस्तावित हैं:–

1.	मंडरायल ग्रोंड रोड से धोरेटा	3.00
2.	कुड़गांव गंगापुर सपोटरा रोड से खिरकड़ा	2.50
3.	खेड़ा महावीर जी रोड़ से कुंजेला	5.00
4.	लालसर दौसा रोड से पाल	3.00
5.	मोचा से रंडांयल गूजर	2.50
6.	पीलोदा से बगलाई	4.50
7.	लालसोट मोरा सागर रोड़ से भांवरा	2.00
8.	खेड़ली बिछोच रोड से बैराड़ा	4.00
9.	गंगापुर भाड़ोती रोड से बेरखंडी	3.00

परिशिष्ट-3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

निर्वाचन क्षेत्र किशनगढ़ के तालाबों का अधिग्रहण

382. **श्री जगदीप धनखड़** (किशनगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1993 में आई बाढ़ से अराई पंचायत समिति के अधिकांश तालाब नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गये ? यदि हां, तो उनके मरम्मत की क्या स्थिति है ?

(2) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सीगला बांध व करडाला बांध के निर्माण की क्या स्थिति है और यह कब तक पूर्ण हो जायेंगे ?

(3) सिंचाई विभाग के पास किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कितने तालाब हैं और कितनों को अपने अधीन लेने की सरकार की योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1993 में आई बाढ़ से अराई पंचायत समिति के 92 तालाब क्षतिग्रस्त हो गये थे जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं। इन तालाबों की मरम्मत की कार्यवाही की जा रही है।

(2) सींगला बांध (रूपनगढ़ परियोजना) का थोड़ा कार्य बाकी हैं जिसे वर्ष 94-95 में पूर्ण कर लिया जायेगा। करड़ाला परियोजना का प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

(3) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई विभाग के 32 तालाब हैं। अन्य तालाबों को सिंचाई विभाग के अन्तर्गत लेने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

अराई पंचायत समिति क्षेत्र में वर्ष 1993 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त तालाबों की सूची।

क्रमांक	नाम	क्रमांक	नाम
1	2	1	2
1.	कोडिया सागर अरेप	3.	गणेश सागर कटसूरा
2.	जवाहर सागर सिरोज	4.	भवानी सागर कटसूरा

1	2	1	2
5.	करनी सागर कवानियां	32.	ग्रामोलाव टैंक हिंगोनिया
6.	सुरखेली सागर ग्रराई	33.	नया सागर पिपरोली
7.	सुख सागर सिरोज	34.	बाला सागर विलावटिया
8.	किशन सागर गोगुन्दा	35.	नया तालाब बिड़ला
9.	धन सागर दादिया	36.	लापडा तालाब वन्थली
19.	विजय सागर लाम्बा	37.	बिशनसागर हिंगोनिया
11.	मदन सागर ग्राकोड़िया	38.	भेल सागर भाटोलाव
12.	विजय सागर ग्राकोड़िया	39.	वेकालिया तालाब कचौलिया
13.	केरिया सागर केरिया	40.	नया तालाब सुनारिया
14.	नया तालाब जिरोटा	41.	घोबनी तालाब भीरोता
15.	नारायण सागर ठसूक	42.	सार्व. तालाब भीरोता–I
16.	ग्रलख सागर बालापुरा	43.	सार्व. तालाब भीरोता–II
17.	कवरपदा तालाब बिड़ला	44.	मुरडिया तालाब भीरोता
18.	सदन सरोवर धानवा	45.	रामसागर सरवर
19.	विजय सागर फतेहगढ़	46.	हनुमान सागर सरवर
20	गणेश सागर गणेशपुरा	47.	गोपालसागर कासीर
21.	गम्भीर सागर मदनपुरा	48.	हरनिया तालाब कासीर
22.	ग्रमोलाव भेला ललाई	49.	सार्व. तालाब खरवड़
23.	ग्रजगरा बांध ग्रजगरा	50.	सार्व. नाडी माण्डावड खुर्द
24.	ताज सरोवर ग्ररनिया	51.	चरागाह नाडी माण्डावड कलां
25.	गोपाल सागर जांजिया	52.	भैरूजी की नाडी मा. कला
26.	भवानी सागर भगवानपुरा	53.	हिम्मतसागर किशनपुरा
27.	गज सागर सरवाड़	54.	चरागाह नाडी सान्दोलिया
28.	गोविन्द सागर सरवाड़	55.	नया तालाब सान्दोलिया
29.	बाके सागर सरवाड़	56.	सेडोलाव तालाब लाम्बा
30.	नया सागर बारोड़ा	57.	सुरकेली सागर लाम्बा
31.	सूरज सागर जैतीपुरा	58.	गांवाई तालाब कटसूरा

228

1	2	1	2
59.	चरागाह नाडी कटसूरा	76.	आनासागर अराई
60.	कल्लानाड़ा कटसूरा	77.	मुरडिया तालाब तेजपुरिया
61.	बालासागर देवपुरी	78.	हनुमानसागर कालानाड़ा
62.	ग्वाला नाड़ा देवपुरी	79.	गोपाल सागर धौलपुरिया
63.	चमारान नाडा चौसला	80.	बुन्देला सागर दादिया
64.	गांवाई तालाब भारला	81.	सण्डाला सागर दादिया
65.	नया तालाब रामपाली	82.	नागफणी तालाब दातरी
66.	गांवाई तालाब छापरी	83.	रतनसागर देवरिया
67.	गांवाई तालाब सूंपा	84.	सार्व. कुण्ड लाम्बा
68.	गुंलजी की नाडी सूंपा	85.	पीवणियां तालाब सापुणदा
69.	सार्व. तालाब गणेशपुरा	86.	काला तालाब लल्लाई
70.	रामसागर स्यार	87.	भोपोलाव तालाब आकोडिया
71.	सार्व. तालाब गोरधनपुरा	88.	हाबोलाई नाडी मुडौती
72.	सार्व. तालाब बिडला	89.	उबूकडा सागर खेडा गोपालपुरा
73.	सार्व. तालाब चान्दोलाई	90.	बणजारी नाडी मण्डावरिया
74.	भैरूसागर रामगढ़	91.	एनीकट दौराई
75.	खापरिया तालाब अंराई	92.	धर्माऊ नाडी धौलपुरिया

घोरन नाला (गुजरिया खेड़ा) तहसील नैनवा पर बांध/एनीकट निर्माण

383. **श्री रामनारायण (नैनवां) :** क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विभाग द्वारा वर्ष 1989-90 में ग्राम गुजरिया खेड़ा, तहसील नैनवा के पास होकर गुजर रहे घोरन नामक नाले पर बांध या एनीकट का निर्माण करवाये जाने हेतु सर्वे करवाया गया था ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त एनीकट निर्माण हेतु बून्दी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा वर्ष 1990-91 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 1.50 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त नाले पर छोटा बांध निर्माण करवाये जाने पर क्षेत्र की सिंचाई

(श्री रामनारायण)

सुविधा मिल सकेगी तथा पास में स्थित पांच ग्रामों के कुओं के जलस्तर में बढ़ोतरी हो सकेगी ? यदि हां, तो बांध निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, पूर्व में सर्वे नहीं कराया गया था।

(2) जी नहीं।

(3) इस हेतु सर्वे करवाकर तकनिकी परीक्षण के पश्चात् ही स्थिति ज्ञात हो सकेगी।

राज्य पर्यटन उद्योग

384. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु क्या--क्या प्रभावी योजनायें लागू की गई है ? इनके क्या परिणाम आये हैं ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) पिछले वर्ष की तुलना में दिनांक 31 दिसम्बर, 1993 को समाप्त वर्ष में पर्यटन से सरकार को हुई आय में कितना इजाफा हुआ है ?

(3) नागौर जिले में पर्यटन विकास की दृष्टि से कौन से स्थान का चयन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) नागौर जिले में कितने ऐतिहासिक दुर्ग वर्तमान अवस्था में किस हालत में कहां-कहां है ? क्या वहां पर्यटन विकास की सम्भावनायें बन सकती है ?

उत्तर

(1) राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न योजनायें लागू की गई हैं :—

1. पेइंग गेस्ट योजना- जयपुर, अजमेर, मा. आबू, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जोधपुर, पुष्कर, बीकानेर, उदयपुर।
2. हेरिटेज होटल योजना।
3. होटल निर्माण हेतु अनुदान दिये जाने की योजना।
4. उदयपुर, रामगढ़ (जयपुर), जैसलमेर, बूंदी तथा आमेर में जल क्रीडा हेतु नावें उपलब्ध कराई गई है।
5. पर्यटनों के लिये "वे साइड" सुविधायें उपलब्ध कराना।
6. पर्यटकों के लिये विभिन्न मेले एवं त्यौहारों का आयोजन।
7. पुराने सरकारी गढ़, किले आदि को निजी क्षेत्र में हेरिटेज होटल में परिवर्तित करने की योजना।
8. रोपवे, मनोरंजन पार्क आदि के निर्माण में अनुदान देने की योजना।
9. विभिन्न पर्यटक स्थलों का विकास।
10. नागौर में पर्यटन विश्राम गृह का निर्माण।
11. वर्ष 1994-95 में पर्यटन हेतु योजना मद में राशि दुगुनी प्रस्तावित की गई है।
12. मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में पर्यटन सम्बन्धी परियोजनाओं के शीघ्र

(पर्यटन राज्य मंत्री)

- निस्तारण एवं विभिन्न विभागों में समन्वय हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।

इन योजनाओं को लागू करने के फलस्वरूप राज्य देश विदेश में पर्यटन राज्य के रूप में विख्यात हुआ है।

(2) इससे पर्यटन विभाग को प्रत्यक्ष रूप से कोई आय नहीं होती है। पर्यटन उद्योग से राज्य सरकार को विभिन्न करों के रूप में आय होती है तथा विदेशी मुद्रा का अर्जन भी होता है। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न व्यवसायों एवं नियोजन में वृद्धि होती है।

(3) नागौर जिले में नागौर शहर का पर्यटन की दृष्टि से चयन किया गया है। विभाग द्वारा नागौर में पशु मेले के अवसर पर पर्यटकों के लिये सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

(4) नागौर जिले में नागौर का किला निजी सम्पत्ति है तथा मालकोट, मेड़ता–सिटी संरक्षित स्मारक है तथा इनके रख–रखाव का कार्य पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है। पर्यटन विभाग अपने सीमित वित्तीय संसाधनों एवं राज्य की प्राथमिकताओं को मध्यनजर रखते हुये विकास की योजना बनाता है। नागौर जिले में केन्द्र सरकार के पर्यटन विभाग ने रॉयल कैसर, खीमसर को हेरिटेज होटल के रूप में अनुमोदित किया है। बागोत गढ़, किला लाडू, हवेली पालारा हेरिटेज सम्पतियां है, जिसके चित्र एवं विवरण सहित निर्देशिका प्रकाशित की गई है। नागौर में पर्यटकों के लिये आवास व्यवस्था हेतु एक पर्यटक विश्राम गृह का निर्माण कराया जा रहा है।

फतहनगर, सनवाड़ व मावली नगरपालिका क्षेत्रों में छात्रावास

385. **श्री शांति लाल चपलोत** (मावली) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या फतहनगर, सनवाड़ व मावली नगरपालिका क्षेत्र में समाज कल्याण का छात्रावास है ?

(2) क्या सरकार उक्त स्थानों पर छात्रों के छात्रावास स्थापित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) फतहनगर, सनवाड़ नगर पालिका के अन्तर्गत सनवाड़ में राजकीय जनजाति बालक छात्रावास वर्ष 1991 से संचालित हैं। ग्राम पंचायत मावली में राजकीय जनजाति बालक छात्रावास वर्ष 1982–83 से संचालित हैं।

इस प्रकार उक्त क्षेत्र में विभाग द्वारा दो छात्रावास संचालित हो रहे हैं।

1. सनवाड़ (नगरपालिका क्षेत्र)
2. मावली (पंचायत समिति मुख्यालय)

(2) नये छात्रावास खोला जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा स्थानीय समिति के आंकलन पर निर्भर करेगा।

नगरपालिका क्षेत्र डूंगरपुर में विकास कार्यों पर व्यय

386. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर नगरपालिका में गत दो वर्षों में कई विकास के कार्य कराये गये हैं ? यदि हां, तो कार्य का नाम, स्थान, राशि का कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन कार्यों पर काफी धनराशि स्वीकृत होने के पश्चात् भी कई कार्य अधूरे पड़े हैं ? यदि हां, तो यह कार्य अधूरे रहने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि कमीशन कमाने की प्रवृत्ति से इन कार्यों की क्वालिटी घटिया है और कई स्थानों पर कार्य का कोई ठिकाना ही नहीं है ? जबकि हजारों लाखों रुपये खर्च बताये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कराये गये कार्यों की उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच कराना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, गत दो वर्षों में कराये गये विकास कार्यों का नाम, स्थान, राशि की वर्षवार सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(2) स्वीकृति धनराशि के अनुसार अधिकांश कार्य पूरे करा दिये गये हैं जो थोड़े कार्य अधूरे हैं उनका विवरण मय कारण के संलग्न सूची सं. 2 के अनुसार दिखाया गया है।

(3) जी नहीं। इस प्रकरण में जांच अधीक्षण अभियन्ता, स्थानीय निकाय, निदेशालय, जयपुर से कराई गई थी। उक्त जांच में प्रश्न गत आरोपों को सत्य नहीं पाया गया।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय, लालसोट में लिपिक वर्गीय कर्मी

387. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे -

(1) राजस्थान संस्कृत विभाग द्वारा संचालित अनुदानित महाविद्यालयों में कनिष्ठ लिपिक और वरिष्ठ लिपिक के कितने कितने पद स्वीकृत करने का प्रावधान है।

(2) क्या सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय, लालसोट में कनिष्ठ और वरिष्ठ लिपिक के पद मानदण्ड के अनुसार नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अतिरिक्त पदों को स्वीकृत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान संस्कृत विभाग द्वारा संचालित अनुदानित महाविद्यालयों में राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था नियम, 1993 के परिशिष्ट "9" के अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिक और वरिष्ठ लिपिक के क्रमश: 2-2 पद स्वीकृत करने का प्रावधान है।

(2) जी हां। अतिरिक्त पद स्वीकृत

(शिक्षा मंत्री)

किये जाने के सम्बन्ध में राज्य की वित्तीय स्थिति के परिपेक्ष्य में निर्णय किया जा सकेगा।

कृषि उपज मण्डी खेडली (अलवर) के अन्तर्गत सम्पर्क सड़क का निर्माण

388. **श्री जुबेर खान (रामगढ़)** : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी खेड्ली (अलवर) के अधीन सम्पर्क सड़क गोविन्दगढ़ से भैंसड़ावत एवं सम्पर्क सड़क रामगढ़-गोविन्दगढ़ रोड से ईन्दपुरा स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो कब?

(2) उपरोक्त सम्पर्क सड़कों पर कार्य की प्रगति क्या है?

(3) इन सम्पर्क सड़कों का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। सम्पर्क सड़क गोविन्दगढ़ से भैंसडावत दिनांक 16.9.92 को स्वीकृति की गई। इसी प्रकार सम्पर्क सड़क राजगढ़-गोविन्दगढ़ रोड से इन्द्रपुरा दिनांक 16.9.92 को स्वीकृति की गई।

(2) प्रथम सम्पर्क सड़क गोविन्दगढ़ से भैंसडावत पर मिट्टी का कार्य (अर्थ वर्क) पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।

द्वितीय सम्पर्क सड़क रामगढ़-गोविन्दगढ़ रोड से इन्द्रपुरा के कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित कर ली गई है।

(3) प्रथम सड़क गोविन्दगढ़ रोड से भैंसडावत का कार्य लगभग दो वर्ष में पूर्ण होने की सम्भावना है।

द्वितीय सम्पर्क सड़क रामगढ़-गोविन्दगढ़ रोड से इन्द्रपुरा की निविदाओं की शर्तों के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने के दो वर्ष में पूरा होने की सम्भावना है।

निर्वाचन क्षेत्र दानपुर की सिंचाई व्यवस्था

389. **श्री दलीचन्द (दानपुर)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बांसवाड़ा जिले के दानपुर क्षेत्र में सिंचाई हेतु कितने तालाब, एनीकट, ट्यूबवैल, नलकूप व लिफ्ट इर्रीगेशन योजनायें हैं? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि यह सम्पूर्ण क्षेत्र पहाड़ी एवं बंजर है एवं सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध नहीं है? क्या राज्य सरकार इस क्षेत्र में सिंचाई की योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले के दानपुर विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई विभाग के 19 तालाब एवं 4 पिकअप विचर है, जिसकी सूची "परिशिष्ट-अ" पर संलग्न हैं। एनिकट, ट्यूबवैल, नलकूप व लिफ्ट इर्रीगेशन योजनाओं की सूचना सम्बन्धित जिलाधीश से प्राप्त की जा रही हैं।

(2) जी हां, अधिकतर क्षेत्र पहाड़ी हैं

(सिंचाई मंत्री)

इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधायें प्रश्न संख्या-1 के अन्तर्गत दिये गये विवरण के अनुसार उपलब्ध हैं। नवीन सिंचाई योजनाओं का निर्माण निर्धारित लाभ-लागत अनुपात एवं वित्तीय साधनों की उपलब्धिता के अनुसार किया जा सकेगा।

परिशिष्ट "अ"

तालाबों एवं पिकअप वियर की सूची सिंचाई खण्ड, बांसवाड़ा

क्रमांक	नाम तालाब/पिकअप वियर	सिंचाई क्षमता (हैक्टेयर)
1.	बगेरी	415
2.	छापरिया	95
3.	झरनियां	50
4.	नल्दा	71
5.	देवगढ़	49
6.	नवाटापरा	22
7.	बरवाला मछार	22
8.	लालाहेड़ा	51
9.	बोरखाबर	155
10.	डाबरीमाल	57
11.	महेशपुरा	41
12.	सामरिया	104
13.	वारीदानपुर	39
14.	रूजिया दानपुर	121
15.	घोडी तेजपुर	69
16.	बारीगामा	113
17.	वुडवा	55
18.	चिरोला	44
19.	करजी	28
	पिक अप वियर (एनीकट)	
1.	माता का खोरा	6
2.	डाबर पिक अप वियर	6
3.	वाग तालाब	11
4.	भंवर खेडा	57
	योग:—	1681 हैक्टेयर

(234)

पंचायत समिति खैरवाड़ा की पंचायतों द्वारा श्रमिकों की बकाया का प्रकरण

390. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति खैरवाड़ा में कुछ पंचायतों द्वारा श्रमिकों को भुगतान न करने की शिकायत पंचायत.समिति को मिली है ? यदि हां, तो यह भुगतान कब से बकाया है और किस–किस पंचायत में बकाया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि भुगतान न करने की शिकायतें उच्च अधिकारियों को करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है ? यदि हां, तो भुगतान करने सम्बन्धी अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति खैरवाड़ा में कुछ काश्तकारों को जीवनधारा स्कीम में खोदे गये कुओं का भुगतान एक या दो किश्तों का भुगतान होने के बाद रोक दिया गया है ? यदि हां, तो कितने काश्तकारों को और कब से व क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति खैरवाड़ा में श्रमिकों को भुगतान नहीं करने बाबत दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	अवधि
1. बलीचा	प्राथमिक विद्यालय, गरदूनिया	दि. 16.1.91 से 15.4.91
2. कातरवास	प्राथमिक विद्यालय, काटवी	दि. 16.3.91 से 15.4.91

प्राथमिक विद्यालय गरदूनिया के 15,589 राशि के 5 मस्टरोल पारित कर मस्टररोल की राशि भुगतान हेतु सरपंच को दी गई थी। इनमें से 16.9.91 से 28.2.91 की अवधि का भुगतान श्रमिकों को हो चुका है। 16.3.91 से 15.4.91 की अवधि का भुगतान 7728/- रु. सरपंच द्वारा श्रमिकों को नहीं किया गया है।

प्राथमिक विद्यालय काटवी में दो मस्टरोल की पारित राशि रु. 11,305/– का भुगतान सरपंच द्वारा श्रमिकों को नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। पंचायत समिति खैर–वाड़ा में जीवनधारा योजना में खोदे गये कुओं का वांछित गहराई तक कार्य होने पर भुगतान दिया जा रहा है। भुगतान पर कोई रोक नहीं है।

पंचायत समिति सायला (जालौर) में प्राप्त प्राचीन मूर्तियां

391. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले की सायला पंचायत समिति में कुछ वर्ष पूर्व किसी खेत में से प्राचीन मूर्तियां निकली हैं ? यदि हां, तो कौन से गांव के किस खसरे में ?

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

(2) उक्त क्षेत्र में से कुल कितनी मूर्तियां निकली हैं ? ये किस काल खण्ड की हैं तथा किन–किन देवताओं की हैं ?

(3) उक्त मूर्तियों को अभी कहां रखा गया है ? क्या यह सही है कि सायला के जैन श्री संघ ने उनमें से अखण्डित मूर्तियां उन्हें सौंपे जाने की मांग की है, ताकि उन्हें मंदिर में प्रतिष्ठापित कर उनका विधिवत् पूजन अर्चन हो सकें ?

(4) क्या उस क्षेत्र में और भी मूर्तियां मिलने की सम्भावना है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुरातत्व विशेषज्ञों के द्वारा विधिवत खनन करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला जालौर के ग्राम सायला के खसरा नं. 781 की माठ पर स्थित धोरे की खुदाई में प्राचीन मूर्तियां तथा उनके खण्डित भाग मिले हैं।

(2) ये संगमरमर की 32 जैन मूर्तियां तथा उनके खण्डित भाग हैं। इनमें जैन तीर्थंकर तथा उनके परिकर खण्ड, विद्याधर एवं यक्ष प्रतिमाएं उल्लेखनीय हैं। ये 12 से 14वीं शताब्दी के कालखण्ड हैं।

(3) ये प्रतिमाएं ग्राम सायला में पटवार घर में सुरक्षित हैं।

जी हां। सायला के कुछ नागरिकों ने इन्हें पूजनीय होने के कारण जैन समाज को सौंपे जाने का आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है।

(4) बिना विस्तृत सर्वेक्षण के कुछ नहीं कहा जा सकता। पुरातत्व विभाग सामान्य तौर पर सर्वेक्षण कराया करते हैं।

जिला भीलवाड़ा में संचालित छात्रावास

392. **श्री कालूलाल गुर्जर** (माण्डल) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) भीलवाड़ा जिले में कुल कितने छात्रावास विभाग की ओर से चल रहे हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावासों में कौन-कौन से छात्रावास ऐसे हैं जो निजी किराये के भवनों में चल रहे हैं ? क्या सरकार इन किराये के भवनों में चलने वाले छात्रावासों की जगह सरकारी भवन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार माण्डल विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा में ग्राम गुरजां, माण्डल, भगवानपुर आदि गांवों में विभाग के नये छात्रावास खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ये छात्रावास खुल जायेंगे ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में 21 राजकीय तथा 1 अनुदानित कुल 22 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं, तहसीलवार सूचना निम्न प्रकार है:–

तहसील	छात्रावास
1	2
भीलवाड़ा	1. बापू नगर

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

1	2
	2. माली खेड़ा
	3. सुभाष नगर
सहाड़ा	1. गंगापुर
	2. आमली
	3. कोशीथल
रायपुर	1. रायपुर
आसीन्द	1. बदनौर
माण्डल	1. करेड़ा
	2. बागौर
शाहपुरा	1. शाहपुरा
	2. फूलियाकलां
हुरडा	1. हुरडा
कोटडी	1. कोटडी
	2. बडलियास
	3. पारोली
माण्डलगढ़	1. माण्डलगढ़
	2. लाडपुरा
जहाजपुर	1. शक्करगढ़
	2. जहाजपुर
	3. पण्डेर

4. जहाजपुर में एक अनुदानित छात्रावास संचालित है।

(2) भीलवाड़ा जिले में कुल 10 छात्रावास वर्तमान में किराये के भवनों में चलाये जा रहे हैं, उनके नाम निम्नानुसार है :-

1. गंगापुर	6. शक्करगढ़
2. बागौर	7. बदनौर
3. पण्डेर	8. हुरडा
4. कोशीथल	9. करेडा
5. शाहपुरा	10. पारोली

सरकारी भवन निर्माण कराया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(3) नये छात्रावासों का खोला जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं स्थानीय स्थिति के आंकलन पर निर्भर करता है।

धामनिया-जगपुरा (माण्डलगढ़) क्षेत्र की जल आपूर्ति

393. श्री बद्री प्रसाद गुरूजी (माण्डलगढ़) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के धामनिया से जगपुरा में कोई जल आपूर्ति की योजना है ? यदि हां, तो क्या उक्त योजना चालू हो चुकी है, यदि नहीं, तो कब तक चालू कर दी जायेगी ?

उत्तर

क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना धामनिया जगपुरा से ग्राम धामनिया में नियमित जलापूर्ति की जा रही है तथा अन्य दो ग्रामों हरपुरा एवं जगपुरा को जोड़ने वाली पाइप लाइन की टेस्टिंग पूर्ण की जा कर शीघ्र इन क्षेत्रों में जलापूर्ति किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित सम्पर्क सड़कें

394. **श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :** क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बेगूं कृषि उपज मण्डी को विगत पांच वर्षों में आय और व्यय कितना हुआ ? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मण्डी की आय बढ़ाने हेतु कृषि उपज मण्डी समिति सम्पर्क सड़कों के निर्माण का निर्णय लेती है ? यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में समिति ने कहां-कहां सम्पर्क सड़कें बनवाई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, बेगूं की विगत पांच वर्षों की आय और व्यय का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दिया गया है जो परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। पिछले पांच वर्षों में समिति के पास पर्याप्त धन राशि का अभाव रहा है, इसलिये सम्पर्क सड़कें नहीं बनाई गई हैं।

238

परिशिष्ट "अ"

कृषि उपज मण्डी समिति, बेगू की गत पांच वर्षों की आय व्यय का विवरण

(लाखों में)

वर्ष	आय: मण्डी शुल्क	केन्द्रीय अनुदान	आवंटन शुल्क	अन्य स्त्रोत	योग	व्यय: संस्थापन	बोर्ड अंशदान	मण्डी सुविधायें	परियोजना ऋण/ब्याज का पुर्नभरण	निर्माण कार्य	योग	शेष बचत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
88-89	4.93	—	0.76	0.31	6.00	2.46	0.19	0.70	2.30	—	5.65	0.35
89-90	6.87	0.50	0.79	0.62	8.78	3.08	0.94	0.77	2.50	1.11	8.40	0.37
90-91	7.68	—	1.04	0.62	9.34	2.99	0.76	0.98	3.56	0.35	8.64	0.70
91-92	6.42	—	1.04	0.76	8.22	3.16	0.58	0.89	—	—	4.63	3.59
92-93	7.06	—	0.91	0.98	8.96	3.22	0.51	1.08	—	—	4.81	4.14
योग:—	32.96	0.50	4.54	3.29	41.30	14.91	2.98	4.42	8.36	1.46	32.13	9.15

गुड़गांव नहर परियोजना से निर्वाचन क्षेत्र डीग की सिंचित भूमि

395. **श्री अरूण सिंह (डीग) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गुड़गांव नहर परियोजना से डीग तहसील में कितनी हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी ? वर्तमान में कितने हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) अब तक किन–किन नहरों (मुख्य नहर माइनर एवं वितरिकायें) का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है एवं परियोजना पर कितनी राशि व्यय हो चुकी है तथा अभी और कितने धन की आवश्यकता होगी ?

(3) गत तीन वर्षों से इस परियोजना पर नहर निर्माण व मरम्मत पर कितनी राशि व्यय हुई है ?

(4) निर्माण कार्य कौनसी तिथि से प्रारम्भ हुआ तथा कब तक परियोजना पूरी होनी थी तथा कब तक पूरी होगी ?

(5) क्या इस परियोजना के बारे में कोई अन्तर्राज्यीय समझौता हुआ है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ? तथा क्या समझौते के अनुरूप गुड़गांव परियोजना को अपने हिस्से का पानी मिल रहा है यदि नहीं तो सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है ?

(6) क्या यह सही है कि शार्ट सप्लाई की स्थिति में हरियाणा बिलनर नहर जिसका निर्माण राजस्थान के धन से हुआ है, से अवैध तरीकों से पानी लेता है ?

(7) यदि हां, तो इसे रोकने हेतु सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है एवं डीग तहसील की परियोजना से प्रस्तावित भूमि की सिंचाई हेतु कब तक पूरा पानी दिलवा रही है ?

(8) वर्षा के पानी के साथ बह कर आई मिट्टी से पानी निकासी की कुछ जगहों पर उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण नहर सिल्ट हो जाती है ? इस तकनीकी कमी को पूरा करने हेतु सरकार क्या कदम उठायेगी ?

उत्तर

(1) गुड़गांव नहर परियोजना से डीग तहसील में 13,760 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई प्रस्तावित है। डीग तहसील में गत वर्ष 252 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

(2) गुड़गांव मुख्य नहर का मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्य नहर में प्रथम 35.5 किमी. में से 32 किमी. में लाइनिंग का कार्य भी पूरा किया जा चुका है। मुख्य नहर के अतिरिक्त 38 वितरिकाओं एवं माइनरों का कार्य पूर्ण किया गया है। परियोजना पर माह फरवरी, 94 तक 2082 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। शेष कार्यों के लिए अनुमानित धनराशि 1458 लाख रुपये होगी।

(3) गत तीन वर्षों में परियोजना पर 538.70 लाख रुपये एवं मरम्मत पर 51.54 लाख रुपये व्यय हुए हैं।

(4) परियोजना का निर्माण कार्य, वर्ष 1966 में प्रारम्भ हुआ। वर्ष 1994-95 में

२५०

(सिचाई मंत्री)

पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था। अब वर्ष 1997-98 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(5) जी नहीं।

(6) जी हां।

(7) हरियाणा के अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित कर राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं। प्रस्तावित निर्माण कार्यक्रम के अनुसार धनराशि उपलब्ध होती रहने पर तहसील डीग की भूमि के लिए सिंचाई क्षमता वर्ष 97-98 तक अर्जित कर ली जावेगी।

(8) वर्षा के समय नहर में मिट्टी कम से कम आने हेतु उचित तकनीकी व्यवस्था की गई है तथा जो मिट्टी नहर में इकट्ठी होती है उसे निकालने के कार्य भी धनराशि की उपलब्धतानुसार किये जा रहे हैं।

निर्धन ग्रामीणों हेतु "आश्वासित रोजगार" योजना

396. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में निर्धन ग्रामीणों को आश्वासित रोजगार उपलब्ध कराने की योजना कितने जिलों के कितने उपखण्डों में क्रियान्वित की जा रही है ?

(2) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत ग्रामीण बेरोजगारों को न्यूनतम मजदूरी पर वर्ष में कम से कम सौ दिन का रोजगार उपलब्ध कराये जाने का कार्यक्रम है ? यदि हां, तो बाकी दिनों में क्या वह बेरोजगार रहेंगे ? उक्त योजना की लक्ष्य की पूर्ति के लिये विभाग के अन्य क्या प्रयत्न रहेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 60 वर्ष की आयु सीमा के बेरोजगार व्यक्तियों को आश्वासित रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आश्वासित रोजगार योजना राज्य के 22 जिलों के 122 नवीकृत वितरण प्रणाली वाले उपखण्डों में 2 अक्टूबर, 1993 से क्रियान्वित की जा रही है।

(2) जी हां। आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण बेरोजगारों को गैर कृषि मौसम में वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। बाकी दिनों में कृषि व अन्य प्रगतिरत योजनान्तर्गत कार्यों में सामान्यतः रोजगार उपलब्ध हो जाता है। इस योजना के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु इस योजना की सघन मोनेटरिंग राज्य एवं जिला स्तर पर की जा रही है।

आमेर के महलों का रख-रखाव

397. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या कला, पर्यटन एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) आमेर के महलों को देखने के लिए वर्ष 1992-93 में कितने पर्यटक आये और उनसे कितनी आय हुई ?

(2) आय का कितना प्रतिशत इन महलों की मरम्मत पर व्यय किया ?

(श्री गोपीराम जाट)

(3) क्या यह सही है कि बारहदरी की एक जाली जो 6 × 2 फीट की है और टूट गई है, उसे खरीदने हेतु 36 हजार रुपये का भुगतान किया गया जबकि उक्त जाली सात हजार रु. में उपलब्ध थी । क्या सरकार इस प्रकार की खरीददारी करने वाले के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) वर्ष 1992--93 में आमेर महल देखने हेतु 5,78,833 पर्यटक आये तथा उनसे 16,52,985/- रुपये की कुल आय हुई ।

(2) महलों की आय में से मरम्मत पर व्यय किये जाने का नियमों में प्रावधान नहीं है । अत: आय में से व्यय किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । तथापि आवश्यकतानुसार विभाग के "मरम्मत तथा संरक्षण" मद से समय-समय पर मरम्मत करायी गई है ।

(3) जी नहीं । आमेर के महल कलात्मक शीशमहल के सामने की रेलिंग की जाली वर्ष 1980 में क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसके स्थान पर मारबल की जाली लगाने हेतु 36,500/- रुपये की स्वीकृति राज्य स्तर से जारी की गई थी । लगाई गई जाली में पूर्व जाली की तुलना में सफाई, घिसाई न होने तथा बारीक रेखाएं (हेयर क्रेक्स) होने के कारण जाली का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में खरीद करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

पिछड़ी आदिवासी महिलाओं को सुविधायें

398. श्री मदन मोहन (खैरथल) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान के पिछड़े आदिवासी इलाके में समाज कल्याण विभाग पिछड़ी व आदिवासी महिलाओं को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराता है ।

(2) क्या इस क्षेत्र में अन्य पिछड़े वर्ग को महिलाओं को प्रसव के समय कुछ आर्थिक मदद दी जाती है ? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रावास सुविधायें एवं छात्रवृत्ति योजनायें संचालित की जाती हैं । साथ ही अनुसूचित जाति एवं जन जाति की महिलाओं की उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियां, कीमती किताबों की बुक बैंक द्वारा व्यवस्था एवं अखिल भारतीय राज्य स्तरीय एवं अन्य राजकीय सेवाओं हेतु दी जाने वाली पूर्व परीक्षाओं की तैयारियों की व्यवस्था मय वृत्तिकाओं के की जाती है । उपरोक्त श्रेणी की शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को बेरोजगार भत्ते की व्यवस्था व विकलांग कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत सभी प्रवृत्तियों में सुविधायें उपलब्ध करवाई जाती हैं ।

(2) जी नहीं ।

नगरपालिका बालोतरा के अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्रों में पाइप लाइन

399. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

२५२

(श्री अमराराम चौधरी)

(1) वर्ष 1993–94 में नगरपालिका बालोतरा द्वारा अनुसूचित जाति व जन जाति के मौहल्लों में पीने के पानी की पाइप लाइन बिछवाने के लिये कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) क्या बालोतरा में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मौहल्लों में पीने के पानी का प्रबन्ध है ? यदि नहीं, तो पीने के पानी का प्रबन्ध कब तक कर दिया जाएगा।

उत्तर

(1) नगरपालिका बालोतरा द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से वर्ष 1993–94 में अनुसूचित जाति व जन-जाति के मौहल्लों में पाइप लाइन बिछाने के कार्य पर 42000 रु. की राशि व्यय की गई है।

(2) जी नहीं, सुविधा समस्त अनुसूचित जाति व जनजाति के मौहल्लों में उपलब्ध नहीं है। योजना के पुनर्गठन के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं जिनकी स्वीकृति एवं क्रियान्विति धन उपलब्धतानुसार की जा सकेगी।

जिला जोधपुर के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

400. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

( ) क्या सरकार नये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो किन मानदण्डों के आधार पर ?

(2) जोधपुर जिले से कौन-कौन सी स्कूलों को क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

(3) क्या सरकार जोधपुर जिले में मादलिया, मालकोसनी, जेतीवास, पिपाड़ रोड, खेड़ी सालवा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने एवं बाकलिया, जवासिया, भागासनी, सांखली का बेरा (पिपाड़ शहर) को प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विद्यालय खोलने एवं क्रमोन्नत करते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाता है–

1. जनसंख्या
2. छात्र संख्या
3. फीडर विद्यालय
4. भवन की स्थिति
5. निकटतम उपलब्ध शिक्षा सुविधा
6. बजट की उपलब्धता
7. जन प्रतिनिधियों की मांग।

(2) वर्ष 1994–95 के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये जा रहे हैं।

(3) प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने वाले विद्यालयों को सरकार वित्तीय सीमा में गुणावगुणों के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत करने पर विचार कर सकेगी।

राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा तहसील गंगापुर के ग्रामों में निर्मित सड़कें

401. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने गंगापुर तहसील के कौन–कौन से ग्रामों में सड़कों का निर्माण कब-कब कराया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही कि निर्माण के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की आज तक मरम्मत नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों तथा सरकार उन्हें अब कब तक दुरूस्त करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर द्वारा गंगापुर तहसील के जिन सड़कों का निर्माण कार्य करवाया गया है उनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं।

कृषि विपणन बोर्ड द्वारा गंगापुर तहसील के अन्तर्गत निर्माण करवाई गई सड़कों का विवरण :—

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई कि.मी.	निर्माण का वर्ष
1.	सम्पर्क सड़क गंगापुर–हिण्डौन रोड से जाट बड़ौदा	2–00	1977
2.	सम्पर्क सड़क टोकसी	2–00	1977
3.	सम्पर्क सड़क जीवली	1–20	1978
4.	सम्पर्क सड़क मीणा बड़ोदा	2–00	1978
5.	सम्पर्क सड़क पावटा	2–900	1978
6.	सम्पर्क सड़क रायपुर से कुलवाड़ा	2–50	1978
7.	सम्पर्क सड़क मेड़ी	1–70	1982
8.	सम्पर्क सड़क चूली गेट से मिर्जापुर	1–50	1982
9.	सम्पर्क सड़क सालोदा से पिलोदा	7–00	1978
10.	सम्पर्क सड़क चूलीबाग से चूली गांव	1–200	1978
11.	सम्पर्क सड़क हिण्डौन रोड से सेवा	1–200	1982
12.	सम्पर्क सड़क गांवड़ी	0–700	1982

निर्वाचन क्षेत्र सूरतगढ़ में सिगरासर माइनर

402. **श्री अमरचन्द मिड्ढा** (सूरतगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सूरतगढ़ तहसील के देईदासपुरा ग्राम पंचायत क्षेत्र के सिगरासर ठुकराना बखराना, लधेरा की असिंचित भूमि को सिंचित करने हेतु सरकार द्वारा सिगरासर माइनर के ताम से कोई प्रस्ताव बनाया गया था ? यदि हां, तो प्रस्ताव की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सिगरासर माइनर निकालकर इस क्षेत्र को सिंचाई सुविधा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार इन्दिरा गांधी नहर के सटे हुए इस क्षेत्र को सिंचित करने हेतु लिफ्ट नहर निर्माण का विचार भी रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

निर्वाचन क्षेत्र शेरगढ़ के विकास कार्य

403. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्रों में विकास के पक्के कार्य चल रहे हैं ? यदि हां, तो ये किस विभाग से चलाये जा रहे हैं ? इस वर्ष शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कितने कार्य कहां-कहां चल रहे हैं ? उन पर कितने रुपये खर्च किये जा रहे हैं ? क्या इसमें संबंधित विधायक की सहमति लेना आवश्यक नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या ग्राम चिड़वाई पंचायत समिति बालेसर में कोई हॉल निर्माण कार्य चल रहा था, जो बनते बनते गिर गया ? तथा मजदूर भी कार्यस्थल पर जख्मी हुए थे ? यदि हां, तो कितने मजदूर जख्मी हुए, और उनके उपचार के लिये क्या व्यवस्था की गई ?

उत्तर

जी हां। पंचायत समिति क्षेत्रों में विकास के पक्के कार्य पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से चलाये जा रहे हैं। इस वर्ष शेरगढ़ विधान सभा-क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं में 140 कार्य चल रहे हैं जिनकी ग्रामवार सूची, स्वीकृत राशि एवं खर्च का विवरण संलग्न है। ये सभी कार्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की संचालन समिति से अनुमोदित होते हैं जिसमें जिले के विधायक भी सदस्य हैं। ग्राम चिड़वाई पंचायत समिति बालेसर में हॉल का निर्माण नहीं बल्कि उचित मूल्य की दुकान का निर्माण कार्य जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत चल रहा था जो निर्माणाधीन अवस्था में पाट चढ़ाते वक्त कारीगरों की असावधानी से गिर गया था। उक्त कार्य पर कार्यरत 3 श्रमिकों के मामूली चोटें आयी थी जिनका उपचार उसी वक्त करवा दिया गया था। अब ये श्रमिक सभी स्वस्थ्य हैं। यह कार्य पूर्ण हो चुका है।

क्र.सं.	पंचायत	गांव	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	अनुमानित खर्च राशि
1	2	3	4	5	6
	पं.स. शेरगढ़ (ज. रोज. योजना)				
1.	सेतरावा	जैतसर	आंगनबाड़ी केन्द्र	89736/–	70000/–
2.	,,	,,	उचित मूल्य की दुकान	63911/–	40000/–
3.	देचू	देचू	आंगनबाडी केन्द्र	69736/–	40000/–
4.	सेतरावा	खैनोडी	आंगनबाडी केन्द्र	95531/–	40000/–
5.	शेरगढ़	शेरगढ़	,,	69736/–	40000/–
6.	,,	,,	रा.प्रा.वि. में हाल नि.	127700/–	48000/–
7.	जेठानिया	जेठानिया	आंगनबाडी केन्द्र	69736/–	60000/–
8.	,,	,,	सामु. विकास केन्द्र	56822/–	50000/–
9.	,,	कनो..महा.	आयु. औषधालय	67153/–	67000/–
10.	गडा	गडा	रा.प्रा. अचलसिंह का विद्यालय	4975/–	2000/–
11.	,,	रायसर	रा.प्रा.टुडसिंह का बेरा	13100/–	5000/–
12.	,,	गडा	रा.उ.प्रा.वि. मरम्मत कार्य	35835/–	9000/–
13.	,,	,,	पंचायत घर मरम्मत	11000/–	4000/–
14.	[illegible]	,,	रा.प्रा.वि. नाथ को बेरी हाल नि.	99394/–	32000/–
15.	सोइन्तरा	सोइन्तरा	रा.प्रा.वि. सोइन्तरा	70000/–	45000/–
16.	चोरडिया	खिसासरिया	उप स्वा. केन्द्र	133300/–	40000/–
17.	सोमेसर	सोमेसर	आंगनबाडी केन्द्र	95531/–	30000/–
18.	तैना	तैना	प्रा.वि.गोगानाडी कमरा	65906/–	40000/–
19.	झाण्डुभाटी	झाण्डुभाटी	सामु. केन्द्र	92000/–	40000/–
20.	चांदसमा	लालपुरा	रा.प्रा.वि. लालपुरा	88318/–	18000/–
21.	तिबना	तिबना	आंगनबाडी केन्द्र	69736/–	42000/–
22.	साई	साई	,,	69736/–	48000/–
			योग:–	1558892/–	811000/–

1	2	3	4	5	6
	(ब) इन्दिरा आवास योजना				
			व्यक्ति का नाम		
23.	चान्दसमा	चान्दसमा	जगदीश/छिलारामढोली	11200/-	2000/-
24.	सोलकियातला	सोलकियात.	नीम्बाराम/सोनाराम	11200/-	6000/-
25.	,,	,,	खुशालाराम/करनाराम	11200/-	6000/-
26.	जेठानिया	जेठानिया	कानाराम/बीजाराम	11200/-	2000/-
27.	,,	,,	गुलाबनाथ/रूपनाथ	11200/-	2000/-
28.	साई	साई	रिडमलराम/हिन्दुराम	11200/-	6000/-
29.	खिरजा	भोजा	खुशालाराम/मंगलाराम	11200/-	6000/-
30.	बिबना	बिबना	पेमाराम/मंगलाराम	11200/-	6000/-
31.	गडा	गडा	कबुदेवी/गिरधारीराम	11200/-	2000/-
32.	खिरजाखास	खिरजाखास	तुलसी/नारायणराम	11200/-	2000/-
33.	,,	,,	डसूदेवी/नगाराम	11200/-	2000/-
34.	नैना	नाहरसिंह नगर	सिरूदेवी/नाराम	11200/-	2000/-
35.	,,	,,	अमियादेवी/दुर्गाराम	11200/-	2000/-
			योग:–	145600/-	46000/-
	पं.स. बालेसर (ज.रो.यो.)				
36.	बालेसर दुर्गा.	बालेसर	दुर्गा. वाचनालय भवन निर्माण	70000/-	3774/-
37.	,,	,,	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	80000/-	41826/-
38.	बेलवा	बेलवा	रा.प्रा.वि. मोहली भाकरी	100000/-	97500/-
39.	नीम्बोका गांव	नीम्बोका गांव	रा.प्रा.वि. होलमय बरा.	60000/-	10000/-
40.	,,	,,	रा.प्रा.वि. नी. का गांव	97215/-	100000/-
41.	बालेसर सता	बालेसर सता	महिला विकास केन्द्र भवन	100000/-	60000/-

1	2	3	4	5	6
42.	बालेसर सता	बालेसर सता	सहकारी उपभोक्ता भवन नया बेरा	100000/-	100000/-
43.	,,	,,	उचित मूल्य की दुकान	67750/-	20000/-
44	भालूकला	भालू	सामुदायिक विकास केन्द्र भालू	90000/-	99843/-
45.	,,	,,	उचित मूल्य की दुकान	67750/-	35575/-
46.	देडा	देडा	सार्व. पोच का होज	50000/-	66429/-
47.	,,	,,	सार्व. पोच की टंकी	50000/-	8693/-
48.	ढाढणिया	ढाढणिया	रा.उ.प्रा.वि. कमरा जुड़िया	80000/-	80000/-
49.	बावरली	भाटेलाई पु.	रा.प्रा.पा. भाटेलाई हाल नि.	80000/-	15000/-
50.	,,	,, चारणा	,, ,, चारणा	80000/-	80000/-
51.	बिराई	बिराई	अनु.जा. सामुदा. केन्द्र	80000/-	70000/-
52.	उटाम्बर	उटाम्बर	उचित मूल्य की दुकान	80000/-	60000/-
53.	खुडियाला	खुडियाला	उचित मूल्य की दुकान	80000/-	75000/-
54.	देवातू	देवातू	,,	67750/-	70000/-
55.	चामू	चामू	रा.प्रा.पा. एक होल	80000/-	70000/-
56.	बस्तवा	बस्तवा	महिला विकास केन्द्र भवन	80000/-	100000/-
57.	,,	,,	उचित मूल्य की दुकान	67750/-	48000/-
58.	केतुकला	केतुकला	रा.प्रा.पा. मनावता हाल	70000/-	70000/-
59.	बिराई	बिराई	सहकारी गोदाम व उचित मूल्य की दुकान	80000/-	100000/-
60.	चामू	चामू	मेगवालों का हाल	30000/-	20000/-
61.	बारनाऊ	देवानिया	रा.प्रा.पा. कमरा	50000/-	40000/-
62.	चामू	चामू	रा.प्रा.शा. (छात्र) मरम्मत	20000/-	50000/-

1	2	3	4	5	6
63.	बारनाऊ	देवानिया	रा.प्रा.पा. हनुमान सागर कमरा	50000/–	55000/–
64.	लोडता	लोडता	अनु.जा. सभा भवन	50000/–	50000/–
65.	गिलाकोर	गिलाकोर	अ.ज. सभा भवन	50000/–	50000/–
66.	,,	ढाडिया	उप स्वा. केन्द्र	60000/–	60000/–
67.	,,	,,	रा.प्रा.प्रा. ढाडिया	70000/–	30000/–
68.	,,	,,	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र भवन	50000/–	30000/–
69.	नाथडाऊ	नाथडाऊ	रा.प्रा.पा. नाथडाऊ	85000/–	80000/–
70.	,,	,,	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	50000/–	40000/–
71.	,,	,,	महिला विकास केन्द्र	50000/–	10000/–
			योग:–	2358215/–	2041640/–

(ब) इन्दिरा आवास योजना

72.	चामू	चामू	मोहनराम/मोतीराम	11200/–	9800/–
73.	,,	,,	मलाराम/अमराराम	11200/–	6000/–
74.	,,	,,	जानी/बंशीलाल	11200/–	6000/–
75.	,,	,,	प्रतापराम/अमराराम	11200/–	6000/–
76.	खुडियाला	खुडियाला	बीजाराम/रूपाराम	11200/–	9800/–
77.	नीबों को गांव	नी.गांव	सुखाराम/उगाराम	11200/–	9800/–
78.	सुवेरी	,,	मांगीदेवी/बाबूराम	11200/–	9800/–
79.	नीम्बों का गांव	,,	रामू/करणा	11200/–	9800/–
80.	म.चोघलवा	उटाम्बर	मीमो/खियाराम	11200/–	2000/–
81.	,,	,,	रूकमो/राणाराम	11200/–	9800/–
82.	बावेरला	भाटेलाई	घूडाराम/पूनाराम	11200/–	9800/–
83.	भालूकलाजवा	भालूकला	मेगाराम/नेगाराम	11200/–	9800/–
84.	खुडियाला	खुडियाला	मूलाराम/सूजाराम	11200/–	2000/–
85.	बेलवा	जूनावास	मांगी/डूंगरराम	11200/–	6000/–

1	2	2	4	5	6
86.	वेलवा	जूनावास	सूवा/पूनाराम	11200/–	9800/–
87.	,,	,,	मूलाराम/चंपाराम	11200/–	6000/–
88.	,,	,,	दलाराम/बाबूराम	11200/–	2000/–
89.	बारनाऊ	देवानिया	किसनाराम/पूनाराम	11200/–	11200/–
90.	वारनाऊ	वारनाऊ	तेजाराम/जेठाराम	11200/–	9800/–
91.	,,	पंडितकाबास	राणाराम/बस्तीराम	11200/–	9800/–
92.	बालेसर सता	बालेसर सता	हंजू/गेनाराम	11200/–	9800/–
93.	देवातू	वेवातू	भंवरी/चाडाराम	11200/–	11200/–
94,	बालेसर दुर्गा	बालेसर दुर्गा.	सुजाराम/घेवरराम	11200/–	9800/–
95.	ढाढणिया	ढाढणिया	सतू/बाबूराम	11200/–	9800/–
96.	आगोलाई	सुराणी	सुन्दर/हीराराम	11200/–	9800/–
97.	नीम्बोंका गांव	नीं. गांव	गिगु/खेताराम	11200/–	9800/–
98.	,,	,,	माडा/किसनाराम	11200/–	9800/–
99.	वेलवा	बेलवा	सजनी/चोलाराम	11200/–	9800/–
100.	,,	,,	खमा/गुलाराम	11200/–	—
101.	,,	,,	चम्पा/घेवरराम	11200/–	—
102.	,,	,,	सोयनी/गंगाराम	11200/–	6000/–
103.	,,	,,	सुगनी/जोराराम	11200/–	—
104.	ढाढणिया	जुडिया	हीरो/बाबूराम	11200/–	6000/–
105.	,,	,,	हुकली/नोकलराम	11200/–	6000/–
106.	,,	,,	सुगना/भंवरराम	11200/–	6000/–
107.	आगोलाई	सुराणी	चोथी/नगाराम	11200/–	6000/–
108,	,,	,,	रावा/रामूराम	11200/–	6000/–
109.	,,	आगोलाई	लाछो/राणाराम	11200/–	2000/–
110.	देवातू	देवातू	गजरो/गंगाराम	11200/–	—
111.	ढाढणिया	ढा.भावला	गजरो/वनाराम	11200/–	—
112.	केतु कला	केतु मदा	हरकू/अम्बाराम	11200/–	6000/–

1	2	3	4	5	5
113.	केतु कलां	केतु मदा	मोहनी/हसाराम	11200/–	6000/–
114.	सेखाला	सेखाला	नोजी/गोमन्दराम	11200/–	—
115.	बालेसर दुर्गा	बा. दुर्गा.	शांति/पेमाराम	11200/–	6000/–
116.	,,	,,	शांति/सगाराम	11200/–	—
117.	,,	,,	बिदामी/जगाराम	11200/–	6000/–
118.	,,	,,	कसूम्बी/शिवाराम	11200/–	6000/–
119.	,,	,,	शान्ति/भोमाराम	11200/–	6000/–
120.	,,	,,	मोहनी/बनाराम	11200/–	6000/–
121.	,,	,,	शान्ति/लुम्बाराम	11200/–	—
122.	भालूराज.	भा.राज.	सायर/गजाराम	11200/–	—
123.	,,	,,	भमू/मूलाराम	11200/–	6000/–
124.	ढाढणिया	ढा. सासण	खमा/डूंगरराम	11200/–	6000/–
125.	,,	,,	सजन/दुर्गाराम	11200/–	6000/–
126.	,,	,,	पपू/लिखाराम	11200/–	6000/–
			योग	2616000/–	309400/–

(स) निर्बन्ध राशि योजना

(राशि लाखों में)

127.	चामू	चामू	सामुदायिक विकास केन्द्र	2.00	—

(द) अपना गांव अपना काम योजना

(राशि लाखों में)

128.	ढाढणियां	ढा. भा.	गूदियाल की ढा. सा. विश्राम भवन	1.00	0.68

(य) डीडीपी योजना

(राशि लाखों में) (जल संग्रहण टांका)

129.	नाथडाऊ	नाथडाऊ	मेगवालों की ढाणियां	0.60	0.40
130.	,,	,,	राजपूतों/मेगवालों की ढाणियां	0.60	0.20

251

1	2	3	4	5	6
131.	बारनाऊ	पंडितका बास	मेगवालों व जोगियों की ढाणी	0.60	0.20
132.	चामू	चामू	मेगवालों व लोहारों की ,,	0.60	—
132.	लोडता अ.	लो.अ.	भीलों व राज की ढाणियां	0.60	0.20
134.	गिलाकोर	गिलाकोर	मेगवालों व विश्नोईयों की ढाणी	0.60	0.20
135.	देडा	देडा	भीलों की ढाणियां	0.60	—
136.	—	लवारण	मेगवालों की ढाणिया	0.60	0.20
137.	भालू राज	भालू	तोलेसर ढाणियां	0.60	—
138.	,,	,, रतनगढ़	भालूरतन ढाणियां	0.60	—
139.	ढाढणिया	ढा. बरडा	राप्रावि बरड़ा का पास	0.60	0.20
140.	बस्तवा	बस्तवा सूरोकाबास	पितरामन ढाणियों के पास	0.60	—
			योग	7.20	1.40
			महा योग	5698707/-	3416040/-

मात्रकुण्डिया (गंगरार) धार्मिक स्थल का विकास

404. **श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार)** : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या गंगरार विधान सभा क्षेत्र में मात्रकुण्डिया धार्मिक स्थल को विकसित करने के लिये विभाग ने पूर्व में कोई योजना बनाई थी ? यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पुरातत्व व धार्मिक महत्व के स्थान के विकास करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां। गंगरार विधान सभा क्षेत्र में मात्रकुण्डिया धार्मिक स्थल पर आने वाले पर्यटकों की सुविधा हेतु विकास कार्यों के लिये वर्ष 1993-94 में 8.00 लाख रुपये का प्रावधान किया था। जैसलमेर दुर्ग के संरक्षण कार्य की प्राथमिकता को मध्यनजर रखते हुए यह राशि इस हेतु स्थानान्तरित

(पर्यटन राज्य मंत्री)

की गई। वर्ष 1994-95 में मातृकुण्डिया में जनसुविधा के निर्माण के लिये 10.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

नव बौद्धों की भांति अन्य धर्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को अनुसूचित जाति/जन जातियों की श्रेणी में सम्मिलित करना

405. **श्री महेन्द्र मीणा** (सिकराय) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या राज्य सरकार नव बौद्धों की भांति अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को, जिन्होंने ईसाई, मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया है, अनुसूचित जाति/जन जातियों की श्रेणी में लेने की सिफारिश केन्द्रीय सरकार से करने का विचार रखती है ?

उत्तर

यह एक नितीगत प्रश्न है, जिसका निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है।

निर्वाचन क्षेत्र सांचौर के ग्रामों में कुओं का निर्माण

406. **श्री हीरालाल विश्नोई** (सांचौर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सांचौर तहसील जिला जालौर के किन–किन गांवों में जलदाय विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में पीने के पानी के कुओं का निर्माण कराया गया और अब तक उन पर कितना–कितना खर्चा किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त गांवों में जहां–जहां पर पीने के पानी के लिए कुओं का निर्माण कराया गया था उनका ना ही विद्युतीकरण किया गया है और ना ही उनका लाभ गांवों को मिल रहा है ? यदि हां, तो अब कब तक इन गांवों के कुओं का विद्युतीकरण कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) सांचौर तहसील में विभाग द्वारा गत तीन वर्षों में निर्मित कुओं से सम्बन्धित वांछित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उपरोक्तानुसार निर्मित कुल 42 कुओं में से 23 कुओं को विद्युतीकृत किया जाकर पेयजल का वितरण हो रहा है। शेष 19 कुओं को विद्युतीकृत करना, मई, 94 तक लक्षित है।

सांचौर तहसील में पिछले तीन वर्षों में निर्मित कुओं एवं उनके विद्युतीकरण तथा व्यय का विवरण

क्र.सं.	गांव का नाम जहां कुओं का निर्माण करवाया	विगत तीन वर्षों में निर्मित कुओं का विवरण		विद्युतीकरण किये गये कुओं संख्या
		कुओं की संख्या	अब तक किया गया कुल व्यय	
1	2	3	4	5
1.	कारोला	2	1.80	2
2.	गरडोली	2	2.10	2
3.	चौरा	3	2.80	1
4.	जारवल	3	2.40	3
5.	परावा	3	2.70	3
6.	मालवाड़ा	1	1.10	1
7.	हरयाली	1	0.85	–
8.	जैरोल	1	1.25	–
9.	धानता	1	1.05	–
10.	भगवाग की ढाणी भादरना	2	1.40	–
11.	देवड़ा	2	1.90	1
12.	बड़सम	1	1.00	–
13.	प्रतापपुरा	1	1.50	–
14.	पहाड़पुरा	2	1.60	1
15.	पादरली	1	0.50	1
16.	बी ढाणी सांचौर	1	1.00	1
17.	सुराब	2	2.00	–
18.	रामपुरा	1	0.60	–
19.	तांतड़ा	2	1.20	2
20.	आकोली	1	0.95	1

1	2	3	4	5
21.	पलादर	2	2.80	–
22.	हाल्लीबाव	1	0.80	–
23.	अगवाड़ा	1	0.80	–
24.	टांपी	2	1.80	2
25.	बेडिया	1	0.80	1
26.	दूधवा	1	0.90	–
27.	डांगरा	1	0.80	1
		42	38.40	23

प्रेमधाम (रामद्वारा) धार्मिक स्थल का सम्पत्ति प्रकरण

407. **श्री एमादुद्दीन अहमद खां** (तिजारा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि धार्मिक स्थल प्रेमधाम (रामद्वारा) की सम्पति गोरस भण्डार की गली भवन नं. 1633 चौड़ा रास्ता, जयपुर में स्थित है और उक्त धार्मिक स्थल पंडित लक्ष्यराम, रामस्नेही चैरीटैबल ट्रस्ट, सवाई माधोपुर देवस्थान विभाग में भी पंजीकृत है ? यदि हां, तो पंजीयन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सम्पत्ति का ट्रस्ट द्वारा बेचान करते समय देवस्थान विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं लिया ? यदि नहीं, तो अनापत्ति प्रमाण–पत्र कैसे जारी हो गया ? यदि हां, तो फिर सम्पत्ति बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र के कैसे बेचान हो गई ?

(3) विभाग उक्त मामले में इस धार्मिक स्थल को बचाने हेतु तत्काल क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। धार्मिक स्थल पडित लक्ष्यराम रामस्नेही चेरीटेबिल ट्रस्ट सवाई–माधोपुर देवस्थान विभाग में पंजीकृत नहीं है।

(2) जी हां। क्योंकि उक्त प्रन्यास देवस्थान विभाग में पंजीकृत नहीं है।

(3) संस्था, इस विभाग द्वारा पंजीकृत नहीं है ऐसी दशा में कोई कार्यवाही विभाग द्वारा अपेक्षित है।

संशोधित उत्तर

राजस्थान सरकार

देवस्थान, वक्फ, एवं सैनिक कल्याण विभाग।

क्रमांक : प. 11(4)देव/94 जयपुर, दिनांक: 25-7-94

विशिष्ट सचिव,
राजस्थान विधानसभा,
जयपुर।

विषय : दिनांक 17.3.94 को तारांकित प्रश्नों की सूची में सूचीबद्ध प्रश्न सं. 8/शि.मं./देव के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं होने पर दिनांक 28.3.94 को माननीय अध्यक्ष के निर्देश सं. 5 के अन्तर्गत पुन: प्राप्त उत्तर से सन्तुष्ट नहीं होने पर पुन: नियम 5 के अन्तर्गत सही स्थिति की जानकारी हेतु।

प्रसंग : आपका पृष्ठांकन क्रमांक प.7( ) प्रश्न/विस/98/48724-26 दिनांक 4.6.94

महोदय,

निर्देशानुसार उपयुक्त विषय में संदर्भित पत्र के साथ संलग्न माननीय सदस्य के पत्र में मुख्यत: निम्नांकित बिन्दु जो उठाये गये हैं उनके सम्बन्ध में निम्नानुसार स्पष्टीकरण/उत्तर प्रेषित है :

1. **प्रश्न के बिन्दु सं. 1 के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण सदन को गुमराह किये जाने वाला है :**

उपर्युक्त आपत्ति के सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रश्न सं. 1 में पूर्व प्रेषित उत्तर में लोक न्यास को पंजीकृत नहीं होना बताया गया था जबकि संशोधित उत्तर में न्यास को पंजीकृत होना स्वीकार किया गया है व इस त्रुटि के सम्बन्ध में मात्र स्पष्टीकरण दिया गया था जिसमें सदन को गुमराह करने की कोई चेष्टा नहीं की गई है।

2. **प्रश्न सं. 2 के सम्बन्ध में राजस्थान लोक प्रन्यास की अधिनियम की धारा 31(3) के अन्तर्गत न्यास द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 3.9.87 को विधिवत् नहीं होना एवं स्वत: स्वीकृति का प्रावधान लागू होना नहीं बताया गया है। आवेदन पत्र दिनांक 3.9.87 की प्रति भी चाही गई :**

माननीय सदस्य ने अपने विवेचन में यह इंगित किया है कि सम्पत्ति रामद्वारा को विक्रय करने के सम्बन्ध में अनुबन्ध जब 29.12.88 को हुआ जिसके अनुसार अग्रिम

(256)

राशि रुपये 51,000/– का भुगतान किया गया तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु कैसे 3.9.87 को आवेदन कर दिया गया जबकि धारा 31(3) में स्पष्ट उल्लेख है कि "बशर्ते कि आवेदन पत्र में सौदे का पूर्ण विवरण उचित प्रकार से दिया गया हो" माननीय सदस्य द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि "आवेदन पत्र में क्रेता कौन है, पैसा कैसे दिया गया, कितने में बिक्री सौदा हुआ, बेचान की क्या-क्या शर्त थी, इन सब बातों का उल्लेख, जो दिनांक 29.12.88 को तय हुई, का 3.9.87 के आवेदन पत्र में किस प्रकार उल्लेख किया गया।' इस तरह माननीय सदस्य का यह मानना है कि धारा 31 (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में धारा 31 (3) के अनुसार सौदे का पूर्ण विवरण उचित प्रकार से दिया गया होना तभी माना जावेगा जबकि वास्तविक विक्रय से सम्बधित उपयुक्त विवरण अंकित हो।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि धारा 31 (1) में उल्लिखित कतिपय अन्तरणों में से जिस अन्तरण के सम्बन्ध में पूर्व स्वीकृति चाही जावे उस सौदे के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण अंकित करते हुए आवेदन पत्र धारा 31 (2) सहपठित नियम 25 में उल्लिखित मदों के बारे में सूचना देते हुए प्रपत्र सं. 9 में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नियम 25 एवं प्रपत्र संख्या 9 में उपर्युक्त तथ्यों के सम्बन्ध में सूचना अपेक्षित नहीं है। धारा 31 में स्पष्ट उल्लेख है कि इस धारा में उल्लिखित अन्तरणों में पूर्व स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है जिसको प्राप्त करने के लिये उपधारा (2) में आवेदन पत्र निर्धारित रीति में, तथा प्रपत्र में दिया जाना अनिवार्य है जो नियम 25 में प्रावधित है। उपधारा (3) में "बशर्ते कि आवेदन-पत्र में सौदे का पूर्ण विवरण उचित प्रकार से दिया गया है", का तात्पर्य नियम 25 में अपेक्षित विवरण से ही है एवं सौदे का तात्पर्य धारा 31 (1) में उल्लिखित विभिन्न अन्तरणों में से प्रार्थित स्वीकृति के अन्तरण को स्पष्ट करने से ही प्रतीत होता है।

माननीय सदस्य के चाहे अनुसार आवेदन पत्र दिनांक 3.9.87 की प्रति संलग्न है।

श्री लक्ष्यराम रामस्नेही ट्रस्ट सवाईमाधोपुर पंजीकृत होने पर भी इसे अपंजीकृत बताने एवं धारा 31 के अन्तर्गत सम्पत्ति के विक्रय की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 3.9.87 पर निर्धारित समय अवधि में निर्णय नहीं लिये जाने के सम्बन्ध में अधिकारी व कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए जांच रिपोर्ट आयुक्त देवस्थान से चाही गयी। आयुक्त ने जांच कर प्रतिवेदन दिनांक 2.7.94 को प्रस्तुत किया है जिसमें तत्कालीन सहायक आयुक्त देवस्थान श्री राधेश्याम शर्मा व सम्बन्धित लिपिक को इस सम्बन्ध में दोषी ठहराया गया है। उपर्युक्त दोनों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जावेगी।

भवदीय,

ह./–

शासन उप सचिव

बीमा नहीं NOT INSURED

लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य 5 रु. 60 पै. क्रमांक
Amount of Stamp affixed Rs. P. 5638

एक रजिस्ट्री प्राप्त किया तारीख
Received a Registered Date Stamp

पाने वाले का नाम—
Addresseed to

पाने वाले के हस्ताक्षर
Signature of Receiving of ficea

प्राप्ति स्वीकृति (रसीद) ACKNOWLEDGMENT

रजिस्ट्री
एक————पत्र/पोस्टकार्ड/पैकेट/पार्सल प्राप्त हुआ। क्रमांक No.
बीमा

Registered
Received ————Latter/Postcard/Packet/Parcel.
Insured

पाने वाले का नाम—श्री सहायक आयुक्त महोदय
Addressed to (name)–देवस्थान विभाग, कोटा (राजस्थान)

बीमे का मूल्य (रुपयों में)
Insured for Rupees
वितरण की तारीख..........198
Date of deilvery

पाने वाले के हस्ताक्षर/Signture of Addresse

अनावश्यक को काट दिया जावे Score out the matter not required
केवल बीमा वस्तुओं के लिए For Insured articles only.

प्रपत्र संख्या–9

सेवामें,

श्रीमान् सहायक देवस्थान आयुक्त महोदय,

रजिस्ट्रेशन सं. 5/1983 श्री लक्ष्यराम रामस्नेही चेरेटेबिल ट्रस्ट स. माधोपुर

क्रम सं. 1 प्रेमधान आश्रम म. न. 1633 चौड़ा रास्ता, जयपुर

चल अचल सम्पत्ति

1	2	3	4	5	6	7	8
चल सम्पत्ति का नाम	अनुमानित मूल्य औसत वार्षिक आय (किराया या ब्याज) यदि कोई हो	सम्पत्ति का नाम सर्वे नम्बर या नगर सर्वे (C.S.) या म्यूनिसिपल नम्बर, क्षेत्रफल निर्धारित कर अनुमानित मूल्य और वार्षिक आय	हस्तान्तरण का रूप विक्रय/विनिमय (Exchange) उपहार पट्टा	हस्तान्तरण के कारण	कार्यवाहक प्रन्यासी अथवा प्रबन्धकों के नाम पते सहित	हस्तान्तरण से हुई वास्तविक अथवा अनुमानित आय	अभ्युक्ति
	अनुमानित मूल्य लगभग 30,0000 अंके तीन लाख रुपया किराया वार्षिक 3240/	प्रेमधाम आश्रम मकान नं.1633 चौड़ा रास्ता चंदन भवन के पास जयपुर	विक्रय	(1) किराया नहीं देना (2) किराया समयानुसार नहीं बढ़ाया	रामनिवास गर्ग कार्यवाहक प्रन्यासी श्री लक्ष्यराम रामस्नेही चेरेटेबिल	30,000/ अंके तीस हजार रुपया प्रति वर्ष ब्याज	

1	2	3	4	5	6	7	8
	अंक तीन हजार दो सौ चालीस रुपये मात्र रजि-स्टर्ड किराया नाम द्वारा	66.9'×55' 367.951 से कर्फ फीट अनुमानित मूल्य लगभग 3,00000 तीन लाख रुपया के आसपास		(3) अन्य कमरों पर नाजायज कब्जा करना (4) मुकदमा बाजी (5) मुकदमा चलने की गति धीमी (6) संतों से अभद्र व्यवहार करना किराये दारों द्वारा (7) ट्रस्ट का उद्देश्य पूरा नहीं होना	ट्रस्ट सवाई-माधोपुर (राजस्थान)		

ह./-
रामनिवास गर्ग
मंत्री
श्री लक्ष्यराम रामस्नेही चेरीटेबल ट्रस्ट
सवाई माधोपुर (राज.)

259

260

कृषि उपज मण्डी समिति जैतारण द्वारा सम्पर्क सड़कों का निर्माण -

408. **श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) :** क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि उपज मण्डी समिति जैतारण की पिछले दो वर्षों की आय व व्यय का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सड़क बनाने के कितने प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन हैं एवं स्वीकृति नहीं होने के क्या कारण हैं ? विचाराधीन प्रस्तावों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार किसानों को अधिक सुविधाएं देने की दृष्टि से सम्पर्क सड़कें बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो मण्डी समिति की कुल आय में से कितनी प्रतिशत राशि सरकार उक्त सड़कों पर खर्च करने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, जैतारण की पिछले दो वर्षों की आय व व्यय का मदवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति, जैतारण की 11 सम्पर्क सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन है। मण्डी समिति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण विचाराधीन प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किये गये हैं। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। सामान्यत: किसी भी मण्डी समिति की उपलब्ध संसाधनों में से प्रशासनिक व्यय निकालने के बाद उपलब्ध धनराशि में से लगभग 60 प्रतिशत राशि मण्डी क्षेत्र की सम्पर्क सड़कों के निर्माण व 40 प्रतिशत राशि मण्डी यार्ड के निर्माण, वृद्धि आदि पर व्यय किये जाने का प्रावधान है।

कृषि उपज मण्डी समिति, जैतारण की वर्ष 1991-92 एवं 1992-93 की आय का विवरण

क्र.सं.	आय का मद	आय 91-92	आय 92-93
1	2	3	4
1.	(क) अनुज्ञापत्र शुल्क (नवीन अनुज्ञापत्र)	990.00	1,695.00
	(ख) नवीनीकरण शुल्क	3,724.50	4,467.50

1	2	3	5
2.	मण्डी शुल्क	17,29,364.10	25,95,313.36
3.	जमा धन पर ब्याज	35,760.26	34,289.07
4.	फार्म पर्ची से आय	6,973.10	7,758.77
5.	विलम्ब शुल्क	3,727.93	5,897.07
6.	ऋण व अग्रिम	26,812.00	40,685.00
7.	केन्द्र सरकार से आय	—	50,000.00
8.	धरोहर राशि	300.00	1,200.00
9.	भवन किराये से आय	1,41,660.16	2,58,285.50
10.	ऋण परियोजना	24,95,000.00	22,74,000.00
11.	दुकान किराया अग्रिम	1,800.00	450.00
12.	भुगतान हेतु प्राप्त	43,177.60	59,834.89
13.	कार्यालय एडवान्स	3,826.00	27,500.00
14.	विविध	10,477.06	22,944.63
15.	जुर्माना	3,668.00	4,104.63
16.	पौधों के लिए अनुदान	3,750.00	—
17.	अमानत किराया	—	60,675.00
	योग	45,11,010.72	54,49,100.42

परिशिष्ट–"ब"

कृषि उपज मण्डी समिति, जैतारण की वर्ष 1991–92 एवं 1992–93 के व्यय का विवरण

क्र.सं.	व्यय का मद	1991–92	1993–93
1	2	3	4
1.	सचिव का वेतन व अन्य भत्ते	67,766.95	94,597.50
2.	कर्मचारी वेतन व अन्य भत्ते	3,42,911.15	4,36,516.96

1	2	3	4
3.	यात्रा व्यय, प्रशासक, सचिव, कर्मचारी	24,282.00	26,578.38
4.	कार्यालय व्यय (आवर्तक)	76,048.67	1,14,137.22
5.	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड अंशदान	1,57,535.60	2,82,904.70
6.	परियोजना ऋण वापसी (बोर्ड)	1,60,000.00	1,60,000.00
7.	परियोजना ब्याज (बोर्ड)	64,000.00	48,000.00
8.	भवन ऋण	67,000.00	—
9.	परियोजना ब्याज	—	4,33,764.00
10.	वाहन ऋण	48,000.00	—
11.	अनाज अग्रिम एवं त्यौहार अग्रिम	19,500.00	19,500.00
12.	धरोहर वापसी	900.00	16,250.21
13.	अमानत वापसी भुगतान	44,040,70	59,074.85
14.	कार्यालय कर अग्रिम	3,800.00	27,500.00
15.	कार्यालय व्यय (अनावर्तक)	—	9,320.00
16.	मण्डी प्रांगण व्यय (आवर्तक)	1,67,739.39	2,12,133.60
17.	निर्माण हेतु अग्रिम	32,20,000.00	40,47,735.00
	योग	44,63,523.46	59,88,012,42

रूपनगढ़ बांध (अजमेर)

409. **श्री किशन मोटवानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सिंचाई खण्ड द्वितीय अजमेर के अधीन निर्मित रूपनगढ़ बांध के कार्य हेतु दिनांक 24-6-1992 को जयपुर के रहने वाले ठेकेदार श्री देवीसिंह सोलंकी के नाम फर्जी खाता खुलवाकर 44707/– रुपये की

(श्री किशन मोटवानी)

रकम बैंक से उठवाकर अभियन्ताओं द्वारा गबन किया गया है ? यदि हां, तो उन अभियन्ताओं पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रूपनगढ़ बांध पर अशोक काजला/उप अभियन्ता द्वारा लाखों रुपये का डीजल खरीदा गया ? यदि हां, तो वह किस कार्य हेतु खरीदा गया तथा क्या डीजल कंजम्पशन रजिस्टर मेनटेन किया गया ? खरीदे गये डीजल एवं कंजम्पशन रजिस्टर की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां, रूपनगढ़ परियोजना पर रुपये 2.29 लाख का डीजल खरीदा गया डीजल की खरीद विभिन्न विभागीय कार्यों, जैसे क्यूरिंग, वाटरिंग व सामान की ढुलाई हेतु की गई। डीजल का कन्जम्पशन रजिस्टर मैनटेन किया गया है। खरीदे गये डीजल एवं उसके कन्जम्पशन के लेखे की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

झुन्झुनूं व सीकर जिले के तीर्थ स्थलों का सौन्दर्यकरण

410. **श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)** : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या झुन्झुनूं जिले का लोहार्गल तीर्थ तथा सीकर जिले का शाकम्भरी देवी का स्थल पर्यटक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है ?

(2) यदि हां, तो इन स्थानों पर पर्यटकों को और अधिक आकर्षित करने की सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां। इन स्थलों पर अधिकांशतः श्रद्धालुओं का आवागमन है।

(2) वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है। सम्पूर्ण शेखावाटी क्षेत्र के पर्यटन विकास हेतु एक विस्तृत अध्ययन करवा के योजना तैयार करवा ली गई है तथा उसी के अनुरूप भविष्य में विकास कार्य करवाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक संख्या में पर्यटकों को इन स्थलों की तरफ आकर्षित किया जा सके।

"अन्य पिछड़ा वर्ग मण्डल" हेतु गठित आयोग

411. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)** : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य में "अन्य पिछड़ा वर्ग मण्डल" के नाम से कोई आयोग सरकार द्वारा जस्टिस श्री इसरानी की अध्यक्षता में गठित किया गया था ?

(2) इस आयोग ने क्या सिफारिश अब तक राज्य सरकार को की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

(3) इन सिफारिशों में से कितनी सिफारिशें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) "अन्य पिछड़ा वर्ग मण्डल" के नाम से कोई आयोग राज्य सरकार द्वारा गठित नहीं किया गया है बल्कि "राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग" के नाम से श्री इसरानी की अध्यक्षता में आयोग राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया है।

(2) अभी तक आयोग ने अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं की हैं।

(3) बिन्दु (2) के उत्तर की रोशनी में सूचना शून्य है।

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 523 की प्रति

नवोदय प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स, जयपुर-3

कार्यालय नगरपालिका, बगरू (राजस्थान)

निर्माण आज्ञा-पत्र

(अन्तर्गत धारा 170 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959)

क्रमांक 1186 दिनांक 9-3-93

श्री छोटूलाल पुत्र श्री श्योबक्स जाट
सांवा की बगीची, बगरू

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 18.6.92 बाबत निर्माण स्वी. 9 दुकान का प्राप्त होने पर नगरपालिका/भवन निर्माण आज्ञा समिति द्वारा दिनांक 9/3/92 को निर्णय लिया जाकर आपको निम्नांकित अनुबन्धों के अन्तर्गत स्वीकृत एवं संशोधित नक्शे के अनुसार निर्माण/पुनःनिर्माण/ निर्माण एवं परिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस आज्ञा पत्र की अवधि अधिनियम के अनुसार एक वर्ष की होगी।

अनुबन्ध

1. कार्य स्वीकृत नक्शे के अनुसार एवं स्वीकृति के अनुसार किया जावेगा।
2. छत के पानी के निकास के लिए सीमेन्ट अथवा लोहे के पाइप दीवार के सहारे लगाया जाकर नीचे उतारना होगा।
3. निर्माण कार्य का मलबा बिना पालिका की आज्ञा प्राप्त किये रास्ते, आम गली सरकारी जमीन अथवा पालिका भूमि पर नहीं डाला जावेगा।
4. तहारत के मल द्वार ढक्कन लगाया जाना आवश्यक है।
5. बिना किसी स्वीकृति के किसी प्रकार का निकास निर्माण नहीं किया जावेगा।
6. निर्माण कार्य समाप्त हो जाने पर अन्दर मियाद एक माह में पालिका को लिखित रूप में सूचना देनी होगी।

दिनांक 9/3/93

ह./-
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका बगरू (राज.)

(266)

परिशिष्ठ–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 524 का विवरण

किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के सूखे हुए हैण्डपम्पों का ग्रामवार विवरण

क्र.सं.	ग्राम का नाम	सूखे हैण्डपम्पों की संख्या	क्र.सं.	ग्राम का नाम	सूखे हैण्डपम्पों की संख्या
1.	कटसूरा	1	17.	गुंदली	2
2.	चौसला	1	18.	पिंगलोद	2
3.	जुगलपुरा	1	19.	पासड़ो पहानन	1
4.	गेहलपुर	1	20.	कूचील	1
5.	भामोलाव	1.	21.	चीता खेडा	1
6.	डॉग	2	22.	भदूल	2
7.	किशनगढ़ ग्रामीण	4	23.	थल	1
8.	उदयपुर कलां	1	24.	तंग	1
9.	चूरली	1	25.	रूपनगर	6
10.	तोसाभाल	1	26.	सुरसुरा	1
11.	भूण्डोली	1	27.	करडासा	1
12.	बुहारू	1	28.	खाजपुरा भैरवाई	1
13.	तिलोनिया	2	29.	पनेर	2
14.	फलोदा	1	30.	रघुनाथपुरा	1
15.	मण्डावरीया	1		योग	44
16.	मोखमपुरा	1			

परिशिष्ट--6

अतारांकित प्रश्न संख्या 526 का विवरण

परिशिष्ट "क"

जोधपुर शहर के उन वार्डों की सूची जहां पर कम दबाव से पेयजल वितरण की शिकायत है।

क्र.सं.	वार्ड नं.	स्थान
1	2	3
1.	14	कागा रोड सड़क, कागा कागड़ी, नया तालाब
2.	15	कलाल कालोनी, बागर, बागर बेरी
3.	16	जीवनदास का कुआ, बडलो का चौक, ब्राह्मणों की गली, मेहरों का चौक
4.	17	मकराना मोहल्ला, केरू हाऊस, लायकान मोहल्ला सुथारों का बास
5.	19	सिटी पुलिस, गांधियों की गली, पीलिया बंगला पचेरिया जैन मन्दिर के पीछे, भण्डारियों की पोल
6.	23	हटडिया का चौक, तापडियों की गली
7.	25	भिश्तियों का बास, चादी हाल, मेवा पाराशन, खापटा मोती चौक खाप
8.	26	गोखिया बाउंड्री आदर्श मोहल्ला घासमण्डी, दिवानों की हवेली, भैयों की पोल
9.	27	गुलाब सागर, बच्चे की गली, राजमहल मिडिल स्कूल, कसाईयों की गली
10.	28	कलिया का बास, बोजवालो की गली मोतीकुण्ड
11.	29	हनुमान भाकरी, थलियों का बास, कविराज जी का बाड़ा
12.	30	दासपा ठाकुर की हवेली, तेलियों की मस्जिद
13.	31	घोड़ों का चौक
14.	1	भगवान महावीर नगर, इटंटी मिल स्कूल कम दबाव मधुबन कोलोनी, सरस्वती नगर, कृष्णा नगर
15.	2	दुर्गा प्रसाद कोलोनी का अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र, बर्गी बस्ती, राव बस्ती, मेघवाल छात्रावास

1	2	3
16.	6	राहुल मोटर्स के पास की गली
17.	34	हाकम बाग, महावीर काम्पलेक्स, गोल बिल्डिग
18.	35	कुम्हारों का मौहल्ला, जे.के. नसिंग होम की गली
19.	36	सरदारपुरा प्रथम ए व बी रोड अप्सरा होटल की गली
20.	37	बच्छराज जी का बाग, सरदारपुरा 5वीं ए रोड 4 एवं बी रोड की बीच की गली, नेहरू पार्क का ऊपरी क्षेत्र
21.	39	शास्त्री नगर में
22.	40	लढा कोलोनी, शक्ति कोलोनी की कुछ अन्दर की गलियां
23.	45	गुर्जरों का मौहल्ला, रामदेव का चौक, भगत की कोठी
24.	3	चान्दणा भखर नहर के पास का क्षेत्र, कमला नेहरू द्वितीय विस्तार हुडको, क्वाटर गुरों का तालाब, चामुण्डा कोलोनी, जोशी कोलोनी
25.	5	जगदम्बा कालोनी, बरकत तुल्ला कालोनी
26.	6	सी के प्रताप नगर संजय कालोनी, इन्द्रा कालोनी
27.	8	खेतानाड़ी क्षेत्र, मण्डोर रोड, पहाड़गंज ऊंचाई वाला क्षेत्र बालसमंद, गउगट मण्डोर, प्रतलाव नोर्डी ।
28.	9	पडियाबेरा, राई का बेरा, अशोक कोलोनी, ढलावता बेरा कतरावला
29.	10	भदासिया क्षेत्र, मदेराणा कोलोनी ऊंचाई वाला क्षेत्र, परिहार नगर
30.	11	खटीकों का बास शिवपुरी, रामनगर महामन्दिर थाने के पीछे जाटावास, जूनी बागर, अशोक नगर ब्रह्मपुरी, शिवपुरी, झालारा पोलो प्रथम, द्वितीय, धर्मनारायण जी का हथा ।
31.	12	रसाला रोड पृथ्वीपुरा, राई का बाग, रेल्वे स्टेशन, पावटा ए एण्ड बी रोड सी रोड इमरतिया जाव, बी जै. एस मोहन एण्ड बी विद्यालनगर
32.	13	उदयमंदिर हरिजन बस्ती, कर्नल साहब की हवेली
33.	14	भारत कोलोनी, जटिया कालोनी, मिरासी कोलोनी, भगत सिंह मार्ग
34.	40	शक्ति कालोनी
35.	30	सोजती गेट बेरियां मोहल्ला

परिशिष्ट "ख"

कायालाना झील व जंवाई बांध नहरों पर सफाई कार्य हेतु गत दो वर्षों से किये गये व्यय का विवरण

क्र.सं.	झील/नहर का नाम	सफाई की अवधि	सफाई पर किया गया व्यय (रुपयों में)	टिप्पणी
1.	कायालाना झील की नहरें	अप्रैल, 1992 से जून, 1992	87,540.00	
		अप्रैल, 1993 से जुलाई, 1993	10,60,603.00	
2.	जवाई बांध से जोधपुर के पेयजल हेतु नहरें	फरवरी, 1992 से अक्टूबर, 1993 तक	16,50,000.00	अतारांकित प्रश्न संख्या 16/स्वा. ग्रा.मं./जनस्वास्थ्य द्वारा श्रीमती सूर्य कान्ता व्यास 28.2.94 में दी गई अवधि सम्बन्धी सूचना को संशोधित करते हुए।
3.	गुलाब सागर (नगर निगम द्वारा)	वर्ष 1992–93 एवं 1993–94		
	मरम्मत का कार्य		4,10,659.00	
	नहर की सफाई का कार्य		1,53,811.00	
4.	फतेहसागर (नगर निगम द्वारा)	वर्ष 1992–93 एवं 1993–94		
	मरम्मत का कार्य		72,760.00	
	नहर पाटने का कार्य		2,56,946.00	
	नहर की सफाई		74,450.00	

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 530 का विवरण

परिशिष्ट "क"

हैण्डपम्पों से लाभान्वित ग्रामों के अतिरिक्त अन्य गांवों के पेयजल स्त्रोतों की सूची :—

क्र.सं.	गांव का नाम	तहसील	स्त्रोत
1	2	3	4
1.	बेडवास (ग्रामीण)	गिर्वा	खुला कुआ
2.	लकडवास	गिर्वा	खुला कुआ व नलकूप
3.	अटुव	गिर्वा	एक पंचायती कुआ व एक नलकूप
4.	भाईयों की पचोली	गिर्वा	एक पंचायती कुआ
5.	जगत	गिर्वा	एक खुला कुआ
6.	वली	गिर्वा	एक खुला कुआ
7.	कुरावड़	गिर्वा	दो खुले कुए व एक नलकूप
8.	गुड़ली	गिर्वा	एक खुला कुआ
9.	बम्बेरा	गिर्वा	एक खुला कुआ
10.	उथरदा	सलुम्बर	दो खुले कुऐ
11.	गुड़ेल	सलुम्बर	दो खुले कुऐ
12.	गिगंला	सलुम्बर	एक खुला कुआ
13.	मैथुड़ी	सलुम्बर	एक खुला कुआ
14	खरका	सलुम्बर	एक खुला कुआ
15.	सराड़ी	सलुम्बर	एक खुला कुआ
16.	करावली	सलुम्बर	एक खुला कुआ

1	2	3	4
17.	खेराड़	सलुम्बर	एक खुला कुआ
18.	बनोड़ा	सलुम्बर	एक खुला कुआ
19.	डाल	सलुम्बर	एक खुला कुआ
20.	सेरीया	सलुम्बर	एक खुला कुआ
21.	टोड़ा	सलुम्बर	दो खुले कुऐ
22.	देवागांव	सलुम्बर	एक नलकूप
23.	ईण्टालीखेड़ा	सलुम्बर	एक नलकूप
24.	डगार	सलुम्बर	एक नलकूप
25.	समोड़ा	सलुम्बर	एक नलकूप
26.	भनराना	"	एक खुला कुआ
27.	झल्लारा	सलुम्बर	एक नलकूप
28.	जैताना	"	दो खुले कुऐ

परिशिष्ट--8

अतारांकित प्रश्न संख्या 533 का विवरण

कामां क्षेत्र में कन्टीन्जेंसी प्रस्तावों का क्रियान्वयन

	स्वीकृत कार्य	
(क) शहरी क्षेत्र	1. नलकूपों का निर्माण मय पम्प सैट	1
	2. हैण्डपम्पों की स्थापना	4
	3. डाली जाने वाली पाइप लाइन की लम्बाई	2 किमी.
(ख) ग्रामीण क्षेत्र	1. ग्राम रोसक्या--एक हैण्डपम्प	
	2. ग्राम राधानगरी—एक हैण्डपम्प	

परिशिष्ठ--9

प्रतारांकित प्रश्न संख्या 537 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।

क्र.सं.	नाम	उच्च आय वर्ग
1	2	1 2
1.	श्री अशोक कुमार	उच्च आय वर्ग
2.	श्री एस.पी. यादव	,,
3.	श्री जे.पी. शुल्ला	,,
4.	श्री डा.-डी.आर. वर्मा	,,
5.	श्रीमती स्नेही देवी	,,
6.	श्री निरंजन लाल	,,
7.	श्री केदार नाथ सूधन	,,
8.	श्रीमती नरेन्द्र कौर	,,
9.	श्री सत्यनारायण चाडक	,,
10.	श्रीमती सावित्री गोधवानी	,,
11.	श्री श्याम सिंह मेहता	,,
12.	श्री सत्यनारायण	,,
13.	श्रीमती रानी रामरखानी	,,
14.	श्री राधेश्याम शाह	,,
15.	श्री गोविन्दराम/सुधीर बंसल	,,
16.	श्रीमती मानसी शर्मा	,,
17.	श्रीमती कविता तनखा	,,
18.	श्री प्रकाशचन्द्र लुहाड़िया	,,
19.	श्रीमती विजया गुप्ता	,,
20.	श्रीमती शकुन्तला	,,

1	2	3
21.	श्री चन्द्रशेखर शर्मा	,,
22.	श्री कुन्दनलाल मिगलानी	,,
23.	श्री रामनारायण वर्मा	,,
24.	श्री मदन मोहन सिंघल	,,
25.	श्री नफ़ीस अहमद खान	,,
26.	श्री कालूराम गुर्जर	,,
27.	श्रीमती तारा भण्डारी	,,
28.	श्री ओम प्रकाश गुप्ता	,,
29.	श्री अबरार अहमद	,,
30.	श्री रमाकान्त शर्मा	,,

परिशिष्ट "अ"

मध्यम आय वर्ग "ब"

1.	श्री आर.एल. बियाल	मध्य आय वर्ग "ब"
2.	श्री एन.के. गुप्ता	,,
3.	श्री भगवती प्रसाद	,,
4.	श्री दिनेश कुमार यादव	,,
5.	श्री गिरधर शर्मा	,,
6.	श्री चन्द्र मोहन श्रीवास्तव	,,

मध्यम आय वर्ग "अ"

1.	श्री जगदीश ठाकुर	मध्य आय वर्ग "अ"
2.	श्री विष्णुकान्त गोयल	,,
3.	श्री गणेश नारायण दुबे	,,
4.	श्री नसरूद्दीन	,,

परिशिष्ट "ब"

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्र.सं.	नाम	आय वर्ग	मकान सं.
1.	श्री अशोक कुमार	उच्च आय वर्ग	120/222
2.	श्री एस पी. यादव	"	4/123
3.	श्री जे.पी. शुक्ला	"	4/135
4.	श्री डा. डी.आर. वर्मा	"	4/130
5.	श्रीमती स्नेह देवी	"	4/112
6.	श्री केदार नाथ	"	4/125
7.	श्रीमती नरेन्द्र कौर	"	4/121
8.	श्री सत्यनारायण	"	4/131
9.	श्री श्याम सिंह मेहता	"	4/124
10.	श्री राधेश्याम शाह	"	4/119
11.	श्री गोविन्दराम/सुधीर बंसल	"	80/430
12.	श्रीमती कविता तनखा	"	4/101
13.	श्री रामनारायण वर्मा	"	70/39
14.	श्री मदन मोहन सिंघल	"	38/376
15.	श्री नफीस अहमद खां	"	38/375
16.	श्री कालूराम गूजर	"	38/374
17.	श्रीमती तारा भण्डारी	"	38/378
18.	श्री ओमप्रकाश गुप्ता	"	38/377
19.	श्री रमाकान्त शर्मा	"	34/77
20.	श्री आर.एल. बियाल	मध्यम आय वर्ग "ब"	94/184
21.	श्री एन.के. गुप्ता	"	35/124
22.	श्री भगवती प्रसाद	"	92/35
23.	श्री गिरधर शर्मा	"	35/147
24.	श्री चन्द्र मोहन श्रीवास्तव	"	120/92
25.	श्री जगदीश ठाकुर	मध्यम आय वर्ग "अ"	122/157
26.	श्री विष्णुकान्त गोयल	"	122/165
27.	श्री नारायण दुबे	"	38/307

परिशिष्ट "स"

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

आरक्षण पत्र के अनुसार पूर्वग्रहण राशि जमा नहीं कराने वाले आवेदकों की सूची

क्र.सं.	नाम	आय वर्ग
1.	श्री निरंजन लाल	उच्च आय वर्ग
2.	श्रीमती सावित्री गोधवानी	,,
3.	श्री सत्यनारायण	,,
4.	श्रीमती रानी रामरखानी	,,
5.	श्रीमती मानसी शर्मा	,,
6.	श्री प्रकाशचन्द्र लुहाडिया	,,
7.	श्रीमती विजया गुप्ता	,,
8.	श्रीमती शकुन्तला	,,
9.	श्री चन्द्रशेखर शर्मा	,,
10.	श्री कुन्दन लाल मिगलानी	,,
11.	डा. अबरार अहमद	,,
12.	श्री दिनेश कुमार यादव	मध्यम आय वर्ग "ब"
13.	श्री नसरूद्दीन	मध्यम आय वर्ग "अ"

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 541 का विवरण

सूची (अ)

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर।

आवास आवंटित हेतु मंडल में विभिन्न शहरों के लिये विभिन्न वर्षों में किये गये पंजीकरण की सूची

क्र.सं.	शहर का नाम	वर्ष
1	2	3
1.	जयपुर	1971, 1973, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1986, 1987, 1989 कल्पतरू 1987 से 1992
2.	सांगानेर	1982
3.	उदयपुर	1973, 1974, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980–81, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989–90, 1990, 1991, 1992,
4.	डूंगरपुर	1982–83, 1989, 1987–92
5.	बांसवाड़ा	1981–83, 1987–1992
6.	सागवाड़ा	1975–76
7.	निम्बाहेडा	1982
8.	प्रतापगढ़	1982
9.	नाथद्वारा	1982
10.	जोधपुर	1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991,
11.	पाली	1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991
12.	सुमेरपुर	1982, 1985, 1989
13.	सिरोही	1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991

1	2	3
14.	आबूरोड	1982, 1984, 1989
15.	नागौर	1978, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991
16.	शिवगंज	1989
17.	कोटा	1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992
18.	बारां	1978, 1982, 1992
19.	बूंदी	1978 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992
20.	भवानी मण्डी	1981
21.	झालावाड़	1979, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1992,
22.	रामगंज मण्डी	1979, 1982, 1984, 1985, 1990, 1991,
23.	सुनेल	1981
24.	बीकानेर	1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994
25.	सूरतगढ़	1981, 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991
26.	हनुमानगढ़	1980, 1981, 1982, 1983, 1987, 1988, 1990, 1991
27.	श्री गंगानगर	1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987
28.	टौंक	1982, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990
29.	दौसा	1982, 1987, 1989, 1991, 1992
30.	अलवर	1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1985, 1986, 1987, 1888, 1989, 1990, 1991, 1992,

1	2	3
31.	भिवाड़ी	1981, 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992
32.	भरतपुर	1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992
33.	चौमू	1982
34.	धौलपुर	1982, 1984, 1987, 1989, 1990, 1991
35.	झुन्झुनू	1975, 1976, 1978, 1979, 1981, 1982, 1984, 1986, 1987, 1989 1990, 1992
36.	सीकर	1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1984, 1985
37.	सवाई माधोपुर	1979, 1981, 1982. 1983, 1985, 1987, 1991, 1992
38.	अजमेर	1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 1987, 1988, 1989, 1990
39.	ब्यावर	1978, 1979, 1981, 1984-85, 1987, 1988, 1989, 1990
40.	किशनगढ़	1978, 1979, 1984-85, 1987, 1990

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 544 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

कुशलगढ़ तहसील के तालाबों की सूची

क्र.सं.	नाम तालाब	क्र.सं.	नाम तालाब
1.	वियापाड़ा	15.	सारन पासेला का नाका
2.	छोटी टाण्डी	16.	खड़वास
3.	गोयका प्रसाद	17.	रसोडी
4.	चतरा खूंट	18.	पाण्दा
5.	मस्का	19.	बडी सरवा
6.	भूरा कुआ	20.	सेरिया पाड़ा
7.	मगरदा	21.	रामगढ़
8.	अन्देश्वर	22.	सज्जनगढ़
9.	घोड़ादरा	23.	करमदिया
10.	अखेपुरा	24.	टिम्बामहुडी
11.	खानापाड़ा	25.	बिजोरी
12.	नागदा	26.	सुरवन
13.	काकरिया	27.	नवा गांव
14.	खीकली	28.	भमरी टाण्डी

281

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 554 का विवरण

परिशिष्ट–1

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	पदस्थापन स्थान
राजपत्रित			
1.	श्री अशोक कुमार तिवाड़ी,	प्रोफेसर	राजकीय संस्कृत कालेज, बीकानेर
अराजपत्रित			
1.	श्री रामगोपाल जाट	प्र.अ.	राजकीय संस्कृत विद्यालय, जसवंतपुरा
2.	श्री चन्द्रशेखर शास्त्री	व्याख्याता	राजकीय संस्कृत कालेज, मनोहरपुर
3.	श्री शिशुपालसिंह	अध्यापक	राज.सं.उ.प्रा.वि. मलसीसर
4.	श्रीमती सुशीला घायल	"	" "
5.	श्रीमती विद्यावती जैन	"	" बराड़ा
6.	श्री पूरणसिंह	"	" कालीपारड़ा
7.	श्री शीशराम ढाका	"	" बावली
8.	श्री स्वरूप नारायण शुक्ला	"	" श्यामावाली
9.	श्री लोकेश कुमार	"	" प्रवेशिका सं.वि. नायन
10.	श्री किशोरसिंह मीणा	"	रा.उ.प्रा.सं.वि. ढूंढा
11.	श्री जगदीश प्रसाद	"	" ढणी भुक्करी
12.	श्री गोविन्दराम हरिजन	"	" जामुनियकलां
13.	श्री वीरेन्द्र कुमार पारीक	"	" ब्राह्मण खेड़ा
14.	श्री पुरुषोत्तम लाल गुप्ता	"	" नारायणखेड़ा
15.	श्री सुशील कुमार हर्षवाल	"	" नारायण खेड़ा
16.	श्री रमन लाल	"	" बराड़ा
17.	श्री शीलचन्द्र जैन	"	" बेडावास
18.	श्री लल्लूलाल	वाहन चालक	निदेशालय
19.	श्री ऋषिशंकर गुजराती	व.लि.	निदेशालय

परिशिष्ट–2

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद नाम	पदस्थापन स्थान का नाम	विशेष विवरण
1.	श्री रामगोपाल जाट	प्रधानाध्यापक,	राजकीय प्रा–सं. विद्यालय जसवंतपुरा (जयपुर)	निलम्बित 20.12.92
2.	श्री स्वरूप नारायण शुक्ल	द्वितीय श्रेणी अध्यापक	राजकीय उच्च प्रा.सं. विद्यालय श्यामावाली (सीकर)	निलम्बित 23.12.93

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 558 की सूची

उन विद्यालयों की सूची जहां गणित व जीव विज्ञान विषय में वरिष्ठ अध्यापकों की संख्या आवश्यकता से अधिक हैं और जिन विद्यालयों में आवश्यकता है, उनका विवरण :—

जीव विज्ञान			गणित विषय		
विद्यालय का नाम	अधिक	आवश्यकता	विद्यालय का नाम	अधिक	आश्यकता
मावि, हेतमसर	1	सरियासर–1	उमावि, झुंझनूं	1	उमावि, सिंघाना–1
,, कोलिण्डा	1	लादूसर –1	मावि, नरहर	1	मावि, बख्तावर पुरा –1
,, बख्तावरपुरा	1	सौंथली –1	,, रघुनाथपुरा(सू)	1	राबासीमावि
		रघुनाथपुरा–1	,, जाखल	1	खेतड़ी –1
		जाखल –1	,, खुडानियां	1	
		खुडानियां –1	,, कुमावास	1	
		कुमावास –1	,, बड़सरी का बास	1	
		बड़सरी का बास –1	,, गोठ	1	
		गोठ –1	,, बुड़ाना	1	
		बुड़ाना –1	,, जसरापुर	1	
		जसरापुर –1	,, कुलोठखुर्द	1	
		कुलोठखुर्द –1	,, घमोरा	1	
		घमोरा –1	,, बाकरा	1	
		बाकरा –1	,, सौंथली	1	
		सौंथली –1	,, हंसासर	1	
		हंसासर –1	,, घरडानाखुर्द	1	
		घरड़ानाखुर्द–1	,, ढंढार	1	
		ढंढार –1	,, कुल्हरियों का बांस	1	
		कुल्हरियों का बास –1	,, सुलताना	1	
		सुलताना –1	,, डुंडलोदमण्डी	1	
		बामावि, बसवा–1			

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 559 का विवरण

तहसील दांतारामगढ़ के विद्यालयों की रिक्त पदों की सूचना

क्र.सं.	नाम विद्यालय	पद का नाम	रिक्त पद	रिक्त पद कब से
1.	रा.सी.मा.वि., दांता	उप प्रधानाचार्य	1	9/93
2.	रा.सी.मा.वि., बाय	,,	1	12/93
3.	रा.मा.वि., मंढा मदनी	प्रधानाध्यापक	1	12/91
4.	रा.बा.मा.वि., दांतारामगढ़	प्रधानाध्यापिका	1	8/89
5.	रा.बा.मा.वि., खाचरियावास	,,	1	8/90
6.	रा.सी.मा.वि., बाय	व्याख्याता	2	12/92 व 6/93
7.	रा.सी.मा.वि., पलसाना	,,	1	12/92
8.	रा.सी.मा.वि., खाचरियावास	,,	1	8/93
9.	रा.सी.मा.वि., दांता	,,	2	7/93 व 8/93
10.	रा.सी.मा.वि. दांतारामगढ़	,,	2	5/92 8/93
11.	रा.मा.वि., धींगपुर	वरि. अध्यापक	1	12/93
12.	रा.मा.वि. रैवासा,	,,	1	12/93
13.	रा.मा.वि., सांगरवा	,,	1	12/93
14.	रा.उ.प्रा.वि., कुली	,,	1	3/94
15.	रा.बा.मा.वि., दांतारामगढ़	,,	1	12/93
16.	रा.बा.उ.प्रा.वि., मंढा सूरेरा	अध्यापक	1	10/93

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न संख्या 562 की सूचना

परिशिष्ट–1

क्र.सं.	कार्य का नाम		कार्य का विवरण
1	2		3
1.	साकरोदा,	राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र	राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र में चारागाह विकास, समोच्च वानस्पतिक बाढ़, ड्रेनेज लाइन उपचार, वृक्षारोपण एवं कृषि प्रदर्शन आदि कार्य।
2.	मोलेला,	,,	,,
3.	चोकड़ी	,,	,,
4.	मण्डावर	,,	,,
5.	कामली,	,,	,,
6.	कलायतों का खेड़ा,	,,	,,
7.	देवथडी	जल ग्रहण क्षेत्र	भू–संरक्षण/चारागाह विकास सम्बन्धित कार्य।
8.	कुनावली	,,	,,
9.	शिवपुरा	,,	,,
10.	उसान	चारागाह	,,
11.	मादर चोकागुडा,	,,	,,
12.	सागावास	जल ग्रहण क्षेत्र	,,
13.	तेजपुरिया	,,	,,
14.	तारोट	,,	,,
15.	सादड़ी;	,,	,,
16.	खुमानपुरा;	,,	,,

1	2	3
17. करेट एनीकट	जल ग्रहण क्षेत्र	एनीकट निर्माण से भूमि के कटाव को रोकना, जलस्तर में वृद्धि करना एवं सिंचित क्षेत्र में बढ़ोतरी के कार्य।
18. महादेव का नाका	एनीकट	,,
19. पीपली अहीरान,	एनीकट	,,
20. कानजी का खेड़ा,	,,	,,
21. बधाना एनीकट,	,,	,,
22. भीलों की नागल,	,,	,,
23. मियाला,	एनीकट	,,
24. बस्सी खेड़ा,	एनीकट	,,
25. डवाला	,,	,,
26. चंपा खेड़ी,	,,	,,
27. प्रेमपुरा,	,,	,,
28. पावटिया ढाणी,	,,	,,
29. बलाईयों का गुड़ा,	,,	,,
30. फुटानाका,	,,	,,
31. जैनवा	,,	,,
32. कुण्डा,	,,	,,

परिशिष्ट–2

क्र.सं.	कार्य का नाम		1.4.91 से 31.4.91 तक कराये गये कार्यों की सूची	
			स्वीकृत धनराशि (लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में)
1	2		3	4
1.	साकरोदा	राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र	75.31	28.48
2.	मोलेला	"	45.51	22.14
3.	चौकड़ी	"	49.48	17.85
4.	कामली	"	76.144	21.41
5.	मण्डावर	"	46.688	17.51
6.	कलामती कारवेडा	"	55.411	17.77
7.	देवराडी	जल ग्रहण क्षेत्र	0.76	0.76
8.	कुनावली	"	0.879	0.873
9.	शिवपुरा	"	0.723	0.718
10.	उसान	चरागाह	0.64	0.573
11.	मादरचौका गुडा	"	0.64	0.53
12.	सांगावास	जल ग्रहण क्षेत्र	1.50	1.34
13.	तेजपुरिया	"	1.08	1.00
14.	तारोट	"	0.90	0.863
15.	सादड़ी	"	1.05	0.74
16.	खुमानपुरा	"	1.08	0.94
17.	करेट	एनीकट	0.75	0.476
18.	महादेव का नाका	"	0.42	0.257
19.	पीपली अहीरान	"	0.71	0.78
20.	भीलों का मंगल	"	4.00	2.27
21.	कानजी का खेड़ा	"	0.55	0.51

1	2		3	4
22.	बधाना एनीकट	एनीकट	1.35	1.00
23.	नियाला	,,	4.50	3.103
24.	बस्सी खेड़ा	,,	2.50	1.955
25.	हवाला	,,	4.50	2.304
26.	चांपा खेड़ी	,,	4.22	2.52
27.	प्रेमपुरा	,,	2.50	0.805
28.	पावरिया ढाणी	,,	4.50	2.76
29.	बलाईयों का गुडा	,,	1.82	1.615
30.	फुटा नाका	,,	0.96	0.96
31.	जेलवा	,,	0.90	0.86
32.	कुण्डा	,,	4.01	3.51
			395.985	159.182

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न संख्या 564 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

निदेशालय में प्राप्त प्रस्तावों की सूची

क्र.सं.	प्रस्ताव संख्या व दिनांक	निर्माण कार्य का विवरण	निर्माण कार्य में होने वाला अनुमानित व्यय
1	2	3	4
1.	26 दिनांक 15.6.93	1. घड़साना रामसिहपुर सड़क के चक 7 जे एम से आबादी तक 2. बरोर फार्म से ए.एस. नहर पर एन.डी. हैड तक 3. ए.एस. नहर के एन.डी. हैड से 3 एन.डी. आबादी तक 4. अनूपगढ़ नाहरावाली सड़क से 8 एल.एम. तक 5. अनूपगढ़ सूरतगढ़ रोड से 67 जी.बी. तक 6. अनूपगढ़ बीकानेर सड़क से 23 "ए" आबादी तक 7. अनूपगढ़ रायसिहनगर सड़क के बाण्डा गांव बस स्टेण्ड से गिलवाला आबादी तक	134.700 लाख

289

1	2	3	4
2.	28 दिनांक 25.6.93	1. फायर हाईडेन्ट पाइन्ट 25 नग	0.51 लाख
		2. सार्वजनिक नीलामी चबूतरे को कवरिंग 300 × 40 फुट	3.00 लाख
		3. विशेष मरम्मत सम्पर्क सड़क (74 जी.बी. से 76 जी.बी. तक किलोमीटर 00/00 से 2.00 कि.मी.	2.00 लाख
		4. विशेष मरम्मत सम्पर्क सड़क 87 जी.बी. से 90 जी.बी. तक	2.00 लाख
		5. आवासीय क्वाटरों में अतिरिक्त निर्माण कार्य III, IV, व V टाइप	2.00 लाख
3.	44 दिनांक 4.2.94	1. तीन सम्पर्क सड़कों की विशेष मरम्मत प्रस्ताव (10 वर्ष से पुरानी)	21.00 लाख

परिशिष्ट "ब"

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति	वित्तीय स्वीकृति	वर्ष 93–94	विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	सम्पर्क सड़क 6 पी से 5 पी. (विस्तार) आबादी तक (1.25 कि.मी.) कृषि उपज मण्डी समिति	निदेशक, कृषि विपणन, जयपुर के पत्रांक 43678-83 दिनांक 29.9.93 5.00	निदेशक, कृषि विपणन, जयपुर के पत्रांक 4367883 दिनांक 29.9.93 5.00	—	कार्यादेश माह फरवरी, 94 में जारी कर दिये गये हैं।
2.	सम्पर्क सड़क मुरब्बा नं. 280/391 गिलवाड़ा से 11–12 एस.जे.एम. आबादी (3.75 किलोमीटर) कृषि उपज मण्डी समिति, अनूपगढ़	15.00	12.00	—	निविदा मुख्यालय कार्यालय में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जा चुकी है।
3.	सम्पर्क सड़क अनूपगढ़–रायसिहनगर सड़क से 23 पी.टी.डी. (2.00 किलोमीटर)	8.00	8.00	—	कार्यादेश माह फरवरी, 94 में जारी कर दिये गये हैं।

1	2	3	4	5	6
4.	सम्पर्क सड़क 6 पी. 5 पी. सड़क से मामेवाला हैड (बी. डी.) (3.50 किलोमीटर)	14.00	8.00	—	निविदायें मुख्यालय कार्यालय में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जा चुकी हैं ।
5.	सम्पर्क सड़क 5 पी.जी.एम. बस स्टेण्ड 34508 आर.डी. रोड से चक 9 ए; आबादी (3.00 किलोमीटर)	12.00	4.00	—	उपरोक्त
	योग:—	54.00	37.00		

परिशिष्ट-17

अतारांकित प्रश्न संख्या 567 की सूचना

ANNEXURE-A

LIST OF KHARIF CROPS AND VARIETIES WHOSE SEED IS PRODUCED AT RAJ. STATE SEEDS CORPORATION FARMS.

Name of Crop.	Variety	Name of Crop	Variety
1	2	1	2
1. Bajra	WCC-75	7. Cowpea	RC-19
	ICTP-8203		C-152
	MP-171		EC-4216
	MH-179	8. Moth	Jadia
	MH-169		Jawala
	MH-B 56	9. Arhar	Upas-120
	HHB-60		ICPL-87
2. Jowar	CSH-5	10. G.Nut.	M-24
	PC-916		M-13
3. Maize	G-2		Chandra
	G-11		Chitra
	D-103		IOGS-44
	Ageti-76		IOGS-76
	Navjot		SG-2
4. Paddy	Basmati-1	11. TIL	TC-25
	Basmati-370		Pratap
5. Mong	K-851		RT-54
	RMG-62		T-9
	PDM-54/11	12. Soyabean	PK-472
	ML-131		MACS-13
6. Urd	T-9		MACS-58
	PU-19/PU-30		JS-75-46

1	2	1	2
13. Castor	G-4	15. Cotton	B–Nerma
			G. Ageti
14. Guar	D. Safed		RG–8
	FS–277		E-505
	RGS–936		RST–9
	RGC–197		F–846

RABI CROPS AND VARIETIES

1. Wheat	Raj.–3077		P–212
	Raj.–1482		BG–268
	Lok–1	3. Barley	RD–103
	C–306		RD–387
	WH–542		RD–2052
	KRL–1–4		
	HI–1077	3. Mustard	T–59
	PBW–215		Pusha Bold
	PBW–226		BH–30
	CPAN–3004		Keemti
	HD–2284		Rohini
	WH–147	5. Pea	Arkle
	Raj.–1555		Bonevilla
	HD–209		Aparna
	HD–2329	6. Lentil	K–75
	Sujata		L–4076
2. Gram	C-235	7. Berseem	Muscavi
	H. 208	8. Corriander	RCR–41
	D–Yellow		
	GNG–146	9. Oat	Kent
	P–209	10. Cumin	RZ–19
	RSG–44		

परिशिष्ट–18

अतारांकित प्रश्न संख्या 571 की सूची

परिशिष्ट "अ"

कृषि उपज मण्डी समिति, जैतारण में अगले वित्तीय वर्ष के प्रस्तावित कार्यों की सूची:—

---

1. प्रस्तावित निर्माण कार्य:—

1. दुकानों के पीछे गोदाम नम्बर 10
2. आन्तरिक सड़कों को चौड़ी करना।
3. भवनों पर तार फिटिंग
4. चार दिवारी को ऊंचा करना गौण मण्डी आनन्दपुर कालू
5. दुकान मय गोदान नम्बर 8 गौण मण्डी आनन्दपुर कालू
6. दुकानों के पोछे गोदाम नम्बर 6 गौण मण्डी निजाम

2. प्रस्तावित सड़कों का निर्माणकार्य:—

1. समोखर से मोहराई
2. घोडावड़ से बलाडा
3. खिनावड़ी से मांगावास
4. रायपुर,से दिपावास
5. चावण्डिया से सिंगला
6. कुशालपुरा से निम्बेड़ा
7. जसा खेड़ा रोड से चावण्डिया खुर्द
8. देवली से छितरेया मुडा तक
9. भैरू खेजड़ा से नोख
10. बासनी कवियान से सिंगला

परिशिष्ठ–19

अतारांकित प्रश्न संख्या 572 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

पंचायत समिति बस्सी क्षेत्र में वर्ष 1977 से 1994 तक निर्माणाधीन सम्पर्क सड़कों की सूचना

क्र.सं.	सम्पर्क सड़क का नाम	लम्बाई कि.मी.	पूर्ण करने का वर्ष	व्यय राशि (लाखों में)
	पंचायत समिति, बस्सी			
	कृषि उपज मण्डी समिति, जयपुर (अनाज)			
1.	स.स. तूंगा रोड से राजावास	2.00	82–83	2.40
2.	स.स. आगरा रोड से खेड़ी	1.00	83–84	1.92
3.	स.स. बांसखो से भटेरी वाया पाटन	8.00	83–84	10.00
4.	स.स. बस्सी से मनोहरपुरा	4.10	83–84	6.40
5.	स.स. जटवाड़ा से बड़वा वाया पाडासोली	6.50	85–86	11.00
6.	स.स. रोजपुरी से गुमानपुरा वाया माधोगढ़	5.00	85–86	8.52
7.	स.स. जटवाड़ा से पाटन	6.50	85–86	9.00
8.	स.स. राजपुरा से पाटलवास	2.00	85–86	3.50
9.	स.स. कानोता नायला रोड से बैनाड़ा	8.00	87–88	13.52
10.	स.स. बस्सी से सांभरिया	7.00	87–88	12.28
11.	स.स. तूंगा से देवगांव	5.00	87–88	7.90
12.	स.स. जटवाड़ा बडवा से टेटरा	2.80	90–91	4.50
13.	स.स. पाटन से बूडला	2.00	90–91	4.00

परिशिष्ट–20

अतारांकित प्रश्न संख्या 575 का विवरण

परिशिष्ट–अ

राजस्थान पर्यटन विकास निगम में पिछले चार वर्षों में ड्रॉप किये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्ष
1.	श्री बृज किशोर शर्मा	व. प्रबन्धक	1989–90

298

परिशिष्ट—ब

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि., जयपुर
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

(बीयर शॉप से चोरी एवं स्टाक में कमी संबंधित विवरण)

क्र.सं.	बीयर शॉप का नाम	नियंत्रक अधिकारी	संबंधित कर्मचारी का नाम	बीयर से कम पाये गये स्टॉक की राशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	ब्यावर	प्रबन्धक बार	श्री संजय सिन्हा, गृह सहा.	28998–15	रोकड़ और स्टॉक की जांच कर कर्मचारी की पांच वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गई।
2.	कालवाड़	व. प्रबन्धक, तीज	श्री सोबनराम, स.अ.	29671–00	समस्त राशि वसूल करली गई।
3.	एम.आई.रोड, जयपुर	,,	श्री अनुमान सहाय सैनी, रू.अ.	24842–00	समस्त राशि वसूल करली गई।
4.	टूरिस्ट होटल, जयपुर	वरिष्ठ प्रबन्धक	श्री ईश्वर लाल मीणा, चौकीदार	12081–00	कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया व विभागीय जांच लम्बित है।

1	2	3	4	5	6
5.	राजापार्क, जयपुर	वरिष्ठ प्रबन्धक, सीबीटी	श्री नरेश कुमार, रू.प्र.	27921-00	समस्त राशि वसूल करली गई है।
6.	पन्ना, चित्तौड़गढ़	प्रबन्धक, पन्ना	श्री मोहन सिंह, रू.प्र.	35904-00	26,242/- रु. वसूल कर लिये गये है, शेष 9,662/- रु. शेष राशि कर्मचारी से वसूल की जा रही है।
7.	राजापार्क, जयपुर	वरिष्ठ प्रबन्धक, सी.बी.टी., जयपुर	श्री गुलाब चन्द मेहरा, रू.प्र.	14134-00	राशि अभी वसूल नहीं की गई है, सम्बन्धित के विरूद्ध विभागीय जांच लम्बित है, कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया है।
8.	उदयपुर	प्रबन्धक, उदयपुर	वीयर शॉप में चोरी हो गई थी।	24300-00	चोरी के विरूद्ध क्षेत्रीय थाने में प्रथम इत्तला रिपोर्ट निगम द्वारा दर्ज करादी गई तथा कर्मचारी का दायित्व निश्चित करने हेतु जांच जारी है।

परिशिष्ट–स

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि., जयपुर

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

निगम में कार्यरत अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का विवरण

क्र.सं.	नाम/पदस्थापन	शिकायत	किसने की	निगम ने क्या कार्यवाही की
1	2	3	4	5
1. (अ)	श्री रामफूल गुर्जर, सहायक प्रबन्धक, मोटर महुआ, वर्तमान में सरिस्का	इकाई प्रबन्धक द्वारा अपराधियों को शरण दिये जाने, घोर पक्षपात किये जाने भ्रष्टाचार में लिप्त होने एवं उच्च अधिकारियों के निर्देश के बावजूद माननीय मुख्य मंत्री के प्रवास के दौरान आवश्यक व्यवस्थायें नहीं करने बाबत।	डा. किरोडीलाल मीणा (पूर्व संसद सदस्य)	जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच कराई गई तथा जांच के बाद यह पाया गया कि इकाई प्रबन्धक के खिलाफ जो शिकायत की गई है, वह तथ्यहीन प्रतीत होती है।
(ब)	,,	अनियमिततायें बरतने बाबत।	श्री एच.आर. मीणा (अध्यक्ष जिला भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति, स.मा.)	जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच कराई गई, तथा जांच के बाद यह पाया गया कि इकाई प्रबन्धक के खिलाफ जो शिकायत की गई थी, वह तथ्यहीन प्रतीत होती है।

1	2	3	4	5
2.	श्री सागरमल गुप्ता, प्रबन्धक, रतनगढ़, (वर्तमान में फतेहपुर)	मोटल की अव्यवस्था व शोचनीय स्थिति के बारे में शिकायत	श्री देवीसिंह भाटी (राज्य मंत्री, पशुपालन विभाग, राज. जयपुर)	सम्बन्धित प्रबन्धक का स्थानान्तरण कर दिया एवं भविष्य में सतर्कता बरतने हेतु चेतावनी दी गई ।
3.	श्री फूल सिंह, वरिष्ठ सहा. प्रबन्धक	अभद्र व्यवहार	श्री हेमन्त अवेदनाथ	विभागीय जांच पर चेतावनी दी गई ।
4.	श्री हमीर सिंह	अभद्र व्यवहार	श्री सुरेश चन्द जैन, सुजानगढ़	आवश्यक जांच करवाने पर शिकायत झूठी निकली ।
5.	श्री रणवीर सिंह	रिफण्ड नहीं किये जाने बावत ।	श्री एस.एल. गोछा, कार्यकारी निदेशक, राज. ट्रासफोर्मरस एण्ड स्वीच चार्ज, जयपुर ।	आवश्यक जांच के बाद राशि रिफण्ड योग्य नहीं थी, एवं इस बाबत पार्टी को सूचित भी किया गया था ।
6.	श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी एवं स्टाफ ।	अभद्र व्यवहार	श्री देवेन्द्र फौजदार, प्रबन्धक सर्किट हाउस, बीकानेर ।	आवश्यक जांच कार्रवाई की गई शिकायत झूठी पाई गई ।
7.	श्री आई.ए. खान व. प्रबन्धक	कार्य असन्तोषजनक एवं मनमाने तरीके से कमरों का चार्ज एवं टैन्ट हाउस से कमीशन ।	अग्रवाल टैन्ट हाउस, कोटा	दरें मुख्यालय से निर्धारित की जाती हैं । टैन्ट हाउस का एकाधिकार खत्म करने का प्रयास किया गया जिस कारण झूठी शिकायत की गई ।

परिशिष्ट–21

अतारांकित प्रश्न संख्या 579 की सूची

परिशिष्ट "अ"

उदयपुर जिले में संचालित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास

क्र.सं.	छात्रावास का नाम व स्थान	प्रारम्भ करने का वर्ष	स्वीकृत छात्र संख्या	प्रवेशित छात्र संख्या वर्ष 93–94
1	2	3	4	5
1.	राज. अनुसूचित जाति, मादड़ी	1956	60	58
2.	,, कन्या, मधुवन	1986	49	49
3.	,, जनजाति कन्या, मधुवन	1976	90	76
4.	,, कोटडा	1980	25	25
5.	,, मधुवन	1993	25	25
6.	,, झाडोल	1990	25	25
7.	,, मेरर	1993	25	15
8.	,, नाई	1990	25	24
9.	,, पावण्ड	1984	25	25
10.	,, खैरवाड़ा	1956	80	80
11.	,, जनजाति, बालक कोटडा	1952	125	102
12.	,, झाडोल	1970	80	79
13.	,, फलासिया	1960	105	108
14.	,, घरियावद	1950	115	96
15.	,, भलराना	1960	60	38
16.	,, छाणी	1962	50	47
17.	,, जवास	1988	25	25
18.	,, ओगडा	1986	25	25
19.	,, भिण्डर	1986	25	25

1	2		3	4	5
20.	राज. जनजाति, बालक	गोगुन्दा	1986	25	25
21.	,,	डेया	1982–83	25	25
22.	,,	नातीया	82–83	25	25
23.	,,	बागलवाड़ा	82–83	25	25
24.	,,	पालीभीत	82–83	25	25
25.	,,	ओडा	82–83	25	25
26.	,,	गोराना	82–83	25	25
27.	,,	सरेरा	82–83	25	25
28.	,,	आडीवती	82–83	25	25
29.	,,	कल्याणपुर	82–83	25	25
30.	,,	पाटिया	82–83	25	25
31.	,,	टोकर	82–83	25	25
32.	,,	परसाद	82–83	25	25
33.	,,	पारसोला	82–83	25	25
34.	,,	झाडोल (सं)	82–83	25	25
35.	,,	झेड	82–83	25	25
36.	,,	मांवली	82–83	25	25
37.	,,	बारबात	82–83	25	25
38.	,,	कुराबड़	82–83	25	25
39.	,, हरिजन	मुल्लातलाई (उदयपुर)	1981	25	15
40.	,,	खेमपुरा (उदयपुर)	1981	25	25
41.	,, जनजाति,	झल्लारा	1990	25	25
42.	,,	सनवाड़	1991	25	25
43.	,,	मदार	1991	25	25
44.	,,	सलुम्बर	1979	25	25
45.	,,	उदयपुर	82–83	25	25
46.	,, अनु.जाति	वल्लभनगर	1990	25	10

परिशिष्ट–22

परिशिष्ट "अ"

(नियम 131 के तहत मंत्री द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य में संलग्न आदेशों की प्रतियां)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।

क्रमांक : डीओपी-7(ए)बी-41/92/पार्ट-I, II/679 दिनांक 10.9.92

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा एस.बी. सिविल रिट पीटिशन नम्बर 3321/87 में दिनांक 3.7.90 को पारित निर्णय एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की खण्डपीठ द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील रिट "नम्बर 314/90 में दिनांक 11.4.91 को पारित आदेश की पालना में सेवा चयन मण्डल द्वारा दिनांक 8.9.92 को की गई अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित सहायक आगार प्रबन्धकों/ यातायात निरीक्षकों को आगार प्रबन्धक के पद पर वेतन शृंखला 2000–60–2300–75–3200 में पदोन्नत किया जाता है:—

क्र.सं. 1	नाम 2
1.	श्री ए. सी. जैन
2.	,, ऋषिराज शर्मा
3.	,, एस. पी. गौड़
4.	,, जय प्रकाश शर्मा पुत्र श्री मोती लाल
5.	,, हनुताराम चौधरी
6.	,, बाबू लाल शर्मा
7.	,, महेन्द्र सिंह पूनिया
8.	,, सुरेश चन्द्र अग्रवाल
9.	,, हरीशशंकर मनमानी
10.	,, हरजीत सिंह गांधी (मरणोपरान्त)
11.	,, नारायण सिंह कालिया (एस.सी.)
12.	,, टीकम चन्द गोयल

305

1	2
13.	श्री आर.के. अग्रवाल
14.	,, इन्द्रसिंह चौहान
15.	,, प्रभु सिंह राजवी
16.	,, चिमन लाल सैनी
17.	,, सुरेश चन्द्र तिवाड़ी
18.	,, रामगोपाल बिड़ला
19.	,, नरेश कुमार महर्षि
20.	,, प्रताप सिंह राजावत
21.	,, शिव कुमार अरोड़ा
22.	,, प्रहलाद पारीक
23.	,, हरी प्रसाद शर्मा
24.	,, महावीर दाधीच
25.	,, हनुमान सहाय
26.	,, नवीन चतुर्वेदी
27.	,, महेश युग
28.	,, बद्री लाल गौरिया (एस.सी.)
29.	,, धन्ना लाल (एस.सी.)
30.	,, मोहन लाल अढ़ालिया (एस.सी.)
31.	,, राम सहाय मीना (एस.टी.)

सम्बन्धित अधिकारी अलग से पदस्थापन आदेशों तक अपने वर्तमान पदों पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

ह./–
(जी.एस. सन्धु)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : डीओपी/7(ए)/बी–41/92/पार्ट–I व II/679 दिनांक 10.9.92

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. समस्त विभागाध्यक्ष, रा.रा.प.प. निगम.....................जयपुर।

2. समस्त कार्यकारी प्रबन्धक ( ) रा.रा.प.प. निगम....................
3. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक, केन्द्रीय कार्यशाला, रा.रा.प.प. निगम................
4. समस्त मुख्य प्रबन्धक, रा.रा.प.प. निगम..................
5. प्रबन्धक (संचालन/यातायात) रा.रा.प.प. निगम.....................
6. श्री... पद.............................. द्वारा
7. नोटिस बोर्ड मुख्यालय/सम्बन्धित आगार।
8. निजी/आदेश पत्रावली।

ह./-
(महावीर सिंह)
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

परिशिष्ट "ब"

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT
CORPORATION, JAIPUR

No. DOP-7/A/B-41/93/Part I,II/03 Dated 4 Jan. 93.

OFFICE ORDER

The following promotion order for promotion on the post of Depot Managers in the pay scale of Rs, 2000-60-2300-75-3200 are hereby withdrawn:-

1. Order No. DOP-7 (A) B-41/92/Part I, II/679 dated 10.9.92.
2. Order No. F ( ) Hqr/Recr/92/170 dated 22.9.92. and
3. Order No. HO/P-7-A/92/202 dated 5.11.92.

The officers Promoted by the above orders are hereby reverted back with immediate effect to the substantive posts of ADM/TI in the pay scale of Rs. 1400-40-1600-50-2300-60-2600 from which they were promoted on the post of Depot Managers.

"These orders have been passed keeping in view the pendacy of litigation/contempt proceedings in the Hon'ble High Court of Rajasthan and with approval of the Chairman, RSRTC.

Sd./–
Managing Director.

No. DOP–7/A/B–41/93/Part I,II/03

Copy forwarded for information & necessary action to :–

1. All Heads of Department, RSRTC, JAIPUR
2. All Executive Managers ( ), RSRTC,..............
3. All Chief Managers, RSRTC,............
4. All Managers (A/cs), RSRTC,..........
5. A/cs. Officer (Budget)/AAO (P), RSRTC, JAIPUR.
6. Shri..

Copy for :

1. Notice Board
2. PF/GF.

Sd./–
Executive Director (Adm)

308

परिशिष्ट–"स"

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

क्रमांक : मु/कार्मिक/ऐ/93/207 दिनांक : 18.6.93

कार्यालय–आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 332/87 में पारित निर्णय दिनांक 3.7.90 तथा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ की डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 314/90 एवं माननीय उच्च न्यायालय की जयपुर खण्डपीठ में दायर अवमानना याचिका संख्या 495/91 (जमील अहमद बनाम जी.एस. संधु व अन्य) के निर्णय आदेश दिनांक 1.3.93 की अनुपालना में निगम के सेवा चयन मण्डल की बैठक दिनांक 3.5.93 को आयोजित की गई। सेवा चयन मण्डल की अनुशंषा के आधार पर निम्नलिखित सहायक आगार प्रबन्धकों/यातायात निरीक्षकों को आगार प्रबन्धक के पद पर पदोन्नत किया जाता है :—

1. श्री ए. सी. जैन
2. ,, ऋषि राज शर्मा
3. ,, एल. पी. गौड़
4. ,, जय प्रकाश शर्मा (जन्म तिथि 19.2.50)
5. ,, हनुताराम चौधरी
6. ,, बाबू लाल शर्मा
7. ,, महेन्द्र सिह पूनिया
8. ,, एस. सी. अग्रवाल
9. ,, हरिशंकर मनमानी
10. ,, हरजीत सिह गांधी (मरणोपरान्त)
11. ,, नारायण सिह कालिया (एस. सी.)
12. ,, टी.सी. गोयल
13. ,, राजेन्द्र कुमार अग्रवाल
14. ,, इन्द्र सिह चौहान
15. ,, प्रभू सिह राजवी
16. ,, सी. एल. सैनी
17. ,, एस. सी. तिवाड़ी
18. ,, मूल चन्द चौधरी
19. ,, राम गोपाल बिड़ला
20. ,, नरेश कुमार महर्षि
21. ,, एस. के. शर्मा
22. ,, शुभ करण आढा

23. श्री प्रताप सिंह राजावत
24. ,, शिव कुमार अरोड़ा
25. ,, प्रहलाद पारीक
26. ,, महावीर दाधीच
27. ,, हनुमान सहाय
28. ,, नवीन चतुर्वेदी
29. ,, महेश चुग
30. ,, बद्री लाल गोरिया (एस.सी.)
31. ,, धन्ना लाल (एस.सी.)
32. ,, मोहन लाल अडालिया (एस.सी.)
33. ,, राम सहाय मीना (एस.टी.)
34. ,, सोहन लाल यादव (एस.सी.)
35. ,, आर.जी. मेघवाल (एस.सी.)

इनके पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जा रहे हैं।

ह./–
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : मु./कार्मिक–7ऐ/93/207 दिनांक : 18.6.93

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. समस्त विभागाध्यक्ष, रा.प.निगम, जयपुर
2. समस्त कार्यकारी प्रबन्धक (   ) रा.प.निगम, मु. जयपुर
3. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक, के. कार्यशाला, रा.प.निगम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर
4. समस्त मुख्य प्रबन्धक, रा.प.निगम————
5. प्रबन्धक (संचालन/यातायात) रा.प.निगम————
6. श्री————————
7. नोटिस बोर्ड/सम्बन्धित आगार
8. निजि/आदेश पत्रावली।

ह./–
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

शुद्धि-पत्र

स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
166	3	(श्रीडूंगरगढ़)	(डूंगरगढ़)
358	फोलियो	258	358
379	फोलियो	279	379
406	11	(श्रीडूंगरगढ़)	(डूंगरगढ़)
460	फोलियो	560	460
523	फोलियो	623	523